राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 7] चतुर्थ विधान सभा के सप्तम् सत्र का पांचवां दिवस [संख्या 6

शुक्रवार,

दिनांक 13 मार्च, 1970.

विधान सभा की बैठक म. पू. 11 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री निरंजननाथ आचार्य, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[राजस्व, कृषि, विद्युत, उद्योग, जनसम्पर्क, सहकारिता, आयुर्वेद, सामान्य प्रशासन, भेड़ व ऊन, खनिज विभाग]

श्री अध्यक्ष : प्रश्न।

गम्भीरी प्रोजेक्ट के अन्तर्गत भूमि का आवंटन

93. **श्री रामकुमार नन्दवाना** (चित्तौड़गढ़) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि चित्तौड़गढ़ तहसील क्षेत्र में गम्भीरी प्रोजेक्ट के अन्तर्गत भूमि का आवंटन हुआ था ? यदि हां, तो कितने परिवार वालों को भूमि अब तक मिल चुकी है और कितनों को भूमि अभी तक नहीं मिली है तथा इसके क्या कारण है ?

(2) क्या यह सही है कि गत वर्ष माह जुलाई में पंचायत-नेतावलगढ़ पाछड़ी खेती ओछंडी के निवासियों ने आवंटित भूमि को अपने कब्जे में कर लिया और फसल वो दी ? क्या जिलाधीश ने उस पर कोई कार्यवाही की है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं की है, तो इसका क्या कारण है ?

(3) क्या यह सही है कि भूमि आवंटन के प्रार्थना पत्र किसी एक निश्चित अवधि तक लिये जाते हैं ? क्या यह भी सही है कि उन्हें रजिस्टर में दर्ज किया जाता है ? क्या यह सही है कि जिस वक्त भूमिहीन किसानों को आवंटन किया गया उस समय ग्राम ओछड़ी नेतावल के किसानों के प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर थे।

राज्य मंत्री, उपनिवेशन (श्री मनफूल सिंह) : (1) जी हां, अब तक 10223 व्यक्तियों को भूमि पर कब्जा देने की कार्यवाही हो चुकी है। शेष 482 व्यक्तियों

(श्री मनफूलसिंह)

को उनके द्वारा निर्धारित समय पर इकरारनामा न भरने तथा प्रीमियम की किश्त जमा नहीं कराने के कारण उन्हें भूमि नहीं मिली है। इसके अलावा कुछ भूमि जो वन विभाग से राजस्व खाते में परिवर्तित हुई है, वह अब तक वन विभाग द्वारा राजस्व विभाग को समय पर हस्तगत नहीं होने के फलस्वरूप आवंटियों को सुपुर्द नहीं हो सकी है।

(2) जी हां, पंचायत नेतावलगढ़ पाछली खेती में आवंटित कुछ भूमि पर कतिपय अन्य व्यक्तियों द्वारा कब्जा कर लिया था। किन्तु आवंटनशुदा भूमि का कब्जा तहसीलदार द्वारा पहले ही एलोटीज को दिया जा चुका था। ऐसी स्थिति में जिलाधीश द्वारा कोई कार्यवाही करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता क्योंकि इस प्रकार की शिकायत किसी व्यक्ति विशेष द्वारा करना नहीं पाया जाता है। पुलिस स्टेशन में 2 केसेज दर्ज हुए हैं। उपखण्ड अधिकारी के यहां एक प्रकरण धारा 107-151 जाब्ता फौजदारी के तहत दर्ज हुये हैं।

(3) जी हां भूमि आवंटन के प्रार्थना पत्र निर्धारित अवधि तक ही लिये जाते हैं और प्रार्थना पत्र का अंकन एक रजिस्टर में होता है। यह भी सही है कि ग्राम नेतावल ओछड़ी के ग्रामवासियों के प्रार्थना पत्र रजिस्टर में दर्ज किये गये थे।

श्री रामकुमार नन्दवाना : इस प्रश्न के जवाब में जो यह कहा गया कि वन विभाग से जमीन का हस्तान्तरण नहीं हुआ है मैं अर्ज करना चाहता हूं कि 12 तारीख को तहसीलदार को पजेशन दे दिया था उस भूमि का और 13 तारीख को किसानों को बुलाया गया जो सब शिड्यूल्ड कास्ट के व्यक्ति थे पजेशन देने के लिये। लेकिन गांव वालों ने पजेशन उनका नहीं होने दिया उसकी तहसीलदार ने कोई परवाह नहीं की। इस पर सरकार क्या विचार कर रही है ?

दूसरा आपने कहा कि 400 व्यक्तियों का पजेशन नहीं हो पाया है इसके क्या कारण हैं ? और ये किस जाति के लोग थे ?

श्री मनफूलसिंह : यह किस जाति के व्यक्ति थे यह मैं नहीं बता सकता क्योंकि प्रश्न में नहीं पूछा गया था। माननीय सदस्य यह कहते हैं कि वन विभाग से जमीन राजस्व विभाग ने हस्तगत कर ली है अगर यह सही है तो मैं इसकी जांच कर लूंगा। जांच होने के बाद वास्तव में कोलोनाइजेशन डिपार्टमेंट के अन्तर्गत जमीन आगई है तो उस बारे में कार्यवाही की जायगी और कब्जा फौरन दिलवा दिया जायगा।

श्री रामकुमार नन्दवाना : जिन लोगों का कब्जा नहीं हुआ है वह शिड्यूल्ड कास्ट के लोग हैं वे जब कब्जा करने जाते हैं तो गांव वाले सवर्ण और ठाकुर लोग उनके खिलाफ लोगों को भड़काते हैं और उनको जमीन पर कब्जा करने नहीं देते हैं, और राज्य सरकार कोई कार्यवाही नहीं कर रही है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

भूतल जल की प्राप्ति के लिए सर्वे

94. **वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राजस्थान में किन किन जिलों में भूतल जल प्राप्ति की दृष्टि से सर्वे किया

Page No. 3

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

गया ? सूची मय सर्वे रिपोर्ट के सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या बाड़मेर जिले का उक्त दृष्टि से सर्वे किया गया है या नहीं ? अगर नहीं तो क्यों ?

(3) क्या राज्य सरकार यह महसूस नहीं करती कि उक्त जिले में पानी की भयंकर समस्या है और सिंचाई के भी नहीं के बराबर साधन उपलब्ध हैं ?

(4) राज्य सरकार कब तक उक्त जिले में सर्वे का कार्य शुरू करा देगी ? निश्चित सूचना देने की कृपा करें।

उपमंत्री विद्युत् (श्री खेत सिंह): (1) राजस्थान भूजल मंडल के अन्तर्गत भू जल प्राप्ति की दृष्टि से जयपुर, सवाई माधोपुर, जोधपुर, नागौर, बीकानेर, अलवर, भरतपुर, चित्तौड़गढ, भीलवाड़ा, कोटा, टोंक, अजमेर, पाली, जालौर आदि जिलों के कुछ भागों का सर्वेक्षण किया गया। उपलब्ध सर्वे रिपोर्ट्स की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) बाड़मेर जिले का सर्वेक्षण जिओलाजिकल सर्वे ऑफ इण्डिया के अन्तर्गत गत वर्ष किया गया था।

(3) राज्य सरकार ने, उक्त जिले में पानी की भयंकर समस्या को देखते हुए, गत वर्ष 10 सफल नल कूप लगवाये। इनके अतिरिक्त कई अन्य स्थानों पर भी प्रायोगिक छिद्र एवं सर्वेक्षण जिओलॉजिकल सर्वे ऑफ इण्डिया के द्वारा करवाया गया।

(4) प्रायोगिक छिद्रण एवं नलकूप लगाने हेतु प्रारम्भिक सर्वेक्षण के आधार पर बाड़मेर जिले में कुछ पानी स्रोतों का पता चला है। जिओलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट्स अभी नहीं आई हैं। रिपोर्ट्स के मुकम्मिल प्राप्त होने पर सर्वे करने के बारे में विचार किया जायगा।

(सूची विस्तृत होने के कारण राजस्थान विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई है)

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : अध्यक्ष महोदय, जिओलॉजिकल सर्वे ऑफ इण्डिया द्वारा जो सर्वे किया गया है वह प्रेलिमिनरी सर्वे है, मैंने वास्तव में जिक्र किया है डिटेल्ड सर्वे का। जोधपुर, नागौर, बाड़मेर जिलों में सर्वे कराने में क्या कठिनाइयां हैं, क्या अड़चनें है ?

श्री खेतसिंह : मैंने निवेदन किया जिओलाजिकल सर्वे ऑफ इण्डिया को नल कूप खोदने का कार्यक्रम दिया था उस वक्त उन को निवेदन किया था कि आप प्रेलिमिनरी सर्वे की रिपोर्ट तैयार करलें। उन्होंने जो रिपोर्ट तैयार की है उसके मिलते ही बाकायदा सर्वे किया जायगा।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : सर्वे रिपोर्ट प्राप्त करने का राज्य सरकार ने क्या प्रयास किया है ?

श्री खेतसिंह : आपका प्रश्न आते ही सरकार ने जिओलाजिकल सर्वे ऑफ इण्डिया को लिख दिया है वह रिपोर्ट जल्दी से जल्दी भेजें।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : प्रेलिमिनरी सर्वे रिपोर्ट प्राप्त होने में और डिटेल्ड सर्वे कराने में क्या डिफ़ीकल्टी है ?

श्री खेतसिंह : उनकी सर्वे रिपोर्ट के आने के बाद ही जिन जिन एरियाज में पानी की संभावना बतायेंगे उनकी डिटेल्ड सर्वे कराई जायगी।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : पाली तहसील में रोहट पंचायत समिति में आपने कोई सर्वे कराया है ?

श्री खेतसिंह : इसके लिये आप अलग से प्रश्न पूछिये ।

श्री मूलचन्द डागा : आपने सर्वे में पाली का नाम भी लिया है इसीलिये मैं पूछ रहा हूं रोहट पंचायत समिति में जो सर्वे कराया है उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

श्री खेतसिंह : परिणाम क्या निकले यह बता नहीं सकता ।

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न है ।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी (छबड़ा) : कोटा क्षेत्र की रिपोर्ट सरकार को मिल गई है पानी उपलब्ध वहां हो सकता है तो वह स्कीम वहां कब तक लागू करने को तैयार हैं ?

श्री खेतसिंह : मैंने उत्तर में निवेदन किया है कि कोटा की सर्वे हुई है । सर्वे रिपोर्ट के आधार पर क्या कार्यवाही की जाय इस पर विचार किया जायगा ।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : कोटा जिले में चम्बल कमाण्ड एरिया के अलावा जहां पानी उपलब्ध है वहां ट्यूबवैल लगाने के बारे में सरकार क्या विचार कर रही है ?

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न है ।

श्री मूलचन्द डागा : पानी का सर्वे कराया है उसका परिणाम क्या निकला है ?

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न है ।

श्री मूलचन्द डागा : फिर सर्वे किस बात का कराया ?

श्री खेतसिंह : रिपोर्ट सदन की मेज पर रखी हुई है पढ़ लीजिये ।

श्री बालसिंह सोढा (जैसलमेर) : क्या जिओलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अलावा भी किसी से सर्वे कराया है ?

श्री खेतसिंह : जी हां । एक्सप्लोरेटरी ट्यूबवैल ओर्गेनाइजेशन से और विभाग से भी करवाई है ।

श्री बालसिंह सोढा : क्या यू एन डी पी. ऑफ इण्डिया द्वारा भी सर्वे करा रहे हैं ?

श्री खेतसिंह : वे भी कर रहे हैं ।

श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : तो फिर आप पूरी जानकारी क्यों नहीं देते हैं ?

श्री खेतसिंह : आप तो पूरे विभाग की जानकारी चाहते हैं ।

श्री रावतराम (छापर सु.) : अन्डर ग्राउन्ड वाटर बोर्ड जो सर्वे करता है वह किस आधार पर सर्वे करता है ? पीने के पानी के लिये सर्वे करता है या और कामों में काम में लिये जाने वाले पानी के लिये करता है । अगर पीने के पानी के लिए सर्वे करता है तो चूरू जिले का सर्वे इसमें क्यों

(श्री रावतराम)

नहीं किया गया है। चूरू जिला पीने के पानी की दृष्टि से एक बहुत ही पिछड़ा हुआ जिला है तो क्या मन्त्री महोदय, बतायेंगे कि क्या चूरू जिले का भी सर्वे किया गया है?

श्री खेतसिंह : इस प्रश्न में चूरू का नाम नहीं है।

श्री रावत राम : चूरू जिला पानी की दृष्टि से बहुत बैकवर्ड है।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट।

श्री लक्ष्मण तानीवाल !

भूमि पर अवैध कब्जे

जिला झालावाड़

95 श्री लक्ष्मण तानीवाल (डग सु.): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) जिला झालावाड़ में 1-1-67 से 1-1-68 तक की अवधि में प्रत्येक तहसील में भूमि के अवैधानिक कब्जे और अनुचित हस्तक्षेप के कितने कितने मामले दर्ज हुए हैं और उन पर क्या निर्णय लिये गये हैं?

(2) उपरोक्त मामलों में से कितने कितने मामलों में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लोग अन्तर्ग्रस्त हैं।

(3) उपरोक्त सभी मामलों में क्या क्या निर्णय लिये गये हैं? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उपमन्त्री, राजस्व (श्री गंगाराम चौधरी) : (1) सूची (क) संलग्न है।

(2) सूची (ख) संलग्न है।

(3) इस जिले में 1-1-67 से 1-1-68 तक अतिक्रमण के 27308 मामले दर्ज हुए हैं। 647 रेगुलेराइज हुए हैं, 23197 वेदखल हुए इनमें अनुसूचित जाति जनजाति के कुल 9546 व्यक्ति अन्तर्ग्रस्त हुए हैं। जिनमें से 466 व्यक्तियों की भूमि रेगुलेराइज हुई व 9032 व्यक्ति वेदखल हुए हैं।

(कृपया परिशिष्ट 1 देखिये)

श्री लक्ष्मण तानीवाल: अध्यक्ष महोदय जैसा कि मन्त्री महोदय ने अनधिकृत भूमि के कब्जों और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लोगों के कब्जों के बारे में कहा मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि जल्दी से जल्दी ऐसे मामलों में निर्णय करें और उन तहसीलदारों को ऐसे आदेश दें जिससे वेचारे गरीब लोग काबिज हैं उनके कब्जों को रेगुलेराइज हो जायं और ऐसे मामले जिनमें कि अनुसूचित जाति और जन जाति के लोगों को भूमि का एलॉटमेंट किया जाता है पर दूसरे लोग उस एलाट की हुई भूमि पर अनधिकृत रूप से कब्जा कर लेते हैं, जैसा कि स्वयं मन्त्री महोदय ने कहा, ऐसे मामलों में जल्दी से निर्णय लेकर इस प्रकार की व्यवस्था करें कि इन अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को एलॉट की हुई भूमि पर उनका कब्जा हो जाय।

श्री गंगाराम चौधरी : प्रश्न के जवाब में ये सभी सूचनाएं दीं जा चुकी हैं। 27308 मामले दर्ज हुए उनमें से 3464 मामले ऐसे हैं जिनका निवटारा करना है।

(श्री गंगाराम चौधरी)

इनके निबटारे के लिये नायब तहसीलदारों को लगाया है। 80 प्रतिशत ऐसे मामलों में निबटारा हो चुका है।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी (छबड़ा) : क्या जिन मामलों का निपटारा हो गया है, उनमें जिन भूमिहीनों को एलॉटमेंट किये थे उन भूमिहीनों को जमीनें मिल गई हैं ?

श्री गंगाराम चौधरी : आवंटन के मामले अलग से हैं। यह अनधिकृत कब्जों के बारे में प्रश्न पूछा गया है और उसी का जवाब दिया गया है।

श्री बिट्ठल प्रसाद (अकलेरा) : क्या यह सही है कि राजस्थान सरकार ने इस प्रकार के आदेश दिये है कि 31 दिसम्बर, 1966 से पहले जिन लोगों के कब्जे में जमीनें रही हैं, चाहे वे ट्रेसपासर ही हों, उनके कब्जे रेगुलेराइज कर दिये जायेंगे ?

श्री गंगाराम चौधरी : 5 अक्टोबर, 1967 को आदेश दिये गये हैं उसमें यह था कि 31-12-66 के पहले जिन लोगों ने भूमि पर अनधिकृत कब्जे किये हैं, उन लोगों में जो भूमिहीन हैं इनके उन जमीनों पर कब्जे रेगुलेराइज कर दिये जायं।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : भूमिहीनों को तो जमीन मिलती नहीं है और जो लोग कानून तोड़ते हैं उन लोगों को जमीन मिल जाती है आज सरकार की इस प्रकार की नीति बनती जा रही है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न नहीं बना है।

श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : अभी मंत्री महोदय ने कहा कि इतने केसेज सलटा दिये हैं तो क्या इस प्रकार के निबटारे से उन भूमिहीनों को जिनको भूमि आवंटित की गई थी पर दूसरे लोगों ने उनकी जमीनों पर कब्जा कर लिया, क्या उन भूमिहीनों को उन जमीनों पर कब्जा दिला दिया गया है जिनको कि वह भूमि अलॉट की गई थी ?

श्री गंगाराम चौधरी : यह प्रश्न केवल अनधिकृत अतिक्रमण का था, जिनको भूमि का एलॉटमेंट दिया गया है, वह अलग से प्रश्न है। राज्य सरकार के आदेश से ज्योंही अनधिकृत भूमि खाली होती है, भूमिहीनों को एलाट की जाती है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : जो अनधिकृत कब्जा करते हैं वे पैसे वाले ही करते हैं और पैसे के बल पर करते हैं और वे लोग स्टे ले आते हैं। तो जिन भूमिहीन व्यक्तियों को भूमि एलॉट की गई है और उनको एलाट की हुई भूमि पर दूसरों ने अनधिकृत कब्जा कर लिया है तो क्या सरकार उन गरीब भूमिहीनों को अदालती कार्यवाही करने के लिए पैसा देगी ?

श्री गंगाराम चौधरी : अलग से प्रश्न।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : क्या सरकार यह उचित नहीं समझती कि सरकार ने जब ऐसे आदेश दिये हैं, सरकार की ऐसी नीति है कि भूमिहीनों को भूमि एलॉट की जायगी और उन भूमिहीनों में प्रायोरिटी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को दी जायगी, तो ऐसी दशा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को अनधिकृत कब्जे के कारण बेदखल किया जाता है, क्या सरकार इस बात पर विचार करेगी कि ऐसे भूमिहीन लोगों को बेदखल न किया जाकर उस भूमि पर उनके कब्जे को रेगुलेराइज कर दिया जाय।

श्री गंगाराम चौधरी : यह तो नियम पहले से ही बना हुआ है। 5 अक्टोबर, 67 को सक्युलर जारी हुआ कि 31 दिसम्बर, 66 से पहले जिन भूमिहीन व्यक्तियों का भूमि पर अनधिकृत कब्जा है तो उनके कब्जे को रेगुलेराइज कर दिया जाय। उसके बाद के जिनके कब्जे हैं वह दूसरी बात है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : राज्य सरकार की यह घोषित नीति है कि भविष्य में भूमिहीनों को भूमि एलॉट की जायगी और उसमें भी प्रायोरिटी शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज के लोगों को दी जायगी। तो ऐसी दशा में ऐसे लोगों ने 31-12-66 के बाद भी भूमि पर अनधिकृत कब्जे किये हैं तो क्या सरकार अपनी घोषित नीति के आधार पर इस प्रकार के कब्जों को रेगुलेराइज करने के लिए तैयार है ?

श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवा महल, जयपुर) : इसके साथ ही यह भी बता दें ...

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर, माननीय सदस्य .....

श्री दुगलाल बाढ़दार : नीति के सम्बन्ध में एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है...

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, इण्टरप्ट नहीं करें।

श्री रामकिशोर व्यास (राजस्व मंत्री): दिसम्बर 66 के पहले के जो कब्जे हैं उनको उस आदेश के तहत जो लोग लैंड लैस ट्रेसपासर्स हैं उनके कब्जों को रेगुलेराइज किया जाता है। 66 के बाद के ऐसे कब्जों के बारे में जो कहा गया उसके सम्बन्ध में गवर्नमेंट ने अभी तक कोई डिसिजन नहीं लिया है।

66 के पहले ट्रेस पास किया है और वह लैंडलैस है तो उसके कब्जे को रेगुलेराइज किया जायगा।

श्री विट्ठलभाई (पीपल खूंट): भूमिहीन किस आधार पर मानते हैं ? एक परिवार में एक व्यक्ति के पास कुछ भूमि है उसके तीन चार लड़के हैं सब शादीशुदा हैं और अलग 2 रहते हैं, उनके पास जमीन नहीं है और वे सरकारी भूमि पर अनधिकृत कब्जा कर लेते हैं या भूमि की सरकार से मांग करते हैं तो उनको भूमि नहीं दी जाती है कहा जाता है कि तुम्हारे परिवार के पास भूमि है।

श्री रामकिशोर व्यास : जॉइण्ट फेमिली के मेम्बर है तो जॉइण्ट फेमिली ही माना जायगा, अलग होंगे तो अलग फेमिली माना जायगा।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़): दो तरह के नाजायज कब्जे होते हैं, एक तो जिसके पास भूमि है और 66 से पहले और जमीन पर अनधिकृत कब्जा कर लिया है, एक तो वह व्यक्ति है, उससे अनधिकृत कब्जा करने का दण्ड लेते हैं। दूसरा एक हरिजन है वह भूमिहीन है और सरकारी भूमि पर अनधिकृत कब्जा करता है तो क्या सरकार उस हरिजन ट्रेसपासर को यह सहूलियत देने के लिए तैयार है कि उस भूमिहीन हरिजन से ट्रेसपास का दण्ड नहीं लिया जाय ? क्या सरकार यह अच्छा नहीं समझती कि उस हरिजन को दण्ड से माफ कर दिया जाय ?

श्री अध्यक्ष : यस।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : एक ओर तो सरकार के ये आदेश निकले हैं कि जो 66 से पहले के ट्रेसपासर्स है और भूमिहीन हैं तो

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

उनको कब्जा दिला दिया जाय, उनके कब्जे को रेगुलेराइज कर दिया जाय पर आपके रेकार्ड में प्रोपर एन्ट्रीज नहीं हैं, हालांकि एक भूमिहीन ने भूमि को नौतोड़ की है पर आपके रेकार्ड में वह भूमि सिवाय चक में दर्ज है, आपके रेकार्ड में प्रोपर एन्ट्री नहीं होने के कारण, उस भूमि का किसी दूसरे भूमिहीन को एलॉटमेंट कर दिया जाता है और दफा 91 की प्रोसीडिंग्स दोनों ही पर चलती है। ऐसे केसेज के लिये सरकार क्या सोचती है ? 55 पर्सेंट केसेज इस प्रकार के हैं।

श्री विट्ठल भाई : जॉइण्ट फेमिली का खाता अलग होने पर एलॉटमेंट किया जायगा। जॉइण्ट फेमिली में एक के नाम खाता है, उस व्यक्ति के चार पांच विवाहित लड़के हैं और उस व्यक्ति के नाम केवल 15 बीघा ही जमीन है तो ऐसी हालत में जब तक उसके लड़कों के नाम अलग अलग खाता नहीं होगा तब तक उनको भूमिहीन नहीं माना जायगा और उनको कोई भूमि का एलॉटमेंट नहीं किया जायगा, यह सरकार की क्या नीति है ?

श्री कृष्ण कुमार गोयल (कोटा) : मेरा प्रश्न बहुत स्पष्ट है, मैंने प्रारम्भ में भी कहा था दिसम्बर 66 के रेगूलेराइज करने के बारे में इन्स्ट्रक्शन्स जारी कर चुके हैं, लेकिन उसके बाद भूमिहीन व्यक्ति शिड्यूल्डकास्ट और शिड्यूल्डट्राइब्स में आते हैं सीलिंग की सीमा तक आते हैं और एलॉटमेन्ट की सीमा तक सरकार की यह घोषणा हैं बार बार यह दोहराती है भविष्य के अन्दर भूमिहीनों को भूमि देंगे और शिड्यूल्डकास्ट और शिड्यूल्डट्राइब्स को देंगे। जब यह सरकार की घोषित नीति है तो इस नीति के आधार पर ट्रेसपासर्स को बेदखल किया जाय और इसके बजाय आलरेडी जिस के पजेशन में हैं और अगर वे भूमिहीन की परिभाषा में हैं तो शिड्यूल्डकास्ट और शिड्यूल्डट्राइब्स को वे जमीनें क्यों नहीं एलॉट कर दी जायं ?

श्री रामकिशोर व्यास : वह तो मैंने निवेदन किया 66 के जितने मामलात हैं उनको रेगूलेराइज करके भूमिहीन को जमीन दे दी जायगी।

श्री हीराभाई (कुशलगढ़) : 66 के बाद आप क्या करेंगे ?

श्री रामकिशोर व्यास : दिसम्बर 66 पहले जितने मामलात हैं ट्रेसपास भूमिहीनों ने किये हैं उनको जमीन दे दी जायगी।

श्री अध्यक्ष : श्री नथमल चोहला। नेक्स्ट।

(विराम)

विद्युत मन्त्री जी।

श्री हीराभाई : 66 के बाद वाले।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर अश्रव्य)

श्री कृष्णकुमार गोयल : मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मन्त्री महोदय को कहना चाहता हूं एक तो यह स्पष्ट था कि 66 तक जिन लैण्ड-लैस ने जबर्दस्ती, अनधिकृतरूप से कब्जा कर लिया वह उसके खाते बान्ध दी जाय लेकिन 66 तक जो जो जुर्माने हुये हैं ट्रेसपासर्स के वह ठीक है लेकिन उसके बाद 68, 69 में जो

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

जुर्माने हुये हैं क्या उन जुर्मानों की रकम राज्य सरकार वापिस दिलवायेगी जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के हैं।

श्री अध्यक्ष : राजवी श्री रूपसिंह।

श्री हीराभाई : अध्यक्ष महोदय मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं······

राजवी श्री रूपसिंह : अध्यक्ष महोदय जो भूमिहीन की डेफिनेशन है उसके मुताबिक आप किनको भूमिहीन मान रहे हैं क्योंकि आज कल हर आदमी इस कोशिश में है कि वह भूमिहीन कहलाये। आप भूमिहीन किसको मान कर चल रहे हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : डेफीनेशन एक्ट के मुताबिक है।

श्री रामनारायण चौधरी (मंडावा) : माननीय राजस्व मन्त्रीजी ने कहा कि सन् 67 तक जिन लोगों ने अनधिकृत कब्जा कर लिया है उनको रेग्यूलेराइज कर दिया जायगा लेकिन गोचर भूमि पर भी लोगों ने ट्रेसपास किये हैं और हरिजन हैं उनका क्या किया जायगा ?

श्री रामकिशोर व्यास : जो भूमिहीन की संज्ञा में आते हैं।

श्री बिट्ठल भाई : भूमिहीनों को भूमि नहीं मिल रही है।

श्री अध्यक्ष : श्री मनोहरसिंह।

(श्री विट्ठलभाई के खड़े होने पर. ऑर्डर, ऑर्डर)

श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़) : अध्यक्ष महोदय, असाधारण परिस्थिति में ऐसे हरिजन और आदिवासी, जिनके पास जमीनें नहीं हों उनकी भूमि रेग्यूलेराइज हो तो बात ठीक है लेकिन 66 के बाद 67, 68 के रेगूलेराइज करते हैं तो अन्त नहीं आयेगा और नाजायज कब्जा करने वालों को प्रोत्साहन मिलेगा।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : यह बहुत आवश्यक है।

श्री हीराभाई : मैं यह जानना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, चरागाह एक बात है जितने जंगल ऐरिया में हैं जो नाजायज काश्त कर रहे हैं उनके बारे में मुकद्दमा चल रहा है और कई तरह से उनको वकील बरबाद कर रहे हैं। जंगल नहीं है और जंगल नाम के भूमि हीन हैं उनके बारे में राज्य सरकार क्या कर रही है। मुकद्दमा वापिस लेगी या क्या ?

श्री अध्यक्ष : श्री नथमल चोहला।

विद्युत् मन्त्री जी।

(माननीय सदस्यों के व्यवधान करने पर, ऑर्डर, ऑर्डर)

पंचायत समिति लक्ष्मणगढ़ व फतेहपुर के काश्तकारों को बिजली

96. **श्री नथमल चोहला** (लक्ष्मणगढ़) : क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सीकर जिले की पंचायत समिति लक्ष्मणगढ़ व फतेहपुर के काश्तकारों के कुओं पर आज तक कितने कनेक्शन दिये ?

(श्री नथमल चोहला)

(2) क्या यह सही है कि सीकर जिले का सन् 1969 में मन्त्री महोदय व चेयरमैन विद्युत बोर्ड ने दौरा किया था ?

(3) क्या यह सही है कि जिला परिषद् सीकर की मीटिंग में सीकर जिले के काश्तकारों को इसी वर्ष 1000 कनेक्शन देने की घोषणा की थी ?

(4) क्या यह सही है कि पंचायत समिति लक्ष्मणगढ़ के गांवों में नई लाइन देकर काश्तकारों को बिजली देने का वायदा किया था ? यदि हां, तो कौन कौन सी लाइन डाली गई ?

(5) क्या यह सही है कि पंचायत समिति लक्ष्मणगढ़ के गांवों के चारों तरफ बिजली फैली हुई है ? यदि हां,तो लक्ष्मणगढ़ पंचायत समिति के गांवों को बिजली क्यों नहीं दी जाती है ?

(6) सन् 1969 में पंचायत समिति लक्ष्मणगढ़ व फतेहपुर के काश्तकारों को कितने कनेक्शन दिये गये ?

उपमन्त्री, विद्युत (श्री खेतसिंह) : (1) फरवरी 1970 तक 75 तथा 591 ग्रामवार कनेक्शनों की सूची (अ) सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी हां, सीकर गये थे।

(3) जी नहीं।

(4) जी नहीं। ऐसा कोई वायदा नहीं किया गया था, किन्तु फिर भी चालू वर्ष में अब तक इस पंचायत समिति के ग्राम प्रतापपुर, यालसर, नरोदड़ा व रहनवा का विद्युतिकरण किया जा चुका है एवं इस पंचायत समिति में गत दो वर्षों में करीब 49 कुओं को बिजली दी गई है जिसमें करीब 8 मील की एच० टी० लाइनें विभिन्न ग्रामों में खींची गई हैं। उपरोक्त ग्रामों के विद्युतिकरण में भी करीब 3 किलो मीटर की 11 के० वी० लाइन खींची गई है।

(5) न तो यह सत्य है कि पंचायत समिति लक्ष्मणगढ़ के ग्रामों के चारों तरफ बिजली की लाइन फैली हुई है और न यह सत्य है कि पंचायत समिति के ग्रामों को बिजली नहीं दी जा रही है। वास्तविकता यह है कि इस पंचायत समिति के कुछ ही ग्रामों के पास से 11 के० वी० की कुछ लाइनें हैं जिनसे ग्रामों का विद्युतिकरण सम्भव है और इस पंचायत समिति के 14 ग्रामों का विद्युति करण किया जा चुका है। जिनमें से 4 ग्रामों का विद्युतिकरण इसी वर्ष में हुआ है।

(6) सन् 1969 में पंचायत समिति लक्ष्मणगढ़ व फतेहपुर के 36 काश्तकारों को बिजली के कनेक्शन दिये गये।

(कृपया परिशिष्ट 2 देखिये)

श्री नथमल चोहला : एक हजार कनेक्शन देने के लिये मन्त्री महोदय ने आश्वासन दिया था। मीटिंग में मैं मौजूद था यह कहा था कि मार्च, 1970 तक एक हजार कनेक्शन दे देंगे, यह घोषणा की थी। चेयरमैन महोदय भी मौजूद थे शिक्षा मंत्री जी जो उस समय विद्युत मंत्रीजी थे मौजूद थे।

एक माननीय सदस्य : दल बदलू ने कराया क्या ?

Page No. 11

श्री खेतसिंह : 800 कुओं में कनेक्शन देने का सीकर में प्रावधान है।

श्री नथमल चोहला : मार्च 70 तक देने की बात थी। चेयरमैन भी थे।

श्री अध्यक्ष : क्या यह सही है ?

श्री खेतसिंह : मेरे पास जो लिखित जवाब है उसके अनुसार सही नहीं है।

श्री नथमल चोहला : आपके पास जवाब गलत आया है।

श्री अध्यक्ष : क्या यह सही है ?

श्री खेतसिंह : मेरे पास जवाब आया वह सही है।

श्री नथमल चोहला : मंत्री महोदय ने यह कहा लक्ष्मणगढ़ में चारों तरफ बिजली नहीं है। मैं कहता हूं चारों तरफ बिजली से घिरा हुआ है और कनेक्शन नहीं दिये जा रहे हैं। ट्रान्सफार्मर 68 मे लगाया था कुवे बिना कनेक्शन के पड़े हुए हैं।

श्री अध्यक्ष : स्थिति का स्पष्टीकरण करें।

श्री विजयसिंह (मकराना) : थोड़े दिनों बाद दल बदलने वालों को कनेक्शन देंगे।

श्री खेतसिंह : कुछ गांवों में 11 के. वी. लाइन लगी हुई है। 14 गांवों का विद्युतिकरण हो चुका है। 4 गांवों का इस साल हुआ है।

श्री अध्यक्ष : कृषि मंत्री जी।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, एक सवाल।

श्री अध्यक्ष : दूसरा ले लिया है। आर्डर प्लीज। कृपया ध्यान ग्रहण करें। कृषि मंत्री जी।

एग्रीकल्चरल फाइनेन्स कार्पोरेशन के समक्ष प्रस्ताव

97. श्री रामसिंह कुड़ी (जायल) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान में रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया के एग्रीकलचरल फाईनेन्स कार्पोरेशन द्वारा क्या क्या योजनायें हाथ में लिये जाने हेतु सरकार ने प्रस्ताव किया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या इस एग्रीकलचरल फाइनेन्स कोरपोरेशन ने राजस्थान में कोई फण्ड्स लगाये ? यदि हां, तो किस-किस जिले में किस-किस काम के लिये किस-किस ऐजेन्सी के मारफत कितना-कितना रुपया किस-किस व्यक्ति या संस्था को कब-कब दिया है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

कृषि मंत्री (श्री शोभाराम) : (1) एग्रीकल्चरल फाइनेन्स कार्पोरेशन रिजर्व बैंक के अधीन संस्था नहीं है। उक्त कारपोरेशन को राज्य सरकार ने कुछ विशेष योजनायें इस प्रान्त में क्रियान्वित करने हेतु भेजी हैं जिन पर अभी तक विचार जारी है।

(2) जी नहीं, इसका प्रश्न नहीं उठता।

श्री रामसिंह कुड़ी : यह जो योजना चालू की गई है इस योजना से पहले जो कोआपरेटिव बैंक्स के माध्यम से जो योजना चल रही थी उसको क्यों रोका गया ? ...

Page No. 12

श्री शोभाराम : मैं समझता हूं माननीय सदस्य ठीक प्रकार से समझे नहीं हैं। दो फाइनेन्स कार्पोरेशन हैं एक तो एग्रीकल्चर फाइनेन्स कार्पोरेशन और दूसरा एग्रीकल्चर रि-फाइनेन्स कार्पोरेशन। ये अलग अलग चीज हैं। एग्रीकल्चर फाइनेन्स कार्पोरेशन के माध्यम से जो योजना बनती है वह···

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : इनकी गलती का आपने फायदा उठा लिया है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

पत्थर पालिश का कारखाना

98. **श्री कृष्णकुमार गोयल** (कोटा): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जे. के. सिन्थेटिक्स, कोटा ने अपनी ही भूमि में अन्य पत्थर पालिश का कारखाना डाला है? अगर हां, तो कब व कितनी भूमि पर?

(2) क्या यह सही है कि यह कार्यवाही गैर कानूनी है? अगर हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई?

उद्योग मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : (1) जी, नहीं।

(2) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या राज्य सरकार ने अपने असिस्टेन्ट डाइरेक्टर और इन्डस्ट्रियल शेड के जो व्यवस्थापक हैं उनके द्वारा कोई जांच करवाई है। उनकी रिपोर्ट आई है कि उन्होंने अपने क्षेत्र के अन्दर स्टोन पॉलिशिंग का कारखाना लगा रखा है?

श्री हरिदेव जोशी : कारखाना है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : तो कारखाना डाला है?

श्री हरिदेव जोशी : इसमें क्या हुआ?

श्री कृष्णकुमार गोयल : आपने कैसे "जी नहीं" कहा है?

श्री हरिदेव जोशी : अन्य पत्थर का क्या मतलब है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या उसने पत्थर पालिश का कारखाना डाल कर जो आपका एग्रीमेन्ट है उसका उल्लंघन किया है?

श्री हरिदेव जोशी : जी नहीं।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या एग्रीमेंट के अनुसार बिना राज्य की पूर्व स्वीकृति के केवल नाईलोन फैक्ट्री के अलावा दूसरा कोई कारखाना नहीं डाल सकता?

श्री हरिदेव जोशी : राज्य की स्वीकृति से किया है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : कब ली स्वीकृति?

श्री हरिदेव जोशी : जब काम शुरू किया उसके पहले।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि इस संबंध में असिस्टेन्ट डाइरेक्टर और जो औद्योगिक प्रतिष्ठान के व्यवस्थापक हैं दोनों की रिपोर्ट आई है कि उन्होंने अभी तक स्वीकृति नहीं ली है?

श्री हरिदेव जोशी : जी नहीं।

श्री कृष्णकुमार गोयल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह दो रिपोर्ट बताता हूं। यह है: "From the Director of Industries & Civil Supplies, Rajasthan, Jaipur-letter dated February, 69 इसके अन्दर उन्होंने लिखा है : "M/s. J. K. Synthetics Ltd., have established a stone polishing factory in the land allotted for their existing Nylon plant. The shed is not a very big one enough and it is told that this has been established to cater to the demands of stones and Marbles required for their factory and residential purposes. I am writing to them to confirm the verbal information conveyed."

एक लैटर तो यह है और दूसरा लैटर है:

"मैसर्स जे.के. सिन्थेटिक कोटा ने अपने प्लाट नं० 5 पर एक तरफ करीबन 100 बाई 40 का एक शैड बनाया है जिसमें मार्बल स्टोन्स की कटाई के लिए मशीनें लगा रखी हैं तथा पत्थर की कटाई आदि करते हैं। वर्तमान में करीब 6-7 व्यक्ति इस शैड में पत्थर की कटाई आदि का कार्य करते हैं।

प्लाट नं० 5 मेसर्स जे. के. सिन्थेटिक को नाइलोन प्लान्ट लगाने हेतु आवंटित किया गया था परन्तु इस प्रकार से बिना एप्रूवल के प्लॉट पर स्टोन कटिंग के लिए एक छोटी यूनिट लगाना उचित प्रतीत नहीं होता है।"

श्री हरिदेव जोशी : इन्होंने जो रिपोर्ट की इसमें डिफेक्ट यह रहा था कि उन्होंने असिस्टेन्ट डाइरेक्टर की मार्फत एप्लाई नहीं किया था। उन्होंने सीधे ही यहां पर एप्लाई कर दिया था। ऐसा है कि जो लार्ज स्केल इन्डस्ट्रीज हैं वह असिस्टेन्ट डाइरेक्टर और डाइरेक्टर आफ इन्डस्ट्रीज के यहां नहीं आते बल्कि वह सीधे सेक्रेटेरियट से डील होता है। इसलिए जैसा कि हमेशा सिस्टम आफ कॉरेस्पोन्डेन्स है उन्होंने सीधे सेक्रेटेरियट को एप्लाई किया और सेक्रेटेरियट से सेंक्शन हो गयी जिसकी जानकारी शुरू में असिस्टेन्ट डाइरेक्टर और मैनेजर, इन्डस्ट्रियल शैड्स को नहीं थी।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि उनकी जानकारी के अनुसार परमीशन कब ली थी और कब फैक्ट्री चालू हुई है ?

श्री हरिदेव जोशी : इसके लिए उन्होंने एप्लाई कर दिया था और इसकी हमने सेंक्शन दे दी।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : चालू होने के पहले कोई एप्रवल सरकार की नहीं मिली थी ?

श्री हरिदेव जोशी : ऐसी कोई बात नहीं है कि जिसमें समझा जावे कि कोई लैप्स हुआ है। एग्रीमेंट में उनको काम करने का अधिकार है उसके ऊपर। इसलिए यह समझना कि सीरियस लैप्स हुआ है ऐसी बात नहीं है।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : केवल नाइलोन फैक्टरी के परपज़ के लिए ही ले सकते हैं ?

श्री हरिदेव जोशी : उनके सामने वही चीज थी।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही है कि जो पालिशिंग प्लान्ट है उसके मार्बल पर पालिशिंग होती है और इस फैक्टरी के नाम से हैं और पालिशिंग के नाम से नहीं है बल्कि यह लीज काला के नाम से है और वही पालिशिंग करवा रहे हैं।

श्री हरिदेव जोशी : जे० के० सिन्थेटिक के नाम पर भी लीज है। इसके माने आपका कन्टेन्शन तो यह हुआ कि एडीशन लैण्ड और देनी चाहिए।

श्री कृष्णकुमार गोयल : एडीशन लैण्ड का सवाल नहीं है।

श्री हरिदेव जोशी : आपका कन्टेन्शन तो सारा इसका यह हुआ कि अगर कोई सरप्लस लैण्ड और किसी एरिया में पड़ी हुई है तो उसको वह यूज नहीं करें जबकि हम समझते हैं कि मेक्सीमम यूटीलाइजेशन होना चाहिए एक प्लाट का। तो एक पार्टी किसी भी तरह से उसका मेक्सीमम यूटीलाईजेशन करती है तो हम उसको एनकरेज करेंगे बजाय डिसकरेज करने के।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्या यह सही है कि राजस्थान सरकार ने नाईलोन फैक्टरी को कन्सेशनल रेट्स पर भूमि दी है जब कि इस प्रकार की कन्सेशनल रेट पर भूमि स्टोन पालिशिंग फैक्टरी को नहीं दी जा सकती ?

श्री हरिदेव जोशी : राजस्थान में इन्डस्ट्रियल प्लाट्स के एलाटमेन्ट के बारे में एक ही रूल्स हैं स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज के लिए और लार्ज स्केल के लिए। इसलिए उसमें फर्क नहीं पड़ता है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या 99

श्री जयनारायण सालोदिया।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न सं० 100

श्री देवी लाल बुरासिया।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री रावत राम।

अकाल सहायता के लिए चन्दा

101. **श्री रावत राम** (छापर सु.) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) गत साल सन् 1969–70 में अकाल सहायता के अन्तर्गत चूरू जिले के आयुर्वेदिक इन्सपेक्टर ने जिले के विभिन्न वैद्यों एवं कम्पाउन्डरों तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों ने कुल कितना चन्दा किया ?

(2) जिले के आयुर्वेदिक विभाग के जिन कर्मचारियों से चन्दा लिया गया उनके नाम व कितना कितना चन्दा उन्होंने दिया और उनको कितने नम्बर की रसीद दी गई, पूरे विवरण सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) चन्दे की उक्त धनराशि किस अधिकारी के द्वारा कब राजस्थान सरकार के कोष में जमा करवाई गई ?

राज्य मंत्री, आयुर्वेद (श्री जयकृष्ण शर्मा) : (1) 560 रुपये प्राप्त किये।

(2) सूची संलग्न है और रसीद जिला अधिकारी को 20-9-69 को इकट्ठी दी गई।

(3) चन्दे की उक्त धनराशि जिलाधीश, अजमेर द्वारा राजस्थान के कोष में दिनांक 26-9-69 को जमा कराई गयी।

(कृपया परिशिष्ट 3 देखिये)

श्री रावतराम : क्या यह सही है कि आपके जो आयुर्वेद के इन्सपेक्टर हैं उनको आपके डिपार्टमेंट ने कोई आदेश दिये थे कि अकाल सहायता के लिए चन्दा जमा किया जाये ?

श्री जयकृष्ण शर्मा : ऐसा कोई आदेश नहीं दिया गया है।

श्री रावतराम : तो किनके आदेशों पर इन्सपेक्टर ने चन्दा इकट्ठा किया और किस आधार पर किया ?

श्री जयकृष्ण शर्मा : आयुर्वेद का सेमिनार हुआ था उसमें सभी कर्मचारियों ने तय किया था कि आयुर्वेद की ओर से भी इस पवित्र काम में योगदान किया जाय।

श्री रावतराम : क्या यह सही है कि जिन लोगों ने चन्दा दिया उनकी रसीद इन्सपेक्टर आयुर्वेद को दी है ?

श्री जयकृष्ण शर्मा : जो अधिकारी थे उन्होंने पैसा इकट्ठा करके दिया उनको एक इकट्ठी रसीद दी गयी है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या 102.

श्री वृज वल्लभ बोहरा।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री ओमदत्त भाटी।

प्रशासनिक सुधार आयोग के सुझाव

103. श्री ओमदत्त भाटी (सरदारपुरा जोधपुर) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्रशासनिक सुधार आयोग के कौन से सुझाव लागू किये हैं ?

(2) प्रशासनिक सुधार आयोग के सुझावों के आधार पर मंत्रिमण्डल में कौन कौन से परिवर्तन किये व क्या क्या आदेश दिये ?

(3) आयोग की सिफारिश के अनुसार मंत्रिमंडल में कितने मंत्री होने चाहिए ?

(4) आयोग द्वारा सुझाई गई संख्या से अधिक मंत्री रखने के क्या कारण हैं ?

(5) वित्तीय स्थिति के कारण जब सरकारी कर्मचारियों को कम कर रहे हैं तो क्या मंत्रियों की संख्या भी कम करने का इरादा है ?

(6) गत एक वर्ष में मंत्रिमंडल की कितनी बैठकें हुई ?

(7) क्या मंत्रियों को उद्घाटन आदि औपचारिक समारोहों में भाग न लेने के निदेश दिये हैं ?

उप मंत्री, प्रशासन (श्री प्रद्युम्नसिंह) : (1) अभी प्रशासनिक सुधार आयोग के कोई भी सुझाव लागू नहीं किये गये हैं।

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

(2) प्रश्न नहीं उठता।

(3) आयोग ने बड़े राज्यों के लिये मंत्रि परिषद् के सदस्यों की संख्या 20 से 25 सिफारिश की है।

(4) राजस्थान के विस्तृत क्षेत्र एवं प्रशासकीय आवश्यकताओं को देखते हुए वर्तमान संख्या रख दी गयी है।

(5) जी नहीं।

(6) वर्ष 1969 में मंत्रिमंडल की कुल 34 बैठकें हुई।

(7) जी नहीं।

श्री भैरोंसिंह : प्रशासनिक आयोग को किन किन सिफारिशों को राज्य मंत्रिमंडल में लागू करने के संबंध में अब तक विचार किया है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : इसका उत्तर दे दिया है कि उस पर किसी प्रकार का निर्णय नहीं हुआ है। आप विचार की बात कर रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह : राजस्थान की सरकार ने या मंत्रिमण्डल ने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफार्म्स कमीशन की किन किन सिफारिशों के लागू करने के संबंध में मंत्रिमण्डल के स्तर पर विचार किया ? निर्णय के बारे में नहीं पूछ रहा हूं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं ठीक से नहीं कह सकता। निर्णय के बारे में प्रश्न था जिसका मैं उत्तर लाया हूं।

श्री भैरोंसिंह : अभी तक राजस्थान की केबिनेट ने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन की रिकमन्डेशन को लागू करने के सम्बन्ध में विचार भी नहीं किया गया है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैंने पहले ही कहा कि इसके सम्बन्ध में जानकारी नहीं है। निर्णयों के बारे में मैंने आपको बताया।

श्री भैरोंसिंह : यह जानकारी ही नहीं है कि केबिनेट में विचार हुआ है या नहीं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : केबिनेट में विचार नहीं हुआ है।

श्री भैरोंसिंह : क्या राज्य सरकार आवश्यक नहीं समझती थी कि बाकी स्टेट्स ने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफार्म्स कमीशन की रिकमन्डेशन पर अपने कमेन्ट्स भेज दिये हैं तो राज्य सरकार ने अब तक क्यों नहीं भेजे हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इस पर विचार किया जायेगा।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : राजस्थान के विस्तार को और प्रशासनिक आवश्यकताओं को देखते हुए शिवजी की बारात की जरूरत है तो क्या अब के मंत्रिमण्डल के गठन के पूर्व राजस्थान के विस्तार में और विस्तार हुआ है या कोई समस्या बढ़ी है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इसका उत्तर दिया जा सकता है लेकिन देने की जरूरत नहीं है।

श्री ओमदत्त भारती : क्या मन्त्री महोदय बतायेंगे कि राजस्थान बिग स्टेट है या मिडिल स्टेट है या स्माल स्टेट है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं माननीय सदस्य से आशा करता हूं कि वह स्वयं जानते हैं।

श्री ओमदत्त भाटी : मैं तो जानता हूं। आप जानते हैं या नहीं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इसकी जानकारी देना आवश्यक नहीं होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट. श्री दौलतराम सारण—विद्युत मंत्री जी।

श्री खेतसिंह (उप-मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मेम्बर उपस्थित नहीं हैं।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : मेरे नाम से लिखित में दिया है।

विद्युतिकरण योजना में घोषित किए बिना गांवों को बिजली

104. **श्री दौलतराम सारण** (डूंगरगढ़) के स्थान पर **श्री चुन्नीलाल इन्दलिया** (नोखा) द्वारा पूछा गया : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान विद्युत मण्डल ने कोई ऐसा निर्णय लिया था कि बोर्ड की विद्युतिकरण योजना में घोषित किये बिना किसी भी गांव या क्षेत्र में विद्युत नहीं दी जायगी ? यदि हां, तो कब ? उस निर्णय की प्रति सदन की मेज पर रखी जाय।

(2) क्या यह भी सही है कि विद्युतिकरण योजना में घोषित किये बिना भी काफी गांवों एवं व्यक्तियों को ऐसे क्षेत्र के बाहर विद्युत दी गई है ? यदि हां, तो कहां कहां एवं कब कब किन-किन कारणों से तथा उस पर कितना-कितना खर्च हुआ ? विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) बोर्ड के उपरोक्त निर्णय के विरुद्ध देने वाले अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

उपमंत्री, विद्युत (श्री खेतसिंह) : (1) विद्युत मण्डल ने विद्युतिकरण योजना में घोषित नहीं किये गये गांवों में विद्युत देने के बारे में कभी भी अप्रतिबन्धित आज्ञा कभी प्रसारित नहीं की गई। 1-12-1965 की आज्ञा (जिसकी प्रतिलिपि (सूची 'ए') सदन की मेज पर रख दी गई है) के फलस्वरूप जो भ्रम और अनियमितताएं दृष्टिगोचर हुईं उनके निवारणार्थ ता० 18-7-68 को जो विशिष्ट आज्ञा प्रचलित की गई उसकी प्रति भी सदन की मेज पर रख दी गई है जो सूची 'बी' है।

(2) जी हां। समस्त ग्रामों की परिपूर्ण सूची देना तो इस अल्पकाल में संभव नहीं है, किन्तु जो सूचना एकत्रित हो सकी है वह सदन की मेज पर रख दी गई है जो सूची 'सी' है जिसमें यथासम्भव सब-डिविजन वार ग्रामों के नाम, कनेक्शन देने की तारीख आदि अंकित है :—

इन कनेक्शनों को देने के विभिन्न कारण रहे हैं :—

(1) दिनांक 1-12-65 की आज्ञा के अनुपालन, उसके कारण उत्पन्न भ्रान्ति है।

(2) इच्छुक उपभोक्ताओं द्वारा अपने कुओं की गलत स्थिति बताना,

(3) पटवारी द्वारा गलत रिपोर्ट देना,

(श्री खेतसिंह)

(4) सम्बन्धित कर्मचारियों की शिथिलता, लापरवाही एवं अन्य कारणों से····

श्री भैरोंसिंह : मंत्री का आंख मूंदना नहीं ?

श्री खेतसिंह : क्या ?

खर्चे का विवरण एकत्र करना सम्भव नहीं है।

(3) विद्युत मण्डल द्वारा इस क्रम में निम्नलिखित कार्यवाही की गई:—

(अ) वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा जांच कराई जा रही है।

(ब) दोषी कर्मचारियों को निलम्बित किया गया है।

(स) जिनके विरुद्ध कार्यवाही करना विद्युत मण्डल की शक्ति के बाहर था उनके केसेज सरकार को भेजने की कार्यवाही विचाराधीन है।

(द) अब जब ऐसे मामले सामने आते हैं उनके लिए अधिकारियों का स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है और उनके प्राप्त होने पर उचित कार्यवाही की जायगी।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी ने कहा है कि सूची सदन की मेज पर रख दी गई है लेकिन हमें वह सूची नहीं दी गई है तो हम सप्लीमेन्ट्री कैसे करें? इसलिए पहले सूची दिलाई जाय।

श्री रामसिंह कुड़ी (जायल) : यह सूचना कि जिन जिन गांवों में नहीं है···

श्री खेतसिंह : यह गलती तो आपके (श्री अध्यक्ष) सचिवालय की है।

श्री अध्यक्ष : आप देखिये कि कहीं आप पर ही न आयें।

श्री रामसिंह कुड़ी : क्या मंत्रीजी यह बतलायेंगे कि गत वर्ष में···

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी····

श्री रामसिंह कुड़ी : आपके पास लिस्ट हैं हमारे पास नहीं है।

···चूरू जिले में कितने कुओं में कनेक्शन दिये गये हैं इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की बिना मंजूरी के। नये गांव जो जोड़े जाते हैं वह इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की मंजूरी से जोड़े जाते हैं। प्रश्नकर्ता का मतलब यह है कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की जानकारी के बिना कनेक्शन दे दिये गये हैं तो ऐसे कितने केसेज हैं?

(विराम)

श्री अध्यक्ष : यस।

श्री खेतसिंह : चूरू जिले में चूरू सब-डिविजन और सादूलपुर सब-डिविजन में 3....

श्री आइदानसिंह (भीनमाल) : क्या मन्त्री महोदय यह तो बताने की कृपा करेंगे कि कौन से सब-डिविजन में कितने कितने कनेक्शन्स गलत दिये गये हैं?

श्री खेतसिंह : सब-डिविजन के नाम आपको बता देता हूं। जयपुर डिविजन 19, चौमू सब-डिविजन 9, दौसा सब-डिविजन

(श्री खेतसिंह)

4, अलवर सब-डिविजन 27, सीकर सब-डिविजन में चिड़ावा 9, सीकर 4, नवलगढ़ 2, नीम का थाना 3, अजमेर डिविजन में साम्भर 8, रतनगढ़ 4, बूंदी 6, सवाई माधोपुर 7, करौली 7, सादूलपुर 3, चूरू 2, ब्यावर 5, भरतपुर 9....

श्री अध्यक्ष : थक गये हैं।

श्री पृथ्वीसिंह (बाली) : अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि क्या सभी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करेंगे ?

श्री आइदानसिंह : उनके खिलाफ क्या करेंगे नेता जो कराते थे उन्होंने कर दिया।

श्री पृथ्वीसिंह : उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे क्या ?

श्री खेतसिंह : अवश्य कार्यवाही करेंगे।

श्री पृथ्वीसिंह : क्या सभी के खिलाफ करेंगे ?

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (बीकानेर) : अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी ने बताया कि कुछ अधिकारियों के खिलाफ जांच चल रही है तो ऐसे कितने अधिकारी हैं और किस किस को सस्पेन्ड भी किया है यह थोड़ा बताने का कष्ट करें।

श्री पृथ्वीसिंह : उसके हिसाब से पूरे का पूरा बोर्ड सस्पेन्ड होता है।

श्री खेतसिंह : कृपया आप स्थान ग्रहण करें।

श्री अध्यक्ष : (श्री पृथ्वीसिंह से) आप स्थान ग्रहण करें।

श्री खेतसिंह : श्री बी० सी० जोहरा असिस्टेन्ट इन्जीनियर को सस्पेन्ड किया, श्री जे०के० शर्मा, जूनियर इन्जीनियर, इसको सस्पेन्ड किया है और चार्जशीट श्री बी० सी० पाटनी और एस० एल० राय को दी गई है।

श्री मदनसिंह : (दांतारामगढ) गजब कर दिया।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्या यह सही है कि यह गलती इस कारण से होती है कि रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन की नियमानुसार कोई स्कीम ही नहीं बनती है ?

श्री खेतसिंह : यह गलत है।

श्री भैरोंसिंह : क्या ?

श्री खेतसिंह : सही यह है जैसे कि मैंने रीजन्स बताये हैं कि कई दफा कोई गांव इलेक्ट्रिफाइड होता है और किसी काश्तकार का कुआ पास में आया हुआ है तो वे खुद भी अपना नाम व खेत भी उसी गांव के रेवेन्यू रेकार्ड में बता देते हैं।

श्री भैरोंसिंह : क्या आपको यह जानकारी है कि रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए नियमानुसार जो स्कीम्स बननी चाहिए वह स्कीम्स बनती हैं और फिर कनेक्शन्स दिये जाते हैं।

श्री खेतसिंह : जिस प्रकार से प्रोडक्शन कमेटी के मारफत सारे गांवों की स्थिति आती है उसके बाद में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड उसकी जांच करता है और फिर वह

(श्री खेतसिंह)

अपने हिसाब से देखता है कि कितनी दूरी है, कितना खर्चा लगेगा, कौन से गांव रखे जा सकते हैं।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर): आपके पास प्रोडक्शन कमेटी से नाम आते हैं तो उनके बाद क्या स्क्रुटिनाइज करते हैं और उसकी क्या आप योजना बनाते हैं और क्या आप दावे के साथ कह सकते हैं कि अभी तक जितने भी विद्युत कनेक्शन्स दिये गये हैं वे ऐसी योजना के बनने के बाद ही दिये गये हैं?

श्री खेतसिंह : माननीय विद्युत मंत्रीजी ने जब से इस सदन में यह आश्वासन दिया है....

श्री भैरोंसिंह : जब से कब से?

श्री खेतसिंह : उसके बाद से बराबर उसकी पालना की जा रही है। ज्यों ही प्रोडक्शन कमेटी से नाम आते हैं तो विद्युत मंडल अपने हिसाब से देखेगा कि किस पर खर्चा क्या लगेगा, कितना पोटेन्शियल है, यह सारी बात देखने के बाद होता है। यह आवश्यक नहीं है कि जो नाम बताये हैं उन सारे के सारे गांवों को कनेक्शन दे देते हैं।

श्री नत्थीसिंह : क्या जितनी भी रूल्स की अवहेलना हुई हैं वह विद्युत मंत्रीजी के आश्वासन देने के पूर्व के हैं?

श्री खेतसिंह : यह तो सही है।

श्री अध्यक्ष : आपकी ओर देखकर मंत्री महोदय ने हाथ जोड़े हैं।

श्री रामसिंह कुड़ी : आत्मा से सही बात निकल गई है।

श्री अध्यक्ष : (विद्युत मंत्री से) आप स्पष्टीकरण करना चाहते हैं क्या?

श्री हरिदेव जोशी (उद्योग मंत्री): जो लिखा नहीं जाय देखा जाय उसका क्या करें?

विद्युत मंत्री (श्री बरकतुल्ला खां): माननीय अध्यक्ष, शुरू के अन्दर जो सरक्यूलर निकला था तो उसमें यह आदेश थे कि विलेज की बाउन्डरी के पास जाय और दूसरा विलेज इलेक्ट्रिफाइड न हो तो उसमें इकोनोमिकल कनेक्शन्स दिये जा सकते हैं तो उसके बेसिस पर कुछ कनेक्शन्स दिये गये कुछ ऐसा हुआ है कि पटवारी ने गलत एलोकेशन बता दिया और जो इलेक्ट्रीफाइड विलेज था जो अलग था नहीं उसकी वजह से कनेक्शन दिये गये। कुछ कनेक्शन्स इस बेसिस पर दिये गये कि इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के जो लोग थे उन्होंने अपने तरीके से जानकारी हासिल नहीं की और लापरवाही की और गलती की उसकी वजह से कनेक्शन्स दिये गये। अब बराबर इस बात की कोशिश की जा रही है कि जो एरिया इलेक्ट्रीफाइड नहीं है उस एरिया के अन्दर बगैर इजाजत इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं किया जाय क्योंकि इसके वह होता है।

श्री मदनसिंह : वह बात ऐसी है तो फिर सस्पेन्ड क्यों किया गया?

श्री आइदानसिंह : यह तो आप मान लें कि आप सब को....

श्री खेतसिंह : सवाल पूछिये।

श्री मदनसिंह : अध्यक्ष महोदय, अगर ऐसी बात है कि आपकी स्कीम और नितियों के मुताबिक कनेक्शन दिये गये हैं तो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के कर्मचारियों को सस्पेन्ड क्यों किया गया ?

श्री बरकतुल्ला खां : जैसा कि मैंने अर्ज़ किया, कुछ जगह पर ऐसा मालूम हुआ कि जो एरिया एलेक्ट्रिफाइड था उसके बाहर के एरिया में इलेक्ट्रिफिकेशन कर दिया।

श्री मदनसिंह : चौथा जरिया भी है तीन नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट !

श्री आइदानसिंह : एक प्रश्न और है, जिन लोगों ने लापरवाही की थी उनके खिलाफ अभी तक ऐक्शन नहीं लिया है, तो राज्य सरकार के जिन अधिकारियों ने लापरवाही की है उनके खिलाफ क्या कार्यवाही करेगी?

श्री लाभचन्द बैद (सुजानगढ़) : क्या सरकार यह उचित नहीं समझती—

श्री नत्थीसिंह : कितने पटवारियों ने गलत रिपोर्ट देने की कार्यवाही की है ?

श्री लाभचन्द बैद : जिन किसानों को कूप निर्माण के लिए कर्जा दिया गया है उनको अविलम्ब बिजली दी जाय ?

श्री चुन्नीलाल इंदलिया : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये एक जानकारी चाहता हूं। अभी मंत्री महोदय ने जवाब दिया कि कुछ अधिकारी व कर्मचारियों को सस्पेन्ड किया तो ऐसे अधिकारी कौन कौन से जिले के रहने वाले हैं ?

श्री बरकतुल्ला खां : यह इन्फार्मेशन मेरे पास नहीं है।

श्री लाभचन्द बैद : मेरे प्रश्न का जवाब नहीं दिया।

श्री अध्यक्ष : कहां कहां के रहने वाले हैं ?

श्री खेतसिंह : हमारे पास एड्रेस नहीं हैं।

श्री नत्थीसिंह : यह ही बता दीजिये कि उदयपुर और जोधपुर के बाहर के हैं या नहीं ?

श्री खेतसिंह : यह मेरे ख्याल में उदयपुर, जोधपुर के नहीं हैं, जयपुर डिविजन के ही होंगे।

श्री लाभचन्द बैद : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का जवाब नहीं दिया।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट ! श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा !

ऋण दिये जाने सम्बन्धी आदेश

105. **श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा** (अकलेरा) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एवं जयपुर को ऐसे आदेश दिए गये हैं कि वे लोगों को अधिक से अधिक ऋण सुविधायें उपलब्ध करायें और अधिक से अधिक कृषकों को कुए आदि के लिए ऋण देवें ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त बैंक की अकलेरा शाखा में कृषकों की ऐसी सैकड़ों दरख्वास्तें हैं, किन्तु उन्हें कोई ऋण सुविधा नहीं मिल सकी है ?

(श्री बिट्ठल प्रसाद शर्मा)

(3) क्या उक्त बैंक से आज तक किसी एक भी व्यक्ति को कोई ऋण दिया गया है ? यदि हां, तो सूची देने की कृपा करें।

(4) क्या यह सही है कि वहां के एजेंट को यह भी विदित नहीं है कि ऋण किस भांति, किस फार्म पर, किस आधार पर दिया जायेगा ?

(5) क्या यह भी सही है कि उक्त एजेन्ट ने कितनी ही बार उच्च कार्यालय को लिखा है कि उन्हें इसकी जानकारी दी जाये ?

उपमंत्री, कृषि (श्री हरिसिंह) : अध्यक्ष महोदय, इस सदन के प्रक्रिया व कार्य संचालन के नियमों के नियम 37 (2) के (12) व (13) उप नियमों के विरुद्ध होने से इस नियम के अन्तर्गत इसको अस्वीकृत कर दिया गया।

श्री अध्यक्ष : क्या कर दिया गया ?

श्री हरिसिंह : अस्वीकृत कर दिया गया।

श्री अध्यक्ष : शब्द क्या हैं ?

श्री हरिसिंह : प्रक्रिया व कार्य संचालन के नियमों के नियम 37 (2) के (12) व (13) उप-नियमों के अन्तर्गत ...

श्री अध्यक्ष : यह प्रश्न तो यहां का नहीं है। और कोई ऑब्जेक्शन राज्य सरकार को करना था तो इसके पूर्व करना था।

कृषि मंत्री (श्री शोभाराम) : अध्यक्ष महोदय, यह स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एवं जयपुर है—यह राजस्थान सरकार के अधीन तो है नहीं और न हम इस बैंक से कोई पर्टीक्यूलर डिटेल्स किसी नीति के सम्बन्ध में प्राप्त कर सकते हैं। जब सूचनायें प्राप्त नहीं कर सकते तो उत्तर कैसे दे सकते हैं ?

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : क्या यह सही है कि वित्त मंत्री जी ने अपने भाषण में इन व्यावसायिक बैंकों के द्वारा कृषि उत्पादन के लिए योजनाओं में दी जाने वाली ऋण राशि का प्रावधान किया है ? जब योजना बनाते हैं तो निश्चितरूप से कितनी मदद कृषि उत्पादन में दी जाती है—इसकी जानकारी राज्य सरकार को होती है, जिसके बारे में कृषि मंत्री जी और तरह से भी जानते हैं, जो कार्डीनेशन कमेटी इस सम्बन्ध में होती है उसमें राज्य सरकार के फाइनेन्स कमिश्नर, एग्रीकल्चर डाइरेक्टर और सहकारिता विभाग के रजिस्ट्रार होते हैं। फिर भी आप कहते हैं कि सूचनायें नहीं आ सकतीं।

श्री शोभाराम : अध्यक्ष जी, जिस बात की ओर संकेत वित्त मंत्री जी ने किया था वह यह था कि पन्द्रह एकड़ असिंचित, पांच एकड़ सिंचित छोटी जोत वाले किसान हैं उनका रिपेमेंट का सवाल आयेगा तो गारन्टी राज्य सरकार देगी। उस स्थिति में यह कहा गया था कि जितनी छोटी ज़ोतों की दरख्वास्तें तैयार होंगी, वह पंचायत समिति और कृषि उत्पादन समितियों की मार्फत से प्रोसेस होंगी और पांच हजार के नीचे की गारन्टी विकास अधिकारी देगा और पांच हजार से ऊपर तहसीलदार को कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हो तो वह जिला परिषद् के, कृषि उत्पादन समिति के पास जायगा और डिप्टी डेवलपमेंट ऑफिसर उसके लिए

(श्री शोभाराम)

गारन्टी को एग्जीक्यूट करेगा। इसके सम्बन्ध में कोई योजना और तरीका अभी स्वीकृत नहीं हुआ है और इस सम्बन्ध में मैं समझता हूं कि बीच में तो क्या हुआ कि जब कि यह बैंक नेशनेलाइजेशन हुआ था तो सुप्रीम कोर्ट में जाकर इसको चैलेंज कर दिया। इस अर्से के अन्दर जो प्रगति होनी चाहिए थी वह नहीं हो पाई। अब मैं चाहता हूं कि यह गारन्टी का प्रश्न है इसमें मोस्टली पंचायत समिति को अपने ने एक तरीके से इन्वाल्व किया है- इस कार्य को हम शुरू करना चाहते हैं। मैंने निवेदन किया कि पर्टीक्यूलरली अकलेरा पंचायत समिति के सम्बन्ध में जो जानकारी प्राप्त करनी चाही है, प्रश्नकर्ता ने, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर जब तक गारन्टी वाले तरीके को लागू नहीं करती है और जब तक गारन्टी वाली स्कीम अकलेरा की आये नहीं, हम इस प्रकार की कोई उनसे सूचना प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए जब सूचना प्राप्त नहीं कर सकते तो इसका उत्तर यहां देना भी मुश्किल हो जाता है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर): क्या यह सही है कि आपने सूचना मांगी और उन्होंने यह सूचना देने से इन्कार कर दिया? क्या यह स्थिति है?

श्री शोभाराम: हमें कोई अधिकार नहीं है ऑफिशियल ढंग से सूचना प्राप्त करने का।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: क्या यह सही है कि स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एवं जयपुर है, राज्य सरकार के तमाम बिलों का भुगतान इसी बैंक के माध्यम से होता है?

श्री शोभाराम: देखिये, जहां तक कामशियल बैंक का ताल्लुक है.....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एवं जयपुर की वही स्थिति है। राज्य सरकार के समस्त बिलों का भुगतान इस बैंक के माध्यम से होता है इसलिए नहीं कह सकते कि इस पर बिल्कुल आपका कंट्रोल नहीं है। क्या यह सूचना मांगते तो वह देने से इन्कार करते?

श्री शोभाराम: उस दायरे में सूचना की जरूरत पड़ती है. तो मंगा सकते हैं। लेकिन कितने लोगों से वह डील करते हैं, कितना कर्जा कहां दिया, कितनी दरख्वास्तें पेश हुई हैं—इस प्रकार की सूचना नहीं मंगा सकते हैं, यह मैं समझता हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: क्या राज्य सरकार इस स्थिति में नहीं है कि बैंकों के नेशनेलाइजेशन के पश्चात आज तक बाकी की बैंकों से किसानों को कहां, कितना ऋण मिल रहा है, या नहीं मिल रहा है—इस बारे में राज्य सरकार बता सके? क्या इस बारे में राज्य सरकार के पास आंकड़े नहीं हैं?

श्री शोभाराम: जो कुछ सूचना मंगाते हैं वह सूचना देते हैं, लेकिन पर्टीक्यूलर तहसील के अन्दर, पर्टीक्यूलर जिले के अन्दर तीन महीने में, एक महीने में कितना लोन एडवान्स किया, कितना मंजूर किया, किन किन किसानों को दिया—इस प्रकार की सूचना नहीं देते।

श्री अध्यक्ष: नेक्स्ट।

श्री नत्थीसिंह: क्या यह सही है कि डिस्ट्रिक्ट में बैंक की शाखा है वहां पर जो

(श्री नत्थीसिंह)

कर्जा देने की दरख्वास्त दी जायं उनके लिए डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर – इन दोनों को कमेटी का सदस्य नियुक्त किया हुआ है ?

श्री शोभाराम : जो किसान होंगे....

श्री नत्थीसिंह : सबकी दरख्वास्त देखता है। आप पूछ लें, आपको मालूम नहीं है।

श्री शोभाराम : स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एवं जयपुर की अकलेरा शाखा के लिए कहा — उसके लिए यह जरूरी नहीं है कि सब दरख्वास्तें उनके पास जायं।

श्री अध्यक्ष : श्री गाड़िया !

ब्रह्म कुमारी आश्रम को ऋण एवं अनुदान

106. **श्री देवीदत्त गाडिया (बारां)**: क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि करीब चार पांच वर्ष पूर्व ब्रह्म कुमारी आश्रम को माउन्ट आबू में भवन निर्माण हेतु करीब साठ हजार रुपयों का ऋण व अनुदान दिया गया था ? यदि हां, तो किन किन नियमों व शर्तों के द्वारा दिया गया ? नियम व शर्तों की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या सरकार ने ब्रह्म कुमारी आश्रम की गतिविधियों की जांच करवाई है? यदि हां, तो इस संस्था के कार्यक्रम व उद्देश्य क्या रहे और इसकी क्या क्या गतिविधियां चल रही हैं ?

(3) क्या यह सही है कि इस आश्रम में रहने वाले अविवाहित लड़के एवं लड़कियों के परिवार वालों की शिकायतें सरकार के पास आई हैं ?

(4) क्या उक्त आश्रम ने सरकारी कर्जे को शर्तों के अनुसार चुकाया है ?

उप मंत्री (श्री प्रद्युम्नसिंह) : (1) जी नहीं। इस प्रकार का कोई अनुदान या ऋण राज्य सरकार द्वारा नहीं दिया गया है।

(2) 1963 में राज्य सरकार द्वारा इस आश्रम की गतिविधियों की जांच कराई गई थी। यह एक धार्मिक संस्था है।....

श्री नत्थीसिंह : आप खुद गये थे जांच करने ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : इसके मुख्य कार्य-क्रम धर्म, दर्शन का प्रचार, उस सम्बन्ध में व्याख्यान प्रवचन आदि हैं।

(3) राज्य सरकार के पास ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है।

(4) प्रश्न नहीं उठता।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यह जानकारी व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर दे रहे हैं ?

श्री नत्थीसिंह : क्या आप खुद जांच करने गये थे ?

श्री प्रद्युम्नसिंह: मैं तो जांच रिपोर्ट के आधार पर ही सूचना दे रहा हूं। व्यक्तिगत आधार का आपको मालूम होगा।

श्री नत्थीसिंह : शायद आप जाते हों। आपको मालूम हो।

प्रश्न संख्या 107

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट ! श्री केशरीसिंह हाड़ा !

(अनुपस्थिति कृपया आगे देखिये)

श्री भैरोंसिंह :

मंत्रियों के नाम जमीन

108. **श्री भैरोंसिंह** (किशनपोल, जयपुर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राज्य के किन किन मंत्रियों, राज्य मंत्रियों एवं उप मंत्रियों के स्वयं के नाम तथा उनके किन किन सम्बन्धियों के नाम, कहां कहां पर, किस किस श्रेणी की, कब कब से कितनी कितनी भूमि है ? कृपया तालिका सदन की मेज पर प्रस्तुत करें ।

(2) उपरोक्त भूमि में कौन कौन भूमि सरकार द्वारा आवंटित हुई है तथा कौन कौन निजी व्यक्तियों से स्थानान्तरित कराई गई है ?

(3) उपरोक्त भूमि में किस किस की, कितनी कितनी भूमि, किस किस नगरपालिका क्षेत्र में आती है ?

उपमंत्री, राजस्व (श्री गंगाराम चौधरी): अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न से सम्बन्धित सूचनायें एकत्रित नहीं हुई हैं ।

श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ) : यह क्या बात है । राजस्व का मामला आता है तो उसका जवाब नहीं मिलता है । मेरे क्षेत्र के अन्दर, सारे राजस्थान के अन्दर अंधेर हो रहा है, लेकिन जब पूछते हैं तो उसका जवाब नहीं आता है । जमीन लोगों में बंट रही है और भूमिहीन मर रहे हैं ।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा): सारी जमीन मंत्री लेते हैं ।

श्री रामसिंह कुड़ी : सारी सूचना देने वाले यहां मौजूद हैं फिर भी यह सूचना नहीं मिल पाई ?

श्री अध्यक्ष : सूचना का क्या प्रश्न है जब प्रश्नकर्त्ता स्वयं सूचना दे सकते हैं ।

श्री भैरोंसिंह : यह सूचना किन किन सोर्सेज से उपलब्ध की जा रही है ?

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : वह दे सकते हैं ।

श्री हरिदेव जोशी (उद्योग-मंत्री) : बोलो, बोलो ।

श्री भैरोंसिंह : किस सोर्स से यह सूचना उपलब्ध की जा रही है ?

राजस्व मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास): चिट्ठियां लिखते हैं सबको ।

श्री भैरोंसिंह : किन किन को ?

श्री रामकिशोर व्यास : हरएक मंत्री को । उनसे पूछा है ।

श्री नत्थीसिंह : मिनिस्टरों से पूछा है?

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि यह प्रश्न लगभग एक साल से हमेशा स्थगित होता आ रहा है । आपने चिट्ठियां कब लिखीं ? यह जरा बता दीजिये ।

श्री अध्यक्ष : उससे प्रश्न हल हो जायेगा ?

श्री मनोहरसिंह मेहता : हल तो कैसे होगा ?

Page No. 26

श्री अध्यक्ष : पोस्टपोन तो करना पड़ेगा। सप्लीमेन्ट्री कैसे पूछे जायेंगे ?

श्री मदनसिंह : क्या यह तरीका नहीं था कि आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट से मांग लेते ?

श्री रामकिशोर व्यास : जरूर मंगायेंगे। इसका जवाब इसी सैशन में दे दिया जायेगा।

श्री भैरोंसिंह : यह सवाल नहीं है। प्रश्न यह है कि आप बतायें कि किस किस मंत्री ने सूचना नहीं दी ?

श्री रामकिशोर व्यास : वही सूचना नहीं है।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : सब मंत्री यहां पर हैं। कोई भी ऐसा नहीं होगा जो यहां पर खड़े होकर नहीं बताये। एक एक मंत्री खड़े होकर बता दें।

श्री रामकिशोर व्यास : हम देदेंगे।

श्री मदनसिंह : इससे न तो मंत्री महोदयों को दुःख होगा और न हमें अविश्वास होगा।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, इसका एश्योरेन्स दिलायें कि कब जवाब दे देंगे ?

श्री अध्यक्ष : इसी सैशन में।

श्री रामकिशोर व्यास : इसी सैशन में।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यह सही है कि मंत्रिमण्डल के सब सदस्यों के लिए नियम बने हुए हैं उनके अनुसार मुख्य मंत्री को अपनी सारी सम्पत्ति का ब्यौरा देना पड़ता है ? और उस दृष्टि से कृषि भूमि कितनी है, कितनी जमीन है-इसका ब्यौरा उनके पास होगा।

श्री मदनसिंह : एक एक मंत्री पेश कर दें। वह बता दें।

मुख्य मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया): अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में निवेदन है कि केवल मंत्री के पास कितनी जमीन है यह नहीं पूछा गया है। रिश्तेदारों के पास कितनी जमीन है, यह भी पूछा है। रिश्तेदारों के अन्दर कौन कौन रिश्तेदार कितने आ गये-यह व्यापक प्रश्न बन जाता है। केवल मंत्री और उनकी फेमिली से सम्बन्धित प्रश्न होता तो जवाब आसानी से दे दिया जाता। इसमें रिलेशन्स हैं और रिलेशन्स लम्बे चौड़े होते हैं।

श्री नत्थीसिंह : असली जमीन उन्हीं के नाम से आवंटित हो रही है।

श्री भैरोंसिंह : एक प्रश्न का और राजस्व मंत्री जवाब दें कि सम्बन्धियों में किन किन को इन्क्लूड करके जानकारी चाही हैं ?

(12 मध्यान्ह)

श्री रामकिशोर व्यास : यह तो उनका जवाब आने पर मालूम पड़ेगा।

श्री भैरोंसिंह : मुख्यमंत्री ने कहा है कि परिवार के सदस्यों तक सीमित होता तो जानकारी देना आसान हो जाता, पर रिलेटिव्ज में अब कौन कौन हो सकता है उसके कारण देरी हो रही है। तो मैं जानना चाहता हूं कि रिलेटिव्ज में आपने कौन कौन से सम्बन्धियों को अपने पत्रों में इन्क्लूड किया है।

श्री रामकिशोर व्यास : हमने तो नकल भेज दी है।

श्री मनोहरसिंह मेहता : इसको आप इतना लाइटली क्यों लेते हैं ?

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट । श्री दुर्गालाल बाढ़दार ।

सहकारी विभाग में निलम्बित कर्मचारी

109. **श्री दुर्गालाल बाढ़दार** (हवामहल, जयपुर) : क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सहकारी विभाग में कितने कर्मचारी मोत्तिल हैं ? क्या यह सत्य है कि किन्हीं मामलों में जांच 10 वर्षों से भी अधिक समय तक चलती रही है ?

(2) क्या यह सत्य है कि जो राज्य कर्मचारी दो वर्ष से अधिक समय तक जांच के दौरान मोत्तिल रहते हैं उन्हें वापिस रिइन्स्टेट कर लिया जाता है ? यदि हां, तो ऐसे कितने राज्य कर्मचारी हैं जो पिछले 5 वर्षों से मोत्तिल है और जिन्हें कार्य पर नहीं लिया गया है ?

सहकारिता मन्त्री (श्री अमृतलाल यादव) : (1) सहकारी विभाग में 56 कर्मचारी मोत्तिल हैं यह सत्य नहीं है कि किन्हीं मामलों में जांच 10 वर्षों से भी अधिक समय तक नहीं चलती रही है ।

(2) यह सत्य नहीं है कि जो राज्य कर्मचारी दो वर्ष से अधिक समय तक जांच के दौरान मोत्तिल रहते हैं उन्हें वापिस रिइन्स्टेट कर दिया जाता है । किन्तु जांच पूर्ण किये जाने हेतु विभिन्न स्तर पर समय अवश्य निर्धारित किया जाता है । ऐसे चार कर्मचारी हैं जो पिछले पांच वर्षों से मोत्तिल हैं और जिन्हें कार्य पर नहीं लिया गया ।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : इसका कारण क्या है जो नियमों के प्रतिकूल इन 4 को अब तक रिइन्स्टेट नहीं किया गया ?

श्री अमृतलाल यादव : नियमों के प्रतिकूल नहीं । मैंने उत्तर पढ़ा है, मैं फिर पढ़ देता हूं कि जांच पूर्ण किये जाने हेतु विभिन्न स्तरों पर समय अवश्य निर्धारित किया जाता है । और यह भी सत्य नहीं है कि दो वर्ष से अधिक समय तक जांच के दौरान मोत्तिल रहते हैं उन्हें वापिस रिइन्स्टेट कर दिया जाता है ।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : तो क्या यह समझा जावे कि सरकार के सामान्य नियमों के विपरीत आपके कोई अलग से नियम हैं ?

श्री अमृतलाल यादव : जी नहीं । मैं नियम पढ़कर सुनाता हूं ।

"If any delinquent official has continued under suspension for more than two years and he has not been prosecuted in the court of law, the competent authority shall review the suspension order immediately on the expiry of two years whether the grounds leading to his suspension still exist or not."

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : जो कुछ आप पढ़ रहे हैं इसका आशय तो यही निकलता है कि कोर्ट आफ लॉ में केस न भेजा जावे अगर दो साल तक भी तो उसको रिइन्स्टेट कर दिया जाना चाहिये ।

श्री अमृतलाल यादव : मैंने निवेदन किया कि जिनमें नियमानुसार कार्यवाही करने में दो वर्ष से भी अधिक का समय लगता है उन्हीं के सम्बन्ध में अधिक समय लगता है और ये चार मामले ऐसे ही हैं।

श्री दुर्गालाल बाद़दार : क्या इन कर्मचारियों के केस कोर्ट ऑफ लॉ में दे दिये गये हैं ?

श्री रामनारायण चौधरी : सहकारी मंत्री से जानकारी चाहता हूं कि 56 प्रशिक्षित हैं, सहकारी विभाग में उनको सस्पेन्ड किया है या क्या किया है ?

श्री अमृतलाल यादव : उनका राज्य सरकार से सम्बन्ध नहीं है।

श्री नत्थीसिंह : वे तो सबसिडी पर ही चल रहे हैं।

श्री दुर्गालाल बाद़दार : आपने नियम बना रक्खे हैं कि दो साल में अगर मामला कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं दे सकेंगे तो उसे रिइन्स्टेट कर दिया जावेगा। पर फिर भी आप न तो कोर्ट ऑफ लॉ में देते हैं न रिइन्स्टेट करते हैं चार चार साल से उनको ऐसी स्थिति में डाल रखा है कि न तो उनको जीने देते हैं न मरने देते हैं।

श्री अध्यक्ष : क्यों ऐसी गति बना रखी है ?

श्री दुर्गालाल बाद़दार : जब नियम बने हुए हैं तो पक्षपात इस तरह करने का आधार तो होना चाहिये ?

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

(कृपया शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए परिशिष्ट 4 देखिये)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

अमर ज्योति

99. **श्री जयनारायण सालोदिया** (निवाई) : क्या जन सम्पर्क मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर से प्रकाशित 'अमर ज्योति' के संपादक कौन हैं ? इस पत्र की कितनी प्रतियां साप्ताहिक या पाक्षिक निकलती हैं और पत्र की ग्राहक संख्या क्या है ? जिलेवार ग्राहकों की नामवार सूची सदन की मेज पर रखेंगे ?

(2) इस पत्र को सरकार द्वारा कितनी प्रतियों के लिए कितने कागज का कोटा हर माह दिया जाता है और पत्र कितने पेज का है ?

(3) इस पत्र को गत पांच सालों में कौन कौन से विभाग से, किस किस साइज के, कितने विज्ञापन दिये गये? कितने रुपयों के सालवार और विभागोंवार मय रकम के आंकड़ों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) जयपुर से प्रकाशित 'अमरज्योति' हिन्दी साप्ताहिक पत्र के सम्पादक श्री नारायण चतुर्वेदी हैं। इस पत्र की प्रसार सं०, प्रेस रजिस्ट्रार की 1968 की रिपोर्ट के अनुसार औसतन प्रति सप्ताह 6941 हैं जिसमें समूल्य वितरण 6316 तथा बिना मूल्य 625 हैं। जिलेवार ग्राहकों की सूची किसी भी पत्र की विभाग में नहीं रखी जाती है।

Page No. 29

(जन-सम्पर्क मंत्री)

पत्र साप्ताहिक है, अत: पाक्षिक प्रतियों का प्रश्न ही नहीं उठता।

(2) कागजों का कोटा दिये जाने का कार्य रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज पेपर्स फार इंडिया (भारत सरकार) द्वारा किया जाता है, राज्य सरकार से उसका सम्बन्ध नहीं है।

इन दिनों यह पत्र 8 (आठ) पृष्ठों में छपता है परन्तु विशेषांक में 12 से 16 पृष्ठ भी निकलता रहा है।

(3) अमरज्योति साप्ताहिक, जयपुर को गत पांच वर्ष 64-65, 65-66, 66-67, 67-68, तथा 68-69 में जो विज्ञापन दिये गये थे उनकी सालवार एवं विभागवार सूची संलग्न हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण राजस्थान विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई है)

ऋण पर ब्याज की दरें

100. श्री देवी लाल बुरासिया (केकड़ी सु०) : क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या राजस्थान के भूमि बन्धक बैंकों द्वारा जो ऋण दिया जाता है उस पर ब्याज की दरें अन्य प्रदेशों से अधिक ली जाती है? अगर हां, तो राजस्थान सरकार भूमि बन्धक बैंकों के ऋण पर ब्याज की दरें अन्य राज्यों के समान करने पर विचार करेगी? अगर हां, तो कब तक?

उत्तर

१ जहां तक जानकारी में है, राजस्थान के भूमि बन्धक बैंकों द्वारा जो ऋण दिया जाता है, उस पर ब्याज की दरें अन्य प्रदेशों से अधिक नहीं ली जाती हैं। अत: ब्याज दर कम करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों को भूमि का एलाटमेंट

102. श्री वृज वल्लभ बोहरा (दीगोद) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) गांधी जयन्ती के उपलक्ष में कोटा जिले के किस किस ग्राम में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों को कितनी कितनी भूमि एलाट की गई? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या जिन लोगों को भूमि अलाट की गई उसके पट्टे उसी दिन दे दिये गये थे?

(स्थगित किया गया)

राज्य में औद्योगिक प्रतिष्ठानों की स्थापना

107. श्री केशरीसिंह हाड़ा (हिन्डोली) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या राजस्थान में केन्द्रीय सरकार के औद्योगिक प्रतिष्ठानों की स्थापना तथा उनके विस्तार पर चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की अवधि में लगभग 1 अरब, 4 करोड़, 85 लाख रुपये की लागत आयेगी?

(2) राजस्थान सरकार ने किस किस योजना में कितनी कितनी रकम लगाई है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(केशरीसिंह हाडा)

(3) अब तक किस किस योजना पर कितनी कितनी रकम लग चुकी है और चौथी योजना में कितनी रकम लगने का अनुमान है ?

(4) अब तक इन योजनाओं से क्या प्राप्ति हुई है ?

उत्तर

(1) जी हां। सही आंकड़े तो भारत सरकार से ही प्राप्त हो सकते हैं।

(2) प्रश्न नहीं उठता क्योंकि केन्द्रीय औद्योगिक प्रतिष्ठानों में राज्य सरकार द्वारा कोई रकम नहीं लगाई जाती हैं।

(3) निम्न प्रतिष्ठानों में उनके सामने अंकित रकम लग चुकी है व चौथी योजना में लगने का अनुमान है:—

	रकम जो लग चुकी है	रकम जिसका चतुर्थ योजना में लगने का अनुमान है
(क) मैसर्स हिन्दुस्तान जिंक लि. उदयपुर।	1159लाख	1800लाख
(ख) मैसर्स मशीन टूल कारपोरेशन लि. अजमेर	171.32 लाख	850लाख
(ग) मैसर्स इन्सट्रूमेन्टेशन लि. कोटा	714.53 लाख	279लाख
(घ) मैसर्स हिन्दुस्तान कोपर लि. खेतड़ी	15 करोड़	71.65लाख

(4) इसकी सूचना सम्बन्धित प्रतिष्ठान से ही प्राप्त की जा सकती है।

(अतारांकित प्रश्नोत्तर)

समाज कल्याण उप मंत्री द्वारा लिया गया यात्रा भत्ता

125. श्री **देवीदत्त गाड़िया**(बारां): क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

समाज कल्याण विभाग के उप मन्त्री श्री रामचरण ने मार्च, 1968 तक कितना कितना टी. ए., डी. ए. किन किन तारीखों को लिया है ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

समाज कल्याण विभाग के उप मन्त्री श्री रामचरन द्वारा मार्च, 68 तक जिन जिन तारीखों का दैनिक भत्ता तथा जितना यात्रा भत्ता लिया गया, की सूची सदन की मेज पर रखदी है।

(परिशिष्ट– 1 व 2)

(कृपया परिशिष्ट 5 देखिये)

अकाल सहायता मंत्री द्वारा लिया गया यात्रा भत्ता

126. श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे ?

(1) 1 अक्टूबर सन् 1968 से लेकर अब तक अकाल राहत मन्त्री ने अकाल

(श्री भैरोंसिंह)

सम्बन्धी कार्यों के लिये किस किस जिले का किस किस महीने में कितने कितने दिनों का प्रवास किया ?

(2) इस अवधि में किस किस माह में उन्होंने दैनिक भत्ता तथा यात्रा भत्ता व्यय के रूप में कितना कितना रुपया प्राप्त किया ?

उत्तर

(1) वांछित सूची सदन की मेज पर रख दी है।

(2) उक्त सूची के कालम 5 में अंकित करदी है।

(कृपया परिशिष्ट 6 देखिये)

सेवा निवृत्ति आयु

127. श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों तथा कुल अन्य कर्मचारियों के अलावा राजस्थान सरकार के कर्मचारियों की सेवा-निवृत्ति आयु 58 वर्ष के स्थान पर 55 वर्ष कब से की गई थी ?

(2) सरकार द्वारा प्रकाशित राजस्थान सेवा-नियमों का चतुर्थ संस्करण क्या 31-12-1967 तक संशोधित है ?

(3) यदि हां, तो इस संस्करण के नियम 57 (ए) में "58 वर्ष" शब्द क्यों मुद्रित किया गया है ?

उत्तर

(1) दिनांक 1-7-1967 से सेवा निवृत्ति आयु 58 वर्ष से 55 वर्ष की गई।

(2) राजस्थान सेवा नियमों के चतुर्थ संस्करण में 31-12-1967 तक किये गये संशोधन सम्मिलित हैं।

(3) राजस्थान सेवा नियम के उक्त संस्करण में नियम 57 (ए) में "58 वर्ष" का कहीं उल्लेख नहीं है। नियम 56 (ए) में मुद्रित "58 वर्ष" का "55 वर्ष" में संशोधन उक्त संस्करण में शुद्धि-पत्र संख्या 34 द्वारा किया गया है।

फोरेन सर्विस पर भेजे गये कर्मचारियों को सुविधाएं

128. श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि भारत में फोरेन सर्विस पर भेजे गये राजस्थान सरकार के कर्मचारियों को अवकाश की स्वीकृति तथा अवकाश-वेतन का भुगतान पेरेन्ट डिपार्टमेंट द्वारा ही किया जाता है ?

(2) यदि हां, तो इस व्यवस्था से राज्य कर्मचारियों को होने वाली अनावश्यक कठिनाइयों को दूर करने के लिये सरकार ने कभी कोई विचार किया है ?

(3) क्या यह सही है कि पंचायत समितियों में भेजे गये कर्मचारियों के मामलों में ये नियम लागू नहीं हैं ?

(4) यदि हां, तो सरकार नियमों में ऐसा प्रावधान क्यों नहीं कर देती कि सभी कर्मचारियों को फोरेन एम्प्लायर द्वारा ही अवकाश स्वीकृत किया जाय तथा अवकाश वेतन का भुगतान किया जाय और सरकार द्वारा लीव सैलेरी कन्ट्रीब्यूशन लेना बन्द कर दिया जाये ?

(स्थगित किया गया)

सरप्लस कर्मचारियों के लिए नियम

129. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगेः-

(1) क्या यह सत्य है कि विभिन्न विभागों से सरप्लस हुए कर्मचारियों के सम्बन्ध में कोई नियम सरकार ने बना रखे हैं? यदि हां, तो कब से तथा कब लागू किये गये? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उक्त नियमों के बनाने के पूर्व इस सम्बन्ध में क्या प्रक्रिया अपनाई जाती थी? यदि इस सम्बन्ध में कोई राजाज्ञा प्रसारित की हुई हो तो उनकी प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान सिविल सर्विसेज (अबजारप्शन आफ सरप्लस परसोनल रूल्स) 1969 नियुक्ति विभाग की विज्ञप्ति संख्या एफ (1) (18) नियुक्ति (क-2) 67 दिनांक 27 नवम्बर, 1969 के द्वारा जारी किये हैं जो असाधारण राजपत्र दिनांक 11-12-69 पार्ट-4 (सी) में प्रकाशित हुए तथा दिनांक 1-1-1954 से प्रभाव में आये हैं। प्रति सदन की मेज पर रख दी गई हैं।

(2) उपरोक्त नियमों के बनने से पूर्व इस सम्बन्ध में विभिन्न राजाज्ञायें जारी की गई थीं जिनके अन्तर्गत सरप्लस कर्मचारियों का अबजारप्शन किया जाता था। इन सब आज्ञाओं को वैधानिक रूप देकर इन नियमों में समावेश कर दिया है। सम्बन्धित राजाज्ञाओं की प्रतिलिपि भी नियमों के शिड्यूल में दी गई हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण राजस्थान विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई है)

चित्तौड़गढ़ के दुर्ग पर व्यय

130. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सत्य है कि चित्तौड़गढ़ के ऐतिहासिक दुर्ग को अधिक आकर्षक बनाने के लिये सरकार के पास कोई प्रस्ताव है? यदि हां, तो क्या क्या? विस्तृत जानकारी प्रस्तुत करने की कृपा करें।

(2) अब तक इस कार्य में कितने रुपये खर्च किये जा चुके हैं?

उत्तर

जी हां। चित्तौड़गढ़ का दुर्ग एवं कीर्ति स्तम्भ भारत सरकार के केन्द्रीय पुरातत्व सर्वेक्षणालय के अधीन हैं और इन्हें अधिक आकर्षक बनाने के लिये योजनायें भारत सरकार के पुरातत्व विभाग द्वारा ही क्रियान्वित की जाती है। इसी संबंध में भारत सरकार द्वारा 200 मूर्तियां भी वहां स्थानांतरित की जा रही हैं।

पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग, राजस्थान द्वारा भी इस दुर्ग को आकर्षक बनाने हेतु फतेह प्रकाश भवन में एक संग्रहालय सन् 1968 में स्थापित किया है। इस संग्रहालय के लिये पिछले साल लगभग 8000) रु० खर्च किया गया है और इस वर्ष भी 2750) रु० व्यय किये जाने की संभावना है। इसके अतिरिक्त पर्यटन विभाग, राजस्थान द्वारा दुर्ग पर जाने वाले

(मुख्य मन्त्री)

दर्शकों की सुविधा हेतु विजय स्तम्भ के समीप शौचालय की व्यवस्था की है एवं वहां पीने के पानी तथा दुर्ग पर चार या पांच स्थानों पर छोटे छोटे बगीचे भी लगाये हैं। आगामी वित्तीय वर्ष में 5 लाख रुपये की लागत से एक पर्यटक विश्राम-गृह का भी निर्माण किया जायेगा। सन् 1970-71 में 1.50 लाख का प्रावधान रखा गया है। अब तक इस कार्य पर जो खर्चा किया जा चुका है, उसकी सूची संलग्न है।

(कृपया परिशिष्ट 7 देखिये)

लगान की दरें

131. श्री रामसिंह कुडी (जायल): क्या राजस्व-मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान में भूमि लगान (राजस्व) की दरें किस किस किस्म जमीन की क्या क्या हैं क्या किसी एक जिले की किस्म जमीन का भूमि लगान दूसरे जिले की उसी तरह की किस्म जमीन के भूमि लगान से भिन्न है ? यदि हां, तो किस किस जिले में किस किस प्रकार की किस्तों की भूमियों का लगान क्या क्या है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या एक ही जिले में व एक ही तहसील में एक ही प्रकार की किस्म जमीन का भूमि लगान दूसरे गांव की तहसील की उसी प्रकार की किस्म जमीन के लगान से भिन्न है ? यदि हां, तो कहां कहां, सूचना सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(स्थगित किया गया)

ग्राम केदारा में भूमि का आवंटन

132. श्री दिग्विजय सिंह (उनियारा): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सत्य है कि दिनांक 31-5-1969 को ग्राम केदारा तहसील देवली, जिला टोंक में एक सार्वजनिक नाडी खसरा नम्बर 74 का आवंटन किया गया है ? यदि हां, तो आवंटन कमेटी में कौन कौन सदस्य उपस्थित थे ?

(2) क्या यह सत्य है कि श्री रतनलाल सरपंच नगर द्वारा नाडी को काश्त करने की कोशिश की गई थी ?

(3) क्या यह सही है कि इसका आवंटन टोंक निवासी श्री राजेन्द्र कुमार को जो कि नाबालिग है और स्कूल में पढ़ते हैं तथा श्री रतनलाल सरपंच नगर के छोटे भाई हैं, किया है ?

(4) क्या यह सत्य है कि उक्त नाड़ी खसरा नम्बर 74 एक ऐसे सार्वजनिक स्थान पर है जहां पर करीब चार पांच ग्राम के मवेशी पानी पीते हैं ?

(5) क्या यह सही है कि श्री रतनलाल सरपंच, नगर ने पुलिस थाना नगर द्वारा काश्त कराने की चेष्टा की है और वहां के ग्रामवासियों को गिरफ्तार भी किया गया है ?

(6) क्या राज्य सरकार इस विषय में कोई आवश्यक कार्यवाही कर उक्त आवंटन को निरस्त कराने के आदेश प्रदान करेगी ?

उत्तर

(1) यह सत्य है कि दिनांक 31-5-67 को ग्राम केदारा तहसील देवली में खसरा

(राजस्व मंत्री)

नम्बर 74 रकबा 35।।)4 बंजड़ दोयम में से 15) बीघा भूमि जो पटवार रेकार्ड में नाड़ी दर्ज नहीं है वरन् सिवाय चक बंजड़ ।। है का आवंटन किया गया है। आवंटन कमेटी में तहसीलदार एवं सरपंच ग्राम पंचायत चारनेट उपस्थित थे।

(2) उक्त आवंटित भूमि को दिनांक 31-5-69 के पश्चात् अलाटी ने काश्त कराया और संवत् 2026 में तिल 8।।) व बाकी में चने की काश्त कराई है।

(3) यह सही है कि श्री राजेन्द्रकुमार श्री रतनलाल का छोटा भाई है और उसकी उम्र इस समय लगभग 21-22 साल की है।

(4) यह भूमि पटवार रिकार्ड में सिवाय चक बंजड़ दो दर्ज है। जब भूमि पड़त होती है तो सभी जगह ग्राम के मवेशी उठते बैठते व चरते हैं।

(5) यह सही है कि तारीख 29-8-69 को श्री रतनलाल सरपंच ग्राम पंचायत नगर ने पुलिस थाना नगर में श्री लक्ष्मीनारायण, बद्री, सुवा, भागोता, भीनगान तथा श्री मोहन दरोगा के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई, पुलिस ने थाना नगर में रिपोर्ट नुकसे अमन दर्ज कर अदालत में चाराजोई की हिदायत की इस भूमि के संबंध में गांववालों को, किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया गया।

(6) इस आवंटन के विरुद्ध ग्रामवासियों ने न्यायालय में अपील कर दी है।

कोटा जिले में तालाब

133. श्री प्रेमसिंह सिंघवी (छबड़ा):-क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्व रिकार्ड के अनुसार कोटा जिले में कितने तालाब हैं और इनमें कितने सिंचाई योग्य हैं ?

(2) कोटा जिले की तहसील छीपाबड़ौद में कितने तालाब हैं तथा उनमें से कितने अच्छी हालत में हैं और कितने खराब हालत में ?

उत्तर

(1) राजस्व रिकार्ड के अनुसार कोटा जिले में कुल 100 तालाब हैं और उनमें से सिंचाई योग्य 35 हैं।

(2) तहसील छीपाबड़ौद में कुल 11 तालाब हैं सभी खराब हालत में है बरसाती पानी ही कुछ दिन ठहरता है और मवेशियों के पीने के काम में आता है। सिंचाई योग्य नहीं है।

बून्दी जिले में ट्रेसपासर्स को खातेदारी अधिकार

134. श्री केशरीसिंह हाडा (हिन्डोली): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) बूंदी जिले की चारों तहसीलों में अलग अलग कितने ट्रेसपासर्स के मुकदमे तहसीलों व एस. डी. ओ. में चल रहे हैं ?

Page No. 35

(श्री केशरीसिंह हाडा)

(2) किस साल तक के ट्रेसपासर्स को सरकार ने खातेदारी देना मन्जूर कर लिया है और उनसे कितने गुना लगान लेकर खाते दारी दी जावेगी ?

(3) इस सरकारी आदेशानुसार चारों तहसीलों में कितने केस निपटाये गये हैं और पेनल्टी के रूप में कितनी रकम सरकार को प्राप्त हुई है ?

(4) क्या ऐसे मामले भी हैं कि खातेदारी देने पर भी तहसील ने फिर से ट्रेसपासर दर्ज कर दिये हैं ?

(5) क्या सरकार कमांड एरिये में भी ट्रेसपासर्स को रेगुलेराइज करना मुनासिब नहीं समझती ?

(6) दि. 2-12-53 से पूर्व के अतिक्रमण करने वालों को सरकार किस शर्त पर खातेदारी अधिकार प्रदान करती है ?

उत्तर

(1) जिले की चारों तहसीलों में जिस कदर मुकदमे ट्रेसपासर्स के चल रहे हैं उनका विवरण निम्न प्रकार हैः—

नाम तहसील	तादाद पेंडिग मुकदमात ट्रेसपासर्स, 31-1-70 तक
केशवराय पाटन	1565
बूंदी	3474
हिण्डोली	1198
नेनवां	144
	6381

उप जिलाधीश कार्यालय में ऐसे कोई मामले नहीं है ।

(2) बूंदी जिले में चम्बल प्रोजेक्ट क्षेत्र व मीडियम माइनर प्रोजेक्ट क्षेत्र तथा नोन प्रोजेक्ट क्षेत्र अलग अलग हैं ।

(क) चम्बल प्रोजेक्ट क्षेत्र में 31 दिसम्बर 65 तक के ट्रेसपासर्स को खातेदारी देना मन्जूर किया है । यह खातेदारी यदि ट्रेसपासर्स का कब्जा 2-12-53 से पहले का है तो आरक्षित मूल्य में से 33 प्रतिशत रकम ली जावेगी । 2-12-53 से 15-10-55 के दरमियान वाले ट्रेसपासर्स से आरक्षित मूल्य लिया जायेगा । 15-10-55 से 1-4-66 तक के ट्रेसपासर्स से आरक्षित मूल्य व 15 प्रतिशत आरक्षित मूल्य का दोनों मिलाकर लिया जायेगा । 1-4-60 से 31-12-65 तक के ट्रेसपासर्स से आरक्षित मूल्य व 33 प्रतिशत आरक्षित मूल्य का दोनों मिला कर लिया जावेगा ।

(ख) मीडियम माइनर प्रोजेक्ट क्षेत्र में 31, दिसम्बर, 67 तक के अतिक्रमियों से रिजर्व प्राइस 20 प्रतिशत पेनाल्टी लेकर खातेदारी हक देना तय किया है ।

(ग) अनकमांड क्षेत्र के अन्दर 31 दिसम्बर, 66 तक के अतिक्रमियों को खातेदारी हक देना तय किया है जिनसे लगान की 35 गुनी रकम ली जाकर नियमन के आदेश हैं ।

(3) सरकारी आदेशानुसार चारों तहसीलों में कुल 10110 केस निपटाये गये हैं इनसे कीमत व पेनल्टी की कुल 11,66,299) रुपये की रकम प्राप्त होगी जिनमें से 157227) रुपया वसूल हो चुके हैं ।

(राजस्व मंत्री)

(4) जी नहीं।

(5) कमांड, अनकमांड सभी क्षेत्रों में राजकीय आदेशों के अनुसार नियमन किया जा रहा है।

(6) दिनांक 2-12-53 से पूर्व के अतिक्रमणकारियों को निम्न तरीके से नियमन किया जाता है, यदि वे नियमन की व्यवस्था में आते हों तो :-

(1) चम्बल कमांड क्षेत्र में आरक्षित मूल्य से 33 प्रतिशत रकम कम लेकर नियमन किया जाता है।

(2) मीडियम माइनर प्रोजेक्ट क्षेत्र में जो भू-राजस्व का भुगतान कर रहे हैं उनसे आरक्षित मूल्य लेकर और जो भू-राजस्व का भुगतान नहीं कर रहे है उनसे आरक्षित मूल्य तथा शास्ति स्वरूप आर्थिक भू-राजस्व की दुगनी राशि लेकर।

(3) ऐसी बारानी भूमियां जो सिंचाई परियोजनाओं में स्थित नहीं हैं।

(क) जो भू-राजस्व का भुगतान नियमित रूप से करते हैं उन्हें खातेदारी अधिकार दिए जाते हैं।

(ख) जो लोग भू-राजस्व नहीं दे रहे हैं उनका नियमन एक वार्षिक लगान के बराबर शास्ति वसूल कर किया जाने के नियम हैं।

ग्राम ऊमर व बासनी निवासियों के प्रार्थना-पत्र

135. **श्री केशरीसिंह हाड़ा** (हिन्डोली): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सत्य है कि तहसील हिन्डोली के ग्राम ऊमर व बासनी के कांकड़े के अन्दर, ग्राम टोकड, जिला भीलवाड़ा के जगन्नाथ पुत्र भुवाना मीना व ऊदा भूरा मीणा ने काश्त कर रखी है ? यदि हां, तो कब से और कितनी भूमि पर ?

(2) क्या तहसीलदार हिन्डोली ने इस को बेदखल कर दिया या इन पर मुकदमा दायर किया ?

(3) क्या यह सही है कि तहसीलदार की गफलत से दूसरे जिले के काश्तकार अनधिकृत रूप से जिला बूंदी की सरहद के अन्दर घुस जाते हैं ?

(4) क्या यह सत्य है कि मेरे जरिये ग्रामीण ऊमर व बासनी निवासियों ने एक प्रार्थना-पत्र जिलाधीश बून्दी को दिया था। यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

(5) क्या अन्य जिले के काश्तकारों को बेदखल कर दिया गया है और क्या तहसीलदार हिन्डोली से इसका जवाब तलब किया गया है ?

(6) क्या फसल की कूंत की रकम जो एस. डी. ओ. नैनवा द्वारा की गई थी वह तहसील में जमा हो गई है ? यदि हां, तो किस तारीख को किस रोजनामचे के पाने पर की गई ?

उत्तर

(1) जी नहीं, जगन्नाथ वल्द भुवाना मीणा साकिन टीकड़ ने आगाजी 11 बीघा

(राजस्व मंत्री)

पर सम्वत् 2021 से कब्जा कर रखा था। सम्वत् 2021 में बेदखल करके 112) रुपये पेनल्टी कायम की गई मगर यह मिसल अपीलेन्ट ऑथोरिटी, कोटा में विचाराधीन होने से आगामी कार्यवाही बन्द है। कब्जा अपील में स्टे होने से अभी नहीं लिया गया। इसी प्रकार ऊदा पुत्र भूरा द्वारा आराजी खसरा नम्बर 1 व 2 को कुल 3 बीघा पर कब्जा सम्वत् 2020 से 2024 तक है। इस बारे में 11-11-68 को भूमि से बेदखल करने के आदेश तहसील से दिये गये हैं और इस अवधि (सम्वत् 2020 से 2024) की पेनल्टी भी कायम करदी गई है।

(2) तहसील हिंडोली ने उन्हें बेदखली के आदेश दिये थे। इसके बाद अपील हो जाने से कब्जा ऊदा जगन्नाथ से प्राप्त नहीं किया जा सका मिसल अदालत अपील से प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही अपील आदेशों के तहत की जायेगी।

(3) यह सही नहीं है। इसमें तहसीलदार की गफलत नहीं है क्योंकि रिपोर्ट होते ही कार्यवाही करदी जाती है।

(4) जो दरख्वास्त दी थी वह जगन्नाथ मीना उमर की मिसल में शामिल है और मिसल तहसील, अपील आथोरिटी, कोटा के यहां चल रही हैं।

(5) जब बेदखल कर दिये गये तो जवाब तलबी का प्रश्न ही नहीं उठता।

ग्राम छत्तरगढ़ का क्षेत्रफल

136. श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला बीकानेर, ग्राम छत्तरगढ़ की सीमा का कुल क्षेत्रफल कितने हजार बीघा या एकड़ है और यह भूमि इस वक्त क्या राज्य सरकार के कब्जे में है या भूदान बोर्ड के अधीनस्थ है ?

(2) क्या यह सत्य है कि ग्राम छत्तरगढ में एक किला भी मौजूद है ? यदि हां, तो इस किले पर राज्य सरकार का अधिकार है या भूतपूर्व महाराजा का या भूदान बोर्ड के अधीनस्थ है ? यदि इस ग्राम की भूमि व किला भूदान बोर्ड के अधीनस्थ है तो इसे किस व्यक्ति ने भूदान को दान में दिया और इसके दान की सूचना राज्य सरकार को किस सन् की किस तारीख को प्राप्त हुई है ?

उत्तर

(1) जिला बीकानेर के ग्राम छत्तरगढ की सीमा का कुछ क्षेत्रफल 146201।।।) 4 बीघा है। जिसमें उक्त भूमि में से 142844।।।) बीघा भूदान यज्ञ बोर्ड के अधीनस्थ है।

(2) जी हां, यह सत्य है कि ग्राम छत्तरगढ़ में एक किला मौजूद है। इस किले पर राज्य सरकार का अधिकार नहीं है। इस किले पर भूतपूर्व जागीरदार महाराजा श्री अमरसिंह का कब्जा है। भूदान यज्ञ बोर्ड का नहीं है।

प्रश्न के भाग 1 में वर्णित भूमि ही भूदान यज्ञ बोर्ड को दिनांक 18-8-53 को दी गई थी। जिस समय भूतपूर्व जागीरदार ने यह भूमि भूदान यज्ञ में दान की थी उसी

(राजस्व मंत्री)

समय सरकार को सूचना प्राप्त हो गई थी।

अकलेरा तहसील में अनधिकृत कब्जे के मामले

137. **श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा** (अकलेरा): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) गत तीन वर्षों से अकलेरा तहसील में कुल कितने व्यक्तियों ने भूमि पर अनधिकृत कब्जे किये हुए हैं जिनमें वन विभाग की भूमि के कितने ट्रेसपासर्स हैं एवं राजस्व विभाग की भूमि के कितने ? आंकड़े बताने का कष्ट करें।

(2) गत 4 वर्षों में कितनी राशि पेनल्टी अथवा जुर्मानों के रूप में राज्य को प्राप्त हुई है ? आंकड़े बताने का कष्ट करें।

(3) उक्त ट्रेसपासर्स में से कितने व्यक्तियों की भूमि रेगुलेराइज की गई ? व्यक्तियों की संख्या एवं एकड़ों की संख्या बताने का कष्ट करें।

उत्तर

(1) गत तीन वर्षों में तहसील अकलेरा में 14950 व्यक्तियों ने भूमि पर अनधिकृत कब्जे किये है जिसमें से राजस्व विभाग की भूमि पर 14281 एवं वन विभाग की भूमि पर 669 व्यक्तियों का नाजायज कब्जा था।

(2) गत तीन वर्षों में राज्य को पैनल्टी अथवा जुर्माने के रूप में 2,75,614 रुपये की आय हुई है।

(3) उक्त ट्रेसपासर्स में से 1624 व्यक्तियों को 1222·78 एकड़ भूमि रेगुलराइज की हुई है।

गांव मानपुरा देवरी भूमि का आवंटन

138. **श्री जयनारायण सालोदिया** (निवाई): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) गांव मानपुरा देवरी उर्फ मीनावाला, तहसील जयपुर में सन् 1949 में श्री नारायण चतुर्वेदी को किस नम्बर में से कितनी जमीन दी गई थी ? क्या यह भी सही है कि पास ही श्री श्याम सुन्दर माथुर को भी 20 बीघा जमीन दी गयी थी ?

(2) क्या यह भी सत्य है कि श्री नारायण चतुर्वेदी ने झूठा हलफनामा देकर श्री श्याम सुन्दर माथुर की जमीन भी अपने नाम लगा ली है ? यदि हां, तो कब से ?

उत्तर

(1) ग्राम मानपुरा देवरी उर्फ मीनावाला तहसील जयपुर में सम्वत् 2008 में श्री नारायण चतुर्वेदी को खसरा नम्बर $\frac{10}{4}$ रकबा 20 बंजड़ पूला दिया जाना खसरे $\frac{1}{1}$ से प्रगट होता है। $\frac{1}{2}$

हां यह भी सत्य है की श्री नारायण चतुर्वेदी की भूमि के समीप 20 बीघा भूमि

(राजस्व मंत्री)

श्री श्याम सुन्दर पुत्र जमनालाल माथुर की थी जैसा कि खसरा सम्वत् 2008 से प्रगट है।

(2) यह नहीं कहा जा सकता कि श्री नारायण चतुर्वेदी ने झूठा हलफनामा देकर श्री श्याम सुन्दर की भूमि अपने नाम कराली। इतना सत्य जरूर है कि श्याम सुन्दर माथुर के नाम जो 20) बीघा भूमि थी वह हस्ब आदेश एस०डी०ओ० जयपुर दिनांक 27-1-53 के श्री नारायण चतुर्वेदी के नाम खसरा में अमल हुआ है।

एडिशनल मुन्सिफ मजिस्ट्रेट बीकानेर के विरुद्ध आरोप

139. **श्री रामकिशन** (बैर) : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या निम्नलिखित व्यक्तियों ने श्री पन्नेचन्द सिंघवी, एडिशनल, मुन्सिफ मजिस्ट्रट, बीकानेर पर आरोप लगाते हुए कोई हलफनामे सेशन जज, बीकानेर की अदालत में पेश किये थे :-

1. शेरसिंह, 2. पतराम, 3,मूलाराम, 4. मु. कानी, 5. धूड़राम, 6. राजेन्द्रसिंह एडवोकेट, 7. रामदास, 8. गणपतराम जेठामल ।

(2) श्री पन्नेचन्द सिंघवी के विरुद्ध इन व्यक्तियों ने क्या क्या आरोप लगाये थे ? क्या उन आरोपों की कोई जांच की गई ? क्या इन हलफनामों को सत्य मानते हुए सेशन जज, बीकानेर ने इनके मुकदमों को श्री सिंघवी की अदालत से मुन्तकिल कर दिया ?

(3) क्या पूनमसिंह वल्द मेघसिंह नामक व्यक्ति ने श्री पन्नेचन्द सिंघवी के फैसले के खिलाफ कोई रिवीजन सेशन जज, बीकानेर में की थी जिसका कि नम्बर फौजदारी 28 सन् 66 था ? क्या उक्त रिवीजन का फैसला सेशन जज ने तारीख 11-10-66 को किया था ? क्या इस फैसल में श्री सिंघवी के खिलाफ कोई रिमार्क सेशन जज महोदय ने दिये थे ? वे रिमार्क क्या थे ? सेशन जज के फैसले की एक प्रति सदन में प्रस्तुत की जावे और बताया जावे कि ऐसे निकम्मे व्यक्ति को कैसे राजस्थान प्रशासनिक सेवा में रखा जा रहा है ?

उत्तर

1. सर्व श्री शेरसिंह, पतराम, मूलाराम, मु० कानी, राजेन्द्रसिंह एडवोकेट, रामदास व जेठमल ने श्री पन्नेचन्द तत्कालीन मुंसिफ मजिस्ट्रेट बीकानेर पर आरोप लगाते हुए हलफनामें जिला न्यायालय बीकानेर के अदालत में प्रस्तुत किये थे। धूड़ाराम व गणपतराम ने कोई हलफनामें पेश किये अथवा नहीं यह संबंधित मुकदमों के विवरण के अभाव में बताना सम्भव नहीं है।

2. इन हलफनामों के आधार पर कोई जांच नहीं की गई है। इन्हें सत्य अथवा असत्य मानने के सम्बन्ध में पत्रावलियों पर कोई नोट दर्ज नहीं है। हलफनामों की नकलें साथ पेश हैं। सम्बन्धित मुकदमों में जो फैसला हुआ उसका व्यौरा संलग्न है। परिशिष्ट में अंकित है।

श्री पूनमसिंह द्वारा निगरानी फौजदारी नं० 28/66 पूनमसिंह बनाम सरकार पेश की गई थी जिसका निर्णय तारीख 11-10-66

(विधि मन्त्री)

को जिला न्यायाधीश द्वारा किया गया। निर्णय की एक प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण राजस्थान विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई है)

ग्राम सादड़ी में बिजली के कनेक्शन

140. श्री फूलचन्द बाफणा (सुमेरपुर): क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) तारीख 1-4-67 से तारीख 31-3-69 तक सादड़ी (पाली) से टेम्परेरी कनेक्शन किस किस ने मांगे और उनमे से किस किस को दिया गया ? इन कनेक्शनों में से प्रत्येक के बिल नम्बर, बिल की तारीख व बिल की रकम का विवरण सदन के पटल पर रखा जावे।

(2) तारीख 1-4-67 से तारीख 31-3-69 तक सादड़ी (पाली) से डोमेस्टिक स्माल पावर के कनेक्शन हेतु किस किस तारीख को किस किस के आवेदन-पत्र जमा हुए ? इनमें से प्रत्येक को डिमाण्ड नोटिस किस किस तारीख को दिये गये और किस किस को कनेक्शन कब कब दिये गये ?

उत्तर

नौ व्यक्तियों ने प्रार्थना-पत्र दिये थे जिनमें से आठ को कनेक्शन दिये गये थे। विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

तारीख 1-4-69 से तारीख 31-3-69 तक सादड़ी (पाली) से डोमेस्टिक स्माल पावर के कनेक्शन हेतु चार आवेदन पत्र जमा हुए जिनका विवरण निम्नलिखित है:—

1. श्री मोहनलाल शंकरलाल का आवेदन पत्र 13-6-68 को जमा हुआ, उनको डिमान्ड नोटिस तारीख 14-6-68 को दिया गया व कनेक्शन 17-6-68 को हुआ।

2. श्री मूलचन्द ताराचन्द का आवेदन पत्र दिनांक 16-5-68 को जमा हुआ, डिमान्ड नोटिस 5-10-68 को और कनेक्शन 9-10-68 को दिया गया।

3. श्री ललितकुमार छोगामल का आवेदन पत्र 5-8-68 को जमा हुआ, डिमान्ड नोटिस 4-3-70 को दिया गया।

4. श्री शान्ता धनराज पूनमिया का आवेदन पत्र 6-2-69 को जमा हुआ और डिमान्ड नोटिस 4-3-70 को किया गया।

(कृपया परिशिष्ट 8 देखिये)

केकड़ी तहसील के ग्रामों में बिजली

141. श्री देवीलाल बुरासिया (केकड़ी सु.): क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(1) क्या यह सही है कि केकड़ी तहसील के ग्राम, लसाड़िया, बघेरा, जूनियां, कालडा, बास्टा और सुन्दरपुरा के काश्तकारों ने अपने कुओं पर बिजली लगाने हेतु प्रार्थना-पत्र पेश किए और उक्त स्कीम सरकार के विचाराधीन है ?

(2) क्या यह सही है कि पंचायत समिति केकड़ी और जिला परिषद् अजमेर ने उक्त ग्रामों में बिजली देने हेतु सरकार से सिफारिश की थी ?

(देवीलाल बुरासिया)

(3) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई और क्या राज्य सरकार उनको इस साल बिजली देगी ?

उत्तर

निर्धारित नियमानुसार प्रार्थना-पत्र प्राप्त नहीं हुए हैं तथा कोई स्कीम विचाराधीन नहीं है।

जिला परिषद् ने उक्त ग्रामों में से केवल लसाडिया, बघेरा एवं कालेडा के विद्युतिकरण की सिफारिश की थी।

उक्त तीनों में से ग्राम लसाडिया को विद्युतिकरण हेतु स्वीकृत किया जा चुका है।

केकड़ी विधान सभा क्षेत्र से बिजली के लिये आवेदन-पत्र

142. **श्री देवीलाल बुरासिया (केकड़ी)** : क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) केकड़ी विधान सभा क्षेत्र से सन् 1961 के पश्चात् किस किस ग्राम से किस किस काश्तकार ने कब कब बिजली लेने हेतु आवेदन-पत्र पेश किए ? पूर्ण विवरण नाम ग्राम व तारीखवार सूची सदन में रखें।

(2) उक्त आवेदन-पत्रों पर क्या क्या कार्यवाही की गई ? उन्हें कनेक्शन दे दिया गया या नहीं ?

(3) कितने काश्तकारों को कनेक्शन किस बेसिस पर दिया गया ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) जिन काश्तकारों को कनेक्शन नहीं दिया इसके क्या कारण हैं ? कारण सहित नाम व ग्राम वार सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) केकड़ी विधान सभा क्षेत्र में से केकड़ी व सरवाड़ ग्रामों में से कुल 40 काश्तकारों के प्रार्थना-पत्र आये जिनका पूर्ण विवरण सूची 'ए' 'बी' व 'सी' में सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) 13 काश्तकारों को कनेक्शन्स दे दिये गये हैं (सूची) 'ए' 10 काश्तकारों को कनेक्शन्स नहीं दिए गए हैं, क्योंकि 4 काश्तकारों ने एल फार्म, अभी तक नहीं दिए और 6 काश्तकारों की अर्जियें, 15-1-70 को आई हैं जिन पर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है (सूची 'बी') 17 काश्तकारों की अर्जियें केन्सिल कर दी गई हैं जिनकी सूची 'सी' कारण बताते हुए सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) कनेक्शन दिये गये काश्तकारों की सूची 'ए' संलग्न है। कनेक्शन पूंजीगत लागत पर कम से कम 15 प्रतिशत रिटर्न के आधार पर दिये गये हैं।

(4) जिन काश्तकारों को कनेक्शन्स नहीं दिये गये उनकी अर्जियें या तो कैन्सिल कर दी गई या उन पर कार्यवाही हो रही है, जैसा कि सूची 'बी' व 'सी' से विदित होगा।

(सूची विस्तृत होने के कारण राजस्थान विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई है)

जिला सवाई माधोपुर के गांवों में बिजली

143. **श्री श्रवणलाल** (हिन्डौन) : क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला सवाई माधोपुर के कितने ग्राम में चालू वर्ष में बिजली पहुंचाये जाने की योजना है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उपरोक्त योजना के अनुसार अब तक कितने ग्रामों में बिजली पहुंचाई जा चुकी है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) 24 ग्रामों में।

सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) उपरोक्त योजना के अनुसार इस वर्ष में 7 ग्रामों में बिजली पहुंचाई जा चुकी है। सूची सदन की मेज पर रख दा गई है।

(कृपया परिशिष्ट 9 देखिये)

खेड़ा रसूलपुर में बिजली

144. **श्री बृजवल्लभ बोहरा** (दीगोद): क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या खेड़ा रसूलपुर में बिजली मन्जूर हुई है ? यदि हां, तो यह कार्य कब शुरू किया जावेगा तथा विलम्ब के क्या कारण हैं ?

उत्तर

केवल रसूलपुर फरवरी, 70 में स्वीकृत हुआ है। कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। विलम्ब का प्रश्न नहीं उठता है।

टोंक जिले के बिजली विभाग के कर्मचारियों की मांग

145. **श्री जयनारायण सालोदिया** (निवाई) : क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सत्य है कि सन् 69 में टोंक जिले के बिजली कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर आन्दोलन व भूख हड़ताल की थी ? यदि हां, तो कब से कब तक कितने कर्मचारी भूख हड़ताल पर बैठे थे ?

(2) उपरोक्त कर्मचारियों की क्या मांगें थी तथा इन मांगों को कर्मचारियों ने अधिकारियों के सामने कब रखा था ?

(3) यह आन्दोलन कब समाप्त हुआ तथा कर्मचारियों की क्या क्या मांगें मन्जूर की गई व किस किस के सम्बन्ध में क्या आश्वासन दिया गया ?

उत्तर

(1) जी हां, सात कर्मचारियों ने दिनांक 18-11-69 से 28-11-69 तक भूख हड़ताल में भाग लिया। तथा एक सेवा-निवृत्त व्यक्ति भी भूख-हड़ताल पर बैठा था।

(2) यह पैंडिग क्लेम्स, फिक्सेशन, स्थानान्तरण, वेतन वृद्धि आदि व्यक्तिगत शिकायतों को लेकर की गई थी, जिसे 29-10-69 को भूख हड़ताल नोटिस के

(विद्युत मन्त्री)

रूप में सहायक अभियन्ता राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल, टोंक के समक्ष पेश किया था।

(3) भूख हड़ताल 28-11-69 को बिना शर्त समाप्त कर दी गई थी और उन्हें कोई आश्वासन नहीं दिया गया था।

तहसील लाडपुरा में भूमि के बेचान एवं खरीद के विरुद्ध कार्यवाही

146. श्री कृष्ण कुमार गोयल (कोटा) : क्या उपनिवेशन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि तहसील लाडपुरा में भूमि बेचान व खरीद के सम्बन्ध में कुछ व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही चल रही है ?

(2) अगर हां, तो उनके नाम व सम्बन्धित भूमि का विवरण देने का कष्ट करें।

(3) उपरोक्त कार्यवाही किन किन स्तरों पर चल रही है ?

(स्थगित किया गया)

सन् 1968-69 में खोदे गये नल कूप

147. श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य के किस किस जिले के गांव में सन् 1968-69 में ट्यूब वैल (नलकूप) खोदे गये ? ग्राम-वाईज सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) इनमें से कितने ट्यूब वैल इस समय चालू हैं कितने बेकार पड़े हैं ? क्या सरकार बेकार पड़े नल कूपों को तुरन्त चालू करवाने का विचार रखती है ? यदि हां तो कब तक ?

उत्तर

(1) सन् 1968-69 में राज्य के विभिन्न जिलों में बनाये गये नलकूपों की ग्रामवार सूची संलग्न की जा रही है।

(2) उपरोक्त नलकूपों में से 46 नल कूप जो अकाल सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत बनाये गये थे उनमें से 44 नलकूप चालू कर दिये गये हैं। शेष दो नलकूप उपयुक्त पम्प आने पर चालू कर दिये जायेंगे। इनके अतिरिक्त चार राजकीय नलकूप भरतपुर जिले में बनाए गये जिन्हें चालू किये जाने की कार्यवाही की जा रही है। इन नलकूपों के अतिरिक्त शेष नलकूप अन्य राजकीय एवं निजी संस्थानों के लिये बनाए गये, तथा वे नलकूप उन्हीं के द्वारा चलाए जाते हैं। फिर भी जहां तक जानकारी है वे सभी नलकूप चालू हालत में है।

(सूची विस्तृत होने के कारण राजस्थान विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

उद्योगों से रायल्टी की वसूली

148. श्री केशरीसिंह हाडा (हिन्डोली) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान में कितने और कहां पर ऐसे उद्योग हैं जिनसे रायल्टी वसूली होती है ?

(2) कितने उद्योग ऐसे हैं जिनसे सेल्स टैक्स वसूल किया जाता है और अलग २ कितनी वसूली होती है ?

उत्तर

(1) उद्योग विभाग द्वारा किसी भी उद्योग से कोई रायल्टी वसूल नहीं होती है।

(2) जिन निर्माताओं का टर्नओवर 5000/-रु० (पांच हजार रुपये) वार्षिक से अधिक है बिक्री कर देय है। इन निर्माताओं (इण्डस्ट्रीज) की संख्या हजारों में है अतः इन सब की लिस्ट तैयार कराना बहुत कठिन है।

इन्सपेक्टर वेट्स एण्ड मेजर्स पाली की बकाया राशि

149. श्री पृथ्वीसिंह (बाली) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) श्री कृष्ण मोहन शर्मा, इन्सपेक्टर वेट्स एण्ड मेजर्स पाली की कुल सर्विस कितनी है ?

(2) क्या यह सही है कि उनका सर्विस रिकार्ड कम्पलीट नहीं होने से उनका पे-फिक्सेशन नहीं हो पाया है, और इसी कारण से वे ड्यू इन्क्रीमेन्ट एवं रिवाइज्ड पे-स्केल के भुगतान से वंचित रहे हैं ?

(3) यदि हां, तो इस कारण से उनको कितनी आर्थिक एवं मानसिक हानि हुई है और उसके लिये कौन जिम्मेवार है ?

(4) क्या सरकार ऐसी लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

(स्थगित किया गया)

जिला सवाई माधोपुर में खानों के ठेके

150. श्री चुन्नीलाल जेलिया (खण्डार) : क्या खनिज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) जिला सवाई माधोपुर में किस २ ठेकेदार को कितने कितने वर्ष का खान का ठेका दिया गया है ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) इन ठेकेदारों से कितना पैसा एडवान्स लिया जाता है और बकाया राशि किस शर्त पर वसूल की जाती है ?

(3) ऐसे कितने ठेकेदार हैं जिनमें पहले की बकाया रकम है ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

(1) सूची संलग्न है।

(2) खनन पट्टा स्वीकृत करने से पूर्व ठेके की राशि की चौथान किस्त व चौथान जमानत के रूप में ली जाती है अगर वार्षिक भाटक रु० 1000 से कम है तो पूरा मृतक भाटक अग्रिम जमा कराया जाते हैं रु० 1000-00 से ज्यादा खनन पट्टों में चार बराबर की किस्तों में वसूल किया जाता है और साल के अन्त में अधिशुल्क निर्धारण किये जाने पर अधिक रायल्टी अगर बनती है वह वसूल की जाती है। बकाया रहने पर लैन्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत वसूल की जाती है प्रधान खनिज के खनन पट्टा में रु० 1000-00 जमानत के व दो बराबर की किस्तों में डेडरेन्ट तथा रायल्टी बनने पर पार्टी द्वारा जमा न कराने पर लैन्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत वसूल किया जाता है।

सूची संलग्न है।

(सूची विस्तृत होने के कारण राजस्थान विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

क्रय विक्रय समिति लाडनूं

151. **श्री हरजीराम बुरडक** (लाडनूं): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) क्रय विक्रय समिति लाडनूं में अब तक व्यवस्थापक के पद पर किस किस व्यक्ति ने कार्य किया और उनको कितना रुपया वेतन व भत्ते के रूप में किस हिसाब से दिया गया ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह भी सत्य है कि इस पद पर जो भी व्यक्ति रहे वह राज्य सेवा व स्थानीय संस्था आदि की सेवाओं में थे ? यदि हां, तो उन्हें सम्बन्धित अधिकारी की स्वीकृति इस कार्य की कब मिल गई थी ?

(स्थगित किया गया)

नागौर सेन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक लि० की जीप

152. **श्री रामसिंह कुड़ी** (जायल): क्या सहकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) क्या नागौर सेन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड नागौर की खुद की जीप मोटर है ? यदि हां, तो वह जीप कब व कितने रुपये में खरीदी गई तथा उसका रजिस्ट्रेशन कब हुआ ?

(2) नागौर सैन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड की जीप गाड़ी किस किस मास में कितने कितने मील बैंक के कार्य से चली है एवं उस पर तेल, पेट्रोल, मरम्मत व ड्राइवर पर शुरू से लेकर तारीख 31-12-1969 तक प्रत्येक मास में कितना कितना खर्च हुआ ? व्यय का ब्यौरा प्रत्येक महीने का सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(स्थगित किया गया)

वन श्रमिक सहकारी संघ

153. **श्री देवीदत्त गाडिया** (बारां): क्या सहकारी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) राजस्थान वन श्रमिक सहकारी संघ में सदस्य संख्या सोसायटीज तथा सरकारी व गैर सरकारी व्यक्तियों की कुल कितनी है तथा कौन कौन पदाधिकारी हैं ? सूची सदन को मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) राजस्थान वन श्रमिक सहकारी संघ की सदस्यता शुल्क कितनी है और किस किस सोसायटी ने कितने कितने रुपयों के हिस्से खरीद किए तथा सरकारी हिस्सा पूंजी कितनी है ? सोसायटीज के प्रतिनिधि कौन कौन व्यक्ति किस किस पद के हैं ? सदस्य बनाने की नियमावली सहित सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) उक्त संघ के गत 5 वर्षों के आय-व्यय के हिसाब की सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(4) उक्त संघ का गठन किस उद्देश्य से किया गया ? इसका प्रधान कार्यालय व शाखा कार्यालय कहां कहां पर है और उन पर प्रतिवर्ष कितना कितना खर्चा होता है?

उत्तर

1—राजस्थान वन श्रमिक सहकारी संघ लि० जयपुर में कुल 102 सदस्य निम्न प्रकार हैः—

समितियां प्राथमिक	96
अन्य संस्थायें	1
व्यक्तिगत	4
सरकार	1
	102

सदस्यों की सूची (परिशिष्ट 'क') संलग्न है। पदाधिकारियों की सूची परिशिष्ट ('ब') संलग्न है।

2—राजस्थान वन श्रमिक कर्मचारी संघ का प्रवेश शुल्क रु० 5) है तथा एक हिस्सा खरीदना अनिवार्य है। एक हिस्से का मूल्य रु० 100) है। फिर इस समिति में जितने जितने रुपयों के हिस्से खरीदे हैं उसकी सूची परिशिष्ट 'क' के कालम के 5 में अंकित है। सदस्य हिस्सा पूंजी 1,50,000) तक है। सदस्य समितियों के प्रतिनिधि समय समय पर बदलते रहते हैं जिनके नाम वार्षिक साधारण सभा के अवसर पर श्रमिक संघ को प्राप्त होते हैं। मई 69-70 की साधारण सभा के अवसर पर केवल 28 सदस्य समितियों के प्रतिनिधियों के नाम प्राप्त हुए थे। जिनकी सूची परिशिष्ट ('ग') संलग्न है। सदस्य सम्बन्धी नियमावली (परिशिष्ट 'घ') संलग्न है।

3—संघ के गत 5 वर्षों की आय व्यय की सूची (परिशिष्ट 'ग') संलग्न है।

4—संघ जिन उद्देश्यों के लिये गठित किया गया था उसका विवरण (परिशिष्ट 'ङ') संलग्न है। इसका प्रधान कार्यालय जयपुर तथा बिक्री कार्यालय उदयपुर बारां प्रतापगढ़, फालना, अलवर, आबू रोड और पीपलोद है जिन पर यह राशि खर्ची है जो खर्च हुआ है उसका विवरण (परिशिष्ट 'घ') संलग्न है।

(सूची विस्तृत होने के कारण राजस्थान विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

लेखाधिकारी द्वारा पाली प्रसार केन्द्र की जांच

154. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं) : क्या पशु-पालन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगेः—

(1) क्या यह सत्य है कि निदेशक भेड व ऊन राजस्थान ने नवम्बर, 1969 के पहिले या दूसरे सप्ताह में एक शिकायत की जांच करने के लिए निदेशालय के लेखाधिकारी को पाली प्रसार केन्द्र पर भेजा था ?

(2) उक्त रिपोर्ट लेखाधिकारी ने निदेशालय को कब दी और उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई तथा उक्त रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

1— जी हां।

2—लेखाधिकारी ने जांच रिपोर्ट निदेशालय में 12-11-1969 को प्रस्तुत कर दी।

(पशुपालन मन्त्री)

चूंकि जांच पर अन्तिम रूप से निर्णय नहीं लिया गया है इसलिए रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखने का प्रश्न ही नहीं उठता। दिनांक 7-12-69 को सहायक लेखाधिकारी को पुन: प्रारम्भिक जांच करने भेजा जिन्होंने कि 9-12-1969 तक जांच की और अपनी रिपोर्ट निदेशालय में 26-12-69 को प्रस्तुत कर दी। जिसके सन्दर्भ में अग्रिम जांच हेतु सम्बन्धित अधिकारियों व कर्मचारियों से स्पष्टीकरण चाहे थे जो कि प्राप्त हो चुके हैं और उनका विश्लेषण किया जा रहा है।

अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय जांच

155. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं): क्या पशु पालन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

भेड़ व ऊन विभाग के किस किस अधिकारी के खिलाफ विभागीय जांच किन किन मामलों में कब कब से चल रही है और उन पर क्या क्या आरोप लगाये गये हैं? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(स्थगित किया गया)

शरणार्थियों को सहायता

156. **श्री वृद्धिचन्द्र जैन** (बाड़मेर) : क्या पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) क्या यह सही है कि भारत-पाक युद्ध के बाद में पाकिस्तान से आकर सीमावर्ती क्षेत्र में बसे हुए शरणार्थियों को नकदी सहायता दी गई? यदि हां, तो वह कितने समय तक दी गई?

(2) क्या यह सही है कि बाड़मेर जिले के ग्राम मीठडाड के 14 परिवार सोमडार के 19 परिवार, गुमाने के तले के 15 परिवार व केलनोर के लोगों को चार माह की नकद सहायता अभी तक प्राप्त नहीं हुई?

(3) क्या राज्य सरकार इस साल उन्हें इनकी बकाया नकदी सहायता देने की व्यवस्था करेगी?

उत्तर

(1) जी हां। नकद सहायता 30-9-66 तक दी गई।

(2) जी नहीं। कुछ ग्राम मीठडाड, सोमडार, गुमान के तले व केलनोर के लोगों को 4 माह को नकद सहायता दी जा चुकी है।

(3) चूंकि कोई राशि बकाया नहीं है, इसलिये प्रश्न नहीं उठता।

(12.07 म. प.)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहता हूं कि आज निम्नांकित प्रस्तावों की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं।

श्री किशनलाल वर्मा एवं श्री कल्याणमल मीना, सदस्य, विधान सभा ने अपने स्थगन प्रस्ताव में यह कहा कि दिनांक 12 जनवरी, 1970 को मु० सोनी निवासी ग्राम मिरजापुर तहसील लालसोट के आपसी झगड़े में चोट आने के कारण उसकी दिनांक 16 जनवरी, 1970 को मृत्यु हो गई। स्थानीय डाक्टर व पुलिस द्वारा इस मामले को दवा दिया जाना भी बतलाया गया है।

(श्री अध्यक्ष)

एक अन्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना श्री नन्दलाल, श्री देवीदत्त गाड़िया व श्री महेन्द्र-सिंह सदस्य विधान सभा से प्राप्त हुई है जिसमें दिनांक 29 फरवरी, 1970 को ग्राम अकन्या तहसील अटरू जिला कोटा में पुलिस इन्सपेक्टर छबड़ा द्वारा मृतक श्री गोपीलाल की बेवा पत्नी से रुपया मांगने व रुपया न देने की स्थिति में उसके साथ बुरी हरकत करना बतलाया है।

इन दोनों मामलों में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है। जानकारी मिलने पर इन पर निर्णय लिया जाकर मैं माननीय सदस्यों को यथाशीघ्र सूचित कर दूंगा।

इनके अतिरिक्त और भी स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं मिली हैं जो इस प्रकार है :

श्री रामचन्द्र आर्य, सदस्य विधान सभा ने गंगानगर जिले के कई गांवों में दिनांक 9 मार्च 1970 को ओलावृष्टि से रबी की फसल में हुई क्षति के बारे में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। इस विषय में कल ही सम्बन्धित मन्त्री महोदय द्वारा वक्तव्य दिया जा चुका है। इस विषय को बजट पर सामान्य वाद विवाद अथवा सम्बन्धित मांग पर चर्चा के दौरान भी उठाया जा सकता है।

श्री मनोहरसिंह मेहता, सदस्य विधान सभा ने अपने स्थगन प्रस्ताव में मांडल तहसील के फलासिया गांव के एक बुड्ढे व्यक्ति को उसके लड़के के कत्ल के शुबह में पकड़ कर उसके साथ अभद्र व्यवहार करने का उल्लेख किया है। साथ में यह भी बतलाया है कि उच्च अधिकारियों को इसकी जानकारी मिलने पर तफतीश की कार्यवाही दूसरे अधिकारियों को सौंपी गई जिसके बाद कातिल को पकड़ लिया गया।

श्री बालसिंह सोढ़ा, श्री गोरधन सोनी, श्री आईदानसिंह व श्री पृथ्वीसिंह सदस्य विधान सभा ने जिस स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है उसमें 5/6 वर्ष से जैसलमेर जिला में फील्ड फाइरिंग के कारण 36 गांव प्रभावित होने तथा उन गांवों को खाली कराये जाने से उत्पन्न स्थिति का उल्लेख किया है। यह मामला कई वर्षों से चल रहा है और इसलिए अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं है।

जैसा माननीय सदस्यों को विदित है कि आज व कल बजट पर सामन्य चर्चा होगी तथा सोमवार से अनुदानों की मांगों पर विचार होगा। बजट पर वाद विवाद के दौरान सम्बन्धित माननीय सदस्यों को इन विषयों पर भी अपने विचार व्यक्त करने का अवसर प्राप्त हो सकेगा। ऐसी स्थिति में मैं इन स्थगन प्रस्तावों को सदन में प्रस्तुत किए जाने की अनुमति देने में असमर्थ हूं।

मन्त्री महोदय द्वारा वक्तव्य।

वक्तव्य देने से पहले मैं माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहूंगा कि मुख्य मन्त्री 3 बजे गंगानगर के प्रश्न पर अपना एक स्टेटमेंट देंगे।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : आज नहीं दूंगा।

श्री अध्यक्ष : कल।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : कल या जब प्रोपर स्टेज आवेगी । I will let you know.

श्री अध्यक्ष : ठीक है ।

केशोराय सहकारी शुगर मिल्स के बन्द हो जाने से सम्बन्धित प्रश्न पर सहकारिता मन्त्री एक वक्तव्य देंगे ।

श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : मैंने एक प्रस्ताव रखा है । ओलावृष्टि से वहां बहुत बड़ा नुकसान हुआ है । सरकार कलेक्टर से जल्दी रिपोर्ट मंगाएं । दूसरा मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि गंगानगर से सत्याग्रहियों का एक जत्था रेल में चल कर मुख्य मन्त्रीजी से मिलने जयपुर आया है जो नीचे प्रदर्शन कर रहा है । मैं मुख्य मन्त्रीजी से निवेदन करूंगा कि वे नीचे जाकर सत्याग्रहियों को आश्वासन दें कि वार्त्तालाप चल रही है, उसमें उनकी बातें मानी जावेंगी ताकि वे आश्वस्त होकर वापिस चले जावें ।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : सत्याग्रही दूर से चल कर आये हैं, मुख्य मन्त्री को उनको आश्वासन देना चाहिए । अब तक तो वे उनको पकड़ते थे या फिर छोड़ देते थे या पीट पाट कर भगा देते थे । पर अब तो वे स्वयं चलाकर यहां आये हैं । फिर आजकल आपकी बात भी चल रही है इसलिए निश्चित रूप से उनको आश्वस्त करना चाहिये । वे सदन के दरवाजे के सामने खड़े हैं । उनको उत्सुकता भी है और उद्विग्न भी हैं वे । उनको निश्चित रूप से मुख्य मन्त्री को मिलकर आश्वस्त करना चाहिए ।

श्री अमृतलाल यादव : अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार तथा श्री केशोरायपाटन सहकारी शुगर मिल्स लिमिटेड के संचालक मण्डल द्वारा हर सम्भव प्रयत्न किया गया कि इस मिल का शुभारम्भ यथाशीघ्र हो जावे ।

श्री रामचन्द्र आर्य : क्या हम यह समझें कि मुख्य मन्त्री इस बात को मानने को तैयार नहीं हैं, वे उठ कर जा रहे हैं । जब गंगानगर के सत्याग्रही चलकर यहां आये हैं तो आश्वासन देना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, प्लीज़ । आप स्थान ग्रहण करें । आरम्भ रखिये मन्त्रीजी ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : प्रारम्भ से पढ़िये । हमने सुना नहीं ।

श्री रामचन्द्र आर्य : अध्यक्ष महोदय, अगर मुख्य मंत्री नहीं जाना चाहते तो किसी और मन्त्री को भेज दिया जावे ।

श्री अध्यक्ष : अभी देख लेगें । स्टेटमेंट तो होने दीजिये ।

श्री रामचन्द्र आर्य : अब वे जाने को तैयार नहीं है । मुख्य मंत्री चले गये । वे सामने आकर कहना नहीं चाहते । दूसरे मन्त्री को भेज दें । किसी को भेजना चाहिये ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : माननीय मन्त्री जी, स्पष्टतया सुनाई नहीं दिया । वापिस पढ़ दीजिये ।

श्री अध्यक्ष : वापिस पढ़ दीजिये प्रारंभ से ।

श्री अध्यक्ष : सुनाई नहीं दिया वापस पढ़ें ।

शासकीय वक्तव्य-केशोराय सहकारी शुगर मिल संबंधी

श्री अमृतलाल यादव (सहकारिता मन्त्री) : राज्य सरकार तथा श्री केशोराय-पाटन सहकारी शुगर मिल्स लिमिटेड के संचालक मण्डल द्वारा हर संभव प्रयत्न किया गया कि इस मिल का शुभारंभ यथा-शीघ्र हो जावे। मिल के निर्माण की प्रगति के संबंध में विस्तृत रूप से पुनरावलोकन व विचार विमर्श नियमित रूप से हर थोड़े समय पर किया जाता रहा। कठिनाई यह थी कि यद्यपि मिल को मशीनरी सप्लाई करने तथा इसे लगाने का ठेका एक विश्वसनीय फर्म मेसर्स बुकाऊ उल्फ न्यू इण्डिया इन्जनियरिंग वर्क्स लिमिटेड, पिरी, पूना, को दिया गया था तथापि इन कार्यों हेतु संबंधित फर्म के प्रयत्नों पर ही काफी हद तक निर्भर रहना पड़ा। फर्म के अभियंताओं व प्रतिनिधिओं से लगातार संपर्क होता रहा परन्तु उनकी भी कुछ कठिनाइयां थीं। इसके अतिरिक्त कई स्रोतों से स्टोर व कल पुर्जे एकत्रित करने पड़े और कुछ सप्लायर्स, जिनको ठेका दिया गया, कई अपरिहार्य कारणों से समय पर माल नहीं पहुंचा सके। कई मौकों पर मिल के प्रतिनिधि को भेज कर भी माल शीघ्र मंगवाने की विशेष व्यस्थाएं की गईं। इस मिल की स्थापना हेतु राज्य सरकार ने सीधी हिस्सा पूंजी में पर्याप्त योगदान देने के अतिरिक्त वित्तीय संस्थाओं से समय पर पर्याप्त मात्रा में ऋण दिलाने की भी विशेष चेष्टायें कीं, जिससे मिल के शीघ्र निर्माण होने में किसी प्रकार आर्थिक कठिनाई न आये।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट होगा कि राज्य सरकार तथा मिल के संचालक मण्डल द्वारा हर संभव प्रयत्न यह किया गया कि मिल इस सीजन में चालू हो जाये और इस क्षेत्र के कृषकगणों द्वारा जो गन्ना उगाया गया है उसे अधिक से अधिक मात्रा में मिल खरीद सके। इन प्रयत्नों के फलस्वरूप मिल का 22-2-70 को शुभारंभ हो सका। अब यह प्रयत्न किया जा रहा है कि मिल को अधिक से अधिक समय चला कर इस वर्ष पर्याप्त मात्रा में गन्ना पेला जाय। इसके अतिरिक्त गन्ना उगाने वाले कृषकों के हित तथा मिल के कार्यारंभ में कुछ विलंब को दृष्टिगत रखते हुए स्थानीय खांडसारी मिलों को गन्ना देने तथा गुड़ बनाने के संबंध में किसी प्रकार की रोक टोक नहीं की गई है।

मिल के कुछ समय के लिए चालू हो जाने के पश्चात् बन्द रहने के कारण उसके कल पुरजों में कुछ अस्थाई कठिनाई थी जिसे प्राथमिकता के आधार पर दुरुस्त किया गया। मशीन के टरबाइन में कुछ खराबी हो गई थी व एक मोटर भी खराब हो गई थी। टरबाइन को ठीक करने में चार दिन लग गये व मोटर बाहर से मंगवाने का प्रबन्ध करना पड़ा क्योंकि जैसी मोटर चाहिए थी वह राजस्थान में व दिल्ली में भी नहीं मिल सकी। अब चंबल प्रोजेक्ट से कुछ समय के लिए मोटर मंगवाई गई है ताकि काम इस वजह से न रुके। एक बायलर की भी जांच की जा रही है। यह मोटर लग जाये और बॉयलर की जांच हो जाय तो भरोसे के साथ काम सामान्य रूप से चल जायेगा, ऐसी आशा है। दिनांक 6 मार्च 1970 से एक बॉयलर से काम चलाया जा रहा है, जब कि मिल को पूरी तौर पर चलाने के लिए दोनों बॉयलर एक साथ चलने चाहिए।

(श्री अमृतलाल यादव)

गन्ने की खरीद में जो अस्थाई रुकावटें आई हैं वह इस प्रकार जल्दी ही दूर हो जावेंगी। हम इस ओर पूरी चेतना से काम कर रहे हैं कि किसानों को इस वजह से होने वाली असुविधा का अन्त हो। ट्रायल का समय करीब एक महीने का ऐसी मिलों में होता है, पर सीजन समाप्त न हो जाये इसलिए किसानों की दिक्कतों को ध्यान में रख कर ही मिल जल्दी चालू की है। जो कुछ मुश्किल आई है वह अस्थायी है और बहुत जल्दी हल हो जावेगी।

ऐसे बड़े कारखाने को चलाने में बिजली पानी व यातायात के साधनों की परम आवश्यकता रहती है। काम चलाऊ सड़क बन गई है। पानी की आवश्यकता के लिये मिल का अपना ट्यूब वेल चालू हो गया है व बिजली की समुचित व्यवस्था हो गई है। अब शक्कर बननी शुरू हो गई है।

मिल केवल 5 मार्च से 8 मार्च तक इस कारण से बन्द रही कि मिल के प्रारंभ के पश्चात् इसका परीक्षण किया जाय कि कल पुर्जे सही रूप से कार्य कर रहे हैं। यह कोई आसाधारण बात नहीं है। वैसे मिल को कम से कम समय के लिए बन्द रखने की चेष्टा की गई जिसके फलस्वरूप तीन चार दिन के अंदर चालू की जा सके।

इसके अतिरिक्त, माननीय अध्यक्षजी, मैंने सवेरे लेटेस्ट इन्फरमेशन मंगाई है। वहां पर उनकी एक मोटर जल गयी थी, वह नहीं मिल सकती थी। इसके कारण काम में व्यवधान पैदा हुआ लेकिन माननीय सदस्य को मुझे यह सूचना देते हुए खुशी होती है कि मोटर का प्रबन्ध कर लिया गया है और आज शाम तक मोटर लगा दी जायगी और वह शाम को पुनः चालू हो जायगी।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : मैं जानना चाहूंगा कि जो शुगर मिल है इसकी कैपेसिटी प्रति दिन कितनी है ?

श्री अमृतलाल यादव : 1-2 1/2 हजार टन।

श्री कृष्णकुमार गोयल : तो क्या पूरी कैपेसिटी पर मिल काम कर रही है ? अभी तक मिल ने कितना उत्पादन किया है ? क्या 24 घंटे यह चल रही है ? आपने बताया कि 5 से 8 तारीख तक बंद रही। क्या यह मिल की हालत रही कि 22 तारीख से लेकर आज तक कभी भी 24 घंटे काम नहीं किया ? 22 फरवरी को इसका उद्घाटन हुआ, उसके बाद इससे उत्पादन नहीं हुआ। उसके बाद 25 तारीख को मिल चली। उसके बाद 26 तारीख को वापस बंद हो गई। 28 को फिर चालू की गई। 28 के बाद एक दिन के लिए फिर चालू हुई। उसके बाद लगातार बंद हो गई, क्या यह सही है ?

श्री अमृतलाल यादव : जहां कहीं किसी जगह शुगर मिल की स्थापना हुई उस मिल के लिए लगभग महीना 20 दिन उसका ट्रायल पीरियड होता है, उस मशीनरी को सेट राइट करने के लिए, उसमें कोई डिफेक्ट्स हो तो। इस मिल का उद्घाटन 22 तारीख को हुआ और 25 तारीख तक चली। बीच २ में किन्हीं कारण से वह बंद हुई लेकिन उसको टेक्नीशियन्स ने, इंजीनीयर्स ने चलाने के लिए

(श्री अमृतलाल यादव)

पूरा पूरा प्रयत्न किया और उसके अंदर जहां टर्बाइन में अगर खराबी हो जाती है तो उसे दूर करने में एक दो दिन लग सकते है। इसी तरह से मोटर जल जाती है तो तुरन्त रिप्लेस करना संभव नहीं हो सकता, उसका इंतजाम होता है। इंतजाम किया गया है। तो अभी 22 फरवरी से आज हम यहां 13 मार्च की बात करते हैं। इस बीच में किन कारणों से किसी भी मिल से आप मालूम करें कम से कम माह भर तो ट्रायल पीरियड होता है और उस समय में मिल फुल कैपेसिटी में नहीं चल सकती है। इस लिए मिल की मशीनरी सेट राइट करने के लिए जो प्रयत्न किए जा रहे हैं कि वहां अधिक से अधिक सुविधायें बढ़ाई जा सकें, लेटेस्ट मिल लगाई जाय और उसको अच्छी लायबल फर्म से लगवाया जाय।

श्री कृष्णकुमार गोयल : सहकारी क्षेत्र के अन्दर मिल चले, उससे अधिक से अधिक उत्पादन हो, इस बात के लिए हम गंभीर हैं। लेकिन जब से मिल चालू हुई शायद मंत्रीजी ने स्पष्ट शब्दों में नहीं कहा है, कुछ घंटों के लिए ....

श्री अमृतलाल यादव : यह सही नहीं है, 90 बोरी चीनी निकल चुकी है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : वह कितनी सी होती है ? इसका मतलब ...

श्री अमृतलाल यादव : आपने कहा था कि कुछ भी उत्पादन नहीं हुआ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : 90 बोरी के उत्पादन को सहकारी मंत्री कहते हैं कि बहुत अधिक उत्पादन हो गया। 22 तारीख से उत्पादन प्रारंभ हुआ है और आज तक स्थिति यह है कि कुछ घंटों के लिए चली है 3-3 व 4-4 दिन लगातार उत्पादन बंद रहता है। मुझे विश्वास नहीं कि आप कहते हैं कि 8 तारीख को मोटर जल गयी। वह नही है। टरबाइन जल गया है। टरबाइन के अंदर रस का पानी भर गया वैकुम टैंक के अंदर लीकेज करने से सारा रस चला गया और टरबाइन बेकार हो गया। शुगर मिल ने स्वयं 5-4 लाख रुपया का गन्ना खरीदा था, वह गन्ना इस फैक्ट्री के बंद होने के कारण सूख गया। एक ओर गन्ना फैक्ट्री को नुकसान हुआ, दूसरा किसान जो नवम्बर से इंतजार कर रहे थे.......

श्री अध्यक्ष : प्रश्न पूछिए।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही है कि 22 फरवरी से फैक्ट्री के चालू हो जाने के बाद लगभग 3-4 लाख रुपए का गन्ना फैक्ट्री के द्वारा खरीदा गया उसका 1/10 भी काम नहीं आया, बाकी सारे का सारा बेकार गया ? क्या यह सही है कि इस आधार पर कि फैक्ट्री 22 फरवरी से चालू हो गई है किसानों ने गन्ना काट काट कर अपने खेतों में डाल दिया था और वह उनसे खरीदा नहीं गया तो वह गन्ना सूख गया तो क्या राज्य सरकार विश्वास दिलाएगी कि जिन किसानों को जो नुकसान हुआ है, जिनका गन्ना नहीं खरीदा गया, जिसके लिए किसान जिम्मेदार नहीं है, सरकार उसको खरीदेगी और जितना भी गन्ना उस क्षेत्र के अंदर पैदा हुआ है, सारे गन्ने को खरीदकर उत्पादन चालू करेगी ? साथ ही यह जो टरबाइन जो जल गया है, कितने समय तक नया लग जाएगा और फुल कैपेसिटी में फैक्ट्री कब तक चालू हो जायगी ?

Page No. 53

श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़) : क्या सहकारी आंदोलन को बहुत धक्का नहीं लगा है इस तरह के उद्घाटन से ?

श्री कृष्णकुमार गोयल : यह फैक्ट्री 22 फरवरी से लेकर आज तक प्रति दिन कितने कितने घंटे चली डेटवाइज बतायें।

श्री अमृतलाल यादव : 22 फरवरी से इस फैक्ट्री का उद्घाटन हुआ। 25 की रात को इस फैक्ट्री को चालू किया और 26 फरवरी को यह चली 27 को व 28 को चली, 1-2 को चली, 3-4 को चली। उसके बाद 5 को या 6 को टरबाइन में गड़बड़ होने के कारण वह बंद रही। 7-8 को थोड़ी देर के लिए चली। उसके बाद में मोटर जल जाने के कारण प्रयत्न किया गया। दो दिनों के बाद चली और यह सही है कि मोटर रिप्लेस न होने के कारण दिक्कत रही लेकिन मोटर अवेलेबल नहीं हो सकती थी तो चंबल प्रोजेक्ट से और तरह से ढूंढ कर हस्तगत की। आज शाम तक फिट कर देंगे और आज शाम अथवा कल सुबह चल जायगी। उसके अन्दर आपने यह कहा था कि प्रतिदिन व्यवस्थित रूप से क्यों नहीं चली, बीच बीच में क्यों बन्द रही। मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूं कि पहली बार कोई नयी मिल चलती है तो उसका ट्रायल पीरियड ही एक महीने का होता है। ट्रायल पीरियड अभी चल रही है। उन लोगों ने इस बात की पूरी पूरी कोशिश की। फुल कैपेसिटी की बात इससे संबंधित है। जब मिल बराबर नहीं चल पायी तो वह कैसे हो सकता है। प्रतिदिन 12॥ हजार टन की कपेसिटी है। यह बराबर चलेगी तो फुल कैपेसिटी पर लाने की कोशिश की जायगी।

अब रहा सवाल गन्ने का। यदि किसानों ने गन्ना काट लिया हो और उसको मिल ने नहीं लिया हो तो इसको मैं चैलेंज करता हूं।

श्री कृष्णकुमार गोयल : मैं भी आपकी इस बात को चैलेंज करता हूं।

श्री अमृतलाल यादव : गन्ने के लिये व्यवस्था यह है कि दो रोज पहले किसान को पर्ची दी जाती है। जो कोई पर्ची लेकर मिल में गन्ना लाये तो निश्चित रूप से उसका गन्ना लिया है। मिल ने एश्योर किया है, मैंने स्टेटमेंट में भी यह बात कही है कि 25 परसेन्ट रकम एडवांस देने की बात कही है, उसके लिये माननीय अध्यक्ष के जरिये मैं माननीय सदस्य को एश्योर करता हूं कि जो आश्वासन दिया गया है गन्ना लेने के लिये उनका गन्ना लिया जावेगा और लिया जाता रहा है और 7 रुपये और पैसे तय किये हैं उस पर लिया जावेगा।

श्री कृष्णकुमार गोयल : अध्यक्ष महोदय, स्थगन प्रस्ताव के जरिये यह सूचना देना पर्याप्त नहीं है कि चालू कर दी गई है।

श्री अमृतलाल यादव : मैंने कब कहा कि चालू कर दी गयी ?

श्री अध्यक्ष : चालू हो जावेगी।

श्री कृष्णकुमार गोयल : नवम्बर से चालू होने वाली थी जो तो मार्च में चली है। गन्ना खेत में पड़ा है वह सूख जावेगा। किसानों ने गन्ने के कारण दूसरी फसलें पैदा नहीं की।

श्री अमृतलाल यादव : मैंने एश्योर किया है कि गन्ना ले लिया जावेगा।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य की उद्विग्नता यह है कि किसान का गन्ना जो

(श्री अध्यक्ष)

खेतों में खड़ा है और जिस कन्सर्न के लिये यह गन्ना था उससे क्या यह आश्वासन ले लिया जावेगा उसके लिये कुछ कह सकते हैं ?

श्री अमृतलाल यादव : वह तो मैंने निवेदन किया कि किसान को एश्योर किया है ...

श्री अध्यक्ष : वह तो दो दिन पहले जिनको पानड़िया दे दी गई है। जो गन्ना खेत में खड़ा है उसको बिजिनेस कन्सर्न ले लेगी क्या ?

श्री अमृतलाल यादव : मोटर जल गयी उसके लिये एल्टरनेटिव अरेंजमेंट किया। टरबाइन एक दिन में तो आ नहीं सकता।

श्री कृष्णकुमार गोयल : जैसा आप स्वयं देख रहे हैं और अनुभव कर रहे हैं। नवम्बर में फैक्टरी चालू होनी चाहिये थी लेकिन फरवरी में चालू हुई। जिस प्रकार का वहां का एडमिनिस्ट्रेशन है, चीफ इन्जीनियर है और चीफ केमिस्ट्स है उनकी लापरवाही और बदइन्तजामी के कारण, अनुभव न होने के कारण यह स्थिति हो रही है। आप किसानों को इस प्रकार से अपने आश्वासनों पर जिन्दा मत रखिये। आज तक फैक्टरी चालू नहीं हुई और निश्चितरूप से आप कह सकते हैं कि कब तक यह फैक्टरी फुल प्रोडक्शन देने लग जावेगी ? आप आज नहीं कह सकते। इसलिये एक स्पेशल कमेटी राज्य सरकार की अपोइन्ट की जानी चाहिये जिससे कि वह देखे और वह फैक्टरी चल जावे। एक महीने में फैक्टरी का फुल प्रोडक्शन चालू नहीं होगा तो किसान तबाह हो जावेगा। एक तरफ किसान ओला वृष्टि मर रहा है। गन्ने की फसल इससे बेकार नहीं हुई थी लेकिन गन्ना भी ओलों की वर्षा के कारण खेतो में टूट'२ कर गिरा है ...

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री कृष्णकुमार गोयल : व्यवस्था ठीक प्रकार से चले और फैक्ट्री ठीक समय पर चालू हो जाय इसके लिये राज्य सरकार ने कौनसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेजर्स लिये हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय मन्त्री विशेष रुचि लें और यह देखें कि यह फैक्टरी चालू हो जाय।

(याचिका का उपस्थापन)

याचिका का उपस्थापन

श्री मोतीलाल (रेवदर सु.) : अध्यक्ष महोदय, मैं ग्राम महुआ के चरागाह को कायम रखने के सम्बन्ध मे 4 याचिका देने वालों द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रतिवेदनों का उपस्थापन।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार।

प्रतिवेदनों का उपस्थापन

श्री दुर्गालाल बाढ़दार (सभापति याचिका समिति) : अध्यक्ष महोदय, मैं याचिका समिति के आठवें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा।

श्री मूलचन्द डागा (सभापति अ. वि. समिति) : अध्यक्ष महोदय, मैं अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति के नवें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

आय व्ययक पर अग्रेतर सामान्य वाद-विवाद

श्री अध्यक्ष : आय व्ययक, 1970-71 पर अग्रेतर विचार।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार का इस वर्ष का जो आय व्ययक विवरण प्रस्तुत हुआ है उस विवरण को आज देश की और राज्यों की वर्तमान परिस्थिति में यदि देखा जाय तो ऐसा लगता है कि राजस्थान सरकार भी सन् 1967 के आम चुनावों के पश्चात् देश में जिस प्रकार का राजनैतिक परिवर्तन आया है उस परिवर्तन की अपने आप में शिकार है। इस सदन को जानकारी होगी कि सन् 1967 के आम चुनावों में जनता ने कांग्रेस पार्टी के विरोध में कई राज्यों में विरोधी दलों का बहुमत बनाया तो सारे देश की राजनीति में एक प्रकार का भूचाल आया। उस भूचाल के परिणामस्वरूप और उसके पश्चात् आन्तरिक विवाद को लेकर सत्तारूढ़ दल में कई प्रकार के खिंचाव आये जिसका परिणाम यह निकला था कि सन् 1967 से लेकर सन् 1970 के आरम्भ होने तक कई राज्यों में राज्य और केन्द्र के बीच में इस बात का संघर्ष चलता रहा और आज भी चल रहा है कि हम भारत सरकार के ऊपर राज्य का किस प्रकार से और कितना दायित्व डालें। एक प्रकार की स्टेट और सेन्टर के बीच में यह कोल्ड वार लगभग तीन वर्ष तक चलती रही। इस कोल्ड वार के पश्चात्, अध्यक्ष महोदय कई राज्य तो एक प्रकार की प्रत्यक्ष लड़ाई के रूप में केन्द्र सरकार के समक्ष खड़े हो गये तो कई राज्य, जिसमें राजस्थान राज्य भी शामिल है, ऐसे हैं जिन्होंने केन्द्र के समक्ष अपने घुटने टेक दिये। मैं समझता हूं कि इस राजनैतिक परिवर्तन को यदि प्रत्यक्ष रूप में आप इस बजट भाषण में देखना चाहें तो आपको स्थान स्थान पर यह मिलेगा कि वित्त मंत्री जी ने कहीं प्रधान मंत्री के प्रति अपना आभार प्रकट किया है, कहीं प्रधान मंत्री की स्तुति की है, कहीं प्रधान मंत्री को उन्होंने याचना की है, कहीं प्रधान मंत्री पर उन्होंने विश्वास व्यक्त किया है और उस विश्वास के आधार पर हमें इतनी सहायता मिलेगी, इतना कर्जा मिलेगा, इस प्रकार के एजम्पशन्स के आधार पर बजट को संतुलित करने की चेष्टा की है।

अध्यक्ष महोदय, सन् 1952 से लेकर अब तक राज्य सरकार के जितने भी बजट प्रस्तुत हुए यदि आप उनको निकाल कर भी देखें तो किसी वक्त पर हमने केन्द्रीय सरकार के प्रति आभार प्रकट किया होगा, हमने वित्त मंत्री के प्रति आभार प्रकट किया होगा, जो मैं समझता हूं, कभी अवसर नहीं आया लेकिन इस बजट भाषण में हमने स्थान स्थान पर प्रधान मंत्री की स्तुति करने की चेष्टा की और उस स्तुति से शायद हम इस बात को लेकर चले कि वह राज्य की बिगड़ती हुई आर्थिक स्थिति में हमारी याचना को स्वीकार कर किसी प्रकार सहयोग देगी।

अगर प्रस्तुत बजट का विश्लेषण किया जाये, इसके परिणाम का चिन्तन किया जाये तो यह बात निश्चित रूप से सामने आयेगी कि इस बजट के परिणामस्वरूप राजस्थान में बेकारी बढ़ेगी। इस बजट के परिणामस्वरूप राजस्थान में चीजों के भाव बढ़ेंगे। इसके परिणामस्वरूप राजस्थान का व्यापार चौपट हो जायेगा। अगर

(श्री भैरोंसिंह)

औद्योगीकरण की गति रुक जायेगी और इसके साथ साथ राजस्थान की राज्य आय भी घटेगी। यह मैं किस आधार पर कहता हूं, उनकी ओर से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। लेकिन इसके साथ में सदन का ध्यान संविधान के उन डाइरेक्शन्स की ओर, उन डाइरेक्टिव प्रिन्सपल्स की ओर दिलाऊंगा, जिसमें इस बात के लिये कहा गया है कि हमारा बजट कैसा हो ? उसमें लिखा है :—

"The State shall, in particular, direct its policy towards securing that the citizens men women equally, have the right to an adequate means of livelihood;"

अब यदि हम थोड़ा सा विचार करें कि हमारा यह बजट उस लक्ष्य को आज तक प्राप्त कर सका है या आगे चलकर बहुत जल्दी इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकेगा ? यदि इस मापदण्ड के आधार पर हम इस बजट को देखें, उससे एक परिणाम निकालने की कोशिश करें या निष्कर्ष निकालने की कोशिश करें तो मूल रूप से हमें इन बातों पर विचार करना पड़ेगा कि राजस्थान का पर केपिटा कंजम्पशन कितना है, राजस्थान की परकेपिटा इनकम कितनी है ? रूरल और अरबन इकोनोमी कन्डीशन में कितना गेप है ? गरीब और अमीर में कितना गेप है ? गरीब को अमीर बनने या एक सामान्य श्रेणी के व्यक्ति तक पहुंचने तक किस प्रकार के साधन, सुविधाएं आपने उपलब्ध कर रखी हैं ? क्या देश की आम जनता, विशेषतौर से राजस्थान की जनता में, उसके दिमाग में यह विश्वास पैदा हो चुका है कि हम राजस्थान को आर्थिक नीति के कारण, योजनाओं के कारण उसको आगे बढ़ा रहे हैं ? आज योजनाओं के नाम पर अरबों, करोड़ों, रुपयों की धनराशि हम खर्च कर रहे हैं इसलिये कि हम जल्दी से जल्दी विकास करना चाहते हैं या इस प्रकार की गति से राजस्थान का विकास होगा। वह आशान्वित होता है कि राज्य के विकास में, उसके विकास की गति में, वह भाग ले रहा है। मैं समझता हूं, अध्यक्ष महोदय, यदि इस आधार पर इस बजट को देखा जाये तो सदन के प्रत्येक व्यक्ति को भयंकर निराशा होगी। निराशा इस रूप में होगी कि राजस्थान की पर कैपिटा इन्कम गिरी है। इस बात को हमारी राज्य सरकार ने भी स्वीकार किया है। राजस्थान का एग्रीकलचर का प्रोडक्शन गिरा है, इस बात को राज्य सरकार ने स्वीकार किया है। राजस्थान में नमक का उत्पादन गिरा है, इस बात को भी सरकार ने स्वीकार किया है। बाकी की और बातों को भी राज्य सरकार ने माना है। इन सब का इम्पेक्ट एक व्यक्ति पर कितना पड़ेगा, इस ओर सदन का ध्यान आकर्षित करने के पहले मैं राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति क्या है, उस ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि जो बजट बताने का तरीका है, राज्य सरकार ने जो बजट तैयार किया है, कोई भी इस सदन का सदस्य इस बजट के एस्टीमेट्स, एकचुअल एस्टीमेटस्, रिवाइज्ड एस्टीमेट्स का एक स्टेटमेंट बनाकर देखेगा तो सबसे पहले यह निष्कर्ष निकलेगा कि

(श्री भैरोंसिंह)

हमारी सरकार जो हमारी एस्टीमेटेड रेवेन्यू है, उस रेवेन्यू को हमेशा कम करके बतलाती है और एक्सपेंडीचर के उन आइटम्स को ज्यादा बताती है जिन आइटम्स में खर्चा करके एप्रोप्रिएशन के जरिये इस सदन की स्वीकृति ले लेती है। अगर इनको सही स्थिति में रखा जाये तो सदन उनको स्वीकार नहीं करेगा चाहे वह एक्सेस डिमान्ड हो या और कुछ। इस से यह निष्कर्ष निश्चित रूप से निकलता है कि यह सरकार इस सदन को बार बार मुगालता देती रही है और मुगालता देने से बाज नहीं आती है। कहीं तो, फीगर कम करके बताती है और कहीं पर फीगर को इनफ्लेट करके बताती है। तो, अध्यक्ष महोदय, यह कहना होगा कि राजस्थान की बजट सैंक्टीटी, बजट बनाने की प्रक्रिया क्या पवित्र है, इस बात को हमें ध्यान से देखना होगा। अगर हम ध्यान से देखें तो बजट में एस्टीमेटस् 148 करोड़ बताये गये हैं लेकिन रिवाइज्ड एस्टीमेट्स में यह 166 करोड़ बताया गया है। राजस्व आय 174 करोड़ बताई गई है जब कि यही रिवाइज्ड में 221 करोड़ रुपये बतायी गयी है। अध्यक्ष महोदय, कहीं 18 करोड़ का गेप है, और कहीं 47 करोड़ का गेप है। इसी प्रकार पूंजी खाते में जहां आय 128 करोड़, रिवाइज्ड में 358 करोड़ और पूंजी खाते में वितरण 120 करोड़ की अनुमानित की गई है, वहां व्यय 332 करोड़ बताया गया है। 230 करोड़ का पूंजी खाते में आय का अन्तर है। पूंजीखाता वितरण में 212 करोड़ का अन्तर है। किसी भी सरकार के इस प्रकार का डेफिसिट बजट में होता है, तो बजट एस्टीमेट्स में इतना बड़ा अन्तर होता हो, यह मैं मानकर नहीं चल सकता। बजट को रेसपोंसीबिल वे में इस सदन में प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस बात को सरकार को स्वीकार करना पड़ेगा। यह बजट सदन को धोखा देने के लिये पेश किया गया है। सरकार की, राजस्थान की सही स्थिति कहीं पेश न हो जाये इसलिये कुछ क्षेत्रों की फीगर कहीं रिड्यूस करके बताई गई है और कहीं की इनफ्लेटेड फीगर बताई गई है। यह स्थिति, अध्यक्ष महोदय, आज से ही नहीं है, 1968 से बराबर चली आ रही है। अगर आप 62 से 67 तक के आंकड़ों का भी अध्ययन करें तो यही निष्कर्ष निकलेगा कि इस सरकार के सामने न तो बजटरी सिस्टम है और न बजट की कोई सैंक्टीटी है और न हाउस के प्रति इस सरकार की जिम्मेदारी होती है। आज बजट एस्टीमेट में एक बड़ी भारी गलती है। एक एक बार ही नहीं, दो दो बार इतना बड़ा गेप है तो सदन को सावधान होना पड़ेगा। यह सरकार मोटे रूप से बताये कि कितना खर्चा और कितनी आय में गेप है ?

अध्यक्ष महोदय, इस सदन को जानकारी होगी कि पिछली बार राजस्थान की सरकार ने इस सदन में कहा था कि हमारा 22 करोड़ का बजट डेफिसिट है और फाइनेंस कमीशन से कुछ सहायता का शेयर आने वाला है और उस आधार पर यह कहा गया कि फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट पेश हो जाने के बाद यह 22 करोड़ का हमारा डेफीसिट पूरा हो जायेगा लेकिन कमीशन ने अपने प्रतिवेदन में जो उसने प्रस्तुत किया है राजस्थान को 8 करोड़ की सहायता देने की सिफारिश की है और तब यह कहा गया कि अब हमारा 14

(श्री भैरोंसिंह)

करोड़ का बजट डेफिसिट है। अध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं जो प्रोवीजन इस सरकार ने रखे थे 14 करोड़ के, यदि एक्चुअल रिवाइज्ड एस्टीमेट्स से इसकी तुलना करें तो यह 14 करोड़ से बढ़ कर 28 करोड़ हो गया। इसका मतलब यह हुआ कि हमारे बजट एसीमेट्स में काफी अन्तर है। रेवेन्यू इनकम में अन्तर है, एक्सपेंडीचर में अन्तर है, पूंजीखाते में होने वाली आय में अन्तर है और इतना बड़ा भारी अन्तर है। मुख्य मंत्रीजी इस बात को स्वीकार करेंगे कि हिन्दुस्तान के राज्यों मे किसी भी रियासत में बजट होते हैं। मैंने निवेदन किया है अन्य स्टेट्स में इतना बड़ा भारी अन्तर रिवाइज्ड एस्टीमेट्स में नहीं आया है जितना राजस्थान में बताया गया है। इसलिये मैं कहना चाहता हूं बजट प्रस्तुत करने के अन्दर इसकी सेंक्टिटी कायम रखने के अन्दर, राज्य सरकार ने इस बजट की प्रस्तुति के अन्दर अपने उत्तरदायित्व को सही रूप से नहीं निभाया है।

अध्यक्ष महोदय, में निवेदन करना चाहता हूं आखिर बजट में इतना डेफिसिट फाइनेन्सिग क्यों रखा गया ? डेफीसिट फाइनेन्सिग की स्थिति क्यों पैदा हो रही है ? सदन को जानकारी होगी। 1962 में जब हमारे देश पर चीन का अक्रमण हुआ, हमारे केन्द्रीय वित्त मंत्री जी ने डेफीसिट फाइनेन्सिग का बजट प्रस्तुत किया था। मुझे याद है उस समय वित्त मंत्री महोदय ने लोक सभा में कहा था कि मैं खुद डेफीसिट फाइनेन्सिग के पक्ष में नहीं हूं लेकिन चीन के आक्रमण के कारण जो देश पर संकट आया है, उस संकट का मुकाबला करने के लिये डेफीसिट फाइनेन्सिग का आश्रय लेना पड़ा है। अब तो चीन और पाकिस्तान का आक्रमण भी निकल गया। मैं राजस्थान सरकार से पूछना चाहता हूं। भारत सरकार ने इस साल के बजट में 350 करोड़ का डेफीसिट फाइनेन्सिग किया है और राजस्थान सरकार ने करीब 32 करोड़ का डेफीसिट फाइनेन्सिग किया है... ..

श्री पी० के० चौधरी : केन्द्र में 225 करोड़ का डेफिसिट फाइनेन्सिग है और हमारे यहां 29 करोड का है!

श्री भैरोंसिंह : टोटल केन्द्र का घाटा 350 करोड़ का है और उसमें टेक्सेशन से 170 करोड़ की आय का अनुमान है। इसी तरह से राजस्थान के बजट में 32 करोड़ का घाटा है और नये टेक्स से तीन करोड़ और कुछ लाख की आय बतायी गयी गई है। इस तरह से यहां भी 29 करोड़ का डेफिसिट फाइनेन्सिग हुआ है। आखिर टेक्सेज लगाने का प्रावधान इसी आधार पर किया है कि डेफिसिट फाइनेन्सिग है। इसी का आसरा लेकर आपने नये टेक्स प्रोपोज किये हैं।

अध्यक्ष महोदय, यह तो माननीय वित्त मंत्रीजी ने स्वीकार किया है हर साल प्राइस इन्डेक्स बढ़ता जा रहा है, काफी चीजों के भाव केंद्र के बजट से बढ़े हैं और कुछ चीजों के भाव स्टेट्स के डेफिसिट बजट के कारण और नये टेक्सेज के कारण बढ़े हैं। आल इण्डिया लेवल पर प्राइस इन्डेक्स सात प्रतिशत बढ़ा है। इसका कारण केन्द्र और स्टेट के बजटों में डेफिसिट फाइनेन्सिग है। राजस्थान का जो डेफिसिट बजट आया है। उसके कारण राजस्थान में भी चीजों के भाव बढ़े हैं। इससे क्या होगा कि सरकारी कर्मचारी मंहगाई भत्ता बढ़ाने की मांग करेंगे और राज्य सरकार को वह बढ़ाना पड़ेगा तो राजस्थान में

(श्री भैरोंसिंह)

आप यह निश्चित मानकर चलिये फाइनेन्सियल इम्बेलेन्सेज क्रिएट होंगे । हम जो इण्डस्ट्रियल ग्रोथ की कल्पना लेकर चल रहे हैं, वह हो पायेगा । इसलिये इस डेफिसिट फाइनेन्सिग के बारे में फाइनेन्स कमीशन ने भी यह कहा है :

"We consider it fundamental that there should be no deficit financing and that the size of the plan should be regulated within the State resources." यह फाइनेन्स कमीशन ने आखिरकार सारी चीजों का अध्ययन करके ही भारत सरकार को यह सिफारिश की है और राज्य सरकारों को आगाह किया है कि डेफिसिट फाइनेन्सिग का आश्रय न ले ।

अध्यक्ष महोदय, राज्य के डेफीसिट बजट के कारण और केन्द्र के डेफिसिट बजट के कारण चीजों के भाव बढ़े हैं आप इस कारण सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ायेंगे । लेकिन आपने यह भी ध्यान में रखा है या नहीं कि जब चीजों के भाव बढ़ते हैं तो आपने प्लान्स के जो टारजेट्स निश्चित किये हैं वे टारजेट्स भी आपको आगे बढ़ाने होंगे । मूल टारजेट्स के जो आधार हैं उस आधार को लेकर आप आगे बढ़ नहीं सकते क्योंकि उसके लिये जितनी धनराशि आपने रख रखी है वह उससे पूरे होने वाले नहीं है । इस तरह से राजस्थान सरकार ने अपना डेफिसिट फाइनेन्सिग रख कर यह जो नया मार्ग आपने खोला है इससे आप राजस्थान की ग्रोथ को रोकने का प्रयत्न कर रहे हैं, और इससे राजस्थान का हर क्षेत्र का विकास रुकेगा । इसलिये मैं सदन से निवेदन करता हूं कि वे इसको मन्जूरी सावधानी बरत कर ही दें ।

अध्यक्ष महोदय, मैं नहीं समझता राजस्थान में आय नहीं हो सकती, राजस्थान में बिना टैक्स के आय नहीं हो सकती । 1952 से लेकर आज तक जितने भी स्टेटमेन्ट निकाले हैं रेवेन्यू टेक्स बढ़ाने के, और कितना परसेन्टेज नोन टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने के निकाले हैं उसमें कितना परसेन्टेज है ? टैक्स रेवेन्यू का परसेन्टेज ज्यादा बढ़ता गया है वहां नोन-टैक्स रेवेन्यू बढ़ी नहीं है कई वर्षों में तो वह गिरी है । उदाहरण की तौर पर मैं आपको बताऊं 31-3-70 को राजस्थान का शेयर मनी के रूप में 13 करोड़ रुपये का इनवेस्टमेण्ट है । जहां एक प्राइवेट व्यक्ति अगर इतना इनवेस्टमेण्ट करता है तो उससे वह कई गुना आमदनी कर सकता है । लेकिन हमारी सरकार ने जहां 13 करोड़ रुपया शेयर मनी का इनवेस्टमेण्ट किया है उसका रिटर्न डेढ़ परसेन्ट भी नहीं पड़ता । दूसरी तरफ हमें जो कर्जा मिलता है उस पर हम ब्याज कहीं अधिक दे रहे हैं । आज हमें अपने इनवेस्टमेण्ट पर जितना ब्याज देना पड़ता है उतना मुनाफा भी नहीं मिलता है । राज्य सरकार 13 करोड़ का जो इन्टरेस्ट चुकाती है उसमें उससे होने वाली आय से कहीं अधिक देना पड़ता है । अगर इन्टरेस्ट के मुकाबले ही इनकम हो जाय तो भी गनीमत है ताकि राजस्थान सरकार पर इस इनवेस्टमेन्ट के कारण और तो बरडन न पड़े । इस प्रकार से 13 करोड़ के इनवेस्टमेण्ट पर केवल डेढ़ परसेन्ट का रिटर्न है इससे भी कम मिलता है । और हमें ब्याज कहीं पर पांच परसेण्ट देना पड़ता है कहीं पर सात परसेण्ट देना पड़ता है । तो इस तरह से हमारे 13 करोड़ के इनवेस्टमेण्ट पर जो केवल डेढ़ परसेण्ट की आय है इसके मुकाबले सात परसेण्ट, पांच परसेण्ट ब्याज का ही देन

(श्री भैंरोंसिंह)

पड़ता है। यह भी हमारी राज्य सरकार पर और राजस्थान की जनता पर बहुत बड़ा बरडन है। यह बरडन अकाल के कारण नहीं, प्राकृतिक प्रकोप के कारण नहीं यह जो केलेमिटी है वह हमारी प्रशासनिक केलेमिटी है। यह हमारी प्रशासनिक गिरावट का प्रतीक है जिसके कारण सही रिटर्न्स प्राप्त नहीं होते। अगर हमारा यही इनवेस्टमेन्ट रीजनेबल रिटर्न्स देना शुरु कर दे तो राजस्थान का डेवलपमेण्ट होगा और इस तरह से राजस्थान की जनता में सरकार में इनवेस्टमेण्ट करने की प्रवृति को बढ़ावा मिलेगा।

अध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार पर सेन्टर का 6 अरब 3 करोड़ का कर्जा है। इस कर्जे का मुकाबला अन्य सारी स्टेट्स से हम करें तो 16 स्टेट्स में हमारा नंबर 11 वां आता है, जो पर केपिटा कर्जा है वह ज्यादा है। राजस्थान बाकी स्टेट्स के मुकाबले ज्यादा कर्जदार है। राजस्थान का इण्डस्ट्रियल पोटेन्शियल बढ़ता, लेबर पोटेन्शियल बढ़ता तो भी राजस्थान की जनता को राहत मिल सकती थी और हम इस कर्जे की चिन्ता नहीं करते। लेकिन 603 करोड़ कर्जे के मुकाबले हमने कितने असेट्स बिल्ट किये? मुख्य मंत्रीजी हमेशा भाखरा, चम्बल कोटा डेम, जवाहरसागर डेम, राणा प्रतापसागर इनको गिना देते हैं और कह देते हैं कि कर्जे के मुकाबले हमारे पास असेट्स ज्यादा हैं। यदि इनको मान लिया जाय तो भी हमारे असेट्स कर्जे के मुकाबले बहुत कम हैं इन दोनों में बहुत बड़ा गेप है। गत साल हमारे पास 566 करोड़ के असेट्स थे उसके मुकाबले कर्जा 599 करोड़ का था। इस साल 503 करोड़ का कर्जा है उसके मुकाबले निश्चित रूप से कह सकता हूं राज्य सरकार पर कर्जा ज्यादा है और असेट्स कम हैं।

अध्यक्ष महोदय, कर्जा ज्यादा हो जाय और असेट्स कम हो और दूसरी तरफ इनवेस्टमेण्ट के रिटर्न्स हमको कम मिले वैसी हालत में इस प्रकार की जो राज्य की वित्तीय स्थिति बनती जा रही है तो उस स्थिति में राज्य का काम किस प्रकार से आगे चल सकेगा?

अध्यक्ष महोदय, दूसरी तरफ इनकमटेक्स बेस को भी लें तो इनकम टेक्स देने वालों की संख्या राजस्थान में नहीं बढ़ी है। बाकी के राज्यों में इनकम टेक्स देने वालों की संख्या बढ़ी है। दूसरे स्टेट्स में इनकम टेक्स पेयर क्रिएट होते जा रहे हैं। उस संख्या में हमारे राजस्थान में पैदा नहीं हो रहे हैं। हमारी राजस्थान सरकार उड़ीसा और जम्मू काश्मीर इन स्टेट्स को छोड़ कर इनकम टेक्स पेयर इन दो स्टेट्स से हमारे यहां ज्यादा हैं और अन्य स्टेट्स से हमारा राज्य इनकम टेक्स पेयर के मामले में नीचा है।

अब हम इण्डस्ट्रियल लाइसेन्स की स्थिति को देखते हैं तो उसमें भी हमारी स्टेट का नम्बर बहुत नीचा है। इससे अध्यक्ष महोदय, आपको यह जानकारी मिल जायगी हमारी स्टेट किस लेवल पर स्टेण्ड करती है। प्लान आउट ले को देखें तो 17 स्टेट्स के अन्दर जहाँ पर केपिटा 260 था वहाँ हमारी स्टेट का नम्बर दस पर है। इस तरह से 69-70 में प्लान फोरकास्ट बेसिस पर पर केपिटा हमारा 260 से गिर कर 100 पर आ जाता है इस तरह से ऑल इन्डिया बेसिस

(श्री भैरोंसिंह)

पर राजस्थान का दसवां नम्बर है और अब 12 वां हो जायगा।

सेन्ट्रल इनवेस्टमेण्ट का जहां तक सवाल है उसको हम लें तो 51 से लेकर 68 तक उसमें हमारा राजस्थान का नम्बर 14वां आता है। बाकी सब स्टेट्स ज्यादा हैं जहां सेन्ट्रल इनवेस्टमेण्ट ज्यादा हुआ है। जैसे आन्ध्र के अन्दर 203 करोड़, बिहार में 571 करोड़ गुजरात में 963 करोड़ केरल, मैसूर महाराष्ट्र, तामिलनाडु, उत्तर प्रदेश, यूनियन टेरिटरी इन सब के मुकाबले हमारे राजस्थान में सेन्ट्रल इनवेस्टमेन्ट सब से कम हुआ है जब कि उपरोक्त स्टेट्स में ज्यादा हुआ है। इससे पता चलता है कि हमारे मुख्य मंत्री का वर्चस्व दिल्ली सरकार पर कितना है, अपने इन्फ्लूएन्स के आधार पर वे कितना केन्द्रीय इनवेस्टमेण्ट हमारे यहां करा पाये हैं।

अध्यक्ष महोदय, हमारे राजस्थान के उद्योगपतियों ने देश के सारे भागों में जाकर अपनी इण्डस्ट्रियल प्रतिभा के आधार पर अन्य राज्यों में उद्योग स्थापित किये हैं। केवल हिन्दुस्तान में ही नहीं मिडिल ईस्ट जाकर, अफ्रीका में जाकर अपनी उद्योग निपुणता का परिचय दिया है राजस्थान का दुर्भाग्य है कि यहां पर राजस्थान में उनको अपने उद्योग लगाने का एटमोसफीअर हम नहीं बना पाये। औद्योगिक कला विशारद लोग अपने प्रान्त की ओर आकर्षित नहीं हो पाये। इसके लिये मुख्य मंत्री महोदय ने कई बार अपीलें भी की हैं लेकिन उन अपीलों का असर नहीं होता। क्या सरकार ने इस चीज को अनुभव किया है कि क्या कमी है जिसके कारण राज्य के उद्योगपति अपने यहां उद्योग स्थापित करना नहीं चाहते? कभी जांच इस बात की करवाई है? अगर करवाई है तो इसके परिणाम क्या निकले? कन्सेशन देने के बारे में पुस्तिकाओं का प्रकाशन होता है उसके बाद में भी कोई उद्योगपति प्राइवेट रूप में इण्डस्ट्री लगाने को तैयार नहीं है।

अन्य राज्यों की तुलना में औद्योगिक दृष्टि से पीछे रहा हुआ राजस्थान इकोनॉमिक इम्बेलेन्स में देश में कहां तक फिट होगा, आप कहां तक एडजस्ट कर पावेंगे? यह सबसे बड़ी चिन्ता का विषय है। इसलिये सदन को इस प्रश्न पर गम्भीरता से विचार करना चाहिये। मैं पूछता हूं ऐसा क्या कारण है, क्या कठिनाई है कि जिसके कारण राज्य की इण्डस्ट्रियल पोटेन्शियेलिटी नहीं बढ़ पा रही है, सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट का इन्वेस्टमेन्ट जितना होना चाहिये, वह क्यों नहीं हो पा रहा है?

अध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आज लाइसेन्स लेने के मामलों में हम पिछड़े हुए हैं और जितने लाइसेन्स हमको मिलते हैं उनमें भी राजस्थान की गति कम होती जा रही है। मैं इसलिए कहना चाहूंगा कि राजस्थान की इण्डस्ट्रियल ग्रोथ किसी भी प्रकार से नहीं हो पाई तो राजस्थान को किसी भी रूप में इनकम नहीं बढ़ सकती।

एक गलती के लिए क्षमा चाहूंगा। 33 करोड़ बताया था। वे 33 करोड़ नहीं, 33 लाईसेन्स हैं।

ऐसी स्थिति में राजस्थान की इण्डस्ट्रियल ग्रोथ अगर आपको करनी है तो

(श्री भैरोंसिंह)

विचार करना पड़ेगा आपको कि कौन कौन सी इन्डस्ट्रीज के आधार पर राजस्थान की इकोनोमी साउण्ड हो सकती है ? दो तरह की इण्डस्ट्रीज ऐसी प्रधानतया यहां हो सकती हैं। एक एग्रीकल्चर बेस्ड इन्डस्ट्री और दूसरी मिनरल बेस्ड। इनको आप अधिक से अधिक एक्सप्लोइट कर सकते हैं और इनके आधार पर राजस्थान का आप समुचित औद्योगीकरण कर सकते हैं और इनके जरिये आप अपनी आय बढ़ा सकते हैं। पर मुझे कुछ ऐसा लगता है कि राजस्थान सरकार इस स्थिति में भी इस तरह की इण्डस्ट्रीज से लाभ उठाने को तैयार नहीं है। जब राजस्थान की कोई इण्डस्ट्रियल पोटेन्शियेलिटी नहीं है, इस पोटेन्शियेलिटी को प्राप्त करने की किसी प्रकार की एक्टीविटीज नहीं हैं तो हमारी आमदनी नहीं बढ़ सकती। राजस्थान पर कर्जा बहुत है और अधिक कर्जा लेने की क्षमता नहीं और इसके नाम पर यह कह कर चलें कि राजस्थान में अकाल पड़ रहा है और इस कारण हमारी सारी फाइनेन्सियल पोजीशन में इम्बेलेन्स क्रिएट हो जाता है। यह बात सही है कि राजस्थान में अकाल पड़ रहे हैं। पर ये आज से नहीं पड़ रहे हैं, भूतपूर्व राज्यों के समय से भी पड़ते रहे हैं। पर मैं कह सकता हूं कि चाहे काम होता था या नहीं आज आप करोड़ों का इन्वेस्टमेन्ट करते हैं पर परमानेन्ट मेजर के नाते इस प्रकृति पर अपना प्रभाव डालने की गरज से न तो राजस्थान सरकार ने चेष्टा की है न थोड़ी बहुत चेष्टा करने के बाद भी सफल हुई है। यह चेष्टा जो थोड़ी बहुत की गई बेमन की थी, बिना सही प्लानिंग की थी। ऐसी स्थिति में निवेदन करना पड़ेगा कि आपने अकाल के नाम पर 110 करोड़ रुपया खर्च किया। उसमें कौन कौन से ऐसे आइटम आपने शामिल किये जिससे अकाल का कोई स्थाई हल निकल जाता। मैंने पिछली बार भी कहा था। जैसलमेर में अकाल का परमानेन्ट सोल्यूशन आप करना चाहते हैं तो पानी की समस्या को हल करना पड़ेगा। इसके लिये ट्यूब वेल के अलावा दूसरा साधन नहीं हो सकता आप फिर चाहे उसके लिये कितना ही पैसा दें। जहां ट्यूब वेल नहीं चल सकते वहां पाइप लाइन से पानी भेजना होगा। वहां रिच मिनरल्स हैं। उनका अगर एक्सप्लोइटेशन किया जावेगा तो जैसलमेर में परमानेन्टली कल कारखाने खड़े हो सकेंगे और इन दोनों जिलों में जिस समय तक कल कारखाने खड़े नहीं होंगे, वहां की समस्या का समाधान नहीं हो सकेगा और ये कल कारखाने तब तक खड़े नहीं हो सकते जब तक सस्ती बिजली वहां उपलब्ध नहीं कराई जावेगी।

इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को घाटा हो रहा है। मैं नहीं कहता कि उसको फिर घाटा हो। पर निवेदन करूंगा कि प्लान में 58 करोड़ का खर्चा बताया जाता है। अब यदि जैसलमेर, जालौर, बाड़मेर में हाईडल पावर ले जावें तो मैं अपने अनुभव से कहता हूं कि 88 लाख का एक साल का घाटा होगा। कन्स्ट्रक्शन वर्क का घाटा होगा। मेन्टीनेन्स का घाटा वहां नहीं होने वाला है। उस घाटे को सहन करना चाहिए ताकि दोनों जिलों में हाइडल पावर चली जावे तो मैं कह सकता हूं कि वहां मिनरल डेवलपमेन्ट के आधार पर इण्डस्ट्रीज चालू हो सकती हैं। लोगों को रोजगार मिल सकता है और फिर कोई घाटा खाने की स्थिति में वहां नहीं होंगे।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं आपको अधिक से अधिक चालीस मिनट दे सकूंगा। आप तीस मिनट ले चुके हैं।

श्री भैरोंसिंह : मैं कितना बोल चुका हूं।

श्री अध्यक्ष : तीस मिनट।

श्री भैरोंसिंह : मैं जल्दी ही खतम कर रहा हूं।

वित्त मन्त्रीजी, बार बार एक ही बात कहते हैं। 67 के बजट भाषण में कहा "राजस्थान में गम्भीर वित्तीय संकट उत्पन्न हो गया।" दूसरे भाषण में कहा : "राज्य की आर्थिक तस्वीर विषमताओं से भरी है।" तीसरे भाषण में कहते हैं : "हम संकट की स्थिति से गुजर रहे हैं।"

यह तीन वर्षों से लगातार संकट आ रहा है और यह संकट ज्यों ज्यों आता जा रहा है त्यों त्यों टैक्स बर्डन ज्यादा बढ़ता जा रहा है, भारत सरकार पर डिपेन्डेन्सी अधिक अधिक बढ़ती जा रही है। इस हालत में, अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि अब की बार बजट भाषण में माननीय वित्तमंत्री जी ने यह नहीं बताया कि राजस्थान पर ओवरड्राफ्ट कितना है। शायद तरतीब से नहीं बताया। पर इस समय 37 करोड़ का ओवरड्राफ्ट है। पर इसके पहले, अध्यक्ष महोदय, मैं जानकारी देना चाहूंगा कि 31-3-69 को यह ओवरड्राफ्ट 32 करोड़ का था। 30-4-69 को 137 करोड़ का था। 31-5-69 को 42 करोड़ का था और इस प्रकार से 30-9-69 को 27 करोड़ का और 31-10-69 को 42 करोड़ का, 31-11-69 को 52 करोड़ का 31-1-70 को 57 करोड़, 28-2-70 को 53 करोड़ और आज 5-3-70 को 37 करोड़ का ओवरड्राफ्ट था। अब आप मान कर चलेंगे कि राजस्थान की सरकार ने ओवरड्राफ्ट लिया। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि ओवरड्राफ्ट लेते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया से। सन् 53 में राज्य सरकार ने रिजर्व बैंक के साथ एक एग्रीमेंट किया जिसके अनुसार रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया के और स्टेट गवर्नमेन्ट के बीच में एक मुआवदा हुआ कि मोनीटरी ट्रान्जेक्शन सरकार करेगी और साथ साथ एक लिमिट भी तय हुई। वेज एण्ड मीन्स एडवान्स के तौर पर कितने एडवान्सेज राजस्थान सरकार को दिये जा सकते हैं। यह इस प्रकार का लिमिटेशन राजस्थान सरकार के लिये ही नहीं होता। बाहर के राज्यों में भी समझौता इसी प्रकार का होता है और इसके कारण रिजर्व बैंक आफ इण्डिया के एक्ट के मातहत सरकार को ओवरड्राफ्ट मिलता है। वित्तमन्त्रीजी इसको स्वीकार करेंगे और ऐसी स्थिति में राजस्थान सरकार की ओवरड्राफ्ट की एक लिमिट निर्धारित की गई कि जितनी राजस्थान सरकार की मिनिमम बेलेन्स है उसके आधार पर ओवर-ड्राफ्ट मिलेगा। बैलेन्स पहले निर्धारित किया गया 30 लाख। फिर इसके ऊपर आपको कितना वेज एण्ड मीन्स के अगेन्स्ट एडवान्स मिल सकता है ओवरड्राफ्ट के रूप में, वह सीमा निर्धारित की गई 19 लाख की। इसके बाद स्पेशल रूप में 180 लाख तय की गई और इसको फिर बढ़ाकर 2 करोड़ कर दिया गया। अध्यक्ष महोदय, रिजर्व बैंक आफ इंडिया और राजस्थान सरकार के बीच समझौता हुआ, उस को कवर करें उस स्थिति में प्रश्न आकर खड़ा होता है कि राजस्थान सरकार ने इतना ओवर ड्राफ्ट किस आधार पर

(श्री भैरोंसिंह)

लिया ? और किस आधार पर यह दिया गया ? अब दोनों प्रश्न इसलिये हैं कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, केन्द्रीय सरकार भी कांग्रेस पार्टी की है अगर राजस्थान सरकार दूसरी पार्टी की हो तो रिजर्व बैंक आफ इंडिया से इस प्रकार का ओवर ड्राफ्ट मिल जायगा, इस बात की गारन्टी नहीं और गारन्टी इसलिये नहीं कि राजस्थान में दूसरी पार्टी की सरकार है। अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार की व्यवस्था के अन्दर यदि कोई सरकार अपनी लिमिट से बाहर ओवर ड्राफ्ट लेती है तो भारत सरकार की बिना अनुमति के नहीं लेती। राजस्थान सरकार की यह स्थिति बन गई कि राजस्थान सरकार को पब्लिक का लोन चाहिये, भारत सरकार का लोन चाहिये। फाइनेन्स कारपोरेशन से लोन चाहिये। हर जगह से उसको लोन चाहिये। माननीय वित्त मंत्री जी ! केन्द्रीय सरकार से ग्रीन सिगनल नहीं मिलता उस समय तक नहीं सकती है।

पहले राजा महाराजाओं के किसी ठिकाने की स्थिति खराब हो जाती थी तो उस ठिकाने को अपने अन्दर में कोर्ट ऑफ वार्ड्स के द्वारा ले लिया जाता था। मैं कहता हूं आज प्रत्यक्ष रूप से कोर्ट ऑफ वार्ड्स भारत सरकार का राजस्थान सरकार पर बैठा हुआ है राजस्थान सरकार बिना अनुमति के कर्जा नहीं ले सकती है।

(1 म० प०)

अध्यक्ष महोदय, कुछ दिनों पहले समाचार पत्रों में यह पढ़ा था कि भारत सरकार ने अकाल के लिये जो कर्जा लेकर अकाल राहत के नाम की जो व्यवस्था की आ रही है उस व्यवस्था के आधार पर भारत सरकार ने राजस्थान की सरकार को सुझाव दिया था कि दोनों की एक मिली-जुली समिति होनी चाहिये जो अकाल राहत के कार्यों को खोलने का सुझाव दे। समाचार पत्रों में यह बात आई थी किन्तु हमारी राजस्थान की सरकार ने इसे स्वीकार नहीं किया। मुख्य मंत्री जी ने इसको प्रोटेस्ट किया। क्यों किया? क्योंकि इन की दाल उसमें गलती नहीं थी। दूसरा यह कि हमारे प्रधान मंत्री को राजस्थान सरकार से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ यदि भारत सरकार इस प्रकार का हस्तक्षेप करती तो मैं समझता हूं राजस्थान में अकाल के नाम पर डाके नहीं पड़ते, लाखों के घोटाले अकाल के नाम पर नहीं होते, अकाल के नाम से लाखों रुपयों का दुरुपयोग किया गया है। भारत सरकार को इस प्रकार की समिति बनानी चाहिये। अध्यक्ष महोदय, मैं इस आधार पर नहीं कहता, इसमें कुछ तथ्य हैं राजस्थान में पर-केपिटा इन्कम गिर रही है। हमारे वित्त मंत्री जी कहते हैं करेन्ट प्राइस पर लोगों की इनकम 450 के ऊपर आ गई, कहीं 435 है। मैं वित्त मंत्री जी से पूछना चाहता हूं क्या जैसलमेर क्षेत्र की पर-केपिटा इन्कम साढ़े बारह से ज्यादा है ? बीकानेर में अकाल राहत कार्य नहीं खुल रहे हैं क्या वहां की पर केपिटा इन्कम साढ़े बारह से ज्यादा है ? क्या जोधपुर, बाड़मेर जहां पर साढ़े बारह के अतिरिक्त कोई साधन नहीं है ? क्या उनकी पर-केपिटा इन्कम साढ़े बारह से ज्यादा है ?

जिन लोगों को कोई अकाल में भी काम नहीं मिला है, जिन लोगों के मवेशी मर गये हैं, जिन लोगों के घर छूट गये हैं क्या ऐसे लोगों की राजस्थान में पर-केपिटा इन्कम

(श्री भैरोंसिंह)

बढ़ी है ? पिछले अकाल के समय में 26 जिलों में अकाल था इस वर्ष हजारों गांव अकाल से प्रभावित हैं। अब कोई उस प्रभाव के बाद भी यह कहकर चले कि पर-केपिटा इन्कम बढ़ी है और 400 रुपये से ऊपर जाती है और यह फिगर देते हैं तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, इसी राजस्थान की सरकार ने सन् 1961-62 में एक बागची कमेटी अपोइन्ट की थी उस कमेटी का एक डिपार्टमेन्ट कायम किया गया था। उस डिपार्टमेंट से राजस्थान सरकार ने रूरल पोपुलेशन के अन्दर पर-केपिटा इन्कम कितनी है, पर-केपिटा कन्जम्पशन क्या है, पर-केपिटा इन्डेटेडनेस कितने हैं और पर-केपिटा कन्ट्रीब्यूशन कितना है इन चीजों के संकलन के लिये एक डिपार्टमेंट खोला था। उस डिपार्टमेंट से सर्वे कराना चाहते थे। मैं इसलिए बताना चाहूंगा कि सन् 61-62 के बाद कई ऐसे जिले हैं, कई ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें निरन्तर इकोनोमिक कन्डीशन गिरती गई है। उसके बाद यह कहें कि बूंदी में आय बढ़ी है फलां जगह आय बढ़ी है तो उचित नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 28 प्रतिशत की आय 8-50 रु० से ज्यादा नहीं है, 47 प्रतिशत की आय 12-50 रु० से ज्यादा नहीं है 15 प्रतिशत की आय 15 रुपये से ज्यादा नहीं है, 8 प्रतिशत की आय 20 रु० से ज्यादा नहीं है और 6 प्रतिशत की आय 47 रु० से ज्यादा नहीं है। इसी प्रकार बीकानेर, जयपुर है और इसी प्रकार से अजमेर, सवाई माधोपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा झूंझनूं और पाली है। यह उस कमेटी की फाइन्डिंग्स है लेकिन वह सरकार को अच्छी नहीं लगी इसलिये बागची को हटा दिया और उनकी जो रिपोर्ट पब्लिश हुई थी उसको ताले में रख दी, रिपोर्ट का प्रकाशन नहीं कराया गया। मैं वित्त मंत्री जी से पूछता हूं उस दिन से लेकर, 61-62 से लेकर आज तक आपके कौनसे ऐसे रिसोर्सेज हैं जो पब्लिक को मिले हैं जिस रिसोर्सेज से आप पर-केपिटा इन्कम बढ़ी हुई बताते हैं ? इसलिये मैं सदन को निवेदन करना चाहूंगा कि जहां अकाल पड़ा है, जहां कोई ओद्योगिकरण नहीं हुआ है वहां पर आप मानते हैं कि पर-केपिटा इन्कम बढ़ी होगी। सरकार के इस धोखे में आने की आवश्यकता नहीं है। लोगों पर कर्जा बढ़ा है, भूखमरी बढ़ी है। जो भारत सरकार ने लिविंग स्टेण्डर्ड तय किया था उससे अनाज नहीं मिलता, उससे पूरा न्यूट्रिशन नहीं मिलता। पिछले वर्ष हजारों की संख्या में लोग मर गये, हजारों की तादाद में मवेशी राजस्थान से चले गये। ऐसी स्थिति में मैं राजस्थान सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार किस प्रकार व्यवस्था करके चलती है राजस्थान सरकार टैक्स लगाने में होशियार है, सैल्स टैक्स लगाया है, अन्य कई प्रकार के टैक्सेज लगा दिये गये हैं और हमारे वित्त मंत्री महोदय कहते हैं राजा-महाराजाओं के प्रिवी पर्स खतम होने चाहिये, प्रोपर्टी के राइट्स खतम हो जाने चाहिये। यह आपकी बात नहीं है, आज तक तो आप इस मसले पर बोले नहीं है, आपने कभी नहीं कहा कि राजा-महाराजाओं की सुविधा खतम हो जानी चाहिये, आपने कभी नहीं कहा कि प्रोपर्टी के राइट्स खतम हो जाने चाहिये। पर क्या है? एक हवा चली उस हवा में आप भी बोल गये। इसी को आप समाजवादी रूप देना चाहते हैं, लेकिन आपके समाजवाद

(श्री भैरोंसिंह)

का कोई पता नहीं चलता है। आपने काटन वेस्ट से 6 पर्सेन्ट से कर घटाकर तीन पर्सेन्ट किया है। क्यों किया आपने ? इसमें भी रहस्य है ! आपने पूंजीपतियों की मदद करने के लिये सोचा है, आपने कभी गरीब तबके के लिये नहीं सोचा। यह 6 पर्सेन्ट से घटाकर तीन पर्सेन्ट किया-यह उन लोगों के कहने से किया है जो ऊंचे तबके के लोग हैं। कोई राजस्थान का गरीब आदमी आपके पास नहीं गया होगा कहने के लिये क्योंकि ऊंचे वर्ग के लोगों से आपको मदद मिलती है इसलिये उनके कहने से किया है। भारत सरकार ने अपने बजट में टैक्स नहीं लगाया। भारत सरकार ने इसकी छूट दी है। हमारी राजस्थान सरकार उसी लाइन पर चल रही है। राजाओं के अधिकार समाप्त करके समाजवाद बतायें और पूंजीपतियों की मदद करें, पूंजीपति हमारी मदद करे। कोई चुनाव हो गया तो उनकी मदद से जीतकर आगये। आपने इस डिस्पेरिटी को दूर करने के लिये कौनसी व्यवस्था की ? बच्चों के लिये आपने 10 हजार से ऊपर आमदनी वाले लोगों पर ट्यूशन फीस बढ़ा दी, क्या इससे समाजवाद आयेगा ? आप सोचते हैं लाटरी सिस्टम से एक साल में चार आदमी लखपति बनते हैं तो मैं समझता हूं 50 लाख वर्ष लगेंगे जिसमें पूरा राजस्थान लखपति बनेगा। इसी प्रकार का समाजवाद है आपका। दो करोड़ आदमियों को लखपति बनाना है और एक साल में चार लखपति बनते हैं तो निश्चित रूप से 50 लाख वर्ष लखपति बनने में लग जायेंगे। यह कौनसा समाजवाद है ? आपका प्रयास यही है कि सारी दुनियां का पैसा इकट्ठा होकर एक के पास आ जाय।

श्री अध्यक्ष: अभी यह क्या निश्चित है कि राजस्थान में ही लखपति होंगे।

श्री भैरोंसिंह : यह भी निश्चित नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं गलती कर गया ....

श्री मथुरा दास माथुर : आप भी हो जायेंगे।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : Wild gambling है।

श्री भैरोंसिंह : और लखपति बनने का तरीका कैसा है एक तरफ कहते हैं कि हम लखपतियों को खत्म करना चाहते हैं और दूसरी तरफ लखपति बनाने की योजनायें बनाते हैं केवल इसलिए कि हमारी इन्कम हो जाये। उसके लिए यदि एक गरीब का पैसा इकट्ठा होकर किसी एक आदमी को लखपति बनाता है तो हमें कम से कम 50 आदमी तो दुआ देने वाले होंगे कि यह माथुर साहब का लॉटरी सिस्टम था कि जिसके कारण से हम आज लखपति बन गये। वह उनकी पूजा भी करेंगे कि हमने कोई काम नहीं किया और यह अनअर्न्ड इन्कम राजस्थान सरकार की लॉटरी के जरिये मिली है। अध्यक्ष महोदय, अब मैं राजस्थान सरकार से निवेदन करना चाहता हूं ....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अध्यक्ष महोदय अभी जरूरी है ... .

श्री अध्यक्ष : 5 मिनट।

श्री भैरोंसिंह: 5 मिनट तो नहीं। दया करो।

श्री अध्यक्षः आप दूसरे सदस्यों पर दया करें जिनको अभी बोलना है।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की सरकार ने एक बहुत बड़ी बात की। 25 लाख रुपये का सेस जो कामर्शियल क्राप्स पर था वह हटा दिया। अब इस घाटे की पूर्ति कैसे की, इरिगेशन चार्जेज के रेशनेलाइजेशन के नाम पर पूर्ति कर दी। अब वह समझते हैं कि वहां भी 25 लाख रुपया और यहां भी 25 लाख रुपया, इस हाथ से दिया और उस हाथ से लिया। अब यह समझते हैं कि इस तरह से इरिगेशन की रेट्स बढ़ जायेगी। यह सही है कि रेट्स बढ़ेंगी। मैं सदन को ध्यान दिलाना चाहूंगा कि पिछले महीने की 19 तारीख को मुख्य मंत्री जी ने एक बात सदन में कही थी। गंगानगर जिले में जहां करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है, करोड़ों रुपये से भाखरा कैनाल, राजस्थान केनाल और गंग कनाल बनने के बाद वहां के किसानों को बेटरमेंन्ट लेवी देने का भागीदार बनना चाहिये। फिर, अध्यक्ष महोदय, आपको संबोधित करते हुए कहा और इस सदन में बताया कि राजस्थान में उस किसान को भी देखो जो कि किसी से कर्जा लेता है, कर्ज पर ब्याज चुकाता है, कर्ज से कुआ खोदता है, बैलों के जरिये से खेती करता है। उस बेचारे को हम किसी प्रकार की राहत नहीं दे रहे हैं। तो मैं सदन से कहना चाहूंगा कि आज राजस्थान के अन्दर कुए से सिंचाई जहां जहां है तो कहीं 19 रुपया बीघा की रेट, कहीं 18 रुपया बीघा की रेट, कहीं 15 रुपया बीघा की रेट और राजस्थान कैनाल सिस्टम के अन्दर शुगर केन, काटन को छोड़ दें तो वहां पर रेट्स बहुत कम है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि यदि किसानों के प्रति वास्तव में हमदर्दी है तो आपको इस की व्यवस्था करनी पड़ेगी कि जो नहरी सिंचाई शुल्क है उसके मुकाबले में वैल इरिगेशन के चार्जेज कम करने पड़ेंगे। इसलिये, अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यदि गंगानगर और कोटा का आन्दोलन जब आपको दबा सकता है तो राजस्थान का वह किसान भी चेतने वाला है जो कि कुओं के ऊपर लाव पर खड़ा रहकर आपको 19 रुपया बीघा देता है और जहां नहर आयी हुई है वहां का किसान आपको 5 रुपया और 6 रुपया एकड़ के हिसाब से सिंचाई शुल्क देता है। मैं कहता हूं कि आप समाजवाद लाना चाहते हैं तो इस अन्तर को मिटाकर लाओ। आप तो कहते है कि हम बेटरमेन्ट लेवी वसूल करना चाहते हैं। एक तरफ सोशियलिज्म की बात करते हैं। देश का कोई भी इकोनामिक एक्सपर्ट नहीं कह सकता कि यह कोई प्रोग्रेसिव टैक्सेशन है? आपको बेटरमेन्ट लेवी को भी रेशनेलाइज करना पड़ेगा। आज तक बेटरमेन्ट लेवी किसानों के ऊपर लेने की कोशिश की है लेकिन जितना किसानों से घाटा होता है क्या कभी आपने विचार किया कि जो बड़े बड़े कन्सर्न से स्टेट की इन्कम से घाटा होता है उनके उपर आपने कभी बेटरमेन्ट लेवी लगाई है? माननीय मुख्य मंत्री जी स्वयं स्वीकार करेंगे कि उसका रिटर्न राजस्थान को इतना नहीं होता है जितना अपेक्षित था। उन्होंने हैड आफिस कलकत्ता में बना लिया, किसी ने बम्बई में बना लिया और उनका सारा व्यापार कलकत्ता और बम्बई के थ्रू होने लगा और राजस्थान को उस उत्पादन के ऊपर जितना शुल्क मिलना चाहिये राजस्थान उससे भी महरूम हो गया।

(श्री भैरोंसिंह)

राजस्थान की सरकार तो इन्डाइरेक्ट टैक्स जिस सीमा तक जनता के ऊपर लगा रही है मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि इन्डाइरेक्ट टैक्सेज का एक प्रभाव पड़ेगा कि भाव बढ़ेंगे। सेल्स टैक्स बढ़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी बढ़ेगी, पैसेन्जर्स और गुडस टैक्स बढ़ा दिया, ट्यूशन फी बढ़ा दी, पानी के ऊपर स्पिरिट के ऊपर, रेडीमेड गारमेन्टस के ऊपर, डाइज, पेन्ट और कलर के ऊपर, दालों पर, राइस पर, फिशेज पर आपने टैक्स बढ़ाया है। तो आप मानकर चलें कि यह कन्ज्यूमर्स को पे करना पड़ेगा और इसका मतलब यह हुआ कि सारे इन-डाइरेक्ट टेक्सेज का बरडेन राजस्थान की जनता पर पड़ेगा और वह इस बर्डन को वहन कर सकेगी या नहीं ? इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि राजस्थान की सरकार को अब इस टैक्स के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए।

मुख्य मंत्रीजी को याद होगा कि जिस समय तीसरी पंचवर्षीय योजना खत्म होने के पहले राजस्थान की सरकार ने चौथी पंचवर्षीय योजना बनाई और उस चौथी पंचवर्षीय योजना का आंकड़ा तीसरी पंचवर्षीय योजना ने दुगना किया था। तीसरी पंचवर्षीय योजना 208 करोड़ की थी तो उसका जो दूसरा ड्राफट बना वह 416 करोड़ का बना। उस समय आपने अपने ड्राफ्ट को स्वीकार किया है कि राजस्थान में टैक्स देने की कोई क्षमता नहीं है। सेचुरेशन पाइन्ट पर राजस्थान की जनता पहुंच गयी। इसी प्रकार, अध्यक्ष महोदय, जो 239 करोड़ रुपये का आपने प्लान बनाया उसमें भी पब्लिक के ऊपर टैक्सेशन होगा। इसका उस समय कोई प्रावधान नहीं था। 222 करोड़ रुपये भारत सरकार से मिलेगा और 10 करोड़ रुपया फाइनेन्स इन्स्टीट्यूशन्स से। 239 करोड़ रुपये की चौथी पंचवर्षीय योजना होगी लेकिन आज मैं नहीं समझता कि आपको कहां से स्वप्न आ गया ? कौन से रिसोर्सेज आ गये ? कैसे राजस्थान की जनता की पर-कैपिटा इनकम बढ़ गयी कि सरकार ने कह दिया कि 50 करोड़ के हमारे रिसोर्सेज होंगे और उसमें से इनकम और हो सकती है और लोगों पर ज्यादा करभार होगा। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान की सरकार स्वयं कर्जदार बनकर, स्वयं दीवालिया बनकर राजस्थान की जनता को दीवालिया बनाने की चाल चल रही है। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान की जनता को इस संकट से बचाने की कोशिश करें।

अध्यक्ष महोदय, अंत में निवेदन करना चाहूंगा कि मैंने कहा था कि यह बजट डेफिसिट है। यह फाइनेन्शल इर्रेगुलेरिटी नहीं है। यह सदन मानकर चलता है कि राजस्थान में ओवर ड्राफ्ट की पोजीशन चल रही है। राजस्थान में सेन्टर का इनवेस्टमेन्ट नहीं है। राजस्थान में कोई इन्डस्ट्रियल ग्रोथ नहीं हो रहा है, राजस्थान स्टेट की इकानामी बाकी स्टेट्स की इकानामी के मुकाबले में अच्छी नहीं है, यहां पर लेबर पोटेन्शल क्रियेट नहीं हो रहा है, काटेज और मीडियम इन्डस्ट्रीज खत्म हो गयी, राजस्थान के पढ़े लिखे व्यक्तियों को किसी प्रकार का रोजगार नहीं मिलता और रोजगार जब नहीं मिलता तो यह कहना पड़ेगा कि हमारा जो मोनेटरी ट्रान्जेक्शन है उसको हम ठीक तरह से कन्ट्रोल नहीं कर

(श्री भैरोंसिंह)

पा रहे हैं। हम फाइनेन्सियल पोजीशन को ठीक तरह से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि स्वयं फाइनेन्स कमीशन ने इस बात को स्वीकार किया है कि, रिजर्व बैंक आफ इन्डिया के मातहत वह कहते हैं कि यह सारे ओवरड्राफ्ट अनआथोराइज्ड हैं। जैसा मैंने कहा– "Unauthorised over-drafts arise either because of the limits agreed between the States and the Reserve Bank are extended or the over-drafts are not repaid within a period of three months."

अब यह तो सरकार के आंकड़े अपने आप बोलते हैं कि हमने तीन महीने के अन्दर अन्दर ओवरड्राफ्ट का चुकारा नहीं किया और वह बेलेन्स लिमिट तक नहीं ली जो कि लिमिट एक्ट के मातहत एक प्रकार से स्वीकृत है।

अध्यक्ष महोदय, ...

श्री अध्यक्ष : अब आप समाप्त कीजिये।

श्री भैरोंसिंह : 3 महीने में ओवर ड्राफ्ट का चुकारा नहीं हो। उसका चुकारा करने के लिये एडहाक लोन भारत सरकार इनको देती है और उस बेसिस पर चुकारा करते रहते हैं और लेते हैं। लोन राजस्थान की सरकार का बढ़ता जाता है लेकिन मैं मानकर चलूंगा कि आज रिजर्व बैंक आफ इन्डिया 3 महीने के अन्दर ओवर ड्राफ्ट का चुकारा नहीं करती तो आपको अपने मोनेटरी ट्रान्जेक्शन्स बन्द करने के लिये नोटिस दे सकती है। वह नोटिस आपको इसलिये नहीं मिल रहा है कि भारत सरकार का इस समय आपको संरक्षण प्राप्त है। ओवर ड्राफ्ट को पे करने के लिए आपको एडहाक लोन मिलता है लेकिन इस स्थिति में ले आये कि केन्द्रीय सरकार यदि खिलाफ हो तो राजस्थान की सरकार का पेमेन्ट बन्द कर सकती है, राजस्थान की सरकार को रिजर्व बैंक आफ इन्डिया से जो पैसा मिलता है उसको देना बन्द कर सकती है। एडहाक लोन नहीं दे तो राजस्थान के अन्दर केओस क्रियेट हो सकता है।

अध्यक्ष महोदय, यह स्थिति तो इन्होंने पैदा कर दी। अब मैं निवेदन करना चाहूंगा इस सदन से कि क्या इस स्थिति को हम स्वीकार करके चलें ? क्या हमें इस मामले में सतर्क नहीं होना चाहिए कि यदि भारत सरकार और राजस्थान सरकार में मतभेद के कारण यह केओस क्रियेट होगया तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा ? वह स्थिति पैदा हो, उसके पहले में राजस्थान सरकार से नहीं इस सदन से निवेदन करना चाहूंगा और इस सदन के माध्यम से राजस्थान के नहीं बल्कि हिन्दुस्तान के राष्ट्रपति से निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान में आर्टिकल 390 के मातहत फाइनेन्शियल इमरजेन्सी घोषित की जाय और राजस्थान सरकार के जितने फाइनेन्शियल मेटर्स हैं उनको कन्ट्रोल करने के लिये इस आर्टिकल के मातहत जो व्यवस्था की जा सकती है वह व्यवस्था की जाकर लोकतन्त्र को जीवित रखना होगा। लोकतन्त्र की दुहाई इसमें नहीं दी जा सकती है लेकिन आपके किए हुए काम हैं, उन कामों के

Page No. 70

(श्री भैरोंसिंह)

आधार पर इस सदन को बहुत सीरियसली इस प्रश्न पर विचार करना चाहिए कि राजस्थान सरकार से इस प्रकार के पावर्स लेकर भारत सरकार के एक्सपर्ट्स राजस्थान सरकार को किस प्रकार से गाइड करें। मैं इस सदन को इस मुगालते में भी नहीं रखना चाहता हूं कि कोई यह सोचे कि विधान सभा खत्म हो जायगी तो हमारी बाकी की चीजें भी खत्म हो जायंगी, इसलिए मैं कान्स्टीटयूशन के इस पर्टीक्यूलर आर्टिकल को पढ़कर सुनाना चाहूंगा।

"If the President is satisfied that the situation has arisen whereby the financial stability or credit of India or of any part of the territory thereof is threatened, he may by a proclamation make a declaration to that effect."

श्री अध्यक्ष: कौन सा आर्टिकल है ?

श्री भैरोंसिंह : 360. "The provisions of Clause (2) of article 352 shall apply in relation to a Proclamation issued under this article as they apply in relation to a Proclamation of Emergency issued under article 352."

"(3) During the period any such Proclamation as is mentioned in clause (1) is in operation, the executive authority of the Union shall extend to the giving of directions to any State to observe such canons of financial propriety as may be specified in the directions and to the giving of such other directions as the President may deem necessary and adequate for the purpose"

श्री अध्यक्ष : And so on.

श्री विजयसिंह : इसीलिए प्रेसीडेन्ट महोदय को यहां नहीं आने दिया।

श्री अध्यक्ष : जमा नहीं।

श्री भैरोंसिंह : इसलिए, अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं ...

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : ऐसी कोई स्थिति पैदा नहीं होने वाली है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इसमें भत्ता नहीं लेंगे।

श्री भैरोंसिंह : लेकिन यदि यह फाइनेन्शियल केओस क्रियेट हो गया तो आपको एरियर्स में तनख्वाह मिलेगी। यह केओस क्रियेट न हो इसलिए भारत सरकार से निवेदन किया जाय। राजस्थान सरकार यह कह सकती है कि इन्कम के सोर्सेज क्या हो सकते थे जिनको हमने एक्सप्लोइट नहीं किया ? इस सदन के प्रति मैं अपने उत्तरदायित्व को पूरा नहीं निभाऊंगा यदि मैं सदन को यह जानकारी नहीं दूं कि किस आधार पर इन्कम के सोर्सेज बढ़ा सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, इसी कांग्रेस पार्टी की तरफ से श्री मालवीया की अध्यक्षता में एक कमेटी

(श्री भैरोंसिंह)

एपाइन्ट की लैण्ड रिफार्म्स के लिए तो मैं लैण्ड रिफार्म्स के डिटेल्स में तो नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन मैं इतना निवेदन करना चाहूंगा कि उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि हिन्दुस्तान में लैण्डलैस पर्सन्स को लैण्ड नहीं मिली और बाकी ऐसे लोगों ने लैण्ड पर अधिकार कर लिया जिनका उस पर किसी प्रकार से कब्जा नहीं था। वित्त मंत्री महोदय ने अपने भाषण में कहा है कि राजस्थान में करीब 10 लाख एकड़ जमीन का बंटवारा भूमिहीन किसानों के अन्दर किया है उसमें 42 हजार परिवार ऐसे हैं जो शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग हैं और बाकी दूसरे लोग हैं, लेकिन यदि यह सदन जानना चाहे तो जो इत्तिला आज मैंने राजस्व मंत्रीजी से चाही थी वह सब मेरे पास है और मैं उस पर सदन को जानकारी दे सकता हूं, लेकिन मैं मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि आप अपने भाषण में यह बात कह सकते हैं कि हमने सीलिंग के अन्दर जो एक्जेम्पशन्स दिये थे उनको विथड्रा कर लिया है और उसमें टैनेन्सी राइट्स का क्वेश्चन नहीं आता है, उसमें खातेदारी राइट्स बनने का सवाल नहीं आता है।

(1.25 म. प.)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

जब आप एक्जेम्पशन्स को विथड्रा करते हैं तो चुनौती के रूप में एक प्रश्न रखता हूं कि पिछले 5 वर्षों में जिन कांग्रेस के नेताओं ने, जिन विधायकों ने, जिन एम. पीज. ने, जिन प्रमुखों ने, जिन प्रधानों ने और इस प्रकार के मंत्रियों के रिश्तेदारों ने दो लाख एकड़ जमीन पर कब्जा किया है, उस जमीन को 500 रुपये प्रति एकड़ के भाव से बेचा जाय तो उस जमीन से 10 करोड़ की राजस्थान को आय करा सकते हैं। यह यदि आप करें तो निश्चित रूप से कहूंगा कि आपका समाजवादी दृष्टिकोण है। अपनी पूंजी तो छोड़ी नहीं और दूसरों की पूंजी खत्ते में चली जाय, यह समाजवादी मुख्य मंत्री नहीं बन सकते हैं। अगर हैं तो इस प्रकार के रोंग एलॉटमेंट्स जो हुए हैं जो कि लैण्डलैस नहीं थे और जिनके बाप-दादाओं ने कभी खेती नहीं की, खेत पर कभी गये नहीं, खेत कभी देखा नहीं, बीज कभी देखा नहीं, खाद कभी देखा नहीं और आज बड़े बड़े फार्म बनाकर बैठे हैं, उन फार्मों को क्लियर करायें। मंत्री महोदय ने कहा कि प्रापर्टी राइट्स चले जायं तो खुशी होगी, वह तब पता चलेगा जब यह होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि आपने यह व्यवस्था कर दी है आज कि जो इन्कम टैक्स देता है उसके बच्चों से ट्यूशन फीस लेंगे, लेकिन क्या आप यह कह सकते हैं कि जयपुर में, जोधपुर में, कोटा में, उदयपुर में, बीकानेर में जहां जहां पर आपने अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट बना रखे हैं वहां पर आज से कुछ वर्षों पहले यह नियम था कि 400) रु० से जिसका ज्यादा वेतन है उसको रिजर्व्ड प्राइस पर प्लाट्स दिये जायेंगे। आपने फिर इसमें परिवर्तन किया और 400) रु० की सीमा को बढ़ाकर 1000) रु० पर ले आये। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जयपुर में आप चले जाइये, जोधपुर में चले जाइये, कोटा में चले जाइये जो झोंपड़ियां आज से 20 वर्ष पहले थीं वे वहीं की वहीं हैं और जो इन्कम टैक्स पे करते हैं उन लोगों के

(श्री भैरोंसिंह)

मकान शहरों में जाकर देखें तो कितनों ने इन्कम टैक्स चुकाया नहीं उनके मकान कैसे बन गये ? आज प्रापर्टी राइट्स लेने की बात करते हैं और प्रापर्टी राइट्स लेना चाहते हैं और समाजवादी दृष्टिकोण का थोथा नारा देना चाहते हैं तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जिन्होंने इन्कम टैक्स दिया और रिजर्व्ड प्राइस के ऊपर जिन लोगों ने प्लाट्स लिये हैं उन प्लाट्स की कीमत वसूल करने की व्यवस्था राजस्थान सरकार को करनी चाहिए। अगर वह करती है तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि राजस्थान को इस आइटम से 50 लाख रुपये की इन्कम होगी। वह भी आप नहीं करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे डिपार्टमेंटल अन्डरटेकिंग्स घाटे में चल रहे हैं, राजस्थान सरकार डिपार्टमेंटल अन्डरटेकिंग्स के घाटे को पूरा नहीं कर सकती है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि आपके डिपार्टमेंटल अन्डरटेकिंग्स के सम्बन्ध में यह नहीं है कि हम मुनाफे में नहीं चला सकते हैं। मैं एक निवेदन आपसे करना चाहता हूं कि हमें इस प्रकार की मशीनरी इवाल्व करनी पड़ेगी, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी और उसके ऊपर यह उत्तरदायित्व डालना पड़ेगा, उत्तरदायित्व में से पोलिटिक्स को निकालना पड़ेगा और डिपार्टमेंटल अन्डरटेकिंग्स में जो घाटा होता है वह घाटा न हो उसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, इस बजट में एक नई चीज देखी है। सदन को बड़ी खुशी है कि उदयपुर के पास झामलकोटड़ा में रॉक फास्फेट मिला है और राक फास्फेट राजस्थान के लिए वरदान सिद्ध होगा और राजस्थान को राक फास्फेट मिलने से खुशी हुई और राजस्थान सरकार ने राक फास्फेट के उत्थान के लिए, लोडिंग-अनलोडिंग और ट्रांसपोर्टेशन के लिए डिपार्टमेंट्रल वर्किंग शुरू किया। आज उसमें काम करने से 25 लाख का मुनाफा है और 5 टन रोज से निकालना शुरू किया और मैं समझता हूं कि 500-600 टन्स प्रति दिन से ज्यादा वह बढ़ नहीं सकता है, आज उस राक फास्फेट को राजस्थान सरकार ने बीकानेर जिप्सम को दिया है, 44 से 46 रुपया प्रति टन के हिसाब से दिया है और दो हजार टन्स प्रति दिन निकालेंगे उस कांट्रेक्ट के बेसिस पर दिया है। मैं इस समाजवादी सरकार से पूछना चाहता हूं कि आपकी राजस्थान सरकार इतनी निकम्मी हो गई है कि वह उसका स्टेट सेक्टर में काम नहीं कर सकती है। यदि आप स्टेट सेक्टर में काम करें तो 115 लाख की जो आपने इन्कम बताई है उस सेक्टर से तो वह निश्चित रूप से 3 करोड़ की इन्कम उससे हो सकती है। मैं सदन से निवेदन करना चाहूंगा कि आप किस मोटर को पकड़ें, किस गाड़ी को पकड़ें, आप इस रॉक फास्फेट की माइन्स को पकड़ें। वह दूध देने वाली गाय है जो कि बिना चारा खाये राजस्थान की जनता को दूध पिलायेगी, लेकिन आपने बीकानेर जिप्सम को दिया है और यह कहा गया है कि हम शेयर केपिटल बढ़ाकर और 50 पर्सेन्ट शेयर खरीदकर मैनेजिंग डाइरेक्ट्री अपने हाथ में ले लेंगे, लेकिन इस बात से कोई इन्कार नहीं कर सकता है कि 50 पर्सेन्ट प्राफिट हो गया है। इन्कम टैक्स देने के बाद

(श्री भैरोंसिंह)

राजस्थान को आय नहीं होगी। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इसमें ज्यादा कीमत बढायेंगे उतना रॉक फास्फेट मंहगा होगा, और रॉक फास्फेट जितना मंहगा होगा फर्टीलाइजर उतना महंगा होगा और यदि फर्टीलाइजर महंगा होगा तो किसान के पास इन्वेस्टमेंट के लिए सेविंग कम होगी और सेविंग कम होगी तो देश का उत्पादन घटेगा। तो इस सारे दृष्टिकोण से इस पर विचार करें।

हमारे मुख्य मंत्रीजी को इन्कम बढ़ाने की चिन्ता नहीं है उनको चिन्ता रहती है जयसमन्द की मछलियों का ठेका मि० कपूर को देने की। मुझे मच्छी से ही बदबू नहीं आती है मुझे इसके नाम से ही बदबू आती है, लेकिन इस डिपार्टमेंट की फाइल्स से बदबू आती है। जिस व्यक्ति ने यह दिया है उसके हाथ सड़ते जिस व्यक्ति ने दस्तखत किये उनके हाथ सड़ते। जिसकी मंजूरी से ठेका हुआ, उसकी शक्ल सड़ती। आज राजस्थान सरकार अपनी इन्कम बढ़ाना चाहती है? मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी को एक चिट्ठी लिखी थी, उसका जवाब तुरन्त देना तो दर किनार रहा, एक साल के बाद में उत्तर दिया गया कि यह कान्ट्रेक्ट नहीं दिया जायगा। लेकिन अभी मालूम हुआ कि वह कान्ट्रेक्ट दे दिया गया है। आखिर कौनसी मजबूरी आ गई थी कि राजस्थान सरकार को उसके अन्दर घुटने टेक देने की स्थिति आ गई, जिसके कारण जयसमन्द के मामले में राजस्थान सरकार ने घुटने टेक दिये।

अध्यक्ष महोदय, मैं आमदनी का दूसरा जरिया बताता हूं। राजस्थान सरकार ने चंवालीस करोड़ की गारन्टी दे रखी है, यह चंवालीस करोड़ की गारन्टी बाकी किस काम के लिए दी गई है वह तो बजट में दिया हुआ है। लेकिन आज व्यवस्था इस बात की करनी चाहिए थी कि इस गारन्टीड मनी के ऊपर हम कोई टैक्स लगायें। आज बीस करोड़ तो ड्यू हैं और चंवालीस करोड़ की हमने गारन्टी दी है, अगर हम इस चंवालीस करोड़ पर आधा पर्सेन्ट टैक्स लगा देते तो माथुर साहब आप अन्दाज लगाइये कि स्टेट गवर्नमेंट को प्रति वर्ष कितने की इन्कम होती? लेकिन आप आधा पर्सेन्ट गारन्टीड मनी पर टैक्स लगाने का भी फैसला नहीं कर सकते......

श्री मथुरादास माथुर : हाफ पर्सेन्ट लेते हैं।

श्री भैरों सिंह : लेते हैं तो कहां है?

श्री मथुरादास माथुर : गारन्टी जो देते हैं उसमें हाफ पर्सेन्ट चार्ज करते हैं गारन्टी फीस।

श्री भैरों सिंह : बजट में दिखाइये।

श्री मुकुटबिहारी लाल गोयल : लास्ट ईअर तो था, इस साल नहीं है।

श्री भैरों सिंह : लास्ट ईअर था।

श्री मथुरादास माथुर : पहले एक पर्सेन्ट था, फिर क्वाटर पर्सेन्ट किया, अब हाफ पर्सेन्ट है।

श्री भैरों सिंह : जिस समय फाइनेन्स मिनिस्टर मि० कौल थे उस समय मैंने निवेदन किया था तो उस समय यह आश-

(श्री भैरोंसिंह)

वासन दिया था कि एक पर्सेन्ट करेंगे, जब कि इस सदन के कई माननीय सदस्यों ने अपील की थी कि यह पांच पर्सेन्ट किया जाय। तो उस समय उन्होंने कहा था कि पांच पर्सेन्ट कर देंगे तो कोई गारन्टी लेगा नहीं क्योंकि बैंक का इन्ट्रेस्ट भी उसके बराबर आता है। इस कारण आवश्यकता इस बात की थी कि जो हाफ पर्सेन्ट का कर रखा था, उसको आप बढ़ाते तो आज की स्थिति में, जब टाइट पोजीशन है मनी की, उसके कारण गारन्टी देने के कारण स्टेट गवर्नमेंट की इन्कम इसकी तुलना में कितनी बढ़ सकती थी। उसके बेसिस पर यह चार्ज को बढ़ा कर आप इन्कम करते। तो मैं समझता हूं कि राज्य सरकार इस प्रश्न पर भी विचार करेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा खासतौर से वित्त मंत्री जी को कि कल जयपुर में शराब की दुकान का ठेका हुआ, मनोहर सिंह जी मेहता के लिए यह चिन्ता का विषय होगा, उसमें सत्ताइस लाख का ठेका, सारी, सैंतीस लाख का जो ठेका था वह सैंतालीस लाख में हुआ है। सरकार ने जो गारन्टी सिस्टम इन्ट्रोड्यूज किया था, अब गारन्टी सिस्टम की जगह कान्ट्रेक्ट बेसिस पर, आक्शन बेसिस पर फिर आना चाहते हैं। तो मैं एक बात समझ नहीं पाया कि सरकार की नीति तो है नहीं प्रोहिबिशन की, प्रोहिबिशन की नीति केवल कागज में है दुनिया को बताने के लिए कभी ड्राई डेज घोषित करती है तो कभी ड्राई डिस्ट्रिक्ट घोषित करती है, कभी गारन्टी सिस्टम इन्ट्रोड्यूज करती है, कभी टेक चन्द कमेटी की उन बातों का सहारा लेती है जो सरकार के लिए मुफीद पड़ती हैं। अब गारन्टी सिस्टम से आक्शन से शराब बिकेगी, यह आक्शन सिस्टम अगर आज से पांच वर्ष पहले, जो अब सिस्टम इन्ट्रोड्यूज किया है, उसको पहले लागू कर देती तो राजस्थान सरकार को करोड़ों रुपये की आमदनी होती। लेकिन आप और हम हिपोक्रेसी के शिकार हैं इसलिए ही जो हम करना चाहते हैं वह हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन करना नहीं चाहते, वह इसलिए नहीं करना चाहते, वित्त मंत्री जी, कि गारन्टी सिस्टम में ठेकेदार काबू में रहते हैं। पिछले वर्ष पच्चीस लाख रुपये की गारन्टी माफ की और लगभग बत्तीस लाख आज ठेकेदारों में बकाया पड़ा है, और अब उसमें से कितना माफ किया जाय–इस बात की बातचीत कर रहे हैं। मुख्य मंत्री जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि गंगानगर के किसानों ने कोई ज्यादा टैक्स रिलीफ की बात नहीं की होगी, सैस आन कार्मशियल क्राप का पच्चीस लाख का उन्होंने विरोध किया, तो वित्त मंत्री जी ने एक झटके में पच्चीस लाख राइट आफ कर दिया। दूसरे झटके में लोगों ने बैटरमेंट लेवी का सवाल उठाया तो यह राजस्थान सरकार सतर्क रहे, दूसरे झटके में इस बैटरमेंट लेवी को भी साफ कर देंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप किसानों को पैसा नहीं दे सकते, लेकिन यह बात समझ में आ गई है कि शराब के ठेकेदारों के साथ में रियायत की जा सकती है। यह सरकार की नीति है, किसानों का शोषण सम्भव है लेकिन शराब की बिक्री से जहां आमदनी होने वाली है उसके लिए कुछ नहीं कर सकती। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान सरकार ने जिस प्रकार के टक्सेज

(श्री भैरोंसिंह)

लगाये हैं, वित्त मंत्री जी, एक बात आप स्वीकार करेंगे, आपने कई चीजों पर सेल्स टैक्स लगाया–उससे मुझे आपत्ति नहीं, मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूं कि आपने कभी मध्य प्रदेश, गुजरात, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में किस किस प्रकार के किन किन आइटम पर टैक्स है–इसकी जांच की है ? इसका तुलनात्मक स्टेटमेंट बनाया है ? उपाध्यक्ष महोदय, हालत यह हो गई है कि राजस्थान में कोई भी सेन्टर, मार्केटिंग सेन्टर जयपुर में नहीं बना, जोधपुर में बनने का सवाल नहीं था, उदयपुर में बनने का सवाल नहीं था। वह केवल इसलिए नहीं बन सका क्योंकि दूसरी स्टेट और हमारी स्टेट में इन्टर सेल्स टैक्स और सेल्स टैक्स में वेरीएशन इस प्रकार का है कि जयपुर में कोई आदमी माल खरीदना नहीं चाहेगा, दिल्ली जाकर वहां से माल खरीदेगा। और इसमें आदमी का सवाल नहीं है, मुख्य मंत्री जी खुद इस बात को जानते होंगे कि जितनी डिपार्टमेंटल पर्चेजेज होती हैं उनमें सेल्स टैक्स को कम करने के लिए, सेल्स टैक्स नहीं देने के लिए राजस्थान सरकार इस जयपुर से सामान नहीं खरीदती है, वह बाहर के ट्रेडर का टेण्डर मंजूर करती है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आपके वश का नहीं तो यह मेरे वश का भी नहीं है, आप राजस्थान के कुछ एक्सपर्ट्स का एक कमीशन बैठाइये, उसके सामने इस मुद्दे को रखिये कि राजस्थान की इन्कम बढ़े, उसके साथ साथ राजस्थान का ट्रेड बढ़े, राजस्थान में मार्केटिंग सेन्टर बनें, और बने हुए मार्केटिंग सेन्टर पनपें किस प्रकार ? यह भी व्यवस्था करके आपको चलना पड़ेगा। इसके साथ साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान की सरकार ने कल एक कम्पनी का फैसला किया था, अजमेर अमलगमेटेड कम्पनी का। लेकिन भोपाल इलेक्ट्रिसिटी कम्पनी के लिए भी मुख्य मंत्री चाहेंगे कि वह भी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में शामिल कर दी जाय। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यदि आप समाजवादी दृष्टिकोण से कुछ काम करें, समाजवादी दृष्टिकोण से राजस्थान सरकार की इन्कम होती है तो उसमें आपत्ति नहीं है, समाजवाद के नाम से, समाजवाद के नाम पर यदि गरीब और अमीर के बीच की खाई पटती है तो भी मुझे आपत्ति नहीं है, समाजवाद का नाम लेकर, लेकिन यदि अलग अलग पूंजीपतियों को दण्डित करने की कोशिश करें तो मैं निश्चित रूप से निवेदन करना चाहूंगा कि मैं इसका विरोध करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं पांच मिनिट और बोलना चाहूंगा।

खास तौर से जयपुर के लिए वित्त मंत्री ने बड़े गर्व से घोषणा की है, उसका मैं स्वागत करता हूं। जोधपुर में उन्होंने पानी की व्यवस्था की है, कई शहरों के पाईप लाइन के आंकड़े दे दिये हैं। मैं मुख्य मन्त्री जी, आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान की राजधानी जयपुर ने कौनसा गुनाह किया है जिस गुनाह के कारण इसको पीने का पानी नहीं मिले, जिस गुनाह के कारण शहर की सारी सड़कें टूट जायं और उनकी मरम्मत नहीं हो, जिस गुनाह के कारण हर घर के सामने गन्दगी पड़ी रहे, जिस गुनाह के कारण कच्ची बस्तियों को बिजली देने की व्यवस्था नहीं हो, जिस गुनाह के कारण

(श्री भैरोंसिंह)

यहां किसी प्रकार की काटेज या छोटी इण्डस्ट्री नहीं पनपे, जिस गुनाह के कारण जो बहुत वर्षों से पनपती आ रही है, अध्यक्ष उस चीज का काम खत्म हो गया। पीतल का काम खत्म हो गया, हाथी दांत का काम खत्म हो गया, रंगाई का काम खत्म हो गया, जूती बनाने का काम खत्म हो गया, कागज बनाने का काम खत्म हो गया। यह राजस्थान सरकार की नीतियों के कारण खत्म हो गये। लेकिन सदन के कोई माननीय सदस्य, मुख्य मंत्री या वित्त मंत्री राजस्थान की इस राजधानी जयपुर की गलियों में जाकर पांच मिनिट के लिए खड़े हो जायं तो या तो उनका सिर शर्म से झुक जायेगा और अगर सिर नहीं झुकेगा तो बेहोश होकर जमीन पर गिर जायेंगे। इतनी गन्दगी है। इतनी सड़कें टूटी हुई हैं। वहां पर किस प्रकार लोग रह रहे हैं यह एक ताज्जुब की बात है। आप बाकी जगह पैसा लगायें इसमें मुझे आपत्ति नहीं है। उदयपुर में लगायें, जोधपुर में लगायें मुझे आपत्ति नहीं है। मैं निवेदन करना चाहूंगा अगर आपने इस शहर के अन्दर इस प्रकार के स्लम बना दिये तो आपके लिए संकट खड़ा होगा, जनता के लिए संकट खड़ा होगा। इस जयपुर के अन्दर पानी की बहुत कमी आने वाली है। गर्मी आ गई है, अब पानी का संकट खड़ा होगा। आपके उसके लिए बारह लाख रुपये का प्रावधान करने का विचार है। कर दिया या नहीं यह पता नहीं है। मैं वित्त मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि टयूब वैल्स की यहां व्यवस्था नहीं हो सकती है, और बनास योजना की प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार नहीं हुई हैं, और रिपोर्ट तैयार हो गई है तो यह जिस गति से काम चालू होता है उससे दस वर्ष उसमें लगेंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि गर्मी के महीनों को निकालना मुश्किल हो जायगा। इसलिए राजस्थान सरकार को इस प्रश्न पर विचार करना चाहिए।

और अन्त में यह निवेदन करते हुए कि राजस्थान सरकार अपने वित्तीय साधनों को बढ़ाने के स्थान पर कम करने की चेष्टा न करे, राजस्थान सरकार अपने एडमिनिस्ट्रेशन में इकानोमी को लाने के लिये एक कमेटी इस सदन के सदस्यों की मुकर्रर करे। पिछली बार इकानामिक कट में जब चपरासियों और कर्मचारियों की कमी की थी तो हमने मुख्य मंत्रीजी से निवेदन किया था कि राजस्थान के एडमिनिस्ट्रेशन में इकानामी के लिये वे इस सदन के सदस्यों की एक कमेटी बैठा कर इस विषय पर डिस्कशन करें। इस बजट के अवसर पर भी राजस्थान के एडमिनिस्ट्रेशन में इकानामी के लिये समय मिलेगा इसलिये हमने वित्त मंत्रीजी से निवेदन किया था कि बजट पेश करने के स्थान पर वोट आन अकाउन्ट पास किया जाय ताकि एक्सपेन्डीचर में कमी करने के लिये फेअर डिस्कशन किया जाय। पर उन्होंने 9 तारीख को बजट पेश किया, इस टाइम में जितना विचार हो सकता है, उतना ही होगा। आज राजस्थान का टोप हैवी एडमिनिस्ट्रेशन हो गया है, उसमें इकानामी लाने के लिए मुख्य मंत्री कुछ सुझाव नहीं दे सकते, राजस्थान का मंत्रिमण्डल कुछ सुझाव नहीं दे सकता, क्योंकि उसके पीछे कुछ प्रेज्युडिसेज हैं, कुछ पूर्वाग्रह हैं, इसलिये इस सम्बन्ध में सदन की एक समिति बनाई जाय जो एडमिनिस्ट्रेशन के प्रत्येक ढांचे की जांच कर के राजस्थान सरकार को सुझाव दे कि इस प्रकार इकानामी की जा सकती है।

श्री हरिदेव जोशी (उद्योग मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, बजट भाषण के ऊपर इस सदन में माननीय सदस्यों के सुझाव और विचार आपके और हमारे समक्ष आये हैं। कई माननीय सदस्यों ने इन पिछले दो दिनों में इस बजट की समीक्षा करते हुए यह कहा है कि यह आगे ले जाने वाला बजट है और इससे कई माननीय सदस्यों को संतोष भी हुआ है। जब कि कुछ ने इसे परम्परागत ही माना है और यह कहा है कि कांग्रेस जिस दृष्टिकोण की बातें करती है इस बजट से उस दृष्टिकोण का पता नहीं चलता है।

कल कुछ माननीय सदस्यों ने राजनीति के सम्बन्ध में भी कुछ चर्चाएँ की थीं और आज जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने राजस्थान सरकार की आर्थिक नीति और उसके सम्बन्ध में कुछ बातें कही हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इसमें दो राय नहीं है कि राजस्थान का आर्थिक ढाचा जिस प्रकार का है उसमें हम चाहें कितने ही अग्रगामी कदम उठाना चाहें, वह कदम एक वर्ष में अथवा एक ही समय में नहीं उठाये जा सकते। और इसलिये सबसे बड़ी बात हमारे सामने यह होनी चाहिये कि हम किस दिशा में बढ़ना चाहते हैं। माननीय सदस्य यदि एक इस चीज को ध्यान में रखेंगे तो महसूस करेंगे कि इस बजट के जरिये राजस्थान सरकार ने जो दिशा का संकेत दिया है वह एक सही संकेत है। राजस्थान में हमारी आमदनी का अथवा लोगों के रोजगार का सबसे बड़ा जरिया खेती का है और उसमें भी बड़ी होल्डिंग्स वाले लोग कम हैं। शायद हिन्दुस्तान भर में राजस्थान ही पहला राज्य है जिस राज्य ने इन्ट्रस्ट फ्री लोन्स शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स को दिये हैं। अगर माननीय सदस्य इस चीज को देखें और अब जो एक तरीका अख्तियार किया गया है उसमें राजकीय मशीनरी और लोक सेवक दोनों ही मिल कर यह प्रयत्न करें कि प्रत्येक छोटे खातेदार के पास चौथी पंचवर्षीय योजना में एक कुआ होगा और उसके लिये सिचाई का साधन बन जायगा तो मैं समझता हूं कि यह एक कदम राजस्थान की इकानामी को ऊँचा उठाने के लिये काफी हो जायगा। आज दो, ढाई करोड़ की आबादी में हमारे बहुसंख्यक किसान चाहे वे कहीं रहते हों, अगर उन्हें 5-10 एकड़ जमीन के ऊपर सिचाई के साधन मिल जाते हैं और एक फसल के बदले जो कि केवल मानसून पर ही निर्भर करती है दो-तीन फसलें कर सकें तो इससे उनकी आर्थिक स्थिति में बहुत बड़ा परिवर्तन आयेगा। इस लिहाज से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सारी चीजें इस लिहाज से देखी जानी चाहिये।

पिछड़े वर्गों को ऊंचा उठाने के लिये, उनमें शिक्षा के प्रसार के लिये, उनकी नौकरी के लिये जिस प्रकार के संरक्षण दिये हैं वह अपने आपमें वही बात है जो मैं निवेदन करना चाहता था।

जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने राक फोस्फेट की चर्चा यहां की। मुझे खुशी है कि उसे आज वे पब्लिक सेक्टर में लेने के लिये कहते हैं।

श्री भैरोंसिंह : मेरे कहने से ही ले लो।

श्री हरिदेव जोशी : खुशी की बात है कि प्राइवेट सैक्टर के लिये आज कांग्रेस के ही नहीं दूसरे लोग भी उत्साहपूर्वक आगे बढ़ाने के लिये बोलते हैं। कल एक माननीय सदस्य के किसी एक पार्टी के लिये, दूसरी पार्टी के लिये, हमारी पार्टी के लिये कुछ

(श्री हरिदेव जोशी)

बातें कही थीं। मैं कहना चाहता हूं कि इन पिछले कुछ महीनों में कुछ विचार संघर्ष लोगों में शुरू हुआ है और उसने आम लोगों को सोचने को मजबूर किया है। चाहे रूलिंग पार्टी हो, चाहे अपोजिशन हो, आर्थिक साधनों के बिना राजनीति व्यर्थ हो जाती है। राक फास्फेट को पब्लिक सेक्टर में लिया जाना चाहिये, यह जब कहते हैं तो मुझे उत्साह और बल मिलता है। राक फोस्फेट का राजस्थान में मिलना हमारे लिये बड़ी सफलता है। उन सब लोगों को जिन्होंने इसका प्रोजेक्टिंग कर के इसको आम लोगों के सामने रखा, उनकी तारीफ किये बिना मैं नहीं रह सकता।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को यह जानकारी देना चाहता हूं कि डा. त्रिगुण सेन जो कि सेन्टर के पैट्रोलियम और केमिकल्स के मिनिस्टर हैं उन्होंने रॉक फास्फेट के लिये किये गये राजस्थान के प्रयत्नों की भूरि भूरि प्रशंसा की है। जिस रेकर्ड टाइम में यह अचीवमेंट प्राप्त किया गया है यह हमारे लिये गौरव की, राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में यह हमारे लिये बड़ी सफलता थी। जब माननीय सदस्य ने मुझे यह मौका दिया कि रॉक फास्फेट के बारे में चर्चा करूं तो उन्होंने जो कहा है उससे अधिक कहने का लोभ संवरण नहीं कर सकता। उसको मैं आपके सामने रखता हूं।

रॉक फास्फेट के डिपोजिटस जैसलमेर में सबसे पहले मिले परन्तु वे उतने इकानामिकल नहीं थे। उसके बाद में राजस्थान की टीम ने सर्वे किया, गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया की जियोलोजिकल सर्वे टीम ने सर्वे की। गर्वनमेंट आफ इन्डिया की टीम जहां काम कर रही थी वहां लोअर ग्रेड का रॉक फास्फेट मिला और जहां राजस्थान की टीम काम कर रही थी हायर ग्रेड का रॉक फास्फेट मिला। गर्वनमेंट आफ इन्डिया का कहना था कि पायराइटीज और रॉक फास्फेट गर्वनमेंट आफ इन्डिया के अधिकार में रहेगा पर हमारा यह आग्रह था कि चूंकि राजस्थान की जोग्राफिकल सिच्युएशन ऐसी है कि यहां पर दूसरे उद्योग नहीं चल सकते। मिनरल इन्डस्ट्रीज यहां अच्छी तरह से चल सकती है इसलिये पायराटीज और रॉक फास्फेट के कारखाने राजस्थान में कायम किये जायं। जिसकी लम्बे अर्से तक की चर्चाओं में भारत सरकार ने हां नहीं कही। परन्तु हमारी बात में वजन था इसलिये गर्वनमेंट आफ इन्डिया ने इस बात को बाद में स्वीकार कर लिया कि राजस्थान के अन्दर रॉक फास्फेट और पायराइटीज का एक बड़ा कम्प्लेक्स कायम किया जाय। यह भी फैसला किया कि जो रॉक फास्फेट राजस्थान में मिला है उसको आगे बढाया जाय, उसमें राजस्थान सरकार काम करे और पायराइटीज के लिये गर्वनमेंट आफ इन्डिया काम करे। इसे हमने स्वीकार किया। जो उदयपुर के अन्दर रॉक फास्फेट निकला है उसके ए. बी. सी. और डी. जोन सुविधा के लिये बनाये गये। डी जोन का रॉक फास्फेट हाई क्वालिटी का है, उसको राजस्थान में काम में लिया जायगा। दूसरा जो क्षेत्र है उसमें लोअर ग्रेड का रॉक फास्फेट है उसका बेनीफेक्शन बहुत जरूरी होगा। हमारे सामने समस्या थी कि हम उसका काम शुरु करें। मैं ऐसा समझता हूं कि भारत सरकार के अधिकारियों ने शायद यह समझा था कि जब स्वीकृति दे रहे हैं तब क्योंकि राजस्थान सरकार की प्लान सीलिंग कम है, वित्तीय साधन कम हैं,

(श्री हरिदेव जोशी)

इसलिए शायद हम काम नहीं कर सकेंगे और हम राक फास्फेट में भी वही काम करें, क्योंकि उत्खनन और बेनीफिकेशन के अंदर कई करोड़ रुपए लगने की संभावना थी, हम अपने पास से इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते तो हम काम नहीं कर सकते, यह नहीं होना चाहिए, इस लिहाज से सरकार के बीकानेर जिप्सम लिमिटेड में मैजोरिटी शेयर्स हैं, मैजोरिटी शेयर्स इस तरह के थे कि 50 प्रतिशत राजस्थान सरकार के शेयर्स इन डाइरेक्टली है और एक हजार के शेयर्स गंगानगर शुगर मिल्स ने खरीदे हैं और इस प्रकार 50 पाइंट समथिंग अर्थात मैजोरिटी शेयर्स राज्य सरकार के डाइरेक्टली या इन्डाइरेक्टली होते हैं···

श्री भैरोंसिंह : नहीं हुए हैं।

श्री हरिदेव जोशी : मैं कहता हूं, मेरे पास फाइल है। इस प्रकार से मैजोरिटी शेयर्स हमारे हैं। अब कैपिटल हम उसकी और बढ़ाना चाहते हैं। आज कम्पनी की केपीटल है 25 लाख जिसमें 12।। राज्य सरकार के और 12।। दूसरों के हैं। 25 लाख की हम और कैपिटल रेज करना चाहते हैं जिसमें 12" प्रतिशत राज्य सरकार के और 12½ जनता के। यह क्यों करना पड़ा ? इसलिए कि जो औद्योगिक नीति अभी से पहले थी उसके अंदर कारपोरेशन्स को और राज्य सरकारों को प्राइवेट इंडस्ट्री के एट पार नहीं माना जाता था अर्थात अगर बेनीफिकेशन के लिए अथवा खनन के लिये कोई प्राईवेट एजेंसी लोन लेना चाहें तो लोनिंग एजेंसी उनकी पेइंग कैपसिटी के अनुसार लोन देगी किन्तु यदि राज्य सरकार अथवा राजस्थान औद्योगिक व खनिज निगम अथवा सरकार का कारपोरेशन कोई लोन लेना चाहे तो उसको प्लान सीलिंग के अनुसार ही लोन मिलेगा। इस प्रकार जितना हमें लोन चाहिए उतना आउटसाइड दी प्लान सीलिंग नहीं मिल सकेगा इसलिए हमने सोचा अगर बीकानेर जिप्सम जो प्राइवेट कंपनी है, वह अगर इसमें काम करे तो लोनिंग एजेंसीज से लोन भी ले सकती हैं, सरकार का नियंत्रण भी है और 31 मार्च से मैनेजिंग एजेन्सी खतम होती है, इस प्रकार से सीधी सरकार की कम्पनी होगी। उसके बाद में कारपोरेशन में और कम्पनी में कोई फर्क नहीं रह जायगा। इस दृष्टि से हमने इसके अन्दर काम शुरु किया। आज की तारीख में इस बात में कोइ फर्क नहीं पड़ा है कि ·······

श्री भैरोंसिंह : बेनीफेक्शन प्लांट का प्रोवीजन जो बजट में है, क्या है ?

श्री हरिदेव जोशी : आज की तारीख में स्टेट के मुनाफे में कोई फर्क नहीं पड़ा है, हम किसी प्राईवेट को काम नहीं दे सकते जिसमें सरकार का नियंत्रण नहीं है। आज इस बारे में कई लोग काम कर रहे हैं और प्रचार कर रहे हैं, उनमें कुछ हैं प्राईवेट कंपनियां और एक है फर्टीलाइजर्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया। ये चाहते हैं कि यह सारा काम इनको दे दिया जाय। हम प्राईवेट कंपनीज को नहीं दे सकते। इसी प्रकार फर्टीलाइजर्स कारपोरेशन को भी हम नहीं दे सकते क्योंकि बीकानेर जिप्सम को अगर कोई मुनाफा होता है तो 50 प्रतिशत राज्य सरकार का है और उससे डाइरेक्टली या इन्डाइरेक्टली अगर आयकर देते हैं तो उसका भी बेनीफिट हमें मिलेगा,

(श्री हरिदेव जोशी)

जब कि फर्टीलाइजर्स कारपोरेशन का बेनीफिट हमें नहीं मिलेगा। लेकिन मेरा मतलब यह नहीं है कि भारत सरकार के कारपोरेशन को न देकर हम डाइरेक्टली काम करना चाहते हैं। जैसा माननीय सदस्य ने कहा है, इसको सार्वजनिक क्षेत्र में रखा जाना चाहिए, यह सार्वजनिक क्षेत्र में ही है, माइने बीकानेर जिप्सम को हमने यहां से वहां माल ढोने का ठेका दिया है। जैसे रेलवे सार्वजनिक क्षेत्र में है लेकिन अगर पुल बनाना हो तो वह प्राइवेट कान्ट्रेक्टर से बनवाते हैं। इसी प्रकार यह काम बीकानेर जिप्सम का हम करवाते हैं जो एक प्रकार से गवर्नमेंट कंपनी है तो वह डाइरेक्टली राज्य सरकार के नियंत्रण में है और उसका बेनीफिट भी डाइरेक्टली राज्य सरकार को मिलता है...

श्री भैरोंसिंह : बेनीफिट कुछ भी नहीं मिलने वाला क्योंकि जो कुछ आमदनी होगी, 60 प्रतिशत टैक्स में चली जायगी और 40 प्रतिशत में से 20 प्रतिशत दूसरे शेयर होल्डर्स ले जायेंगे और 20 प्रतिशत आपको जायेंगे। यदि राज्य सरकार करती है तो 100 प्रतिशत आपको मिलेगा।

श्री हरिदेव जोशी : अगर राज्य सरकार के पास 4 करोड़ रुपये लगाने को हों तो सीधा करना चाहिये।

श्री भैरोंसिंह : 4 करोड़ बीकानेर जिप्सम को भी आप राज्य सरकार की गारंटी पर दिला रहे हैं, उनका पैसा नहीं है।

श्री हरिदेव जोशी : अगर आज मान लिया जाय कि उसका प्रॉफिट क्या होना चाहिए, यह राज्य सरकार के संचालक बैठकर तय करेंगे। यह डिसीजन उन्हीं को करना है इसलिए आज जिस कंपनी का फुल नियंत्रण राज्य सरकार के हाथ में हो, उसके अंदर कई चीजें नहीं दिखाई देती।

मैं समझता हूं, पिछले वित्त मंत्रीजी के भाषण में आपने सुना कि अगले वर्ष के अंदर 1.18 करोड़ राक फास्फेट से आमदनी आपने मानी है, कैसे मानी है ? आज से कुछ वर्ष पहले खनिज विभाग की आमदनी कुछ लाख के अंदर थी, आज इस बजट के अंदर 1.97 करोड़ उसकी आमदनी रखी है जो पिछले वर्ष की अपेक्षा कई गुना ज्यादा है। अगर जिस प्रकार से हम प्लान कर रहे हैं, उसके अंदर सब का सहयोग मिले, चौथी योजना के अंदर जो साधन हम जुटाना चाहते हैं मैं समझता हूं कि राक फास्फेट का उसके अन्दर बहुत बड़ा हाथ होगा, ऐसा मानकर चलता हूं। इसलिए राज्य सरकार बहुत ही जागरूक है कि राक फास्फेट के एक्सप्लोइटेशन से, बेनीफैक्शन से और दूसरे जरिए जितना ज्यादा से ज्यादा साधन राज्य सरकार को मिल सके, उसके अंदर कोई कसर न रखेगी इसके अंदर इकानामी लाने में....

श्री भैरोंसिंह : बजट में जो बेनीफैक्शन प्लांट का प्रोविजन रखा है, वह मांडू-की-पाल में लगायेंगे या झामरपुरा में ?

श्री हरिदेव जोशी : दोरपुरा में। मांडू-की-पाल में फ्लोराइट का और राक फास्फेट दोरपुरा के लिए है, वह वहीं पर लगेगा।

श्री भैरोंसिंह : कंपनी को इन्डाइरेक्टली हैल्प करनी है तो उनसे कहो बेनीफेक्शन प्लांट हम लगाते हैं बाकी काम तुम करो।

श्री हरिदेव जोशी : नहीं, राज्य सरकार लगाएगी तो राज्य सरकार खर्चा करेगी। श्राज से कुछ महीने पहले अथवा आज भी राज्य सरकार इस पोजीशन में नहीं थी कि अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो डाइरेक्टली नहीं कर सकती। हमने बजाय भारत सरकार को देने के, एक कंपनी के जरिए लोन्स देकर इस काम को शुरू किया तो कोई गल्ती नहीं की। श्राज फर्टीलाइजर्स के लिए कहा जाता है कि राक फास्फेट महंगा होगा तो फर्टीलाइजर महंगा होगा। आज भी हम राक फास्फेट दे रहें हैं 120) प्रति टन, इम्पोर्ट प्राइस लगभग श्राधे से थोड़ा सा ऊपर है।

श्री भैरोंसिंह : उसका मुकाबला मत करो।

श्री हरिदेव जोशी : इम्पोर्ट की जो प्राइस है वह है 220) प्रति टन और हम सप्लाई कर रहे हैं वह 120) प्रति टन और हम जो जिंक स्मेल्टर को देते हैं वह 90) प्रति टन, यह नेगोशिएटेड प्राइस है। इस लिए यह कहना कि श्राज फर्टीलाइजर्स की कीमत बढ़ जायगी, वह कीमत पहले से बढ़ी हुई है, श्राज हम उनको सप्लाई करेंगे डाइरेक्टली यूजफुल है, वह सप्लाइ करेंगे। उनको एफ० श्रो० आर० उदयपुर स्टेशन 120) हम देंगे। ऐसी हालत में भारत सरकार से मांग करेंगे कि जो फर्टीलाइजर फर्म्स आज बाहर से खरीद रहे हैं, वह हमसे खरीदें। उनका इम्पोर्ट बन्द करना चाहते हैं, राजस्थान का राक फास्फेट उनके पास पहुंचना चाहिये, फर्टीलाइजर की प्राइसेज गिरनी चाहिये ताकि किसानों को फर्टीलाइजर सस्ता मिल सके।

हमारी कभी यह मंशा नहीं है कि राजस्थान के पास यह मिनरल आ गया है इसलिये मन चाही कीमत रखें। वैसे कोई आधार नहीं है मन चाही प्राइसेज रखने के। गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया की एजेन्सी कीमत और सारी चीजों को देखेगी। श्राज खनन में 40 रुपया खर्च होता है श्रौर ट्रान्सपोर्ट आदि को मिला कर 45। 46 रुपया होता है श्रौर हर रोज कीमत घटती बढ़ती रहती है। गवर्नमेन्ट श्रॉफ इन्डिया चार पांच साल के लिये सोच कर तय करे वह हम करना चाहते हैं। फर्टीलाइजर की प्राइसेज इस कारण से ऊंची नहीं होगी, नीची ही होगी। आज भी डी. सी. एम. श्रौर दूसरी फर्टीलाइजर फेक्ट्रीज हैं वे ऊंची कीमत पर रॉक फास्फेट खरीद रही हैं और भारत सरकार की खरीद और उन दोनों की खरीद में बहुत फर्क है। इसलिये यह भारत सरकार के देखने की बात है कि फर्टीलाइजर की कीमत क्या रखें। इम्पोर्ट के मुकाबले में कम ही रहेगी।

श्री भैरोंसिंह : प्राइसेज बढ़ने का जिस श्राधार पर तय किया है 45। 46 रुपये जिप्सम कम्पनी से तय किया है उसके लिये श्रापने टेन्डर इन्वाइट नहीं किये हैं। मेरी यह मान्यता है कि अगर टेन्डर्स इन्वाइट किये जाते तो निश्चित रूप से कह सकता हूं कि 44 रुपये की जगह 30 और 34) रु० खुदाई, ट्रान्सपोर्ट, लोडिंग-श्रनलोडिंग का बनता और प्राइसेज को कम्पोनेन्ट से निकालते तो कम प्राइसेज होती।

श्री हरिदेव जोशी : किसी प्राइवेट कम्पनी के कम्पीटीशन में आते हैं तो टेन्डर्स इन्वाइट किये जाते हैं। मैं प्रिफरेन्स देना चाहता हूं केवल दो चीजों को। या तो गवर्न-

Page No. 82

(श्री हरिदेव जोशी)

मेंन्ट ऑफ राजस्थान डाइरेक्टली काम करे राजस्थान का डिपार्टमेन्ट ऑफ माइन्स एण्ड जियोलोजी काम करे अथवा राजस्थान की कम्पनी काम करे। और तीसरा किसी के लिये नहीं। क्योंकि नियम ही ऐसे हैं। यह मिनरल्स के शिड्यूल में है। गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया कभी मंजूर नहीं करेगी। जो केल-कुलेशन्स राजस्थान सरकार ने किये हैं, बीकानेर जिप्सम कम्पनी से नेगोशियेट करके तय किये हैं। उनके कान्ट्रेक्ट में रखा गया कि पीरियोडिकली रेट्स डिस्कस की जावेंगी और जब कभी हम चाहेंगे हम कम कर सकेंगे अथवा बढ़ा सकेंगे। इसलिये हमारा खनन, ट्रान्सपोर्ट आदि पर बिलकुल कन्ट्रोल है। जैसा माननीय सदस्य ने कहा कि रॉक फास्फेट का पहाड़ है थोड़ासा बर्डन हटाने पर तुरन्त मिल जाता है। पचास फीट नीचे जाने पर तो कोस्ट बढ़ जावेगी ?

श्री भैरोंसिंह : उसको पहले से ही मालूम है।

श्री हरिदेव जोशी : इसके माने यह होते हैं कि हम पन्द्रहवें दिन उसके पैसे तय करें। यह तो गलत हो जायेगा इसलिये एक वर्ष की प्राइस को तय किया है। आज हम 500 टन पर-डे खोद रहे हैं। अगले जून में लगभग 2 हजार टन पर-डे खोदेंगे और उसके बाद में $2\frac{1}{2}$ हजार टन फोर्थ फाइव प्लान में। और फिफ्थ प्लान में पांच हजार टन पर-डे के ऊपर पहुंचना है। राजस्थान गवर्नमेंट भी काम करती है तो एक वर्ष के खर्च को, केपिटल इन्वेस्टमेंट और मुनाफे को ध्यान में रखकर काम करना होता। डाइरेक्टर माइन्स एण्ड जियोलोजी, फाइनेन्स कमिश्नर और इन्डस्ट्रीज सेक्रेटरी ने मिल कर इस की कास्ट को वर्क आउट करके तय किया है। बीकानेर जिप्सम 48 रुपया पर-टन मांगती थी। हमने ना कहा। कम्पनी के अकाउन्टस आज भी देखने के लिये ओपन हैं। यदि कम्पनी कम कीमत में काम करेगी तो इसको घटाने में किसी प्रकार का संकोच नहीं होगा। 30 लाख रुपया या तो रोड्स पर खर्च करना है और 3 लाख रुपया अभी देना पड़ा है। बिजली के लिये इन्वेस्टमेंट करना है। माननीय सदस्य यह कहते हैं कि कम में हो सकता है उस सारी चीज को देख ही नहीं पाते हैं।

श्री भैरोंसिंह : देखिये, रोड गवर्नमेंट ने बना दी डामर डालने का प्रश्न है।

श्री हरिदेव जोशी : कहां बना दी ?

श्री भैरोंसिंह : कम्पनी से लेना चाहते हैं ? इलैक्ट्रिसिटी के खम्भे चले गये वह भी उसके खाते में रखना चाहिये।

श्री हरिदेव जोशी : अभी तक तो हमारी सीमा में एक भी खम्भा नहीं गया। गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया की सीमा में गये हैं। सड़क भी नहीं बनी है। कोई महीना ऐसा नहीं रहता है जब मैं वहां नहीं जाता हूं और उसकी हर प्रोग्रेस को न देखता होऊं। यह कहना सही नहीं कि जबदस्ती से डालना चाहते हैं। रोड उमरा से लेकर पिट माउथ पर बनानी होगी। उदयपुर साइड की रोड गवर्नमेंट की बनाई हुई है।

श्री भैरों सिंह : उदयपुर की साइड से लेजा सकेगा।

श्री हरिदेव जोशी : इतनी नहीं है आप मेरे साथ में बैठ जाइये।

श्री भैरोंसिंह : मैं कोई दुर्भावना से नहीं कह रहा हूं। रॉक फास्फेट की प्रोजेक्ट रिपोर्ट का एग्रीमेंट हुआ है हाउस को उसकी स्क्रूटिनी करनी चाहिये। गवर्नमेंट की भी कहीं गलती हो सकती है और बाकी के लोगों की भी गलती हो सकती है। इतने बड़े प्रोजेक्ट का लाइटली डिसीजन लिया तो उचित नहीं होगा। हाउस से स्क्रूटिनाइज निश्चित रूप से कराना चाहिये।

श्री हरिदेव जोशी : आप पब्लिक एन्टरप्राइजेज कमेटी के चेयरमैन हैं। आप देख सकते हैं।

श्री भैरोंसिंह : इसीलिये तो हालत खराब हो जाती है। मैं देख लेता हूं तो यहां बोल नहीं सकता हूं।

श्री हरिदेव जोशी : मैं आपको उस रूप में इन्वोल्व भी नहीं करना चाहता। हमारा एक अचीवमेंट है उसमें आप सब को भागीदार बनाना चाहते हैं। आप उसको देख लीजिये। कोई सजेशन देंगे तो मैं उसको वेलकम करूंगा। आप बोल रहे थे। मैं इसीलिये खड़ा हुआ कि हर चीज को सदन के सामने रख दूं। हमारे लिये दूसरा कोई चारा ही नहीं था कि इसको तुरन्त शुरू करें। तुरन्त चालू नहीं करें तो गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया ले ले। हमारे हाथ से यह चला जाता। दूसरा रेड टेप में पड़ते तो हमारे हाथ से यह चला जाता। मैं आज भी मानता हूं। आप यह समझिये, हमारा यह अचीवमेंट है, राजस्थान की हिस्ट्री में पांच सौ टन पर-डे कम समय में हुआ हो। (करतल ध्वनि)
हमारा यह अचीवमेंट है। फाइनेन्स मिनिस्टर साहब ने कभी यह नहीं कहा कि कोड़ी कोड़ी खर्च कर दो जब कि राक फास्फेट के लिये यह कहा है नेट आमदनी 20 लाख रुपया चाहा तो हमने दिया है। नेट आमदनी एक करोड़ रुपया भी हम देंगे।

(करतल ध्वनि)

श्री भैरोंसिंह : बार बार सस्ती ताली मत बजाओ।

श्री हरिदेव जोशी : जिस प्रकार से स्टेट के डेवलपमेन्ट के लिये स्टेट गवर्नमेंट ने निजी रिसोर्सेज जुटाने के लिये पचास करोड़ रुपया मांगा जनता से, पब्लिक से बल्कि कन्ट्रीब्युशन होगा यह मैं कह सकता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरिवल्लभ शर्मा।

श्री हरिवल्लभ शर्मा (सवाई माधोपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय उद्योग मंत्रीजी ने जो जिक्र किया है उससे मुझको ही नहीं राजस्थान की जनता को भी क्षोभ हुआ है। यह परम्परागत बजट है। लोगों को पहले से ही आशा थी कि यह बजट डेफिसिट का होगा और जनता को यह आशंका भी थी कि कुछ नये कर लगाये जायेंगे। माननीय वित्त मंत्री जी ने कर लगाये जाने के जो कारण बताये हैं और उन्होंने अपने बजट भाषण में ज्यादातर पृष्ठ इस बात के रंगे हैं कि राजस्थान सरकार बड़ी दयनीय आर्थिक अवस्था में है और इसका प्रमुख कारण प्राकृतिक प्रकोप है। सन् 67 को छोड़कर 68 व 69 में भयंकर अकाल पड़ा और इसके पहले भी यहां अकाल पड़ा। इसलिये सिर्फ सन् 67 में ही रेकार्ड उत्पादन हुआ और उसके पश्चात् राज्य का कृषि उत्पादन बराबर घटता रहा। सन् 68 में राज्य के 26 जिलों में से 13

(श्री हरिवल्लभ शर्मा)

जिले अकालग्रस्त थे और 69 में 26 में से 16 जिले अकालग्रस्त हो गये। इसके कारण राज्य की वित्तीय व्यवस्था पर बहुत बड़ा कुप्रभाव पड़ा और राज्य की वित्तीय क्षमता अकाल राहत कार्यों को चालू रखने के कारण टूट गई। उपाध्यक्ष महोदय, यही नहीं बल्कि जो आंकड़े राज्य सरकार ने दिये हैं उनसे हमारे यहां सितम्बर 70 तक एक अरब से अधिक रुपया राहत कार्यों पर व्यय हो जाने की सम्भावना है। पहले 30 सितम्बर 69 तक 53 करोड़ रुपया खर्च हो गया और 31 मार्च 70 तक लगभग 24 करोड़ रुपया और खर्च हो जायेगा और इसके बाद 26 करोड़ रुपया व्यय होने का अनुमान है। लेकिन बजट भाषण में यह जो एक अरब रुपया खर्च हुआ है और उससे जो काम हुए हैं उसका विवरण भी दिया है उसमें बताया गया है कि कुछ हजार मील कच्ची सड़कें बनाई गई हैं और करीब 5347.... ...

श्री मदन सिंह (दांता रामगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, सदन में मंत्रीगण अटेन्टिव नहीं हैं। उन्हें यह भी पता नहीं है कि सदस्य क्या बोल रहे हैं।

श्री हरिवल्लभ शर्मा: 5347 किलोमीटर ग्रेवल, 900 किलोमीटर मैटल और 405 किलोमीटर डामर रोड कम्पलीट की गई है। इस विवरण से पता लगेगा कि यह पिछले साल जो विशेष काम इसमें करवाये गये हैं वे अनुत्पादक कार्य थे और इससे राज्य के वित्तीय विकास में किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं मिल सकती। इस सदन में कई बार इस पर चर्चा हो चुकी है। अकाल राहत कार्यों में इस प्रकार की व्यवस्था की जाये, इस प्रकार के निर्माण कराये जायें जिससे इस का मुस्तकिल इलाज हो और इस अकाल से बचा जा सके। लेकिन इस सरकार ने भारी भरकम राशि खर्च करने के बाद मेरे ख्याल से इस ओर ध्यान नहीं दिया है 1 अरब 10 करोड़ रुपये को योजनाबद्ध तरीके से किसी काम में खर्च किया जाता तो बेहतर रहता। ऐसे कार्य पर खर्च किया जाता जिससे आइन्दा इससे बचाव हो सकता और साथ ही साथ हमेशा जो प्रकृति का प्रकोप हमारे राज्य पर आता, हमारे राज्य की वित्तीय अवस्था पर आता, उससे बच पाते।

उपाध्यक्ष महोदय, इस बड़ी भारी रकम को खर्च करने के बाद भी मुझे एक बात का बड़ा संकोच है और क्षोभ है। क्षोभ इस बात का है कि अकाल राहत कार्यों में, जहां मानवता का प्रश्न है, इस राज्य सरकार ने सौतेला व्यवहार किया है। अकाल ग्रस्त गांवों को घोषित कर दिया जाता है, रेवेन्यू की वसूली ससपेन्स कर दी जाती है लेकिन जहां अकाल राहत कार्यों को शुरु करने का सवाल आता है तब वे यह देखने लगते हैं कि इस क्षेत्र से कौनसी पार्टी जीती है और इस बात का प्रत्यक्ष नमूना इस बात से मिलता है कि इस सदन में विरोधी पक्ष में बैठने वाले जो सदस्य हैं, जो अकाल पीड़ित क्षेत्र से आने वाले हैं, उन्होंने इस बात की, इस सदन में चर्चा की है। मेरे क्षेत्र का जहां तक प्रश्न है, उपाध्यक्ष महोदय, आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि मेरे जिले में 488 गांवों को अकालग्रस्त घोषित किया गया था। इससे प्रभावित जनसंख्या 2,80,342 थी और प्रभावित क्षेत्र था 94,335 एकड़ और पशुधन 4 लाख 358 और अकाल घोषित किया 28-11-68

Page No. 85

(श्री हरिवल्लभ शर्मा)

को लेकिन सारे डिस्ट्रिक्ट में विकास का काम, अकाल राहत का काम, चारा खरीदने का काम, पानी की व्यवस्था, इन सारे काम पर जो खर्च किया गया, साल भर में वहां जो खर्चा किया गया, वह है कुल 52 हजार रुपया। जिस जिले में 488 गांव अकाल ग्रस्त हों और उन 488 गांवों पर अकाल राहत कार्यों के मद में कुल मिलाकर 52 हजार रुपया खर्च किये जाते हैं जबकि अकाल के नाम पर एक अरब और दस करोड़ का अनुमानित व्यय हमें बताया जाता है। किस जिले में कितना व्यय हुआ इसको सदन में कहा नहीं जा सकता है। इस बात को बार बार यहां इस सदन में कहा गया है। राज्य के अकाल राहत मंत्री जी को कहा गया तो उनका उत्तर मिलता है क्या करें? शिड्यूल रेट पर लोग नहीं आते हैं, यह कहा जाता है। उपाध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में इस सदन को यह बताना चाहता हूं। एक प्रश्न के उत्तर में मुझे सरकार की ओर से यह उत्तर मिला था, जो इसी सिलसिले में मैंने पूछा था, 28-11-68 को जब गांवों को अकाल ग्रस्त घोषित किया था तो उस के बाद सब से पहले काम वहां 25 मार्च, 69 को खोला गया था। इसका मतलब हुआ करीब 5 महीने बाद काम वहां खोला गया अकालग्रस्त गांवों की घोषणा करने के बाद। जिन गांवों में अकाल था, जब उन लोगों के पास खाने के लिये अनाज नहीं था, वे लोग 5 महीने तक उस क्षेत्र में खाली बैठ कर क्या करते? उनको वहां कोई मजदूरी नहीं मिली इसलिए वे लोग पास के क्षेत्र में, मध्यभारत के इलाके में चले गये। और इसका परिणाम यह हुआ कि उन्हें वहां आषाढ़ तक रहना पड़ा। इस प्रकार सरकार ने उस क्षेत्र में टैस्ट वर्क देर से खोले। होता यह है कि मंजूरी चली जाती है तो वर्क नहीं खुलते। और यदि टैस्ट वर्क चालू कर दिये जाते हैं तो एक तहसीलदार से यह रिपोर्ट करा ली जाती है कि आदमी नहीं आ रहे हैं और उनको बंद कर दिया जाता है। होना यह चाहिये कि उस क्षेत्र के जो जन-प्रतिनिधि हैं उनसे इस बारे में पूछा जाता। आप उन को पूछते नहीं हैं। इस प्रकार से मुझे भय है कि जो व्यय इस मद में हुआ है, वह सही रूप से कितना हो पाया है, कितना घोटाले में चला गया है और कितनी इस में गड़बड़ियां हुई हैं, यह केवल जांच से ही पता चल सकता है। कोई सेन्ट्रल स्कीम, प्रोजेक्ट बनता है तो उस का कोई बोर्ड अलग से बनाया जाता है ताकि किसी को शिकायत न रहे। इसलिये यह ज्यादा अच्छा होगा कि किसी को शिकायत न रहे, किसी प्रकार का घोटाला इस में न हो पावे, अकाल राहत बोर्ड या किसी किस्म का कोई बोर्ड कायम किया जावे जिसके तत्वावधान में यह कार्य चल सके और जो कर्म हुआ है उसकी भी जांच हो सके। इसलिये इस सदन के सदस्यों का एक बोर्ड गठित किया जावे। विरोधी सदस्यों को यह बराबर शिकायत बनी रहती है कि राज्य सरकार राजनीतिक दृष्टिकोण के कारण हमारे क्षेत्रों में अकाल राहत कार्यों में पक्षपात करती है। इस विषय में मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्रीजी ने इस बात को माना है कि हमारे इस राज्य

(श्री हरिवल्लभ शर्मा)

में वित्तीय आय का मुख्य आधार कृषि है। हमारा यह कृषि प्रधान देश है और अधिकतर हम खेती पर ही निर्भर हैं। इस कृषि के उत्पादन में पिछले वर्षों गिरावट आयी है। परन्तु हमारे वित्त मंत्रीजी ने यह विश्वास व्यक्त किया है कि राजस्थान कृषि सुधारों में, भूमि सुधार में अग्रणीय रहा है और यहां भूमि सुधार करीब करीब सभी कर लिये गये हैं। लेकिन शायद वित्त मंत्रीजी को इस की, इस बात की पूरी जानकारी नहीं है। उन्होंने कागजी कार्यवाही से ही इस बात के लिये सन्तोष कर लिया है।

उपाध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद किसानों को एक आशा बंधी है, उन्हें इस बात की धारणा हो गई है कि उनको ट्रेक्टर खरीदने के लिये, कुआ खोदने के लिये और जो उन के आवश्यकीय कार्य हैं, उसके लिये बैंकों से कर्जा मिल सकेगा और राज्य सरकार ने इस बात की घोषणा की है कि सारे किसानों को पास बुकें दे दी जायेंगी। मुझे पता नहीं है कि कितने जिलों में पास बुकें दे दी गई है लेकिन जहाँ तक सवाई-माधोपुर जिले का प्रश्न है, या मेरे क्षेत्र का सवाल है, मैं यह निवेदन करूंगा कि सवाई माधोपुर सब-डिवीजन में आज तक किसी भी किसान को कोई पास बुक नहीं दी गई है। संवत् 2002 में जो बंदोबस्त 20 साला हुआ था, उस के बाद दुबारा कोई बन्दोबस्त वहां नहीं हुआ है। बीस साल की अवधि उस बन्दोबस्त को किये समाप्त हो गई लेकिन उसके बाद आज तक फिर बन्दोबस्त नहीं किया गया। जिसका परिणाम यह निकला कि बाबा के नाम जमीन है तो उसी के नाम चली आ रही है जब कि उसकी मौत हो गई उसके पोते पोते काश्त करने लगे लेकिन गश्त गिरदावरी में उन्हीं का नाम चला आ रहा है। सिलिंग का जब सवाल आया तब जाकर कुछ लोगों ने अपने नाम करवा ली। हालांकि आज भी रेकार्ड में पुराने नाम ही चले आ रहे हैं, जो वस्तुस्थिति है वह यहां बताते हैं उससे विपरीत है। कुछ काश्तकारों को खातेदारी मिल गई। संवत् 2003 और 4 में उस क्षेत्र के जागीरदार ने बन्दोबस्त करवाया था। वह भी इतनी जल्दी में था जिसके कारण कुछ गड़बड़ियां रह गई थीं उसके बाद आज तक बन्दोबस्त नहीं हुआ। आप उसी के आधार पर सन्तोष मानकर चलते हैं। इसके कारण किसानों को लोन आदि लेने में काफी दिक्कतें हो रही हैं। लैण्ड मोर्टगेज बैंक भी बिना बन्दोबस्त में नाम हुए ऋण नहीं देता है, एक पैसा भी। उदाहरण सामने आया है कि किसी ने गलत नाम दर्ज करवाकर लोन ले लिया लेकिन रेकार्ड से जब छानबीन की गई तो पता चला उसका फलां जमीन पर कभी कब्जा रहा ही नहीं।

आज बैंकों द्वारा कर्जा देने की व्यवस्था हुई है। इस समय सबसे बड़ी आवश्यकता इस बात की है कि लैण्ड रेकार्ड्स को दुरुस्त करवाया जाय। मैं समझता हूं यह हाल केवल सवाई माधोपुर का ही नहीं है अन्य इलाकों में भी यही स्थिति हो सकती है और है। आज भी नियमों में प्रावधान है कि जो कुछ परिवर्तन होता है वह पटवारी के

(श्री हरिवल्लभ शर्मा)

ऊपर है कि वह उसको रेकार्ड में ले। कब्जे पर किसी व्यक्ति का नाम परिवर्तन करना है तो वह पटवारी द्वारा रेकार्ड पर करवाये। आज होता यह है कि वर्षों तक इन्तकाल नहीं होता। परिणाम यह होता है कि वस्तुस्थिति जो वह यहां बताते हैं माननीय सरकारी पक्ष के सदस्य उससे विपरीत है। इस तरह से इन्द्राज समय पर नहीं होने से अनर्थ हो सकता है।

मैं इस बारे में सरकार से पुरजोर निवेदन करना चाहता हूं कि वे इस बारे में तुरन्त कदम उठावें। मैंने बजट में देखा है बन्दोबस्त करने वाले कर्मचारियों को सरप्लस किया जा रहा है और उनको दूसरे विभागों में लगाने की बात कर रहे हैं मेरा निवेदन है कि जिन इलाकों में बीस साल पहले बन्दोबस्त हुआ है उसको दुबारा करवाया जाना चाहिये। यह भी भूमिसुधार का महत्वपूर्ण काम है। इसके बिना सहकारी बैंक और लैण्ड मोर्टगेज बैंक और राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा ऋण नहीं मिल सकता।

जहां तक पास बुकों का सवाल है, कुछ जिलों में दे दी गई होंगी जहां मंत्रियों का प्रभाव है या कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का प्रभाव है वहां इनका वितरण हो गया होगा। अभी राजस्थान के अधिकांश जिलों में पास बुकें नहीं मिली हैं वहां दिलाई जानी चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री महोदय ने बजट भाषण में इसको सन्तुलित बजट बताया है और इस बात से सन्तोष व्यक्त किया है। 3 करोड़ से कुछ अधिक के कर लगा कर वसूल करने का निश्चय किया है उसके बाद भी 29 करोड़ का घाटा रह जाता है जिसके लिए कहा गया है कि वह सेन्टर से मदद लेकर पूरा कर दिया जायगा। अभी जैसा कि श्री भैरोंसिंहजी ने बताया था घाटा तो केवल इसलिए दिखाया गया है कि कुछ टैक्स लगाने हैं। मैं यह कह सकता हूं कि इससे भी अधिक बजट में घाटा रहने वाला है। पांचवे वित्त आयोग ने इस बारे में राज्य सरकार को आगाह किया है और सलाह दी है कि वे 31 मार्च 70 तक अपने खर्चे में कमी करके 18 करोड़ से ज्यादा खर्च न करें और इसके अन्तर्गत ही वह रह कर चलें। पर जैसा कि बजट में दिया गया है कि 24 करोड़ के करीब तो खर्च हो कर चुके हैं और 26 करोड़ और खर्च करने की आशा है। तो जैसे पंचम वित्तीय आयोग ने इस बात को स्वीकार किया है कि सहायता की राशि 50/50 प्रतिशत के बजाय 75/25 के अनुपात से भी दें तो यह अड़चन पड़ेगी कि राज्य सरकार 50 करोड़ खर्च करना चाहती है और वित्त आयोग ने 36 करोड़ के लगभग अकाल राहत में खर्च करने की सलाह दी थी। पर यह खर्चा उससे भी अधिक है।

आप यह मानकर चल रहे हैं कि यह बजट रबी की फसल की सम्भावनाओं पर आधारित हैं। यह रबी की फसल हमारे सामने आ रही है। 16 जिलों में कहतसाली से अन्न उत्पादन में गिरावट आई थी वह रबी की फसल से कम हो जायगी यह सोच रहे हैं। अब 67 से लेकर 70 तक की परकैपिटा इन्कम और साथ ही प्राइस इन्डेक्स को देखें तो ज्ञात होगा कि जहां पर परकैपिटा इन्कम घटतीजा रही है वहां पर मंहगाई बढ़ी है। तो

(श्री हरिवल्लभ शर्मा)

आमदनी घटी और महंगाई बढ़ती गई यह स्थिति जहां पर हो जावे वहां पर इस तरह के टैक्स लगाते जाना किसी तरह उचित नहीं होगा। अब उन्हालू की काश्त पर आशा है। पर कल ही आप लोगों ने सुना होगा कि राजस्थान में लगभग एक हजार गांवों में भयंकर ओलावृष्टि से सारी फसल नष्ट हो गई और राज्य को राहत के काम फिर से चालू करने होंगे। मैंने स्वयं ने हालत देखी है तो उससे अनाज तो दूर रहा चारा तक नहीं रह गया है। तो ऐसी स्थति में आप जो यह मानकर चलते हैं वित्तीय स्थिति पर इस फसल का असर पड़ेगा, यह मुश्किल है।

आखिर इस महत्वाकांक्षा से भरी हुई योजना को सोच समझ कर पूरा करने की जरूरत है। आवश्यकता इस बात की है कि बजट को इस प्रकार से मोड़ दिया जावे कि जिससे हमारी आय जितनी है और जितनी आसानी से उसे बढ़ा सकते हैं उसी के आधार पर हमारी योजना बना कर चलें।

यह खुशी की बात है कि पांचवें वित्त आयोग द्वारा आगे आने वाली योजना के लिये अधिक धनराशि मिल सकेगी और 300 करोड़ से ऊपर की यह योजना होगी पर यह समझ में नहीं आता कि आप उस वित्त आयोग के अवार्ड को न मान कर यह कोशिश कर रहे हैं कि कुछ और अधिक मिल जावे तो अच्छा है। यह तो ठीक है। पर आखिर इस पंचवर्षीय योजना का प्रारूप आप निश्चित करते क्यों नहीं हैं? आप सदन में उसे पेश क्यों नहीं करना चाहते हैं? सदन को अन्धकार में क्यों रखना चाहते हैं? हमें पता तो लगे कि आप कौन-कौन सी योजनाओं को हाथ में लेना चाहते हैं। इसलिये यह भी निवेदन करूंगा कि चालू चौथी योजना के लिये आयोग की सिफारिशों के बाद जो प्रारूप बना है वह माननीय सदस्यों को अवश्य मिलना चाहिए ताकि उस पर सभी दृष्टि से विचार किया जा सके।

उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह आता है कि जब प्रकृति का प्रकोप बराबर राजस्थान मे हो और उससे राज्य की वित्तीय स्थिति पर भी बहुत प्रभाव पड़ा हो तो आखिर हमें सोचना होगा कि हम अपने साधनों को किस तरह से मोबिलाइज करके सैल्फ जनरेटिंग इकानोमी कायम कर सकते हैं।

पश्चिमी राजस्थान में अकाल पड़ा करते हैं। अनुभव यह कहता है कि अकाल पूर्वी राजस्थान में कम पड़ता है। अगर आप कृषि उत्पादन की दृष्टि से पूर्वी राजस्थान की तरफ थोड़ा ध्यान दें और उधर धीरे-धीरे गंग कैनाल, राजस्थान कैनाल, माही कैनाल आदि से पानी ठीक तरह से पहुंचाना शुरू कर दें और जहां मीडियम इरिगेशन के वर्क्स बहुत हों वहां प्रोत्साहन दें और पश्चिमी राजस्थान के हिस्से को दिक्कत के समय पूर्वी राजस्थान का डेवलप्ड हिस्सा अनाज सप्लाई कर सकता है। पूर्वी राजस्थान खरीफ और रबी दोनों फसलों वाला इलाका है। फिर भी उस का अधिकतर भाग आज भी ऐसा है जहां सरल इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं है और अगर उसको इससे जो दिया जावे तो यह हिस्सा पश्चिमी राजस्थान को चारे के बारे में और अनाज के बारे में भी जरूरत पड़ने पर अच्छी तरह से फीडअप कर सकता है। इसमें आपको व्यय भी कम पड़ेगा।

पर आज तो इस ग्रामीण विद्युत योजना का अजीब हाल है। एक निहित

(श्री हरिवल्लभ शर्मा)

स्वार्थ के हित साधन के लिये पांच मील लाइन खींचकर तो आप ले जावेंगे उन्हें पांच मील लाइन खींचकर ले जाने का खर्चा आप पर कितना ही पड़े। नियम आपके कैसे ही हों वैसे ही धरे रह जाते हैं। लेकिन अगर आपके पास ऐसी कोई स्कीम पंचायत समिति या जिला परिषद् पूरे समर्थन के साथ भेजे कि पांच मील लाईन ले जाने पर ऐसी जगह भी है जहां 150/200 कुए इरिगेट हो सकते हैं तो वहां पर आप क्षेत्रीय भेदभाव के कारण और राजनैतिक भेदभाव के कारण बिजली नहीं ले जाना चाहते। नहीं ले जावेंगे। तो यह क्यों है ?

मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि बरकत साहब 12 तारीख को हमारी तरफ गये थे। जिला परिषद् की मीटिंग थी। वहां अनुरोध किया गया कि रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन यहां गावों में किया जाय। बहुत लाभकारी स्कीम यह साबित होगी।

श्री उपाध्यक्ष : अब तो दो साल ही बचेंगे इसलिये काम करेंगे अगले चुनाव को जीतने के लिये।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : पर फिर भी ये ध्यान नहीं दे रहे हैं उपाध्यक्ष महोदय। उसका सर्वे नहीं कराया गया। पंचायत समिति ने प्राथमिकता देने के लिये कहा जिला परिषद् ने कहा। नक्शे बनाकर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को भेजे। पर इतने दिन हो गये आज तक काम चालू कराना तो दूर जवाब तक नहीं मिला। सवाई माधोपुर जिले की शेरपुराखिलची कक्ष के गांव अकेले पचास हजार मन गल्ला पैदा करते हैं। 200 कुए हैं वहां। नजदीक नजदीक हैं और आलनपुर से सिर्फ तीन मील पर हैं। पर वहां लाईन नहीं ले जावेंगे। पर खींचकर ले गये दस ग्यारह मील दूर जहां कृषि की दृष्टि से बहुत कम लाभ होगा। जहां मिडियम सिंचाई के साधन काफी उपलब्ध हैं पर कुए इक्के-दुक्के ही हैं। वहां मिडियम साधनों का उपयोग कर सकते थे।

जहां नहर नहीं पहुंच सकती, सिंचाई के और कोई साधन उपलब्ध नहीं हैं, पर कुए बहुत हैं, जमीन अच्छी है, दोनों फसलें भरपूर हो सकती हों, कुओं में पानी भी बहुत हो वहां के लिये इलेक्ट्रिफिकेशन लाभदायक है और सभी दृष्टियों से लाभदायक सभी के लिये हैं पर वहां बिजली नहीं ले जावेंगे। तो घाटे में तो आप जानबूझकर बिजली बोर्ड को डालना चाहते हैं। सही दृष्टिकोण से नहीं सोचने के कारण घाटा और सारी गड़बड़ियां होती हैं। तो जहां पांच सौ कुओं को काम में लेना हो उनका पूरा लाभ लेना हो, जहां जमीन अच्छी हो सिंचाई के और कोई साधन नहर आदि नहीं हों वहां इलेक्ट्रिफिकेशन की स्कीमों को आप प्राथमिकता दें। कम से कम खर्चा वहां होगा और अधिक से अधिक उत्पादन मिलेगा पर यह आप करने वाले नहीं हैं।

इसी प्रकार से कई बार मुख्य मंत्रीजी घोषणा कर चुके हैं और इस सदन में भी अकाल राहत मंत्री जी घोषणा कर चुके हैं कि अधूरी सड़कों को पूरा करवा देंगे निश्चत रूप से। पर ये कोरे आश्वासन हैं। सन् 66 में भाडोती से खिरनी तक का चार मील का टुकड़ा कच्चा बना। 67 में डामर नहीं पड़ा उस पर 68 में नहीं और 69 में भी नहीं। आज तो सब उखड़ाकर केवल मिट्टी रह गई है वह भी थोड़े दिनों में चली जावेगी। पर

(श्री हरिवल्लभ शर्मा)

राजनैतिक प्रतिशोध की भावना के कारण वह सड़क भले ही मिट्टी में मिल जावें पर उस पर काम नहीं हो सकता । यह आपकी भावना है ।

तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मन्त्री मण्डल से निवेदन कर देना चाहता हूं कि यह राजनैतिक प्रतिशोध की दृष्टि से सोचने का तरीका बहुत गलत है । राजनैतिक प्रतिशोध की दृष्टि से योजना का इम्पलीमेन्टेशन करना शुरू करते हैं तो अर्थ का अनर्थ आप कर सकते हैं और इससे आपकी अर्थ व्यवस्था की भी कमर टूटती जा रही है । इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि आप इस राजनैतिक प्रतिशोध का रास्ता छोड़कर शुद्ध राज्य की सर्वांगीण प्रगति को ध्यान में रखकर काम करें ।

एक माननीय सदस्य : वित्तमन्त्रीजी सो रहे हैं ।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : अगर इस तरह से काम होता रहा तो पश्चिमी राजस्थान भी हरा भरा बन सकता है । मैंने उधर से आई गायें देखी हैं । हजारों की तादाद में वे इधर आई हैं । उनकी बहुत बुरी हालत है । बाड़मेर जैसलमेर से चलते चलते वे वहां तक पहुंची हैं पहाड़ों की वजह से भी कुछ उनकी हालत गिरी है क्यों कि वे समतल मैदानों की रहने वाली हैं । बड़े बड़े सुन्दर सींग हैं । अच्छी भली नस्ल लगती है । पर आज तो वे केवल हड्डियों के ढांचे मात्र दिखते हैं तो अगर सही दृष्टि से सही भावना से बिना किसी प्रकार की राजनैतिक प्रतिशोध की भावना से योजना को क्रियान्वित किया जाता रहे तो यह हालत नहीं होने वाली है । शुद्ध विवेक से और सारे राजस्थान की सर्वांगीण प्रगति की भावना से दृढ संकल्प से राजस्थान को हम प्रगति के पथ पर ले जा सकते हैं ।

इसके अतिरिक्त शिक्षा पर कर लगाने की आपकी बात मेरी समझ में नहीं आती । इससे आपको कितनी मदद मिल सकेगी । आप शिक्षकों को रोजगार दे नहीं सकते । बहुत बड़ी संख्या में पढ़े लिखे लोग बेरोजगार पड़े हैं । और तो और टैकनिशियन बी. ई., एम. ई. और डाक्टर इन्जीनियरों तक को आप रोजगार नहीं दे पा रहे हैं पोलीटैकनिक वाले बेकार, एस. टी. सी वाले बेकार ।

(घंटी)

आपने यह भी कहा था कि प्रत्येक जिला हैडक्वार्टर पर कालेज खोले जावेंगे । आप यह भी नहीं कर सके । सवाई माधोपुर भी इनमें से एक है । सात हायर सेकण्डरी स्कूल आसपास में मौजूद हैं पांच दस मील के दायरे में । पर वहां के लिये कॉलिज का जब नाम आता है तो सुना अनसुना कर दिया जाता है । हम इस बात के लिये तैयार हैं कि सवाई माधोपुर में बिल्डिंग दें लेकिन आश्वासन हो तब । इस प्रकार के आश्वासन नहीं जैसे बारां में हुआ । मुख्य मंत्री जी आश्वासन देकर आये थे लेकिन वहां अभी तक कॉलेज नहीं खुला । आगे आप तीन करोड़ का टैक्स लगाते हैं यह एक घंटे में एक स्कीम से ही निकल सकता है । पंचायत समिति के पास कोई काम नहीं । पहले पंचायत समितियां तकाबी बांटा करती थीं, वह अब सेन्ट्रल बैंक को चला गया, एग्रीकल्चर का जहां तक मामला है उसका अब डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर से सम्बन्ध हो गया । केवल एक मीटिंग कर ले इसके अलावा मैं

(श्री हरिवल्लभ शर्मा)

समझता हूं उसके पास कोई काम नहीं है। मेरे ख्याल से पंचायत समितियों पर 10 करोड़ से भी अधिक रुपये सालाना व्यय होते हैं पंचायतों के लिये मेरा सुझाव है जैसी कि सादिक अली कमेटी ने भी सिफारिश की थी उसके अनुसार पंचायतों का आकार दो हजार से बढ़ाकर 5 हजार कर दीजिये ताकि वह आर्थिक इकाई बने।

राजस्थान में सहकारी समितियों की भरमार है। गांव गांव में सहकारी समिति बना डाली और एक एक गांव में दो-दो तीन तीन सहकारी समितियां बना दीं। मेरा मानना है कि एक पंचायत समिति में एक ही सहकारी समिति रहनी चाहिये। दो हजार पर पंचायत क्षेत्र बना रखा है। पंचायतों के पास बिलकुल काम नहीं है। इतना बड़ा आर्थिक घाटा पिछले वर्ष रहा है और इस वर्ष भी हालत अच्छी नहीं है। दो वर्ष से बराबर घाटा पड़ रहा है जैसा मध्य भारत ने सोचा है, आप भी सोचिये।

जिला परिषद् का फार्मेशन भी राजस्थान के खर्चे को बढ़ाता है वहां पर भी प्रधान के बजाय तहसील का एक चुना हुआ प्रतिनिधि हो जाय और कुछ उसको ज्यादा पावर दे दिजिये। पंचायत समितियों को खतम करिये क्योंकि इन का भी अब महत्व नहीं है, पंचायतों का केन्द्र बड़ा करिये तो आपके खर्च में भी कमी होगी और मैं निश्चित रूप से मानता हूं पंचायत राज जो आज चल रहा है उससे हजार गुणी अच्छी स्थिति में चल सकता है। अनुभव एक्सपेरीमेंट आप बराबर करते हैं, एक अनुभव यह भी कीजिये।

अब मैं सहकारिता के बारे में निवेदन करना चाहूंगा उपाध्यक्ष महोदय, यह मेरी समझ में नहीं आता है······

(घंटी)

यह बात जरूर है केन्द्र से आपको कर्जा मिलता है और केन्द्र से कुछ अनुदान भी मिलता है उससे आपने जगह जगह सहकारी संस्थायें खोल रखी हैं। प्राथमिक सहकारी समिति का फंक्शन बिलकुल ठीक है कोआपरेटिव सोसाइटीज का फंक्शन भी ठीक है लेकिन यह होलसेल भण्डार वाला क्या राग है ? मैं भी इसका डाइरेक्टर रहा हूं इसमें तीस हजार का घाटा जबकि इसकी शेयर केपिटल तीन लाख की है और ये तीन लाख को ही खा गये प्रोफिट तो दूर रहा बराबर घाटा दिखा रही है। हमारी राज्य सरकार ऐसी स्थिति में नहीं है कि एक भावना के पीछे लगकर उसका अनुभव करती रहे और राजकीय साधन बराबर बरबाद करती रहे। ऐसी कई राजकीय योजनायें है उनको समाप्त की जानी चाहिये और इन सहकारी समितियों के बारे में मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि आपने इनका पंचायत वाइज एकीकरण किया वह मैं इसलिये कह रहा हूं कि वित्त मंत्री जी ने सहकारिता के बारे में कहा है जैसा भूमि सुधार के बारे में कहा है हमने सारे राजस्थान में जितनी पंचायत समितियां हैं उनमें सहकारी समितियों को आर्थिक इकोनोमिक युनिट बना दिया लेकिन हमारे सवाईमाधोपुर जिले में बामनबास तथा हिन्डौन दोनों तहसीलें ऐसी हैं जहां पर एक पंचायत में आज भी दो दो सहकारी समितियां हैं। अन्य तहसीलों में एकीकरण कर दिया उक्त दो तहसीलों में नहीं किया। आपने सहकारिता में एक सिद्धान्त स्वी-

(श्री हरिबल्लभ शर्मा)

कार कर लिया तो फिर सौतेला व्यवहार क्यों ? ऐसा भी नहीं है कि वहां की सहकारी समिति बहुत मजबूत हो, वैसी भी स्थिति वहां की नहीं है। इस प्रकार छोटी छोटी बातों में भेदभाव की नीति है और इसी प्रकार की क्रियान्वयन की नीति है, वह गलत है।

अन्त में, मैं यह कहना चाहता हूं जितने कर लगाये हैं इन सारे करों का मैं विरोध करता हूं और आपने जो छूट दी है उसका मैं स्वागत करता हूं। अन्त में मैं इन्कमटैक्स के बारे में कहना चाहता हूं जिसमें टैक्स की ऐजेन्सी सेन्टर है और आपसे भी सम्बन्धित है। सेन्टर की बेस्ट ऐजेन्सी के मुकाबले स्टेट की ऐजेन्सी है वह वर्स्ट है। मान लिया आपने 31 फर्स्ट मार्च डेट फिक्स कर दी क्योंकि बहुत आर्थिक दबाव आ पड़ता है आप निश्चत कर देते हैं टार्गेट फिक्स कर देते हैं। अब आप देखिये कितनी अन्धड़ मच रही है। ये एडवान्स टैक्स ले लें वहां तक तो कोई बात नहीं होती है लेकिन जब रिफन्ड का क्वेश्चन आता है तो 6–6 वर्ष से रिफन्ड नहीं हो रहा है। इन्कम-टैक्स का क्लियर असेसमेंट है फिर भी लेने में आप एडवान्स और देने में 6–6 वर्ष पीछे। यह आपकी कौनसी दकियानूसी है। एडवान्स दिया है असेसमेंट कर लिया फिर भी वर्षों तक वापिस नहीं करते हैं। आपके यहां 6–6 साल का एडवान्स रखा हुआ है उसको रिफन्ड नहीं करते हैं।

दूसरा आपने हमारे जिले की अपीलेट आथोरिटि रख दी है अजमेर। अपील करें उसकी अजमेर में और अगर उसका स्टे लेना है तो उसकी आथोरिटि है कोटा। अपीलेट आथोरिटि है वही स्टे की ओथोरिटि होनी चाहिए। अपीलेट का अधिकारी एक और स्टे का अधिकारी दूसरा...

श्री उपाध्यक्ष : फैसला करें कौन ?

श्री हरिबल्लभ शर्मा : कैसी भी न्यायिक व्यवस्था में यह नहीं हो सकता है कि अपीलेट ओथोरिटि और स्टे की ओथोरिटि अलग-अलग हो। तीसरी बात मुझे एग्रीकल्चरिस्ट के बारे में कहना है जैसा एक माननीय सदस्य अभी कह चुके हैं जगह-जगह बिक्री कर लगा रखा है। बिक्री कर, बिक्री पर हुआ करता है और यहां तो जरा सा बहाना मिलना चाहिए। कस्बों से गाड़ी वाले आते हैं वहां बिक्री कर तो दूर रहा बिक्री होती ही नहीं है और अनाज पर पहले ही बिक्री कर लगा देते हैं। आक्ट्रोय की आपने इस तरह से चुंगी चौकियां कायम की हैं उसमें अर्थ के बजाय अनर्थ हो रहा है इसलिये मेरा निवेदन है कि इस चुंगी चौकी को हटा देनी चाहिये। तीसरी बात जो अर्ज कर रहा था वह छोटे-छोटे दुकानदारों की, गांवों में परचूनी वालों की है। उनकी नियत में कोई बेइमानी नहीं हो सकती है लेकिन यह राज्य सरकार कई तरह के फार्म भरवाकर, कई प्रकार की फारमेलिटीज पूरी करवाती है। गांवों में परचूनी वाला इन फार्मों को बेचारा समझता नहीं है। पांच हजार से अगर ऊपर का व्यापार है तो उसको लाइसेन्स लेना पड़ेगा। इसमें कई तरह की अड़चनें आ जाती हैं। सभापति महोदय, गांवों में आज भी कई लेन देन अनाज लेकर हुआ करते हैं। अब वह बेचारा उस अनाज को इकट्ठा करता रहता है और साल के अन्त में बेचता है तो वह उनकी सीलिंग में फंस जाता है। इस तरह अगर वह पांच हजार में तीन हजार

(श्री हरिबल्लभ शर्मा)

दूसरी ओर से पैदा करता है और दो हजार एक ओर से करता है तो भी वह पांच हजार की परिधि में आ जाता है। और लाइसेन्स होल्डरी के चक्कर में आ गया। जितनी फारमेलिटीज हैं उसको न समझते हुये भी पूरी करनी पड़ती हैं। सभापति महोदय, हमारे इलाके में मध्य भारत से डाकू आते रहते हैं तो लोग बड़े भयभीत रहते हैं। एक बार ऐसा ही आपका स्क्वेड आता है और आपका यह स्क्वेड एक शादी में जीप लेकर पहुंच गया। सारा गांव खाली हो गया उन्होंने यही सोचा कि डाकू आ गये हैं। वे लोग घर में घुस गये और तानाशाही मचा दी और उनको कहा गया बही खाते निकालो वे बही खाते लेकर चले गये, उसकी रसीद नहीं दी। उसके बाद ढाई हजार रुपये लेकर उनके बही खाते वापिस कर दिये, यह है हालत।

श्री उपाध्यक्ष : यह आपका शुरू का शब्द ठीक ही था।

श्री हरिबल्लभ शर्मा: यह एन्टी इवेजन आपका क्या करेगा। आपने करप्शन के ऊपर एन्टी करप्शन, टैक्स इवेजन के ऊपर एन्टी टैक्स इवेजन कर दिया। तो यह कैसे होगा। यह व्यवस्था आपको समाप्त करनी चाहिए।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

और अंत में मैं एक निवेदन और करदूं ...

श्री उपाध्यक्ष : आप अंत में कई दफा कह चुके हैं।

श्री हरिबल्लभ शर्मा : मैं कहता हूं कि जनता फिर भी आपका टैक्स बरदाश्त कर सकती है अगर यह आफिसर्स का टैक्स खतम हो जाये तो। ऐसा बुरा हाल है कि मेरे ख्याल में लेण्ड रेवेन्यू एक किसान जितना नहीं देता उससे कई गुना ज्यादा वह भ्रष्टाचार में दे देता है। आज जनता चारों तरफ से पिस रही है जिसकी कि कोई सीमा नहीं है। अब तो भ्रष्टाचार की बात करना पागलपन है और अब तो वह शिष्टाचार हो गया है। तहसील खण्डार 43 हजार की आबादी है लेकिन फारेस्ट, रेवेन्यू और पुलिस थाना तीनों को 1½ लाख रुपया सालाना देते हैं। क्या करें, उसका कोई इलाज नहीं है। अगर आफिसर्स टैक्स निकल जाये तो आप चाहे दुगना टैक्स लगा दें इसकी चिन्ता जनता को नहीं करेगी लेकिन आफिसर्स टैक्स निकल नहीं सकता इसलिये मेरा सुझाव है कि आप मितव्ययता के मैजर्स एडाप्ट कीजिए। कुछ उप-मंत्रियों को एक दो को छोड़ कर बाकी के उप-मंत्रियों के पास कोई काम नहीं है, उनको खुद को कहना चाहिए कि हमारे स्टेट की आर्थिक हालत डांवाडोल हो रही है इसलिये हम स्वयं त्याग-पत्र देते हैं। जब आर्थिक संकट है तो हमें एक-एक पैसे को तरफ देखना होगा। मैं समझता हूं कि इतना तो आप आसानी से कर सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : ऐसे संकट में वह जनता की सेवा से कैसे मुक्त हो सकते हैं।

श्री हरिबल्लभ शर्मा : आप जब तक अपने आप यह नहीं करेंगे कि गाढ़ी कमाई का पैसा आपके पास आयेगा उसका आप सदुपयोग नहीं करेंगे, तब तक आपको टैक्स लगाने का कोई अधिकार नहीं है और मैं इन करों का घोर विरोध करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गोकुलप्रसाद शर्मा—(अनुपस्थित)

श्री पी० के० चौधरी

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बजट प्रपोजल्स का स्वागत करता हूं। एक बात यह कही जा रही है कि जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने यह कहा कि यह तो डेफिसिट बजट है और इससे इन्फ्लेशन बढ़ेगा। दूसरी बात उन्होंने कही कि जो टैक्स प्रपोजल्स हैं बेटरमेन्ट लेवी वगैरह वह प्रोग्रेसिव नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह प्रोग्रेसिव नहीं है, डेफिसिट बजट नहीं होना चाहिए तो फिर क्या होना चाहिए? आप विकास चाहते हैं या नहीं डेफिसिट बजट जो स्टेट गवर्नमेन्ट का है उससे इन्फ्लेशन नहीं होता है--इसकी माननीय सदस्य को जानकारी नहीं है। डेफिसिट बजटिंग से इन्फ्लेशन होता है या डेफिसिट फाइनेन्सिंग से होता है? सेन्टर में डेफिसिट बजट जब होता है कि जब नोट छापकर पूरा किया जाता है। लेकिन स्टेट का डेफिसिट नोट छपकर नहीं होगा। स्टेट को या तो सेन्टर से ग्रान्ट मिलेगी या फिर लोन का री-पेमेन्ट का शिड्यूल है वह आगे बढ़ जायगा। याने 'मनी विल नाट बी क्रियेटेड'। क्रेडिट एक्सपेन्शन इससे नहीं होता है। प्राइज इन्फ्लेशन की बात कही है मैं तो कहूंगा कि उनकी जानकारी के अभाव में यह बात कही गयी है।

दूसरी बात एक और कहना चाहूंगा कि डेफिसिट बजट वह है और उसमें वित्त मंत्रीजी ने यह उम्मीद की है कि हमारा जो डेफिसिट रह जाता है उसकी सेन्टर से कोई न कोई मीट आउट करने की व्यवस्था की जावेगी।

(2.56 म. प.)

(श्री रामनारायण चौधरी, सभापति पदासीन)

मैं सभापति महोदय, आपका ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि जो बैकवर्ड स्टेट्स हैं उनको मदद देने के लिए जो सेन्ट्रल बजट है उसमें भी 175 करोड़ रुपयों का प्रावधान रखा गया है। क्या जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य यह मानते हैं कि हम तो डेफिसिट बजटिंग नहीं करते और जिस स्टेट की इकानामी बैकवर्ड होगी उनको सेन्टर से मदद मिल सकती है। या तो डेफिसिट बजट नहीं बने और बेलेन्स्ड बजट बना दें तो इसका मतलब यह है कि हम अपने डेवलपमेन्ट के एक्सपेन्डीचर को कट करें। उसमें कटौती करें। या फिर सेन्टर से जो मदद मिल सकती है वह नहीं लें। एक बात यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जो भी डवलपिंग इकानामी में विश्वास करते हैं, जो विकास करना चाहते हैं वहां पर डेफिसिट बजटिंग भी होता है, कर्जा भी लिया जाता है। बल्कि जो प्राब्लम आज राज्य सरकार फेस कर रही है विकास में खर्च करने के बारे में वही की वही प्राब्लम आज सेन्टर के सामने भी है। हमारे जो इन्सटालमैन्ट्स हैं, 132 करोड़ का सालाना इन्टरेस्ट पे करना पड़ता है उसके री-शिड्यूल के लिए कहें, उसके डेफरमेन्ट के लिए कहें तो क्या बुरा हम करते हैं। आज नियमों में यह बात कही जाती है यू० एन० ओ० और वर्ल्ड बैंक में कही जाती है कि जो बैकवर्ड कन्ट्रीज हैं उनके डवलपमेन्ट के लिए जो लोन दिया गया है उनका री-शिड्यूल होना चाहिए उनके ऊपर इन्टरेस्ट का बोझ नहीं पड़ना चाहिए। यह सारी दुनिया मानती है लेकिन यहां के माननीय सदस्य इसको नहीं मानते। आज दुनियां इस बात को रिकग्नाइज़ करती है कि डवलपिंग कन्ट्रीज को जो कर्जा दिया जाता है उसका डेफरमेन्ट

(श्री पी. के. चौधरी)

नहीं किया जाये तो वह कन्ट्री डवलप नहीं कर पायेगा। यही चीज स्टेट्स के ऊपर भी लागू होती हैं। इसलिए कर्ज लेकर डवलपमेन्ट करना या इन्टरेस्ट का बोझा बढ़ गया है तो इससे डरने वाली बात नहीं है। जिन जिन कन्ट्रीज ने विकास किया है, जहां कैपिटल नहीं होती है तो दूसरे मुल्कों से कर्जा लेना पड़ता है। स्टेट का खुद का धन नहीं होता है तो उसको सेन्टर से लेना पड़ता है, पब्लिक से लेना पड़ता है लेकिन विकास किया जाता है मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप क्यों काश्तकारों को बैंक से कर्जा दिलाना चाहते हैं? आप काश्तकार को बैंक से कर्जा इसीलिए दिलाना चाहते हैं कि वह कर्जा लेकर उस कर्जे से फल का उत्पादन करे, वह खेती करे। आप कर्जा इन्डस्ट्रियलिस्ट्स को क्यों देते हैं? किस बात के लिए वह देते हैं। वह इसलिए देते हैं कि वह उस पैसे को इन्वेस्ट करके देश का प्रोडक्शन बढ़ा सके। इसी प्रकार से जो बात इन्डस्ट्रियेलिस्ट के लिए लागू होती है, जो बात आज काश्तकार के लिए लागू होती है वही बात स्टेट के लिए लागू होती है। आज हमको ऐसा नहीं लगता है क्योंकि स्टेट के कुछ इन्वेस्टमेंट अनप्रोडक्टिव होते हैं या जिनका इमीजियेट रिटर्न नहीं आता है। एज्यूकेशन पर हम खर्चा करते है तो उसका इमीजियेट रिटर्न नहीं आता है। आज बिजली पर जो खर्चा कर रहे हैं तो यह बात कही जाती है कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो है उसका रिटर्न नहीं आता है। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने जो अभी कर्जा लिया है तो उसमें शर्त यह है कि 11 पर्सेन्ट रिटर्न लाना चाहिए, लेकिन जो बिजली आज गांव में कुओं पर देते हैं तो 10 साल तक उसका रिटर्न नहीं आता है। वहां पर जो लाइन और खम्भे डालने का खर्चा है वह 10 साल में भी रिकवर नहीं होता है। इसका मतलब यह है कि हम गांवों में बिजली न ले जायं? इसका मतलब यह है कि जो असमतल भूमि है उसको समतल न किया जाय जो कि हमारे एग्रीकलचर एक्सपर्ट्स ने इस करेन्ट इयर में 500 एकड़ जमीन का लेवलिंग किया है और अगले साल 5000 एकड़ जमीन का लेवलिंग करने का है उसका रिटर्न नहीं आता है डाइरेक्टली, लेकिन उसका रिटर्न दूसरी तरफ से मिलता है। जमीन का जब डेवलपमेंट हो जाता है, गांव में जब बिजली पहुंच जाती है तो काश्तकारों की हालत सुधरती है और काश्तकारों की हालत सुधरती है तो देश का उत्पादन बढ़ता है, देश की इकोनोमी बढ़ती है, और गवर्नमेंट टैक्स के जरिये, लगान के जरिये और दूसरी चीजों के जरिये हमारे पास धन आता है तब जाकर ऋणों का रि-पेमेन्ट करते हैं। यह जो वातावरण है कि टक्सेज बुरे हैं, कर्जा लेना बुरा है, इन्ट्रेस्ट सर पर है तो घबराते हैं, तो मैं समझता हूं कि यह गलत कन्सेपशन है, गलत एटीट्यूड है। जो भी मुल्क यह चाहे या स्टेट यह चाहे कि बिना कर्जा लेकर, बिना सहायता लेकर अपने मुल्क का डेवलपमेंट कर लेगा, या उस प्रान्त का डेवलपमेंट कर लेगा तो मैं समझता हूं कि नामुमकिन है। मैं नहीं समझता कि जब जन-संघ या स्वतंत्र पार्टी या एस० एस० पी० का सत्ता पर आने का मौका आयेगा तो वह डेवलपमेंट कैसे करेंगे, कैसे इन्वेस्टमेंट करेंगे, कैसे विकास करेंगे, कैसे जमीन का लेवलिंग करेंगे, कैसे कुए खोदेंगे कैसे बिजली ले जायेंगे, कैसे करेंगे? यह समझ में नहीं आता है। मैं तो यह कहना चाहता कि

(श्री पी. के. चौधरी)

आज अपोजिशन को रेस्पान्सिबल तरीके से बात कहना चाहिए (हियर, हियर) क्योंकि यह मानकर....

श्री हीराभाई : लाख लाख रुपया कारों और हवाई जहाजों में खर्च न करके उस धन को जनता की व्यवस्था में लगायें ।

श्री पी० के० चौधरी : यह बात मैं मानता हूं और फिजूल खर्ची का समर्थन नहीं करता हूं लेकिन साथ साथ असलियत में मैं इस बात को बिलीव नहीं करता हूं कि कोई टैक्स की बात हो तो उसका विरोध किया जाय, कोई कर्जा लिया जाय तो उसका विरोध किया जाय । यह बात गलत आप करते हैं । एडमिनिस्ट्रेशन की कोई गलती होती है तो प्रोवीजन आपके हाथ में है । हम मानते हैं यदि आप यह कहते हैं कि फिजूल खर्ची होती है उसको रोकना चाहिये । इस बात को हम मानते हैं कि एडमिनिस्टेशन में इकोनामी होनी चाहिए, एडमिनिस्टेशन में कम खर्चा होना चाहिये, गवर्नमेंट के एक्सपेन्सेज पर कन्ट्रोल होना चाहिए, उस पर अंकुश होना चाहिए ज्यादा, बनिस्पत इसके कि टेक्सेशन का कोई प्रोपोजल आता है तो उसका विरोध करें ।

इसमें जो फोर्थ है उसमें रखा गया है वित्त मंत्री ने अपने भाषण में कहा है कि 316 करोड़ का प्लान होगा । उस 316 करोड़ में आपको 40 करोड़ एडिशनल रिसोर्सेज से इकट्ठा करना है और उसके बाद सेन्ट्रल लोन और फलां से मिलेगा । उसमें यह कहा गया है इसको इकट्ठा करो तो वित्त मंत्री ने बताया कि इस साल साढ़े 5 करोड़ के एडिशनल रिसोर्सेज के टेक्सेशन प्रपोजल्स दिये हैं, लेकिन हमने शोर मचाया और पार्टी में शोर मचाया गया तो कन्सेशन कर दिये तो इसका नतीजा यह हुआ कि साढ़े पांच करोड़ से लेकर 2 करोड़ 80 लाख के वित्त मंत्री ने बताया कि करेन्ट ईयर में एडि-शनल रिसोर्सेज से इकट्ठे होंगे । इस इयर में 2 करोड़ 80 लाख किये हैं तो उसके बाद में 37 करोड़ 80 लाख रुपया इकट्ठा करना है एडिशनल तो वह कैसे करेंगे ? अगर नहीं करेंगे तो प्लान को कैसे इम्पली-मेंट करेंगे । आप चाहते हैं कि प्लान हो, योजना बने विकास हो और टेक्सेज नहीं बढ़ें । एक बात आप कहेंगे कि जो ज्यादा अमीर है जो टैक्सेज दे सकते हैं उन पर टैक्स पड़ना चाहिए । मैं मानता हूं कि जो अमीर हैं, जो दे सकते हैं उन पर ही पड़ना चाहिए । लेकिन जिस मुल्क में 99 पर्सेन्ट गरीब हैं उस मुल्क में क्या करें ? उसके विकास का क्या हो ? वह फिर कुए में डूब बैठे ? सर्मन्स लेले ?

श्री मदनसिंह : 99 पर्सेन्ट जो लोग हैं उनसे पूंजी उनके पास ज्यादा है और वे इतने अमीर हैं कि उनसे लेली जाय तो बहुत कुछ योजना चल सकती हैं ।

श्री मूलचन्द डागा : यही तो कह रहे हैं ।

श्री पी० के० चौधरी : जो पूंजीपतियों के पास है वह सारा उनका नहीं है, आज किसी फैक्ट्री में जो बिरलाजी लगाते हैं तो उनके खुद के एसेट्स कितने हैं वह जितना लगाते हैं उसमें पब्लिक में शेयर करके बेच देते हैं, कर्जा करके लगाते हैं ।

(श्री पी. के. चौधरी)

किसी इन्डस्ट्री में अगर 300 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हैं तो उस 300 करोड़ के अन्दर उनका मुश्किल से 25-50 लाख का इन्वेस्टमेंट होगा। उसके शेयर हम खरीदते हैं, आप खरीदते हैं। पब्लिक के शेयर हैं, गवर्नमेंट का कर्जा है, बैंक का लोन है और जो बैंक का लोन है वह पब्लिक का डिपोजिट होता है।

श्री मदनसिंह : बिरलाजी को पटाने का तरीका आता है।

श्री पी० के० चौधरी : पटाने के तरीके की बात नहीं करता हूं। मैं हकीकत आपको बता रहा हूं। फैक्ट्स आपको बता रहा हूं कोई पूंजीपति हो उसकी बात है। बिरलाजी ने जाकर केरल में फैक्ट्री लगाई और जब नम्बूदरीपाद की गवर्नमेंट बनी तो बिरलाजी से पूछा गया कि कि आप वहां क्यों गये वे आपको लूट लेंगे। वहां तो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है। तो उन्होंने कहा कि मेरा क्या जाता है। 10 साल की उन्होंने गारन्टी दी है जो गवर्नमेंट से उन्होंने कर्जा लिया है उसके लिए तो 10 साल में मैं अपना पैसा वापस लेकर चला जाऊंगा और वे ले लें फैक्ट्री। आप यह मानकर चलें कि कोई इन्डस्ट्री खाली पैसे से ही नहीं चलती है वह नाम से चलती है। बिरलाजी का नाम है। आपने देखा होगा अखबारों में कि सिंहानिया, बिरलाजी या और दूसरों का नाम डाइरेक्टर्स बोर्ड या मैनेजिंग कमेटी में देखकर लोग शेयर्स खरीदते हैं। वह बिक्री करते हैं तो उनके शेयर्स फटाफट बिक जाते हैं।

श्री मदनसिंह : ऐसा आसान है तो आप बिरलाजी क्यों नहीं बन जाते हैं?

श्री पी० के० चौधरी : मेरे नाम से कोई खरीदेगा नहीं।

श्री मदनसिंह : प्राइवेट कन्सर्न्स के पास ब्लैक का काफी मनी है वह गवर्नमेंट को मालूम है यदि वह छीना जाय तो योजनाओं के काम आयेगा।

श्री सभापति : माननीय सदस्य विघ्न पैदा न करें।

श्री पी० के० चौधरी : मेरे नाम से कोई कम्पनी चालू की जाय और मुझे डाइरेक्टर बना दिया जाय तो उसके शेयर आप नहीं खरीदेंगे और यदि खरीदेंगे भी तो 10 रुपये का। तो मेरा निवेदन यह था कि यह एक रोंग कन्सेपशन है कि जितने भी केपिटेलिस्ट्स हैं और उनके पास के धन का बंटवारा कर लें। यदि यह होगा तो 10 या 5 रुपये मिलेंगे। यह प्राबलेम आज नहीं है और समाजवाद का मतलब यह नहीं है कि गरीबी का डिस्ट्रिब्यूशन किया जाय। समाजवाद का मतलब यह है कि कुछ उत्पादन करके पैदा करके उसका इक्वल डिस्ट्रिब्यूशन करें। धन पैदा करने का आज देश के सामने सवाल है। सवाल यह नहीं है कि उनका धन ले लें। अगर धन लेना चाहें तो ले सकते हैं पब्लिक सेक्टर में लगाकर उत्पादन बढ़ा सकते हैं।

श्री मदनसिंह : वह चुनावों में लेते हैं आप बाकी तो नहीं लेते हैं।

श्री पी० के० चौधरी : चुनावों में सभी लेते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी भी लेती है, स्वतन्त्र पार्टी भी लेती है वह लेती है तो हम भी लेते हैं।

Page No. 98

श्री मदनसिंह : मैं गारन्टी से कह सकता हूं कि बिरलाजी की सम्पत्ति और सिंहानियाजी की सम्पत्ति और जितने भी पूंजीपति हैं उनकी सम्पत्ति को इकट्ठा करके अगर आप योजना में लगाते हैं तो एक कैनाल हो सकती है राजस्थान।

श्री मूलचन्द डागा: राजा महाराजाओं के प्रिविपर्स से नहीं हो जायगी क्या ?

श्री पी० के० चौधरी : आप बता दें कि बिरलाजी की जो प्राइवेट मनी है वह किसमें डिपाजिट है, लेकिन जहां तक बिरलाजी की फेक्ट्रीज हैं उनको तो आज भी ले सकते हैं चाहें तो।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सुखाडि़याजी का किस बैंक में जमा है वह तो आपको पता नहीं है तो बिरलाजी का क्या पता होगा ?

श्री पी० के० चौधरी : आप बता दें।

श्री मूलचन्द डागा : यह जो बार बार इन्टरप्शन किया जा रहा है अच्छा नहीं है आप सुनने की कोशिश करें।

श्री पी० के० चौधरी : मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि टेक्सेशन के प्रपोजल्स का······

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपके सोशियेलिज्म का कन्सेप्ट बता दें।

श्री पी० के० चौधरी : हमारा जो सोशियलिज्म का कन्सेप्ट है वह इसमें लिखा है बजट प्रोपोजल्स में।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : रियेली वी वान्ट टू अन्डरस्टैण्ड।

श्री पी० के चौधरी : इक्वीटेबल डिस्ट्रिब्यूशन आफ दी नेशनल वैल्थ यह सोशलिज्म की डेफीनेशन होगी। बजट में सोशलिज्म की डेफीनेशन का पैरा दिया है, बजट स्पीच में भी एक जगह सोशलिज्म का जिक्र है कि वित्त मंत्री का सोशलिज्म से मतलब क्या है वह दिया है। लेकिन उन्होंने एक बात उसमें छोड़ दी है। उसमें उन्होंने फुल एम्पलायमेंट का जिक्र नहीं किया है। मेरा सोशलिज्म के बारे में कन्सेप्शन है वह इक्वीटेबल डिस्ट्रिब्यूशन आफ दी नेशनल वैल्थ है, उसके साथ ही साथ इक्विलिटी आफ अपॉरचुनिटी भी हो और फुल एम्पलायमेंट भी हो। मैं कहता हूं कि डिस्पेरिटी आफ इन्कम नहीं हो। डिस्पेरिटी आफ इन्कम नहीं हो इसका मतलब मेरा सतीशचन्द्र जी की तनख्वाह से नहीं है, मदनसिंहजी की तनख्वाह से नहीं है। इन्कम में तो डिफरेन्स होगा। सोवियत रूस में भी जो इन्कम में डिफरेन्स है वह एक बटा चौरासी का डिफरेन्स है। तो आखिर हमको देश में सोशलिज्म लाना है, समाजवाद लाना है तो ह्यूमन मेटिरियल को भी देश के काम में लेना पड़ेगा, ह्यूमन के अन्दर इन्सेन्टिव क्रियेट करना पड़ेगा।

श्री मदन सिंह : आर यू डूइंग ?

श्री पी. के. चौधरी : हम कोशिश कर रहे हैं।

श्री मदन सिंह : डू यू थिंक इट इज परफेक्ट ?

श्री पी. के. चौधरी : परफेक्ट नहीं है। हमसे भी गलतियां होती हैं। लेकिन हम इस सिद्धांत को मान कर चलते हैं फिर भी गवर्नमेंट गलतियां करती है तो हम कहते हैं कि गवर्नमेंट से यह गलतियां हुई हैं। एडमिनिस्ट्रेशन में गलतियां होती हैं तो हमारा फर्ज है कि वह गलतियां बताई जायं। इस मामले में हम एकमत हैं। लेकिन आप हरएक टैक्स का विरोध करते हैं, हरएक कर्ज का विरोध करते हैं। इससे मैं सहमत नहीं हूं। इसलिए मैं सहमत नहीं हूं। मै पार्लियामेंट में भी देखता हूं और यहां भी देखता हूं कि सोशलिस्ट पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी है वह भी हरएक टैक्स प्रपोजल का विरोध करती है। सब यह कहते हैं कि जो टैक्स दे सकता है उससे लें। तो जो टैक्स दे सकता है उससे ही वो टैक्स सरकार ने लिया है। आप कहते हैं कि जितने सेठ हैं बड़े बड़े उनसे 93 पर्सेन्ट से ऊपर इन्कम टैक्स लगाना चाहिए। अगर उससे ज्यादा इन्कम टैक्स उनसे आज ले लें तो वह प्रोड्यूस करना छोड़ दें। अगर वह प्रोड्यूस करना छोड़ दें तो इससे देश के अन्दर एक प्रोबलम खड़ी हो सकती है। अब आप कहें कि प्रोडक्शन के काम को स्टेट सेक्टर में लेकर चलाया जाय, वैसे स्टेट सेक्टर का रास्ता खुला हुआ है, लेकिन उसके मशीनरी तैयार हो तब ही प्रोडक्शन कर सकते हैं। इसके होते हुए भी सरकम्स्टांसेज ऐसी हो जाती हैं कि हम कर नहीं पाते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सारे के सारे काम स्टेट सेक्टर में कम से कम डेमोक्रेटिक सोशलिज्म जिस देश में है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जिस देश में चलती है वहां नहीं होना चाहिए। जिस देश में डण्डे का राज्य होता है, उस देश में सब स्तर पर डण्डे से वह काम करा सकते हैं लेकिन जहां पर ह्यूमन रिलेशनशिप रहती है, जहां पर ह्यूमेन परस्पेक्टिव में काम करते हैं वहां पर जब लोगों के अन्दर जब एक इन्सेन्टिव क्रियेट होता हैं उनको डवलप करने से काम होता है। मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट आफ राजस्थान ने और केन्द्रीय गवर्नमेंट ने जो पालिसी अडाप्ट की है वह डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की है। थ्रू इन्सेन्टिव एण्ड थ्रू ह्यूमन एण्डेवर देश को समाजवाद की ओर ले जाने की प्रक्रिया है। यह इस बजट में है इसको आप स्वीकार करेंगे। इसमें यह कोशिश की गई है कि पूवर सेक्शन पर कम से कम बोझ पड़े। यह कोशिश की गई है।

श्री हीरा भाई : माननीय सदस्य ...

श्री सभापति : आर्डर प्लीज माननीय सदस्य को बोलने दें। आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य को बोलने दें। बाद में जानकारी चाहें तो कर सकते हैं।

श्री हीरा भाई : सभापति महोदय, कांग्रेस से बोलने वाले माननीय सदस्य ने कहा है उसको मैं मानने के लिये तैयार हूं कि जनतंत्र है, इसलिए डण्डे के द्वारा नहीं पीट सकते लेकिन जब कि बहुमत की सरकार बनी है तो उस बल में क्या डण्डे की जरूरत पड़ती है? उसमें कोई बुराई है या नहीं? यह बताये। यह धन संग्रह की प्रवृत्ति का त्याग करने के लिये तैयार हैं? यह त्याग करने के लिए तैयार हैं। दूसरों की बात मैं नहीं मानता हूं। उनके लिए मैं कुछ नहीं कहता हूं।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री पी. के. चौधरी : मैं माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे

(श्री पी. के. चौधरी)

दल में भी जो व्यक्ति हैं वह इन्सान हैं जैसे आपके दल में है, वैसे ही हमारे दल में हैं, आपका जो करेक्टर है वही हमारा करेक्टर है। हम इंडियन हैं, हिन्दुस्तानी हैं, आप भी हिन्दुस्तानी हैं। इसलिए आपके और हमारे करेक्टर में कोई फर्क नहीं है फर्क केवल इतना है कि हम सोशलिज्म की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। हमने यह एक आब्जेक्टिव सामने रखा है। इसका मतलब यह नहीं है कि हमने उसकी पूर्ति कर ली है···

श्री मदन सिंह : फर्क इतना है कि जरूरत से ज्यादा घोषणा करते हैं।

श्री पी. के. चौधरी : हम उस लक्ष्य की ओर जाने की, लक्ष्य तक जाने की, लक्ष्य तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। आपने लक्ष्य नहीं रखा हैं। आपका काम केवल आलोचना करना है, क्रिटिसाइज करना है···

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप एक बात बता दें। जहां पर डेमोक्रेसी है, जहां पर सोशलिज्म है ऐसे कन्ट्रीज में टैक्सेशन का क्या पेटर्न है ? जिस कन्ट्री में डेमोक्रेसी है, जिस कन्ट्री में सोशलिज्म है और जिसको आप साधारणतया आइडियल मानते हैं डमोक्रेटिक सोशलिज्म है वहां टैक्सेशन का स्ट्रक्चर, पैटर्न और पर्सेन्टेज कोट कर सकते हैं ?

श्री मदन सिंह : कोई ऐसा नहीं है।

श्री पी. के. चौधरी : ऐसा कोई मुल्क नहीं है जहां डेमोक्रेटिक सोशलिज्म हो।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इसीलिए शंका होती है, सोशलिज्म और डेमोक्रेसी साथ साथ नहीं चल सकती। यह जो सोशलिज्म है, either you can have complete socialism, then you cannot have democracy. If you want democracy, then you cannot have this pattern.

श्री पी. के. चौधरी : सुन लीजिये। आज तक दुनियां के इतिहास में···

श्री मदनसिंह : कल आपकी पार्लियामेंट में सारे पूंजीपती आ जाते हैं they will break you up.

श्री पी. के चौधरी : आज तक दुनियां में कोई मुल्क बिना रक्तपात के, बिना रिवोल्यूशन के आजाद नहीं हुआ है। लेकिन हिन्दुस्तान ही ऐसा देश है जो बिना रक्तपात और बिना रिवोल्यूशन के आजाद हुआ है। इसलिए आपने जो यह बात कही, दूसरे किसी मुल्क में डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है तो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म किसी कन्ट्री में नहीं है। इसका मतलब यह नहीं है कि हम यहां नहीं कर सकते।

श्री मदन सिंह : बेसीकली रोंग।

श्री पी. के. चौधरी : वेसीकली रोंग नहीं है।

श्री मदन सिंह : जितने पूंजीपती हैं उन्होंने पार्लियामेंट को पकड़ लिया तो।

श्री पी. के. चौधरी : बेसिकली रोंग होता तो काहे को कोशिश कर रहे हैं सोशलिज्म की तरफ जाने की ? इससे आप इन्कार नहीं कर सकते कि कोशिश कर रहे हैं। इक्विलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। इससे

Page No. 101

(श्री पी. के. चौधरी)

आप इन्कार नहीं कर सकते हैं। हमने बैंक नेशनेलाइजेशन किया है और बैंक नेशनलाइजेशन करके एक बहुत बड़ा काम किया है। यह एक रिवोल्यूशनरी स्टेप है, क्रांतिकारी कदम है। इसको आप स्वीकार नहीं करेंगे? आज जो काम व्यापारी करता है, जो व्यक्ति धन्धा करता है, दूसरे व्यक्ति करते हैं उनको इससे फायदा होगा। मिसाल के तौर पर वित्त मंत्री जी बता रहे थे कि पहले स्टेट गवर्नमेंट लोन फ्लोट करती थी तो दस दिन पहले जाकर इनसे, उनसे और बैंकों से जाकर कहना पड़ता था कि कर्जा दो। बिड़ला, टाटा जो ये उनसे कहना पड़ता था। आज स्थिति यह है कि आज लोन फ्लोट करते हैं तो वह फर्स्ट डे ही पूरा हो जाता है और किसी को कहने की जरूरता नहीं पड़ती है। यह वित्त मंत्रीजी कहते हैं ...

श्री हीरा भाई : देश के अन्दर डेमोक्रेसी को खत्म कर दिया। बैंक नेशनलाईजेशन करके जो खराबी आई हैं उनको दूर नहीं कर सकते।

श्री पी. के. चौधरी : मैं निवेदन कर रहा हूं कि इस बात से इन्कार नहीं कर सकेंगे कि आज हिन्दुस्तान में डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का नारा था वह कामयाब हुआ है और हमने डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की ओर कदम आगे बढ़ाया है। इसका प्रमाण यह है कि आज कोई पार्टी सोशलिज्म के खिलाफ बात नहीं करती है। हर पार्टी समाजवाद की बात करती है। आज जनसंघ है वह समाजवाद की बात करता है। स्वतंत्र पार्टी है वह समाजवाद की बात करती है। यह हमारी सक्सेस है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : सिन्स इन्डीपेंडेंस, 1947 से लेकर आज तक हम देश में डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का नारा थ्रू आउट देते चले आ रहे हैं तो डिस्पेरिटी को रिमूव करने में अगर सक्सेसफुल रहे हैं तो क्या अनुपात 1947 में था और 1970 में क्या अनुपात है?

श्री सभापति : आर्डर प्लीज! माननीय सदस्य अपनी बात कह रहे हैं, अपने विचार प्रकट कर रहे हैं। आप कृपया सुनें। बीच बीच में व्यवधान न डालें।

श्री मदनसिंह : न माननीय सदस्य बुरा मान रहे हैं न सदन के और सदस्य। यहां आज सोशलिज्म पर विचार हो रहा है। कम से कम यह एक अच्छे विषय सोशलिज्म पर प्रकाश डाल रहे हैं। बाकी के माननीय सदस्य तो कहें कि फलां साइकिल चोरी चली गई, या और बातों पर वह चिल्लायेंगे। यह अच्छा डिस्कशन है। मैं चाहता हूं कि कम से कम इससे यह तो मालूम हो सकता है कि इनके सोशलिज्म पर क्या विचार हैं। Let us hear him.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कांग्रेस में एकेडेमिक डिस्कशन सोशलिज्म पर केवल पी. के. चौधरी कर सकते हैं।

श्री मदनसिंह : यह बात सही है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : और सदस्यों का न तो सोशलिज्म पर कुछ एप्रोच है, न इस परस्पेक्टिव में बोल सकते हैं और न इस पर बता सकते हैं कुछ।

श्री सभापति : आप ध्यानपूर्वक सुनने की कोशिश करें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अगले के दिमाग में कोई एतराज नहीं है, Interruptions make the debate lively; otherwise it is dry.

श्री मदनसिंह : जो काबिल हैं, सोशलिज्म पर बोल सकते हैं, वह मेरे भाई की तरह वैसे ही रहे हैं।

श्री पी. के. चौधरी : कोटा से आने वाले माननीय सदस्य ने सवाल पूछा है कि 1947 से लेकर आज तक हमने क्या किया ? क्या तरक्की की है ?

श्री कृष्ण कुमार गोयल : डिस्पेरिटी रिमूव करने में।

श्री पी. के. चौधरी : डिस्पेरिटी रिमूव करने के मेरे पास आंकड़े नहीं हैं मौजूद, आप चाहें····

श्री मदनसिंह : आई विल सपोर्ट यू।

श्री पी. के. चौधरी : तो मैं दिखा सकता हूं कि यह बात सही है। इसके अलावा में आपको बताऊं कि मदनसिंहजी सामने हैं इनकी जागीर छीनी हैं····

श्री कृष्ण कुमार गोयल : क्या बात करते हैं ?

श्री पी. के. चौधरी : सुनिये। पहले गांवों में हवेली नजर नहीं आती थीं। आज गांवों में हवेली नजर आती है और काश्तकार···

श्री मदनसिंह : वेरी ट्रयू।

श्री पी. के. चौधरी : यह फेक्ट है, यह एस्टेब्लिस्ड फेक्ट है कि गांवों में बिजली की बात नहीं करते थे, वहां आज जयपुर से बाहर गांवों के अन्दर एक एक काश्तकार के कुए में बिजली लगी है। मैंने खुद ने देखा है, मैंने तहसीलों में देखा है कि कुए के अन्दर बिजली लगाई उसके द्वारा दूसरे साल उस आदमी को दस हजार की आमदनी ज्यादा हो जाती है। क्या इससे डिस्पेरिटी रिमूव नहीं होती है। यह बात जरूर हुई है। Rich have become richer, but not the poor poorer. यह जो आप बात कहते हैं कि गरीब गरीब हो गया। वह नहीं हुआ है। पूअर पूअर नहीं हुआ है। यह हो सकता था कि टाटा का पचास करोड़ का था वह 31 करोड़ का हो गया हो···

श्री भैरोंसिंह : यह नहीं हुआ है। गवर्नमेंट आफ इंडिया की रिपोर्ट पेश हुई है पार्लियामेन्ट में रूरल इकानामी के बारे में उसमें बताया है कि पूअर सेक्शन ज्यादा पूअर हुआ है।

श्री पी. के. चौधरी : मैं फरदर डिस्टिंक्शन कर रहा हूं।

श्री मदनसिंह : डिस्पेरिटी की बात हो रही है।

श्री पी. के. चौधरी : पूअर सेक्शन पूअर नहीं हुआ है।

श्री भैरोंसिंह : यह आपकी ही रिपोर्ट कहती है।

Page No. 103

श्री पी. के. चौधरी : उस रिपोर्ट को आपने समझा नहीं। पूअर सेक्शन है उसको बेनिफिट नहीं मिला है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जितना मिलना चाहिये उतना नहीं मिला है, यह लिखा हुआ है। यह हमारे गांवों में हुआ है। गवर्नमेंट आफ इंडिया की रिपोर्ट पर क्यों जाते हैं आप किसी भी पंचायत समिति में जाकर देख सकते हैं।

श्री डूंगाराम राजोरिया (दौसा यु०) : हमने तरीके बताये हैं कि गरीब को बेनिफिट कैसे मिलना चाहिए, लेकिन आप कुछ नहीं करते हैं।

श्री पी. के. चौधरी : बैंक नेशनेलाइजेशन करके गरीब को बेनिफिट किया है।

श्री मदनसिंह : डिस्पेरिटी के अन्दर केवल पैसा ही नहीं होता है। आजादी भी मिली है, इक्वल राइट मिले हैं। सोशलिज्म के अन्दर यह तो हुआ है।

श्री पी. के. चौधरी : तो इस बात से इन्कार नहीं कर सकते कि हमारी कोशिशों से पर कैपिटा इन्कम बढ़ी है।

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता (बाम्सूर) : गरीब आदमी की इन्कम बढ़ी वहां प्राइसेज भी उतनी ही बढ़ गई। इस तरह से गरीब तो गरीब ही रह गया। इन्कम वहीं की वहीं रह गई, बढ़ी कहां ?

श्री पी.के. चौधरी : आज गांव में एक मजदूर है वह 3) रु० से कम में काम पर आने को तैयार नहीं है। आप कहते हैं कि इन्कम नहीं बढ़ी है तो आप कोशिश कर के देख लीजिये 2) रु० में आपके यहां कोई मजदूर नहीं आयेगा।

श्री डूंगाराम राजोरिया : गांवों में आज कौनसी मजदूरी रह गई है ? इस सरकार ने गांवों के मजदूरों के लिये कौनसी मजदूरी दे रखी है। गांवों में लोग बेकार बैठे हैं, उनको कोई मजदूरी नहीं मिलती। यह सरकार बेकारों को मजदूरी नहीं दे सकती।

श्री पी. के. चौधरी : मैं अजमेर रोड पर रहता हूं, रोज दूध वाले साइकिल पर आते हैं, साइकिल पर ट्रान्जिस्टर बजाते हुए चलते हैं। यह कल्पना भी आप कुछ सालों पहले करते थे क्या?

श्री कृष्ण कुमार गोयल : दूध वाले सेविंग करते थे और उस सेविंग से उन्होंने ट्रान्जिस्टर खरीद लिये आज उनकी कोई सेविंग नहीं होती है।

श्री पी. के. चौधरी : मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारा दिमाग साफ होना चाहिये। हम में गलती है उसको स्वीकार करते हैं पर जो सही बात है उसको आप इन्कार करते हैं तो यह ठीक नहीं है।

श्री मदनसिंह : This disparity is not becomes of socialism but becomes of Praja Tantra.

श्री पी.के. चौधरी : प्रजातन्त्र के आते ही हमने गांव गांव में सड़कें पहुंचाई हैं, गांव गांव में बिजली पहुंचाई है, नहरें पहुंचाई हैं। आज यह उस ही का नतीजा है कि लोगों की इन्कम बढ़ी है लोग ट्रान्जिस्टर रखते हैं।

श्री हीराभाई : यह हमारे हरिदेवजी जोशी बिलकुल गरीबी हालत में थे अब उनकी तीन तीन मोटरें चल रही हैं बांसवाड़ा

(श्री हीरा भाई)

में जयपुर में उन्होंने कन्जरों की जमीन ले ली है, तो ऐसे जो चालाक लोग हैं, वे लोग बने हैं। बाकी गरीबों की तो वही हालत है।

श्री पी. के. चौधरी : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि एडवान्स रिसोर्सेज का एस्टीमेट है उसमें पिछले साल 280 लाख की कमी हुई। इस साल 851 लाख का रखा है, उसमें करेंट ईयर के टैक्सेज से 489 लाख का कहा है कि आयेगा, टैक्सेज से कलेक्शन आयेगा यह कहा है और 362 लाख का कर्जा लेंगे। मैं जानना चाहूंगा वित्त मंत्रीजी से कि पिछले साल एडीशनल रिसोर्सेज में 280 लाख टैक्स इवेजन की वजह से या टैक्सेज के नहीं आने से कम हो गया था तो इस साल आप कैसे आशा करते हैं कि 480 लाख आपको टैक्सेज से मिल जायगा और इस तरह से आपने एडीशनल रिसोर्सेज का एस्टीमेट 851 लाख का रखा है, वह उतना ही नहीं आ सकेगा, उसमें जरूर कमी होगी। पहले दो सालों में टैक्सेज का रियेलाइजेशन कम होता है तो न्यू टैक्सेज से हमें यह एडीशनल रिसोर्सेज इकट्ठे करने हैं, वह कैसे होगा ? अगली साल इलेक्शन का ईयर होगा, चाहे मदनसिंह जी की गवर्नमेंट बने चाहे किसी और की बने; एडीशनल रिसोसज इसी साल में करने चाहिये। अगला साल इलेक्शन ईयर है, उसमें आप एडीशनल रिसोर्सेज क्रियेट नहीं कर सकते।

अब मैं एक बात कहना चाहूंगा, शायद बहुत से माननीय सदस्य उसको ठीक नहीं मानेंगे, मैं फेमीन की बात कहना चाहता हूं पर 53 करोड़ रुपया पिछले साल खर्च हुआ तीस चालीस करोड़ इस साल खर्च हो जायेगा—

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : 170 करोड़ कुल खर्च हो चुका है।

श्री पी. के. चौधरी : जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट की पोपुलेशन है एक लाख 40 हजार, बाड़मेर की पोपुलेशन है 6,60,000 और बीकानेर की पोपुलेशन है 4,44,000। जैसलमेर में 5 स्क्वायर माइल के एरिया में 4 आदमी रहते हैं बाड़मेर में 6 और बीकानेर में 16 आदमी रहते हैं। आपने 170 करोड़ रुपया फेमिन पर खर्च किया है पर उससे कोई हल नहीं निकला है। मेरा सजेशन यह है कि 170 करोड़ रुपया खर्च किया, उसके बाद भी नतीजा कुछ नहीं आया। हर साल 30-40 करोड़ रुपया खर्च करना पड़ता है। इतनी स्केटर्ड पोपुलेशन है जहां कि आप सब जगह पानी अनाज, चारा नहीं पहुंचा सकते। मेरा सजेशन है कि जैसलमेर, बीकानेर या बाड़मेर में जहां कि बहुत स्केटर्ड पोपुलेशन है वहां पर कुछ टीनेमेंट्स, कुछ सेक्टर्स बना देने चाहिये, 3 स्क्वायर माइल में एक जगह ट्यूब वैल होना चाहिये। सवा लाख आदमी जैसलमेर में हैं, 10,10 हजार के सेक्टर्स बांध दीजिये कि दस हजार आदमी एक कुए से पानी पियेंगे। इतनी स्केटर्ड पोपुलेशन है उसको कन्सेन्ट्रेटेड पोपुलेशन में बदल दीजिये।

श्री आईदानसिंह (भीनमाल) : वहां पर बोर्डर एरिया है, वहां इस तरह के पोकेट्स अगर बना दिये जायेंगे तो सारा बोर्डर खाली हो जायगा जो देश के लिये कितना खतरनाक होगा, इसका भी जरा अन्दाज लगा लीजिये।

श्री पी. के. चौधरी : यह मेरा सजेशन है, आप मानें या न मानें, यह आप पर है।

(श्री पी० के० चौधरी)

मेरे कहने का मतलब यह है कि जहां इतनी स्केटर्ड पोपूलेशन है वहां सब लोगों के लिये पानी नहीं पहुंचा सकते अनाज नहीं पहुंचा सकते इस पर हमें आज कितना खर्चा करना पड़ रहा है।

हम टैक्स देते हैं, जयपुर डिस्ट्रिक्ट को ले लीजिये, जयपुर डिस्ट्रिक्ट कितना टैक्स देता है, सैल्स टैक्स को ले लिजिये, इन्कम टैक्स को ले लीजिये, एन्टरटेनमेंट टैक्स को ले लीजिये और और जो दूसरे टैक्सेज हैं उनको ले लीजिये, जितना राजस्थान में टैक्सेशन से रुपया वसूल होता है उसका वन थर्ड जयपुर डिस्ट्रिक्ट पे करता है। 50 पर्सेन्ट सेन्टर से अकाल के लिये असिस्टेन्स मिलती है 50 परसेन्ट सेन्टर लोन का ले लीजिये। 4 लाख रुपया इस पर ब्याज का आता है, वह हम पे करते हैं। इन टैक्सेज से कलेक्ट किया हुआ पैसा फेमिन पर खर्च करना पड़ता है। आज बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर में कितना रुपया खर्च करना पड़ता है? इसलिये मेरा सुझाव है कि बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर हैं, वहां कुछ हिस्सों में छोटे छोटे टाउन्स में टेनिमेंट्स बना दिये जांय। वहां इन्डस्ट्रीज खोलदें किसी को डिफिकल्टी होगी तो वहां रहना होगा। इतनी स्केटर्ड पोपुलेशन है, उसको कन्सेन्ट्रेट करना चाहिये।

डेढ लाख आदमियों के लिये कितना खर्चा करना पड़ता है इसका अन्दाज लगाइये और उससे कोई स्थाई हल भी नहीं निकलता है। पर इस रुपए से जिले का पूरा विकास हो सकता है। मुझे दर्द होता है इसलिए कहता हूं। मैं चाहता हूं कि वहां लोग कष्ट न पायें। इस प्रकार से जो टेम्परेरी अरेंजमेंट्स करके चलते हैं, वह नहीं होने चाहिए। कोई माननीय सदस्य सोचते हों कि वहां हर अकाल में पानी पहुंचेगा, यह इम्पासीबिलिटी है, 50-100 साल के बाद अगर हो जायं तो मैं कह नहीं सकता। आज जो परिस्थितियां हैं, वस्तुस्थिति है, उसकोमानकर चलना चाहिए। इसलिए मेरा सुझाव है कि वहां कन्सेन्ट्रेड बस्ती डेवलप करने की कोशिश करनी चाहिए, टेनीमेंट्स बनाकर आप दें। आप उन्हें कहें कि आओ हम औद्योगिक विकास करायेंगे, हेंडीक्राफ्ट्स शुरू करेंगे। जब ऐसा मौका आ जायगा तो पानी की व्यवस्था होगी। हम वहां हेंडीक्राफ्ट्स के विकास का काम कर सकते हैं, उसको करें तो हो सकता है। हम कहते हैं कि सरकार करे लेकिन आज तक किसी माननीय सदस्य ने कान्क्रीट सुझाव नहीं दिया। फेमिन पर इतनी बहस हो गई लेकिन किसी ने सुझाव नहीं दिया कि परमानेन्ट सोल्यूशन क्या है? क्या हरेक बोर्डर में पूरी पाइप लाइन बिछेगी? फोडर बैंक बनाएंगे? फोडर बैंक बने तो टेनीमेन्ट्स बनाई जाय। टेनीमेंट्स पर कोई खर्चा नहीं है, पीने के पानी पर कोई खर्चा नहीं है। जब मौका पड़े आ जाता है। 170 करोड़ में टाउनशिप डेवलप हो सकती थी।

तो मेरा निवेदन है कि इस बात पर सरकार ध्यान देगी, माननीय सदस्य भी ध्यान देगें। आज हम गांवों में जाते हैं तो वे कहते हैं कि सुखाड़िया ने रेत पर पैसा लगाया है। हम चाहते हैं कि सोल्यूशन हो लेकिन यह भी चाहते हैं कि सोल्यूशन प्रेक्टीकल हो। केवल भाषण देंगे तो क्या हो सकता है?

(घंटी)

200-300 स्क्वायर माइल्स का पाकेट बनाकर एक टाउनशिप डेवलप करके टिनेमेंट्स बनाई जाय, पानी की व्यवस्था करदी

Page No. 106

(श्री पी० के० चौधरी)

जाय। उद्योग लगाने के लिए बिजली का इंतजाम, हेंडीक्राफ्ट्स का इंतजाम किया जाय। जो चाहे फिर टेनीमेंट्स में रहे लेकिन जब अकाल पड़े तो वापस आकर वहीं रह सकते हैं, भागदौड़ की जरूरत नहीं पड़ेगी।

रीजनल इम्बेलेन्स के लिए एक बात कहना चाहता हूं। टेक्सेशन का जैसे मैंने निवेदन किया हमारे जयपुर से चाहे बिक्री कर हो चाहे इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी हो चाहे एन्टरटेनमेंट टैक्स हो चाहे पैसेंजर टैक्स वह सबसे ज्यादा है। इसी तरह लैंड रेवेन्यू की फिगर्स आप चाहेंगे तो वह भी दे सकते हैं। कितना टैक्सेशन देते हैं वे फिगर्स हमारे पास हैं। दूसरा प्लान एक्सपेंडीचर का भी मुख्य मंत्री ने बताया था पिछले राज्यपाल के अभिभाषण में इन्टरवीन करते हुए 1956-57 से 1968-69 तक कहां किस जिले में कितना खर्चा हुआ। उसमें जयपुर जिले का छठा नंबर था जबकि टैक्स इन्सीडेंस सारे राजस्थान में 5 करोड़ 35 लाख पड़ता है। तो रीजनल इम्बेलेन्स दूर किया जाय। किस आधार पर हमें हिस्सा मिले यह तय करना चाहिए।

हमारा दो साल का प्लान देख लें इस प्लान में 1969-70 व 1970-71 का रोड प्लान आपके सामने है, उसमें एलोकेशन क्या है ? 50 पब्लिक वर्क्स में 3:14 करोड़ का एलोकेशन था जयपुर जिले का जबकि जयपुर जिले में सिर्फ 3 हजार था और 103 पब्लिक वर्क्स में जयपुर जिले में 1,05,00,000 में से जयपुर के लिए डेढ़ लाख था। इस साल जब 50-प. व. का एलाकेशन है 3:27 करोड़, उसमें से जयपुर जिले का एलोकेशन है निल। जो 103-प. व. एलोकेशन है 1:50 करोड़ उसमें से जयपुर जिले का एलोकेशन है 4:40 लाख। यानि रोड कम्यूनिकेशन पहली चौथी योजना के पहले दो वर्षों में 9 करोड़ में से जयपुर जिले में सिर्फ 5 लाख रुपए एलाट किया।

श्री मदनसिंह : अकाल की स्थिति है।

श्री पी० के० चौधरी : इट इज आउटसाइड अकाल। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट का हेड है। अकाल का खर्च नहीं है।

श्री मदनसिंह : स्थिति अकाल की है।

श्री पी० के० चौधरी : आप नहीं समझे। मैं प्लान की बात कर रहा हूं।

श्री मदनसिंह : आपसे नाराजगी होगी।

श्री पी० के० चौधरी : नहीं, रीजनल इम्बेलेन्स है, आज तक खटकता रहा है और जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य बोलते नहीं हैं, भैरोंसिंहजी पहली वार बोले हैं, कभी जयपुर के एम. एल. ए. को बोलते हुए नहीं सुना।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : हमेशा बोलते हैं, जयपुर की गंदी बस्तियों के बारे में आपने कभी प्रस्ताव रखा है। हमें बड़ी खुशी है कि आप बोलने लगे जयपुर के बारे में। यह 1969 के बाद इंडीकेट और सिंडीकेट हुआ उसके बाद से बोलने लगे, नहीं तो जयपुर के बारे में नहीं बोलते थे।

श्री पी० के० चौधरी : मेरी लास्ट बजट स्पीच पढ़ लें।

श्री मदनसिंह : लास्ट बजट से आप बोलने लगे हैं। इससे पहले कभी नहीं बोले जयपुर के बारे में।

श्री मदनसिंह : जयपुर में सारे विधायक हैं।

श्री पी० के० चौधरी : वित्तमंत्रीजी ने इरिगेशन रेट्स को रेशनेलाइज करने की बात कही। मैं कहता हूं कि लैंड रेवेन्यू को भी रेशनेलाइज कीजिए। जयपुर जिले में जो चाही जमीन है उस पर हम 15 से 21 रु० लगान देते हैं और 5-7 बीघा जिसकी होल्डिंग हो, उसको भी सरचार्ज देना पड़ता है। तो जैसे इरिगेशन रेट्स का आपने रेशनेलाइजेशन किया है, तो कम से कम लैंड रेवेन्यू का भी रेशनेलाइज करें।

एक बात वित्तमंत्री ने खासतौर से एजूकेटेड इंजीनियर्स के लिए कही पैरा 70 में। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यहां 15-20 ग्रेजूएट इन्जीनियर्स ने मिलकर एक कोआपरेटिव बनाई है और बनाकर दरख्वास्त दी है मुख्य मंत्री को भी दी है। उनका कहना यह है कि शेयर दूसरी कोओपरेटिव के खरीदते हैं उसी प्रकार खरीद लें और पच्चीस तीस लाख रुपया दे दें। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाले कहते हैं कि $1\frac{1}{2}$ करोड़ रुपया लगाने पर पन्द्रह करोड़ रुपयों का काम दे देंगे तीस मील का प्रोजेक्ट देंगे। पचास हजार रुपया देकर स्टार्ट कर देंगे। पच्चीस तीस इन्जीनियर गांव 2 में जाकर बिजली सप्लाई करने का काम करेंगे, मशीनें ठीक करेंगे और मोटर फिट करेंगे और इस स्कीम से एक एक इन्जीनियर का तीन सौ चार सौ रुपये महीना मिल सकेगा। प्रेक्टिकल स्कीम है। इन्स्टीट्यूट आँफ इन्जीनियर्स ने इसको रिकमन्ड किया है। चीफ सेक्रेटरी को लिखा। लेकिन गवर्नमेंट हिलती नहीं है। छः महीने से पड़ा है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से पन्द्रह करोड़ रुपया मिलेगा और इन्टेन्सिव इलेक्ट्रिफिकेशन करेंगे और मशीनरी ठीक करेंगे। कनेक्शन आज मिलते नहीं हैं यह दिक्कत भी दूर हो जावेगी। मोटर डालनी है। पांच सौ रुपया लगता है। एक एक कुए की मंथली सर्विस के दस दस रुपया लेंगे। हर महीने जाकर क्लिनिंग और आइलिंग करेंगे। मैंने काश्तकारों से बात की। उनको मोटरों की बड़ी दिक्कत है। खराब हो जाती है इस कारण बड़ा नुकसान होता है। मुख्य मंत्रीजी को दरख्वास्त दी हुई है लेकिन कोई तवज्जोह नहीं है। बजट भाषण में जैसा लिखा कि सजेशन दें तो मैं यह सजेशन देता हूं कि इन्जीनियर्स ने कोओपरेटिव बनायी है उनकी आप यह स्कीम पास कीजिये और उनको पच्चीस तीस हजार की जीप दे दीजिये। बाकी बैंक से मिलेगा। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से मिलेगा।

श्री सभापति : माननीय सदस्य आप पचास मिनट ले चुके हैं।

श्री पी० के० चौधरी : इतनी ही बात कह कर समाप्त करता हूं कि एडमिनिस्ट्रेशन में इकोनोमी लानी चाहिये। हर साल गवर्नमेन्ट कहती है कि इकोनोमी करके खर्चा होगा। क्या इकोनोमी होती है वह समझ में नहीं आती है। जैसे कहावत है : Justice should not only be done, it should also appear to have been done.

सिर्फ इन्साफ करने से नहीं होता है। अगले को मालूम होना चाहिये कि इन्साफ किया है। इसलिये इकोनोमी कहने से नहीं होती है। जनता को बताओ कि यह इकोनोमी की है तो हम मानेंगे वरना नहीं।

Page No. 108

श्री सभापति : श्रीमती मदनकौर।

(अनुपस्थित)

श्री किशन लाल शर्मा।

श्री किशनलाल शर्मा (नाथद्वारा) : आदरणीय सभापतिजी, पिछले दो तीन दिन से सन् 1970-71 के बजट पर बहस चल रही है। कई माननीय सदस्यों ने अपने दलों के आधार पर बातें कहीं। वित्त मंत्रीजी ने आज की राजनैतिक और आर्थिक स्थिति में इस बजट को पेश किया है उसका समर्थन करता हूं और साथ साथ यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि समाजवाद की ओर कदम बढ़े हैं इसमें दो राय नहीं लेकिन हमने स्पष्ट रूप से कोई संकेत नहीं दिया है कि समाजवाद के आधार पर यह कदम बढ़ाने जा रहे हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपके जरिये निवेदन करना चाहता हूं कि आज राजस्थान में पचायती राज की जो स्थिति हो रही है उसकी तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिये। एक कमेटी की रिपोर्ट जो सादिकअली कमेटी के नाम से मशहूर है, उसमें जो सुझाव दिये गये उसके एक हिस्से को राजस्थान सरकार ने माना और दूसरे हिस्से की तरफ सरकार का ध्यान नहीं। उसी तरह से सहकारिता की स्थिति हो रही है। उस तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिये। अगर हम समाजवाद की ओर बढ़ना चाहते हैं और यह हमारा संकल्प है तो सहकारिता और पंचायती राज को मजबूत करना होगा।

आज सभी दलों ने हिन्दुस्तान में बैंक राष्ट्रीयकरण के बारे में विचार प्रकट किये हैं। मैं, सभापति महोदय, आपके जरिये निवेदन करना चाहता हूं कि बैंक राष्ट्रीयकरण के जरिये किसानों को सुविधा मिली है उसमें थोड़ी एक अड़चन राजस्व विभाग की आती है उस इलाके की मैं बात नहीं करता जहां जमीन की बड़ी होल्डिंग एक के हाथ में है, बड़े बड़े चक हैं। लेकिन मैं उन इलाकों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जहां पर छोटी 2 होल्डिंग्स हैं जैसे हमारे मेवाड़ में छोटे 2 भूमि के टुकड़े हैं और बैंक से ऋण लेने के लिये पटवारी से सर्टिफाई कराना पड़ता है और उसमें काफी समय लगता है। समय पर किसान को ऋण नहीं मिलता। मैं राज्य सरकार से आपके जरिये निवेदन करना चाहता हूं कि आपने किसानों को पास बुक वितरित करने की घोषणा की है उसके लिये एक समय निर्धारित करना चाहिये जिससे किसानों को जो असुविधा हो रही है वह न हो और बैंक से जो इमदाद मिल सकती है उसके कारण उत्पादन प्रोग्राम में, कार्यक्रम में बढोतरी हो सकती है उसमें जल्दी से जल्दी कार्यवाही की जा सके। आपके मार्फत मैं राज्य सरकार से यह निवेदन करना चाहूंगा कि पास बुक के वितरण का एक समय निश्चित कर देना चाहिये और पटवारियों को आदेश देने चाहिये कि अमुक समय में अपने अपने इलाके में पहुंचा देंगे।

इसी प्रकार, सभापति महोदय, आज राजस्थान में जितने भी पब्लिक सैक्टर में उद्योग चल रहे हैं, कई सैक्टर में हमें यह सुनने को मिलता है कि अमुक उद्योग घाटे में जा रहा है और अभी कुछ दिनों पहले ऊन की मिलों के सम्बन्ध में यह बात आयी कि चूंकि ये घाटे में जा रहे हैं इसलिये

(श्री किशनलाल शर्मा)

इनको बन्द कर देना चाहिये । मैं बहुत अदब से निवेदन करना चाहता हूं कि यह हमारा सिद्धान्त होना चाहिये कि बड़े २ उद्योग सरकार के द्वारा चलाये जाने चाहिये अगर समाजवाद लाना चाहते हैं और देश की गरीबी को दूर करना चाहते हैं तो कुछ सिद्धान्त तय करने पड़ेंगे और उनके अनुसार चलना होगा ।

गत साल के बजट में हमारे वित्त मंत्री जी ने कई घोषणायें की हैं उनमें से एक घोषणा यह भी थी कि हम नगरपालिकाओं में चुंगी को समाप्त करेंगे और उसके साथ एक घोषणा यह भी की कि अरबन एरिया में जो जमीनें हैं उनको आबादी के लिहाज से कन्वर्ट करने के लिये एक निश्चित शुल्क तय किया था लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि एक साल हो गया लेकिन आज तक कोई उस पर कदम नहीं उठाया गया । और जनता को सुविधा मिल सकती थी उससे वंचित किया गया, और कर रहे हैं । इसलिये काम उतना ही करो जितना काम कर सकते हो ।

इसी तरह से सीलिंग के बारे में घोषणा की और चर्चा हुई ।

श्री विजयसिंह (मकराना) : औन ए पोइन्ट ओफ ओर्डर, सर । बजट पर बहस हो रही है और बजट की बहस के समय न तो वित्त मंत्री हैं, न मुख्य मंत्री और न राज्य मंत्री ।

श्री मनफूलसिंह (राज्य मंत्री, पशु-पालन) : मैं नोट कर रहा हूं ।

श्री विजयसिंह : नोट तो कोई भी करता रहेगा । हाउस की प्रोसिडिंग्स नोट हो ही रही है । इससे परपज सर्व नहीं होता है बजट पर बहस चल रही है । भेड़ और ऊन के बारे में बहस नहीं चल रही है । आप तो पशु पालन मंत्री हैं ।

श्री किशन लाल शर्मा : मैं मकराना से आने वाले माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि बीच २ में बाधा न डालें ।

श्री विजयसिंह : आपके लिये नहीं कहा ।

श्री किशनलाल शर्मा : जो कुछ किया अच्छा किया ।

श्री विजयसिंह : आपकी बात न नोट हो, यह कैसे होगा ।

श्री किशनलाल शर्मा : तो मैं निवेदन करना चाहता था कि जिस तरह से सीलिंग के बारे में घोषणा की थी सदन को यह विश्वास दिलाना पड़ेगा कि अमुक तारीख तक सीलिंग लागू कर देंगे । यह नहीं हो सकता कि घोषणा कर दें और उसको लागू न करें । कई घोषणायें सरकार ने की हैं लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उनका इम्पलीमेन्टेशन नहीं होता है और जनता में असंतोष बढ़ता जाता है इसलिये जो कुछ कहा जाय उसका एग्जीक्यूशन भी किया जाय ।

श्री विजयसिंह : थोड़ा इनको रगड़ो।

श्री कृष्णकुमार गोयल : थोड़ा जबान से ।

श्री किशन लाल शर्मा : जबान से या एक्शन से यह बताऊंगा ।

Page No. 110

(श्री किशनलाल शर्मा)

इस साल के बजट में जो घाटा सामने आया और जो कर सरकार लगाना चाहती है उस पर मेरे से पूर्व वक्ताओं ने विस्तृत रूप से प्रकाश डाला है। दरअसल में घाटे की स्थिति को कोई भी पसन्द नहीं करता है। जो जनतंत्र में विश्वास रखते हैं, जो जनतंत्र को मजबूत बनाना चाहते हैं, वे यह चाहते हैं कि हमारे राज्य की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो। मैं बहुत ही नम्रतापूर्वक सभापति जी यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस घाटे की स्थिति को लाने में इस सदन के सभी सदस्य जिम्मेवार हैं। जब मैं यह बात कहता हूं, मेरे माननाय, सदस्यों को इससे ऐतराज हो सकता है। मैं उनसे नम्रतापूर्वक यह निवेदन करना चाहता हूं, आज जो जो कार्यवाहियां, जिस तरह का एक्शन हमारे राजस्थान में चाहे प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रूप से हों, उसका हमारे बजट पर असर पड़ता है। आपको मालूम होगा गये साल हमने यहां कुछ उप-कर लगाये थे और इस सदन ने उनको पास भी किया था और यहां पास होने के बाद, उसी मसले को लेकर बाहर जनता को, जो यह कर बराबर देती आ रही है, उसमें इस प्रकार का वातावरण पैदा करते हैं, मैं समझता हूं यह राजस्थान के हित में नहीं है। जो राजनैतिक पार्टियां इस प्रकार का आन्दोलन करके इस सरकार को उखाड़ना चाहती है, उन्हें मैं दृढ़ता के साथ यह कहना चाहता हूं कि उनका यह सपना पूरा नहीं हो पायेगा।

एक माननीय सदस्य : कान्ताजी ने और आपने फर्क किया है। उन्होंने इस आंदोलन की बात कही है।

श्री किशनलाल शर्मा : आपका नम्बर आवे तब कहना।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : इस प्रकार की बातें राजा-महाराजा कहते है।

श्री किशनलाल शर्मा : इन्दलिया जी आपको टिकट नहीं मिला इसलिये आप उधर जाकर बैठे हैं। सिर्फ टिकिट नहीं मिलने के खातिर ही आप उधर बैठे हैं। आपने पार्टी टिकिट के खातिर ही छोड़ी है।

एक माननीय सदस्य : आपका भी टिकट कट सकता है।

किशनलाल शर्मा : यह तो राजस्थान का ही इतिहास बतायेगा। आप राजा की गोद में जाकर बैठ गये हैं।

सभापति जी, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे राज्य की आर्थिक स्थिति मजबूत होनी चाहिये और इसको मजबूत रखने के लिये यह आवश्यक है कि हम अपने प्रशासन के खर्चे को देखें। आज हमारे प्रशासन का खर्चा दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है लेकिन दूसरी तरफ हमारी जनता की दिक्कतें भी बढ़ती जा रही हैं। अगर सरकार कोई कदम उठाना चाहे तो हमारे विरोधी सदस्य उसका विरोध करते हैं। आज आप एक एक यूनिट में, जिले में क्या आप यह महसूस नहीं करते हैं कि मशीनरी जिस तरह से जनता को परेशान कर रही है, उसका कोई रास्ता निकाला जाये। इससे आप भी इंकार नहीं कर सकते। लेकिन जब सरकार कोई एक्शन लेती है तो हम उस को प्रोटेक्शन देना चाहते हैं।

एक माननीय सदस्य : प्रोटेक्शन तो आप देते हैं ।

श्री किशनलाल शर्मा : सभापति जी; मेरा नम्रतापूर्वक यह निवेदन है कि हमें अपने राज्य के प्रशासन की स्ट्रेंग्थ में कमी करनी चाहिये और अगर हम कमी नहीं कर सकते हैं तो उनका वर्कलोड की तरह काम फिक्स्ड कर देना चाहिये कि अमुक व्यक्ति को इतना काम करना अनिवार्य होगा तब तो हम यह बढ़ता हुआ खर्च सहन कर सकते हैं वरना यह दिन प्रतिदिन असह्य होता जा रहा है। आज एक मजदूर को फैमिन में काम करने पर डेढ़ रुपया प्रतिदिन मिलता है और दूसरी तरफ खस की टट्टियों में बैठने वाले, उन कमरों में काम करने वालों की काफी सुविधा का ध्यान रखा जाता है। समाजवाद में यह असमानता नहीं चल सकती और हमें यह असमानता दूर करनी पड़ेगी। आज हमारा देश स्पष्टतया दो विचारधाराओं में बंटा हुआ है। एक तरफ वे लोग हैं जो प्रगतिशील हैं, जो समाजवाद लाना चाहते हैं और दूसरी तरफ वे लोग हैं जो आज तक कांग्रेस की खिलाफत करते रहे और आज कांग्रेस के साथ बैठकर सत्ता में भागी बनना चाहते हैं। यह हमारे देश के दुर्भाग्य की बात है। आज हम देश का नक्शा उठा कर देखें, किस तरह की स्थिति है ? एक पार्टी एक प्रदेश में कांग्रेस का समर्थन करती है और वही पार्टी दूसरे प्रान्त में कांग्रेस का विरोध करती है। इस के पीछे एक ही कारण है और वह कारण है सत्ता का लोभ यही सत्ता का लोभ हमें आज हमारे सिद्धांतों से विचलित कर रहा है। इसलिये सभापति जी, मैं बहुत ही नम्रतापूर्वक यह निवेदन करना चाहता हूं कि हम सभी को इस देश, प्रदेश की प्रगति में कदम-ब-कदम मिलाकर आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिये और राजस्थान ही एक ऐसा प्रदेश है जहां कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो कांग्रेस का मुकाबला कर सके इसलिये हमें इस को मजबूत करना चाहिये। यहां हमें सामन्तवाद का मुकाबला करना है और इस सामंतवाद का मुकाबला करने के लिये सभी प्रगतिशील पार्टियों को एक हो जाना चाहिये। राजस्थान की जनता ने अब तक सामन्तवादियों को मौका नहीं दिया है और न देगी। मैं नम्रतापूर्वक यह निवेदन करना चाहता हूं कि कल सदन में कई तरह की चर्चाएं हुई हैं। अगर कोई सदस्य यह देखें कि जिस दल का वह सदस्य है, उसमें कोई त्रुटि है या वह दल अपने सिद्धान्तों से विचलित हो गया है तो वह उस दल का सदस्य रहने के लिए बाध्य नहीं है। सभापति जी, मैं यह मानता हूं कि इस प्रदेश का कोई उपकार कर सकता है तो वह कांग्रेस ही है और राजस्थान में कोई ऐसा दल नहीं है सिवाय कांग्रेस के जिसमें जनता का इतना विश्वास हो। सभापति जी, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप सब मिल कर भी आज तक इस कांग्रेस का मुकाबला नहीं कर पाये हैं। इस देश के हित में, इस प्रदेश के हित में, आज जो यह स्थिति है उस तरफ सब को विचार करना चाहिये और इस घाटे की स्थिति को दूर करने के लिए सब को प्रयास करना चाहिए।

सभापति जी मैं एक और सुझाव देना चाहता हूं। मेरा निवेदन है कि जिस तरह से भारत सरकार में हर मन्त्रालय की एक एक सलाहकार कमेटी, बनी हुई है, उसी तरह की सलाहकार कमेटी का निर्माण

(श्री किशनलाल शर्मा)

हमारे प्रदेश में भी होना चाहिये ताकि इस सदन में बैठने वाले सदस्यों को सही स्थिति का पता लग सके, प्रशासन की बातों का पता उन को भी लग सके, उनके वेल्यूबल सुझाव सरकार को मिल सके और सरकार को उनको कार्यान्वित करने का मौका मिल सके।

सभापति जी, आज हमारे सामने जो सबसे बड़ा प्रश्न है, वह गरीबी को दूर करने का है, मैं भारत सरकार की कार्यवाही का स्वागत करता हूं, उसको बधाई देना चाहता हूं कि उसने प्रिवीपर्सों और प्रिविलेजेज के बारे में एक निर्णय ले लिया है। आज इस समाजवाद के युग में इतनी बडी असमानता नहीं चल सकती। हम भारत सरकार के इस निर्णय का स्वागत करते हैं और इसी तरह से हमें यह सोचना होगा कि तनख्वाहों में जो इतना बड़ा अन्तर है, वह भी कायम नहीं रहना चाहिए।

श्री दिग्विजय सिंह : ये प्रिवीपर्स किसने दिये थे।

श्री किशनलाल शर्मा : हमने नहीं दिया आपने लिया है और हम उम्मीद करते हैं कि इस प्रदेश के राजा महाराजा जो बराबर यह कहते रहे हैं कि हमने त्याग किया है, बलिदान किया है तो इस प्रिवीपर्स के मामले में वे नहीं पड़ेंगे और इस मामले पर जोर नहीं डालेंगे। अगर आप सब एक मत से यह प्रस्ताव पास कर देते हैं तो वह स्वागत योग्य है।

(4 म. प.)

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता: यह आप नवाब साहब से कहिये।

श्री किशनलाल शर्मा : आपने भी नहीं कहा तो मैं क्या कहूं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मेरे समय में तो कोई राजा महाराजा थे ही नहीं।

श्री किशनलाल शर्मा : थे कैसे नहीं महाराजा झालावाड़ थे।

सभापति महोदय, आज मुझे एक बात बहुत अखरती है। मैं यह मानता हूं और मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिये हमें देश में उत्पादन बढ़ाना होगा। हमें खेती की तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिये। मेरे कथन से माननीय सदस्य भी सहमत होंगे कि बड़े बड़े उद्योगपतियों को बहुत कम लागत में बिजली दी जारही है। उनसे बिजली के उत्पादन की कीमत है उससे भी कम वसूल किया जा रहा है और दूसरी तरफ किसान अपने कुए में बिजली लेने के लिए महीनों तक दफ्तरों में भटकता फिरता है।

एक माननीय सदस्य : यह कसूर किस का है ? राजाओं का तो यह कसूर नहीं है।

श्री किशनलाल शर्मा : इस बारे में विद्युत बोर्ड का जो रवैया है उसमें परिवर्तन की आवश्यकता है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि बिजली की जो दरें हैं जो उद्योगपतियों से ली जाती हैं, वह बहुत कम है। आज जब कि राजस्थान के बजट में घाटा है वैसी हालत में डी. सी. एम. और अन्य फैक्ट्रियों को 3 पैसा प्रति यूनिट दिया जाता है, उनसे भी ज्यादा वसूल किया जाना चाहिये।

(श्री किशनलाल शर्मा)

इसी तरह से आज जब कि हमारा बिजली का उत्पादन आल रेडी सरप्लस है वैसी हालत में इसका पूरा उपयोग होना चाहिये। आज एक तरफ किसान बिजली के लिये मारा मारा फिरता है दूसरी तरफ हम अपनी पूरी बिजली को यूटीलाइज नहीं कर पाते हैं। वैसी हालत में मैं निवेदन करना चाहूंगा अगर हम राजस्थान की अन्न की समस्या को हल करना चाहते हैं देश की अन्न समस्या के हल करने में योग देना चाहते हैं तो हमें किसानों को उनके कुओं पर बिजली देने के लिये जितने भी साधन जुटाने पड़ें, जुटाने चाहिये और किसान के खेत पर बिजली पहुंचानी चाहिये।

इसके अतिरिक्त मैं एक सुझाव और देना चाहता हूं राजस्थान में कई जगह कई बान्ध बने हैं, उनसे पानी खेत में पहुंचना शुरु होगया है। सभापति महोदय, कोटा डिस्ट्रिक्ट में जाकर मुझे देखने का मौका मिला है जितनी मात्रा में कोटा डिस्ट्रिक्ट में पानी मिलता है उतना अन्य स्थानों को नहीं मिलता। हमारे कृषि विभाग ने वहां के किसानों को पानी का अनुपात देखते हुए अपना क्रोप पेटर्न बदलने के बारे में सुझाव नहीं दिये हैं। मैंने कोटा से कुछ मील दूर पर देखा है इस मौसम में भी वहां बाजरा बोया हुआ है और कोटा से दूर जाने पर मुझे कुछ स्थानों पर गेहूं और चावल भी नजर आये। क्रोप पेटर्न का बदलाव कोटा में, कोटा डिस्ट्रिक्ट में कमी का होजाना चाहिये था।

श्री कृष्णकुमार गोयल: मास्टर साहब आपको मैं बता दूं कोटा डिस्ट्रिक्ट में चम्बल की नहर का पानी कोटा जिले को पार कर के मध्य प्रदेश जाता है मध्य प्रदेश को 2 हजार क्युसेक पानी मिलता है जबकि कोटा के लिये केवल एक हजार क्युसेक पानी ही रहता है। इससे गेहूं और चावल की फसल नहीं उग सकती। इसलिये इतने थोड़े पानी में चावल पैदा करना असंभव है।

श्री किशनलाल शर्मा: मेरा निवेदन यह है कि जहां पानी प्रचुर मात्रा में मिलता है वहां इस तरह की फसल बोनी चाहिये जिससे पूरे पानी का सदुपयोग हो सके। इसका नमूना कोटा और बून्दी को देखने से मिल सकता है। एक तरफ आप पंजाब के किसान को देखिये उसकी जमीन को देखिये। आपको उनकी ओर अपने यहां की जमीन को देखकर अन्तर मालूम पड़ जायगा। उनकी पैदावार में और हमारे यहां की पैदावार में काफी अन्तर दिखाई देगा। पंजाब का किसान पानी को युटिलाइज करना जानता है। इसी तरह से हमारे यहां के किसानों को भी कृषि विभाग द्वारा ट्रेनिंग दी जानी चाहिये।

सभापति महोदय, एक बात जिसकी ओर सदन के अन्य माननीय सदस्यों ने भी ध्यान आकर्षित किया, मैं निवेदन करना चाहता हूं हमारे सदन की कई कमेटियों की रिपोर्ट सदस्यों के सामने आयी है। उसमें आपने देखा होगा कि खाद और बीजों की रकम की रिकवरी को लेकर किसानों को परेशान किया जा रहा है। दूसरी तरफ विभाग की हालत यह है कि वहां पर अकाउन्ट्स भी तैयार नहीं मिलते। 54 से लेकर 70 तक के सही अकाउन्ट्स के हिसाब नहीं हैं। हिसाब के अभाव में 56. 57 में जो खाद और बीज दिया गया उस

(श्री किशनलाल शर्मा)

पर पैनल इंटरेस्ट लगा कर आप वसूल करना चाहते हैं यह कतई उचित नहीं है। आपके विभाग की गलती के कारण किसानों पर बोझ नहीं पड़ना चाहिये। वैसे ही हमारे राजस्थान का किसान प्रकृति के प्रकोप से परेशान है। उस परेशानी को आप पैनल इंटरेस्ट लगाकर और ज्यादा बढ़ा रहे हैं। यह न्याय संगत नहीं है। इस पर आपको विचार करना चाहिये।

सभापति महोदय, एक बात और निवे- करना चाहता हूं जैसा कि फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा पानी की जो सप्लाई करते हैं खेतों में उसकी रेट्स में भी एक रूपता लाने की आवश्यकता है इस बारे में सरकार ने जो डिसीजन लिया है एकरूपता लाने का उसका हम स्वागत करते हैं।

दूसरी तरफ सरकार को एक बात अव- श्य करनी चाहिये जैसा कि फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा लैंड रेवेन्यू में काफी अन्तर है। वह अन्तर भी मिटना चाहिये मैं आपसे उदयपुर जिले के बारे में निवेदन करूं वहां किसानों के पास छोटी छोटी जमीन है वहां पर लगान की दर 18.20 और 22 रुपया वसूल होता है यह उनके साथ न्याय नहीं है। इस तरफ ध्यान दिया जाना चाहिये। लैंड रेवेन्यू के बारे में एक रूपता लाने की कोशिश करनी चाहिये।

सभापति महोदय, यह हम भी नहीं मानकर चलते कि राजस्थान का पूरा विकास हो गया है। इसके विकास के लिये अभी काफी धन की आवश्यकता है। मैं एक सीमित दायरे को लेकर बात करना नहीं चाहता। इसके पूरे विकास के लिये काफी धन की आवश्यकता है, विकास में भी हमें सभी स्थानों के लिये एक रूपता लानी चाहिये, इस ओर प्रयास किया जाना चाहिये। एक स्थान ऐसा है कि जहां 12 मासी नहर चलती है, कुछ स्थानों पर सीजनल ही नहर चलती है लेकिन जहां तक दरों का सवाल है उसमें भी भिन्नता है। सरकार को इन दरों के बारे में भी ध्यान देना चाहिये। सारे राजस्थान की दरों में एक रूपता लाने की कोशिश की जानी चाहिये। एक तरफ किसान अपने 100 फीट गहरे कुए से पानी पिलाता है दूसरी तरफ नहरों से पिलाई करता है इसके रेट्स में अन्तर है, वह सब जानते हैं। इन दोनों की रेट्स में जो फर्क है वह नहीं रहना चाहिये।

वित्त मंत्री महोदय ने फीसों के बारे में भी निर्णय लिया है। विद्यार्थियों की फीस बढ़ायी है। यह निर्णय किस आधार पर लिया गया है, वह भी बताया गया है। उसके कारण मेरे ख्याल से किसी सदस्य को आपत्ति नहीं हो सकती। इसमें भी एक बात अवश्य ध्यान देने लायक है। वह यह कि एक्सरसाइज बुक्स पर जो टैक्स बढ़ाया है वह सीधा जाकर विद्यार्थियों पर पड़ेगा। इसको ध्यान में रखना चाहिये कि यह टैक्स जो सामान्य विद्यार्थी पर पड़ने वाला है वह नहीं पड़ना चाहिये। इस मसले पर सरकार को विचार करना चाहिये।

दूसरा आपने गोटा किनारी पर टैक्स लगाया है। इस बारे में मेरा यही निवेदन है कि अब ही गरीब लोगों का समय आया है कि वह गोटा किनारी के कपड़े पहने। नकली गोटा किनारी पर टैक्स उठ जाना

(श्री किशनलाल शर्मा)

चाहिये। जमाना बदल गया है। लोग चन्द्रमा तक पहुंच रहे हैं जिन लोगों को गोटा किनारी नसीब नहीं होता था आज उनका स्टेन्डर्ड बढ़ा है और वे गांव वाले इसको पहनते हैं, इसलिये इस पर टैक्स माफ होना चाहिये।

सभापति महोदय, प्रशासन के संबंध में मैंने निवेदन किया। एक बात मैं और निवेदन करना चाहता हूं कि जो हमारी कमेटियों की रिपोर्टें आई हैं वे देखी होंगी आपने। आज सरकार की जो बकाया है वह बकाया जनता के कारण नहीं है। अपने आफीसरों की गफलत और लापरवाही के कारण सरकार की बकाया है। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिये। अगर सरकारी बकाया वसूल कर लेते हैं तो टैक्स की आवश्यकता ही नहीं रहे। पर आज होता क्या है ? स्थिति यह है सभापति महोदय, कि रुपया दे दिया जाता है पर उसकी वसूली करने की तरफ ध्यान नहीं है। अभी आपने देखा होगा कि हमारे गंगानगर जिले में कपास का बीज सरकार ने खरीदा। पर वह समय पर नहीं बांटा गया और समय पर नहीं बांटे जाने के कारण बीज पड़ा रह गया। इसके बाद जो बचा उसमें चालीस हजार का सरकार को नुक्सान हुआ। हमारे प्रशासन के लोग अगर इस तरफ ध्यान दें तो यह नुक्सान रुक सकता है। अगर जिन अधिकारियों की गफलत के कारण यह नुक्सान होता है उनके प्रति जिम्मेदारी फिक्स करने की कोशिश करें और उसके लिये उनको कठोर दण्ड भी दिया जाए तो यह नुक्सान बच सकता है।

अभी पिछले दिनों बीकानेर के कलक्टर की गफलत के कारण सरकार को पांच लाख का नुक्सान हुआ। पर उनके खिलाफ सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की। सरकार को करनी चाहिये थी। नहीं करते हैं तभी दूसरों को सबक नहीं मिलता और गफलत बढ़ती जाती है।

एक माननीय सदस्य : मैं बीज के बारे में अर्ज कर दूं। किसानों के पास रोकड़ी पैसा नहीं है। ये रोकड़ी पैसा मांगते हैं। रोकड़ी पैसा किसानों के पास नहीं होने से यह बच गया।

श्री किशनलाल शर्मा : मैं निवेदन कर रहा था कि प्रशासन में अधिकारियों की गफलत के कारण जो सरकार का लौस होता है उसके लिये जिम्मेदारी फिक्स की जानी चाहिये। रिपोर्ट देखने से मालूम होगा कि करोड़ों रुपया बकाया है और उसके अगेन्स्ट में वसूली नहीं की जाती है और जब पैसे की जरूरत होती है तो जनता पर टैक्स लगते हैं। राजस्थान की जनता अब टैक्सों के वजन से इतनी दब रही है कि अधिक टैक्स देने की शक्ति नहीं रह गई है उसमें।

दूसरी तरफ ईश्वर के प्रकोप भी निरंतर हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में सरकार अपनी बकाया की वसूली के प्रति अधिक जागरूक हो और जिन अधिकारियों की गफलत पाई जावे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जानी चाहिये।

पिछली साल से हमारे राजस्थान में मैडिकल में जाने वाले विद्यार्थियों के लिये प्री मैडिकल टैस्ट की शुरूआत की गई। इसे रद्द कर दिया जाना चाहिये। इससे उन विद्यार्थियों के प्रति जो फर्स्ट सैकिन्ड डिविजन

(श्री किशनलाल शर्मा)

पास होकर आते हैं वे अकसर करके गरीब तबके के विद्यार्थी होते हैं। प्री-मैडिकल टैस्ट की पढ़ाई और तैयारी वे दुबारा गरीबी के कारण कर नहीं पाते और प्री मैडिकल टैस्ट में रह जाते हैं और बड़े बड़े धनी अधिकारी वर्ग के लड़के जो यूनिवर्सिटी की परीक्षाओं में तो मैरिट प्राप्त करके और डिविजन प्राप्त करके आ नहीं सकते उनको एक और चान्स देने के लिये और बैक डोर से एन्ट्री करने के लिये यह व्यवस्था की गई है, ऐसा लगता है। मुझे आशंका है और गये साल का अनुभव भी इसका साक्षी है कि येन केन प्रकारेण ऐसे लड़के टैस्ट में पास हो जाते हैं और गरीब वर्ग के लड़के जो फर्स्ट और सैकन्ड डिविजन पास करके आये हैं वे रह जाते हैं। इसलिये जनता में यह बात और भ्रम पैदा होने की काफी गुंजाइश है कि प्री-मैडिकल टैस्ट की व्यवस्था ही ऐसे लड़कों को, उच्च वर्ग के पिछड़े हुए लड़कों को आगे लाने के लिये की गई है और इसमें भ्रष्टाचार की बू आती है। तो आम विद्यार्थियों में और जनता में इस व्यवस्था के प्रति असन्तोष और क्षोभ है, और हमेंभी आशंका होती है कि आखिर जब यूनिवर्सिटी से फर्स्ट और सैकन्ड डिविजन पास होकर लड़के आते हैं तो उसी मैरिट पर उनका सिलेक्शन क्यों नहीं कर लिया जाता है, दुबारा टैस्ट में बैठने की क्या आवश्यकता है। इसलिये मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि यह प्री-मैडिकल टैस्ट की व्यवस्था समाप्त करनी चाहिये और मैरिट के आधार पर भरती की जानी चाहिये।

आज हमारे प्रदेश में और देश में भी सबसे बड़ी ज्वलन्त समस्या है बेरोजगारों को रोजगार देने की। और वह भी मुख्यतया पढ़े लिखे लोगों को। मैं वित्तमंत्रीजी की इस बात का स्वागत करता हूं कि पढ़े लिखे विद्यार्थियों को एक एक साल का वजीफा देने का प्रावधान रखा है। शिड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब्स के विद्यार्थियों में बहुत कम ऐसे होते हैं जो फर्स्ट डिविजन में निकलते हों क्योंकि उनका घर का वातावरण गरीबी के कारण और पिछड़ेपन के कारण ऐसा होता है कि वे मनोयोग से और शांति के साथ अध्ययन नहीं कर सकते। इस सम्बन्ध में और भी रियायत उनके साथ की जानी चाहिये। साथ ही जो हमारे विद्यार्थी नवयुवक बेकार बैठे हैं उनके बारे में तुरन्त कोई न कोई समाधान करने की दिशा में कदम बढाने की कोशिश भी की जानी चाहिये। आज हम देखते हैं कि स्कूलों में मास्टरों की जगहें खाली पड़ी हैं और उधर फर्स्ट और सेकन्ड डिविजन पास बी. ए. एम. ए. बेकार घूम रहे हैं। तो यह कोआर्डिनेशन बिठाना चाहिये। इस बारे में सरकार को शीघ्र समुचित व्यवस्था करनी चाहिये।

आज से कुछ वर्ष पूर्व हमारे राष्ट्र के नेता दिवंगत पं० जवाहरलालजी नेहरू और गांधीजी भी हमेशा से यह कहते आये थे कि हमें इन ग्राम पंचायतों को मजबूत करना चाहिये। पंचायती राज कायम करना चाहिये देश में। मैं फिर निवेदन करना चाहता हूं कि इस पंचायत राज को मजबूत करने के लिये शीघ्रातिशीघ्र सोचना चाहिये और साथ ही जो रिपोर्ट इस पर एक्सपर्ट कमेटी की आई हुई है उसके आधार पर जिला परिषद् को भी मजबूत करके छोटी पंचायतों को बड़ा करने की कोशिश की जानी चाहिये।

श्री सभापति : माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहता हूं कि कल दिनांक

(श्री सभापति)

14-3-70 की बैठक का समय प्रातः 8 बजे से दिन के 1 बजे तक रखा गया है।

श्री रावतराम।

श्री रावतराम (छापर-सु.) : सभापति महोदय, 70-71 का बजट सदन के समक्ष पेश है। उस पर बहस चल रही है। उसके बारे में मैं भी आपकी मार्फत कुछ निवेदन करने को खड़ा हुआ हूं। मेरे से पहले बोलने वाले माननीय सदस्य की बात मैंने बड़े ध्यान से सुनी। काफी जोर शोर से समाजवाद के पक्ष में और उसकी पुष्टि में बातें कही गई। मैं भी यही कहूंगा कि डागाजी के पास बैठता हूं। वे पूर्णतः समाजवादी हैं। पर मुझे कुछ ऐसा, सभापति महोदय, महसूस हुआ इस बजट के बारे में कि जैसे पीतल के बर्तन पर कलई चढ़ा दी जाती है उसी तरह से यह समाजवाद की कलई इस पर चढ़ा दी गई हो और अब बड़े जोर शोर से इसका ढोल पीटा जा रहा हो कि यह बिलकुल समाजवादी बजट है।

इसमें कोई समाजवाद की झलक नजर नहीं आती और जैसा हमेशा से बजट पेश करते आये हैं और जैसी प्रक्रिया है उसी तरह से इसकी भी प्रक्रिया रखी गई है। कोई ठोस योजना कोई ठोस प्रेरणा इस तरह की कि जो राजस्थान की जनता को लाभ पहुंचा सके और उत्साह प्रदान कर सके, इन्सेन्टिव दे सके, इसमें कतई नहीं है।

जो राजस्थान की गरीब जनता रूरल एरिया में आवाद है जो गरीबी और अशिक्षा से पीड़ित है उन लोगों को कोई विशेष इस बजट से मिला हो ऐसी मेरी मान्यता लाभ नही है। लेकिन फिर भी सदन के माननीय सदस्य और खास तौर से डागाजी समाजवाद का ढोल पीटे जा रहे हैं। मेरी समझ में बात आती नहीं उनके समाजवाद की क्योंकि मैं खुद पीड़ित आदमी हूं और चाहता हूं कि समाजवाद जिसका ढोल पीटा जा रहा है, वह तो डागाजी को सौंप दिया जाय, हमें तो थोड़ा जीने का अधिकार भर दे दिया जाय। हमें इसी में सन्तोष हो जावेगा। इन्सान को जिन्दा रखने के लिये, इन्सान को वस्तुएं जीवन प्रदान करती हैं वे बुनियादी आवश्यकताएं जो सबसे जरूरी और प्राथमिक हैं वे इन्सान को पहले मिलनी चाहिये। इसके बाद आप चाहें तो समाजवाद की बात कर सकते हैं। हमें इससे फिर कोई सरोकार नहीं। मकान बना नहीं, कैसा क्या बनेगा इसका पता नहीं, पर कहते हैं उसके ऊपर कलई पहले ही चढ़ा दो इस पर रंग पोत दो, इस पर ऐसा सुनहरा हरा पीला लाल रंग होना चाहिये। पहले आप मकान तो बनावें, फिर रंग रोगन की बात करना।

श्री मूलचन्द डागा : इन्जिनियर का नक्शा पूरा बनना चाहिये पहले।

श्री रावत राम : नक्शे तो बना रक्खे हैं। बनाते रहें, उसमें परिवर्तन परिवर्द्धन की जरूरत हो तो करते रहें, पर पहले उसकी नींव ही नहीं रखते हैं और उससे पहले ही ऊपर के ढांचे को रखते हैं ऐसा नक्शा किस काम का रोगन का पुताई का काम जरूरी है, पर उसकी स्टेज आने पर। पर जिसकी नींव नहीं मकान बना नहीं, और पहले ही कहें कि साहब कैसा चमक रहा है यह मकान, तो मैं कहना चाहता हूं कि हमें तो जीवन के आवश्यक साधन जो सबसे पहले जरूरी हैं, दे दें। राजस्थान की जितनी जनता हैं

(श्री रावतराम)

उसके अनुपात से मिलना चाहिये। वरना केवल हम समाजवाद का ढोल पीटते जावें, व्याख्या मात्र केवल करते रहें या इधर केवल वजट का पैसा डालते रहें। उससे फायदा होने वाला नहीं है।

तो सभापति महोदय, इस बजट को तो समाजवाद का बहुरूपिया बजट कहना चाहिये। मेरे साथ एक घटना घटी है इन बहुरूपियों की, जो ऐसी है कि गंगानगर का किसान सत्याग्रह चल रहा है तो मैं जब चूरु में था। एक दिन सुबह ही सुबह एक बहुरूपिया आ गया। वह इतना फिट था बाकायदा पोशाक में थानेदार की पोशाक में भ्रम हो ही नहीं सकता था। तो उसने आकर कहा।

श्रीमती सुमित्रा : सभापति महोदय, सदन में कोरम नहीं है।

(गणपूर्ति घंटी)

श्री रावतराम जारी : उसने आकर कहा ....

श्रीमती सुमित्रा : सभापति महोदय, कोरम नहीं है।

एक माननीय सदस्य : है।

श्रीमती सुमित्रा : नहीं है। मैं ठीक बात कह रही हूं। कोरम नहीं है।

एक माननीय सदस्य : गिन लीजिये, हैं।

श्रीमती सुमित्रा : मैंने गिन लिये हैं, नहीं है।

श्री डूंगाराम राजोरिया : यह तो आपकी पार्टी का फर्ज हो जाता है। चार आदमी बैठे हैं।

श्रीमती सुमित्रा : इससे मतलब नहीं है।

(विराम)

श्री रावत राम : सभापति महोदय बोलने की इजाजत दें या बैठने की। हम तो हुकुम मानते हैं।

श्री सभापति : स्थान ग्रहण करें।

(गणपूर्ति घंटी)

श्री रावतराम।

श्री रावतराम :... तो सभापति महोदय, अभी यह बात कह रहा था मेरे साथ में एक घटना हुई, वह थानेदार की पोशाक में एक बहुरूपिया सुबह सुबह आया। उसने मुझे कहा मैं वारन्ट लाया हूं और आपको गिरफ्तार करने के लिये आया हूं। मैं उस चक्कर में आगया और बात भी मेरी समझ में आ गई। गिरफ्तार करने के लिये आया है और वारन्ट भी है। हो सकता है कई आन्दोलन चलते हैं इसलिये आ गया होगा। मैंने उसे कहा चलो भाई चलेंगे। उसने कहा आजकल इस तरह से गवर्नमेंट गिरफ्तार नहीं करती है। आपको इस तरह गिरफ्तार नहीं करूंगा तब मैंने कहा भाई किस तरह से गिरफ्तार करोगे तो उसने बताया एक रुपया दो......

श्री जगन्नाथ (टोडा रायसिंह): सभापति महोदय, यह क्या बात है उदाहरण की बात होती है हाउस में। मेरा समय आयगा तो मैं आपको दबा भी दूंगा।

श्री देवीदत्त गाड़िया : वाह वाह जगन्नाथजी, की जय हो।

श्री रावतराम : उसने कहा एक रुपया लूंगा। इतने में ही दो चार आदमी और आ गये। उन्होंने पूछा चक्कर क्या है। मैंने कहा थानेदार है वारन्ट लाया है तब उन्होंने मुझे बताया यह तो बहुरूपिया है। तो मैं माननीय सदस्यों से यह निवेदन करना चाहता हूं आप इस बात का सन्तोष नहीं करलें कि यह बजट समाजवादी बजट है। इसलिये हमको कुछ करना नहीं है और माथुर साहब ने कहा है बिलकुल समाजवाद का बजट है। इसमें हेरफेर करने की जरूरत नहीं। मेरा निवेदन करने का यह है कि आप चाहे समाजवाद कहें या कुछ भी कहें। हमारा समाजवाद तो यह है कि आदमी को जीने के अधिकार मिलने चाहिये। आज सभापति महोदय, मैं आपसे यह निवेदन करूं कि आज हमारी क्या हालत हो रही है। ऐसे इलाके आज मौजूद हैं, आज हम यह बात करते हैं। अभी माननीय पी. के. चौधरी ने कहा हमें बहुत कुछ मिला है। ठीक है, मिला कुछ लोगों को है। मैं यह बात मानता हूं। देश में निर्माण के भी बड़े बड़े काम हुये हैं लेकिन इससे आम जनता का पेट नहीं भरता है। इस देश की 80 प्रतिशत जनता अभाव और अभियोग से पीड़ित है। क्या आज हम यह महसूस करते हैं कि उनको फर्स्ट नेसेसिटि नहीं दे पाये, पीने का पानी नहीं दे पाये, रोजगार नहीं दे पाये, रोटी रोजी नहीं दे सके। आज हम कैसे कह सकते हैं पूर्णतया समाजवाद है। आपका समाजवाद किस मंजिल तक पहुंच गया है हमारे माथुर साहब ने बजट भाषण के बाद एक शेर पढ़ दिया इससे हमें मालूम पड़ गया कि आपका समाजवाद क्या है? उस शेर को मैं भी यहां पढ़ देता हूं–

सब तरह के लोग साकी, आज तेरी महफिल में हैं।

जिस तरह देखा न अब तक, उस तरफ देखा तो है।।

बस यह बात पते की कह दी। हमने कभी देखा ही नहीं था। उनके कथनानुसार ही अब देखा है। हम मान गये इस बात को। जनता ने विश्वास उनको सौंपा है और एक सोसलिज्म का स्लोगन दे दिया। 20 वर्ष बाद मान गये कि अब हमने देखना शुरू किया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बैंक नेशनेलाइजेशन किया है उसके संदर्भ में आज उन सारी योजनाओं को हम बताना चाहते हैं। गवर्नमेंट आफ इंडिया ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया है इससे किसान की आमदनी बढ़ेगी और किसान की आर्थिक हालत ठीक होगी लेकिन सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं यह ठीक कदम है, हम इसको मानते हैं लेकिन राजस्थान गवर्नमेंट की कुछ जिम्मेदारी है। उन जिम्मेदारियों को राजस्थान गवर्नमेंट को महसूस करना चाहिये और इस तरह की व्यवस्था कायम करनी चाहिये। जहां 80 प्रतिशत जनता अभाव और अभियोग से पीड़ित है, उनको प्रोसपेरिटि देनी चाहिये। आज हम बराबर देखते हैं कि 10 लाख वहां खर्च कर रहे हैं, 5 लाख वहां मंजूर हो गये, आज 11 लाख वहां मंजूर हुये हैं। करोड़ों रुपया इस तरह आप फिजूल खर्च कर रहे हैं। आज इन्सान को पानी की जरूरत है। हर इन्सान को पानी चाहिये, उनको भी दीजिये

(श्री रावतराम)

आप उनकी उपेक्षा नहीं कर सकते है। आज बाड़मेर, बीकानेर, चूरू का पानी है वह खारा पानी है। खारा पानी पीने से इन्सान तो क्या पशु भी मर जाता है। उसको आदमी तो क्या पीयेगा पशु भी पीवे तो उसकी जिन्दगी नहीं बच सकती है। जो पशु धन किसान की जिन्दगी है वह पानी के अभाव में बच नहीं सकता और पशु नहीं बचेंगे तो किसान की जिन्दगी नहीं बचेगी। चाहे वाटर वर्क्स के द्वारा आप कितना ही काम कीजिये। आप डेसपेरेटि को मिटाना चाहते हैं और समानता लाना चाहते हैं तो इस भेद भाव को समाप्त कीजिये। आज आप शहरों में पाइप लाइन डालते हैं और सार्वजनिक नल लगाते हैं तो शहर वालों की डिमाण्ड बढ़ती है पानी हमारे घर में आना चाहिये और जब पानी घर में आ जाता है और ऊपर की मंजिल में नहीं चढ़ता है तो उसकी डिमाण्ड फिर बढ़ती है और कहता है पानी ऊपर की मंजिल तक पहुंचना चाहिये और जब पानी ऊपर की मंजिल तक पहुंच जाता है तो कहता है मेरे सिर पर फव्वारा लगना चाहिये उसके लिये सारी सुविधायें जुटाई जाती हैं और आज एक तरफ वे लोग हैं जो चार-चार, पांच पांच मील दूर से पानी का घड़ा लाते हैं। इसलिये गवर्नमेंट को यह शर्म आनी चाहिये कि आज उन क्षेत्रों में गवर्नमेंट पानी नहीं दे सकी। मेरे जिले में तीन सौ साढ़े तीन सौ गांव ऐसे हैं जिनका पानी खारा है और जिसको पीने से इन्सान नहीं बच सकता है, पशु नहीं बच सकता है क्या उनका राइट नहीं है, क्या वे टैक्स नहीं देते हैं, क्या गवर्नमेंट उनसे लगान नहीं लेती है। आपने 20 साल में कोई उन इलाकों के लिये योजना नहीं बनाई। हमने एक बीदासर का क्वेश्चन पूछा था। मैं उन तीन सौ साढ़े तीन सौ गांवों की कहता हूं। हमारी स्कीम आपने आजतक नहीं बनाई तो हम कैसे विश्वास करें। इसी तरह का राजस्थान का बहुत सारा इलाका है। मैं नम्र निवेदन करना चाहता हूं और हम यह चाहते थे और हम महसूस करते थे इस बजट के अन्दर उन लोगों को पानी सप्लाई करने के लिये कोई व्यवस्था करेंगे लेकिन आपने कुछ नहीं किया। आपने एक जगह लिखा है दो करोड़ की व्यवस्था की है किन्तु उसमें यह भी लिखा है पहली वाली योजना को पूरा करेंगे और उसके बाद में 50 लाख बचेंगे वह नई योजना पर खर्च करेंगे। मैं कहता हूं आप इन्सान को जिन्दगी दीजिये और उसके बाद में समाजवाद दीजिये। समाजवाद की बात बाद में करें तभी उनकी समझ में आ सकता है। उनके सामने जाकर आप समाजवाद की बात करें तो उनकी समझ में नहीं आ सकता है।

वह कहते हैं कि हमें तो पानी चाहिए। उसके बाद में आप उनकी आर्थिक हालत सुधारने के लिये, उनके पशुधन को बचाने के लिए, वहां किस तरह से खेती हो सकती है, किस तरह से लोगों की हालत ठीक बन सकती है उस तरह के काम उनको देने पड़ेंगे तब जाकर समाजवाद की बात समझ में आयेगी। इसलिए मैं यह कहना चाहूंगा कि आपको उनको जिन्दगी देनी चाहिए।

यहां पर यह भी चर्चा चली माननीय सभापति महोदय, अकाल के बारे में कि अकाल में बहुत खर्चा हुआ और लोगों की जिन्दगी बचाई। इसके दोनों ही पहलू हो सकते हैं। आप यह कह सकते हैं और मैं

(श्री रावतराम)

भी मानता हूं कि अकाल में लोगों को आपने रोजगार दिया है। इसमें कोई दो राय नहीं है, इससे इन्कार नहीं किया जा सकता। 53 करोड़ रुपये गतसाल खर्च किया है और इस साल भी 30 करोड़ खर्च करने जा रहे हैं, मैं इस बात को मानता हूं और इससे इन्कार नहीं कर सकता। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है। आपने रोजगार दिया, ठीक है यह। आप यह भी कह सकते हैं कि इस राजस्थान में छप्पनिया, अकाल पड़ा था और लोग सड़कों पर बिछ गये थे। आप कहेंगे कि हमने उनको बचाया। आप वाह वाही लूटिये लेकिन समय से आपको भी बदलना पड़ेगा। आपको अपनी पालिसी चेन्ज करनी पड़ेगी। श्री पी. के. चौधरी कह रहे थे कि आप सुझाव नहीं देते। हम तो नहीं देंगे। हम तो गलत सुझाव देंगे। आपके ब्रेन नहीं है? आपके पास दिमाग नहीं है। क्या आप खुद को ज्ञान नहीं? क्या सारे सुझाव हमारे पास ही आ गये? और यदि आप हमारे ही सुझावों से चलते हैं तो हम तो जैसे आपको सुझाव देंगे वैसे ही देंगे। इसलिए आपको खुद को दिमाग से सोचना चाहिए कि जो करोड़ों रुपया अकाल के नाम से खर्च किया है वह खर्च जरूर किया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप महसूस नहीं करते कि करोड़ों रुपयों में से लाखों रुपये लोग खा गये, इसके बारे में आपको मालूम भी है। लोग हाउस में चिल्लाये, हाउस के माननीय सदस्यों ने बार बार कहा। क्या आप उनकी इन्क्वायरी नहीं करा सकते आप जांच नहीं करवा सकते क्योंकि आप जानते हैं कि यदि हम जांच कमीशन बैठा देंगे तो इन्क्वायरी होगी और फिर भारत सरकार कहेगी कि हमने पैसा तुमको खाने के लिये नहीं दिया था इसलिये हम आइन्दा के लिये पैसा नहीं देंगे। इसलिये आप सोचते हैं कि हमारे सोर्सेस बन्द हो जायेंगे पैसे लेने के। इसलिये आप इन्क्वायरी नहीं करते। लेकिन आप इसको महसूस तो करो कि इस तरह से हम पैसा बरबाद करें और लोग बीच में खाजायें और हम अच्छी व्यवस्था नहीं कर सकें यह तो सरकार को सोचना चाहिये। मैं यह कहना चाहूंगा कि जो माननीय सदस्य पहले बोल रहे थे उन्होंने कहा कि ठोस काम होने चाहियें उनके लिये सुझाव नहीं दिए गयें। मैं कहूंगा कि हमारे चूरू जिले में 3 करोड़ रुपया खर्च हुआ पिछली बार और इस बार भी खर्च हो रहा है। हमने बाकायदा जिला परिषद् के स्कीम्स उत्पादन कार्यक्रम के तरीके से भेजीं। लेकिन सरकार का दिमाग उस तरफ नहीं चला। सरकार केवल-मात्र यह चाहती है कि बस पैसा मिले उसे खर्च करें और उसमें कुछ खा जायें। हमारा फेमिन कोड दूसरे तरीके का है। हम 10 मील के एरिया में काम खोलना चाहते हैं और पूरी मजदूरी भी नहीं देना चाहते हैं। इसलिये पूरी मजदूरी नहीं देना चाहते हैं कि अकाल के समय में लोग कमजोर हो जाते हैं और यह तो बगला बांट काम है जिसको गरीब करते हैं। तो उसमें करोड़ों का दुरुपयोग है, ऐसी बात नहीं चाहिए। इसको आपको ठोस रूप देना पड़ेगा। जिन इलाकों में अकाल पड़ता है उनमें बहुत सारे काम हो सकते हैं। यदि आप चूरू जिले में जायें तो घग्घर बाढ़ के पानी का नियंत्रण है, सिद्धमुख कैनाल की खुदाई का काम कर सकते थे। इसके अलावा यदि रोड्स ही बनाना चाहते हैं तो जितनी सलेक्टेड रोड्स हाथ में लेनी है एक तरफ से डामर करके चलते चले जाइये

Page No. 122

(श्री रावतराम)

और जितना काम पूरा हो गया उतना हो गया उसको देखने की जरुरत नहीं है और उसके आगे फिर पुख्ता रोड़ बनाते जाइये....

श्री परसराम मदेरणा : कुछ सड़कें डामर की भी ले लेते हैं। दूसरी तरफ आप कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को लगाइये तो फिर ऐसे कैसे होगा ?

श्री रावतराम : आप 50 हजार लेबर को भी काम दे सकते हैं लेकिन आप पुख्ता रोड़ तो बनाते जाइये। एक मजदूर तो घर छोड़कर दस मील पर जाते हैं वह और 5 मील भी चले जायेंगे। यदि आप उसको मजदूरी पूरी देंगे और अच्छी व्यवस्था करेंगे पानी की और अनाज की तो वह कुछ दूर और भी मजदूरी के लिये जा सकता है। तो रोड्स के अलावा मैं आपसे अर्ज करूं कि हमने इस तरह की योजनाएं भी भेजी थीं कि जिनमें अच्छे सुझाव थे। अकाल के नाम से जितनी सब्सीडी देते हैं उतनी दीजिए और कम से कम 10 लाख रुपये की स्कीम्स के प्रपोजल्स कलेक्टर की मौजूदगी में और कलेक्टर उस मीटिंग में मौजूद था और प्रपोजल्स हमने भेजे कि इस तरह की योजनाएं हमारे यहां पर हों। जहां-जहां मीठे पानी के गांव हैं वहां पर सिंचाई के कुएं बना सकते हैं। चूरू जिले में एक तहसील ऐसी है कि जहां दो सौ या ढाई सौ गांव हैं, जहां मीठा पानी है। तो यह बात आप नहीं कह सकते कि हमनें आपको सुझाव नहीं दिये या पुख्ता कामों के लिए गवर्नमेन्ट को किसी तरह की तजवीज नहीं की ....

श्री परसराम मदेरणा : यह सिंचाई की योजना कुओं के लिए है।

श्री रावतराम : हां।

श्री परसराम मदेरणा : कुओं के लिये भारत सरकार हमको पैसा नहीं देती।

श्री रावतराम : आप नहर के लिये देदें। पुख्ता रोड्स के लिये देदें।

श्री परसराम मदेरणा : आप सिधमुख और दूसरी योजनाओं की बात करते हैं। उसकी टैक्नीकल सैंक्शन नहीं हुई है। आप जो आज बात कर रहे हैं, हमने अर्थवर्क को हाथ में लिया है और हमने बीकानेर और जैसलमेर के लोगों को कहा कि जाओ तो वहां पर लोगों ने जाने से इन्कार किया और हमको मजबूर होकर दूसरी जगह काम खोलने पड़े। राजस्थान कैनाल को हाथ में लिया, वहां लोग नहीं गये।

श्री रावतराम : राजस्थान कैनाल को आपने हाथ में लिया अच्छा काम किया है....

श्री परसराम मदेरणा : लोग जा ही नहीं रहे।

श्री रावतराम : फिर आलोचना नहीं करनी चाहिए। चाहे कोई बीच में खा जाये, पीजाये उसका हम कुछ नहीं कर सकते। हम तो एक काम कर सकते हैं कि पैसा लाओ और खर्च कर दो। सारे हाउस की मन्शा यह है कि अकाल में जो काम होते हैं वह पुख्ता होने चाहिए और मेरा भी निवेदन करना है कि चाहे रोड्स बनायें लेकिन उनको पुख्ता तो बनाते जाइये। उसमें दिक्कत नहीं आ सकती, यह मेरा निवेदन है। लेकिन हमारे में मजबूती होनी चाहिए। क्या दिक्कत है पुख्ता बनाने में ?

(श्री रावतराम)

इसके अलावा माननीय सभापति महोदय, अब जो अकाल के अन्दर सड़कें बनीं, इस बजट में यह भी बताया गया है कि अगले साल उन जिलों को ज्यादा सड़कें दी जायेंगी जहां सड़कें नहीं बनी हैं और पिछले अकाल के समय में जहां सड़कें बन गयीं। मेरा निवेदन है कि वहां अकाल के कारण सड़कें नहीं बनीं वहां तो अर्थवर्क बना है। जब तक डामर नहीं डालते तब तक कोई रोड़ पुख्ता रोड़ नहीं मानी जानी चाहिए। मुझे इसका अनुभव है और पांच, सात साल से देखता हूं कि जहां अर्थवर्क होता है और कंकड़ पड़े हैं वहां अगले साल में लोग काश्त कर लेगें तो यह कंकड़ आपके न जाने कहां जायेंगे। मैं यह मानता हूं कि उनके भी बराबरी के प्लान रोड्स लेने चाहिएं। उनमें जो-जो ठीक मानते हैं उन रोड्स को लेकर उनके ऊपर भी पुख्ता काम चालू करना चाहिए।

इसके अलावा माननीय सभापति महोदय, इस बजट में जल प्रदाय योजनाओं के बारे में बताया है। जल प्रदाय योजनाओं के बारे में मेरा निवेदन यह है कि हमारे जिले में छापर, चाड़वास और बीदासर के नाम से जलप्रदाय योजनाओं का जिक्र था और दो तीन साल से वह योजनायें लगातार सरकार के सामने विचाराधीन रह रही हैं। अब वह बीदासर के लिये मन्जूर हुई है लेकिन उसके पास लगने वाले छापर और चाड़वास के जो इलाके हैं उनके लिए पानी की व्यवस्था नहीं की गई है। मैं निवेदन करूं कि गर्मी की मौसम आने वाली है उस समय इन कस्बे वालों के लिये बहुत बड़ी मुश्किल हो जायगी। इसलिए इस बात पर भी आप ध्यान देंगे।

इसके अलावा, माननीय सभापति महोदय, एक बात और मैं कहना चाहता हूं, और वह यह है कि आपने इस बजट में यह दिखाया है और यह शो किया है कि अब राजस्थान में हरिजनों की मदद की जरूरत नहीं है। हरिजनों के मामले में जो है बहुत कुछ इसमें आपने बताया है और यह दिखाया गया है कि अब हरिजन बहुत ऊंचे चले गये हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के जो लोग हैं अब उनकी कोई जरूरत नहीं रहेगी। इस साल के बाद क्योंकि इतना सारा कुछ रख दिया गया है और इसमें जगह-जगह अनुसूचित जाति और पिछड़ी जाति और जन-जातियों के लिये बहुत कुछ कर दिया गया है कि न इनको अब जमीन देने की जरूरत है और न मकान देने की जरूरत है ...

श्री विशम्बरनाथ जोशी : यह कहां पर कहा गया है कि अब इसकी जरूरत नहीं है ?

श्री रावतराम : इतना सारा इसमें है कि उसके बाद में मकान की भी कोई दिक्कत नहीं होगी। हजारों रुपयों की आप सब्सीडी देते हैं लेकिन आपको महसूस करना चाहिए कि आप केवल स्वीपर्स को देते हैं इसके लिए अगर काम्युनिटीज है, मेघवाल, रेगर, नाई, चमार, आदि उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। पिछले 5 साल के पीरियड में राजस्थान में एक भी मकान उनके लिए बनाकर नहीं दिया गया है और आप कहते हैं कि कोई डिस्पेरिटी नही है, हम समानता के आधार पर चलते हैं। लाखों रुपयों का लोन जयपुर, बीकानेर आदि बड़े बड़े कस्बों के लिए रखा जाता है, उसका लाभ कौन उठाता है ? क्या आप मानते हैं

(श्री रावतराम)

कि शिड्यूल्ड कास्ट्स के जो लोग हैं, गरीब आदमी हैं और गांवों के रहने वाले आदमी हैं उनको मिलने का स्कोप है ? डिस्ट्रिक्ट लेवल से आगे कोई योजना जाती ही नहीं है। उसके बाद में तहसील पड़ती है और उसके बाद में ग्राम लेवल पर जायेगी तो उनका नम्बर आयेगा। इस तरह की कोई योजना आपके दिमाग में नहीं है कि रूरल एरिया के जो रहने वाले हैं, रूरल एरिया के शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज के जो लोग हैं उनका कोई विकास हो और उस योजना से उनका लाभ हो सके। उनके लिए कोई योजना हो तो आप देखें कि आज 20 साल में भी उनका कोई पक्का मकान खड़ा हुआ हो। आप यहां लोगों को 50 हजार और एक लाख का कर्जा दे देते है लेकिन उनके लिए आपने कोई व्यवस्था नहीं की है और इसमें यह कहा गया है कि इस तरह की व्यवस्था कर रहे हैं।

आपने इसमें भंगी कष्ट मुक्ति का जिक्र किया है। उससे भंगी का कष्ट मिट जायेगा ? हमें अफसोस तो इस बात का है कि गांधीजी ने यह बात कही थी कि वह सबसे ज्यादा भंगी को आगे लाना चाहते हैं, लेकिन हमने इसमें यह व्यवस्था कर ली है कि हम सबसे बाद में लायेंगे। हमारे कर्म और क्रिया में फर्क है क्योंकि हमारी कथनी और करनी में फर्क है। क्या आप यह नहीं कर सकते हैं कि जो मैला भंगी सिर पर उठाते हैं कि उसको इस कार्यवाही से नहीं हटा सकते हैं ? क्या हमारे हाथ में यह बात नहीं है ? क्या उनको दूसरा रोजगार देकर उनके लिए यह नहीं कर सकते हैं ? क्या आप इस बात को मानते हैं कि एक स्वीपर की औरत आपके घर का मैला उठाकर जाती हुई बाजार में मिले तो क्या मैं आंख मींचकर और बचकर नहीं जाऊंगा ? आप एक इन्सान को इन्सान नहीं मानते हैं।

श्री विशम्भरनाथ जोशी : भंगी कष्ट मुक्ति योजना उसी प्रथा की समाप्ति की दिशा में ही तो एक कदम है।

श्री रावतराम : क्या साहब ?

श्री विशम्भरनाथ जोशी : भंगी कष्ट मुक्ति योजना सिर पर मैला उठाने की प्रथा की समाप्ति की दिशा में ही तो एक कदम है।

श्री रावतराम : एक कदम है इसको मैं मानता हूं। आप चाहे एक कदम रखें चाहे दो कदम रखें लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि यह कहां की समानता है कि एक आदमी मैला उठाता है और बाकी के नहीं उठाते हैं इन्सान इन्सान का मैला उठाता है। अगर हम में थोड़ी बहुत भी इन्सानियत का ढोंग बाकी है तो हम उससे कहें कि हमारे घर का मैला हम नहीं उठाने देंगे और कोई दूसरी मजदूरी करें। यह तो हम कह सकते हैं लेकिन यह हमारे करेक्टर का फर्क है। हम कहते तो हैं, लेकिन अमल नहीं कर सकते हैं आज जरूरत इस बात की है कि हम अमल करें।

इसके अलावा, माननीय सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आपने यह बजट में जिक्र किया है कि 28 परसेंट हमने रिजर्वेशन सर्विस में बढ़ा दिया है। शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए पहले क्या था और आप यह बढ़ा कर सन्तोष दिलाना चाहते हैं कि इससे सर्विस

(श्री रावतराम)

मिलने लग जायगी। मैं यह कहता हूं कि पिछले दो साल से शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के स्टूडेन्ट्स बेकारी और बेरोजगारी से ज्यादा पीड़ित हैं और बेकार डोल रहे हैं। उनको कोई सर्विस नहीं मिलती है। मैं, माननीय सभापति महोदय, आपके द्वारा यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप इसको 10 पर्सेन्ट करदें तो भी हमें कोई गिला नहीं। 28 पर्सेन्ट के कोटे के बजाय तो इससे हमें बड़ी खुशी होगी कि आप 10 पर्सेन्ट करदे लेकिन आप अमल करदें 10 पर्सेन्ट के हिसाब से और एक को भी बाकी नहीं छोड़ेंगे तो हमको 10 पर्सेन्ट मन्जूर है, वरना 28 पर्सेन्ट करें तो क्या और 35 पर्सेन्ट करें तो क्या? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 28 पर्सेन्ट का कोटा कागज पर रखकर हमको आश्वस्त नहीं कर सकते हैं। हमारा यह कहना है कि जितना भी करते हैं उस पर अमल करना चाहिए। उदाहरण के तौर पर मैं बताता हूं कि कम से कम 9 ग्रेजुएट्स और एम.ए. पास लड़के बैठे हुए हैं और दो साल से बेरोजगारी में डोल रहे हैं। गवर्नमेंट कहती है कि बान लग रहा है और तरीका यह होता है कि एक एक जगह निकालते हैं और रिश्तेदारों और मित्रों को चुपचाप डाल देते हैं और कहते हैं कि साहब जगह नहीं है। क्या तरीका हो सकता है उनको सर्विस देने का? कोई रास्ता नहीं निकल सकता है। आप मेहरबानी करके और उन पर रहम करके, पढ़े लिखे लड़के जो अभी डोल रहे हैं उनको तो लगा दें नौकरी पर फिर तो हम उनसे कह देंगे कि नौकरी नौकरी नहीं है और अगर तुम्हें पढ़ना बढ़ना है तो तुम्हारी मर्जी नहीं तो और कोई काम करो।

माननीय सभापति महोदय, मैं एक निवेदन करके बैठ जाऊंगा। हरित क्रान्ति से हमें यह आशा थी कि कोई ठोस योजना हमें बताएंगे, परन्तु हरित क्रान्ति के नाम पर किसानों का एक वर्ग पैदा किया जा रहा है। राजस्थान के कुछ लोगों की मान्यता ऐसी है कि जब इस तरह का वातावरण धीरे धीरे बनता जा रहा है कि गांवों में हम लोगों के बीच में जो भाईचारे का प्रेम भाव है उस भाईचारे और प्रेमभाव में भी लोग यह महसूस करते हैं कि गडबड़ हो रही है और वह किस तरह से हो रही है कि छोटे बड़े काश्तकारों के नाम से कि उनके फर्क को हम मिटाना चाहते हैं क्योंकि आज तक बड़े काश्तकार फायदा उठाते चले आ रहे हैं और अब छोटे काश्तकारों को फायदा देना चाहते हैं। इतने दिन तक, यह कहा है कि छोटे काश्तकारों की हैसियत नहीं है कि वह ट्रैक्टर खरीदें, उसकी हैसियत नहीं है कि कुए में बिजली कैसे ले और अब उसका नारा दिया जा रहा है कि यह बड़े काश्तकार जो हैं छोटे काश्तकारों का शोषण कर रहे हैं इसलिए हम छोटे काश्तकारों को पहले उठाना चाहते हैं? क्यों साहब, पहले इन्कार किसने किया था? आपने सीलिंग का कानून कब पास किया और उसके बाद में क्यों नहीं लागू किया? आप दबते हैं बड़े काश्तकारों से और आपको मालूम है कि बड़े काश्तकार गांवों में डोमीनेट करते हैं वोट दिलाते हैं, वह पोलिटिक्स पर हावी हैं इसलिए आप कन्ट्रोल नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब आप धीरे धीरे यह बात कहने लगे हैं कि साहब, छोटे काश्तकारों को उठाना चाहते हैं। मेहरबानी है आप छोटे

(श्री रावतराम)

काश्तकारों को उठा लें। लेकिन मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आज गंगानगर में क्या हो रहा है ? यदि गवर्नमेंट मजबूत रहती अपने विचार पर फर्म रहती और सीलिंग कानून गंगानगर में पहले लगा देती तो आज यह नौबत नहीं आती और छोटे बड़े का फर्क बहुत कुछ कम हो जाता। लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमको सामूहिक तौर से गांवों के विकास, किसानों के विकास और खेती के विकास पर ज्यादा बल देना चाहिए यदि हम इस राजस्थान को और इस देश को जिन्दा रखना चाहते है तो।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

सभापति महोदय, मैं 5 मिनट में बैठ जाऊंगा।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मुझे अफसोस इस बात का है कि आप समाजवाद का जितना ढोल पीटते हैं यह पीटना बन्द कर दें तो अच्छा रहेगा। आप समाजवाद के लिए जितना चिल्लाते हैं उसका एक पर्सेन्ट भी कर दें तो चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं है दुनियां अपने आप जानती है। दुनिया जानती है कि परसरामजी में कितना पानी है, दुनिया अपने आप में जानती है कि पी०के० चौधरी में कितना पानी है, इसलिए दुनियां को बताने की जरूरत नहीं है। एक तरफ तो किसानों के कुओं के लिए बिजली के कनेक्शन नहीं देना चाहते हैं, वे दुःखी होते हैं और इधर-उधर फिरते हैं और दूसरी तरफ लड़के-लड़कियों की शादी में जयपुर में कितना रोशनी का प्रदर्शन होता है, बड़ा शानदार पोम्प और शो किया जाता है। क्यों साहब, क्या जरूरी है ? क्या उनके बच्चे नहीं होंगे आगे जाकर कि इस तरह की रोशनी करें ? उस रोशनी को क्या उस कुए पर नहीं पहुंचा सकते ? क्या हमारे करेक्टर में इतनी सीरिअसनैस नहीं आ सकती ?

श्री पी. के. चौधरी : इलुमिनेशन पर टैक्स लगा दिया है।

श्री रावतराम : यह भी तरीका है। इस तरीके से चलते जायं। जो शराब पीते हैं उन पर टैक्स लगा दिया। जो अफीम खाते हैं उनको परमिट दे दिया...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : तब लगाया है जब कि मुख्य मंत्रीजी ने और वित्त मंत्री जी ने अपने बाल बच्चों की शादी कर दी।

श्री रावतराम : मेरा कहने का मतलब यह है कि देस में आज इस तरह की परिस्थिति है कि जिससे एक गरीब आदमी आज तड़फड़ा रहा है ऊंचा उठने के लिए। ऐसे समय में देश के प्रमुख आदमियों के अन्दर, बड़े आदमियों और नेताओं के अन्दर उनके करेक्टर के अन्दर सीरिअसनैस होनी चाहिए। इस बात को हम महसूस करें कि पब्लिक क्या चाहती है, जनता क्या चाहती है ? आज किसान के कुएं पर रोशनी नहीं जाती है तो आपका फर्ज हो जाता है कि आप अपने बच्चों की शादी में कोई रोशनी नहीं करें। इस बात की करेक्टर में सीरिअसनैस होनी चाहिए। आप समझिये इस बात को। रूस के अन्दर जब इस तरह की स्थिति थी तो वहां स्टालिन ने क्या किया था ! स्टालिन ने दुनियां के सब दरवाजे रूस के लिए बन्द कर दिये थे। वह

(श्री रावतराम)

इसलिए किया था ताकि रूस के अन्दर प्रगति हो सके। उसके बाद में रूस के दरवाजे दुनियां के लिए खोल दिये गये। अब दुनियां देखले कि रूस के अन्दर क्या प्रगति हुई है। इसी तरह से अब चीन कर रहा है। मैं कहना चाहूंगा कि डेमोक्रेटिक सोशलिज्म के नाम पर देश के अन्दर सीरिअसनैस लानी है, कुछ काम आपको करना है तब तो आप काम कर सकेंगे, नहीं तो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म थोथे तरीके से चलता रहेगा। इसके साथ ही आज दुनियां की आंखें हमको पहचानने लगी हैं। दुनियां हमको पहचान गई है। उसके साथ ही साथ देश की जनता भी हमको पहचानने लगी है। इसलिए हमें दोनों तरफ ही मुकाबला करना पड़ेगा, एक तरफ तो देश का मुकाबला करना पड़ेगा, दूसरी ओर दुनियां के मुल्कों का मुकाबला करना पड़ेगा। लोग कहेंगे, यह तो चमक दिखाते हैं। वह हमसे चमकने लगेंगे। दूसरी तरफ जनता कहेगी कि यह तो धोखेबाज हैं। इन दोनों बातों से बचना है तो जितने कार्यक्रम हैं, जो कार्य आप हाथ में लेते हैं उनको ईमानदारी से पूरा करना चाहिए और पब्लिक के सामने सच्चाई से और ईमानदारी से जाना चाहिए। आपका पब्लिक स्वागत करेगी। और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो देश को धोखा देंगे। आज देश के आदमी को ऊंचा उठाने की जरूरत है। गांवों में जो किसान बैठे हैं उनके पशु धन को बचाने की जरूरत है क्योंकि गांवों में किसान अनाज पैदा नहीं करें तो क्यों साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या रोज रोज अमेरिका से अनाज लेते रहेंगे? क्या रोज उसके सामने पल्ला फैलाते रहेंगे? और नहीं तो हमें यह करना चाहिये, देश की एक एक इंच भूमि का उपयोग करना चाहिए और जो काश्तकार आज राजस्थान में हैं उनको जितने साधन हम दे सकते हैं, वह देने चाहिएं। आज जो पोम्प एण्ड शो और दिखावा देश में हो रहा है—इस दिखावे आदि के अन्दर कटौती कर सकते हैं। टैक्सेशन के बारे में चौधरी साहब कहते हैं कि हम लोग टैक्स का विरोध करते हैं। कौन करता है विरोध? हम टैक्स के विरोधी नहीं हैं। कोई टैक्स का विरोध नहीं कर सकता। टैक्स का विरोध तो तब होता है जब टैक्स का पैसा यहां लाकर शान-शौकत, ऐशो आराम में खर्च करते हैं। इस स्थिति में टैक्स का विरोध होता है। नहीं तो नहीं होता है। आज एडमिनिस्ट्रेशन में कटौती कर सकते हैं, दूसरे दूसरे तरीके कटौती करने के हो सकते हैं। क्या आप और हम नहीं जानते कि जो योजना है उसमें लाखों रुपयों की कटौती नहीं कर सकते? क्या ऐसा करने के लिए हम तैयार नहीं कर सकते। केवल राष्ट्र के लिए और देश के लिए सेक्रिफाइस करना पड़ेगा। वह हम कर सकते हैं। हम केवल इतना सेक्रिफाइस करें तो आज देश के छोटे से छोटे गरीब आदमी के सामने जाकर कह सकते हैं, दोस्तों, टैक्स तो देना पड़ेगा देश के निर्माण के लिए। और वह जो टैक्स दे उसके लिए यह गारन्टी देनी पड़ेगी कि वह पैसा सही काम में और देश के निर्माण में काम में आयेगा। तभी आप टैक्स लेने के अधिकारी हैं। इसके विपरीत आप टैक्स लेवें, उसमें चोरी हो और फिर उस टैक्स के पैसे को ऐशो आराम पर खर्च करें। यह देश का इन्सान अब बर्दाश्त नहीं कर सकता। वह जब तक भुलावे में है, जब तक इस धोखे को देखे नहीं तब तक उससे टैक्स ले

(श्री रावतराम)

सकते हैं। लेकिन अब वह दिन पर दिन समझदार होता जा रहा है। अब अंत में मैं कहूंगा कि समाजवाद का ढोल पीटना बन्द करके इन्सान की जरूरतों को पूरा करने के लिए जो सबसे नीचा तबका है उसको ऊपर उठाने के लिए टोप प्रायोरिटी दें। यह सबसे बड़ा आपका समाजवाद होगा। इतना कह कर मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : श्री देवेन्द्र कुमार।

श्री देवेन्द्र कुमार मीणा (गोगुन्दा सु.): माननीय सभापति महोदय, सन् 1970-71 का माननीय वित्त मंत्री का बजट भाषण है...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आज टाइम फिर बढ़ायेंगे क्या ?

श्री देवेन्द्र कुमार मीणा : वह मैंने देखा और बहुत से माननीय सदस्य बोले-उनको भी मैंने सुना। सभापति महोदय, यह बजट हमारा एक समाजवादी विचारधारा का है। मैं आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं कि पहले पृष्ठ में माननीय वित्त मंत्री महोदय ने यह बताया है, अकाल की स्थिति के बारे में उन्होंने जिक्र किया है। मै आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं कि अकाल गत साल था, उससे भी अधिक इस साल है। इस सम्बन्ध में मैं उदयपुर जिले की बात करना चाहता हूं। उदयपुर में आदिवासी एरिया है। उस एरिया में जिस तरह जैसलमेर और बाड़मेर की हालत है, उसी तरह की वहां आदिवासियों की हालत है। एक तो वर्षा के टाइम पर बहुत कम वर्षा हुई, दूसरे पहाड़ी और पथरीली जमीन होने की वजह से मक्का की फसल सूख गई। इससे आज हालत यह है, आदिवासियों की आज गति ऐसी हो रही है कि उनको एक टाइम खाना मिलना भी बड़ा मुश्किल है। मैं आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं, उस एरिया में अकाल की स्थिति को देखते हुए सरकार सबसे पहले ध्यान दे। बहुत सी जगह दो तीन जगह काम चालू है, कई जगह लोग डूंगरपुर से लगा कर उदयपुर तक के काम करते है। पीढ़ी बांध का काम करते हैं। खैरवाड़ा के आगे जो डैम हैं वहां पर काम चल रहा है, वहां काम करते हैं। लेकिन टाइम पर मजदूरी नहीं मिलने से उनकी परिस्थिति और हालत खराब है जिससे उन आदिवासियों को अभी बड़ी परेशानी उठानी पड़ रही है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा सरकार से निवेदन करना चाहता हूं, आज ही नहीं, लगातार कई साल हो गये, अकाल पड़ते ही रहते हैं और इस तरह की परिस्थिति अकाल की है कि अकाल की परिस्थिति को दूर करने के लिए, सरकार का जो ध्येय है उसके लिए मैं सुझाव यह देना चाहता हूं कि अगर अकाल खत्म करना है तो छोटी जाति के लोगों के लिए, छोटे किसानों के लिए आपको एक साल के गुजारे के लायक जमीन और साधन देने पड़ेंगे ताकि वह अपना निर्वाह कर सकें। आज सबसे बड़ा साधन क्या है हमारे उस एरिया में ! वह पहाड़ी एरिया है। पहाड़ी एरिया होने के नाते नदी नाले छोटे छोटे हैं वह पानी बहा कर ले जाते हैं। वर्षा के टाइम पर उस पानी को रोक दिया जाय, छोटे छोटे कुए खुदवा कर। अगर कुओं में पानी उतना नहीं हो तो भी पानी से सेजा होने से छोटे छोटे खेतों में खेती कर सकते हैं। सभापति महोदय, इसके साथ साथ सरकार की तरफ से कई तरह

(श्री देवेन्द्र कुमार मीणा)

की घोषणायें होती हैं। छोटे किसानों के लिए मैंने कुछ टाइम के पहले निवेदन किया था कि छोटे किसानों के लिए जितनी राहत मिले उतना ही अच्छा है। लेकिन हमारे आदिवासी एरिया में बिजली की रोशनी नहीं है। अगर बिजली देते हैं कुए खोदने की कोशिश होती हैं तो हमारे यहां बहुत कुछ भूखमरी दूर हो सकती है और उस एरिया में अकाल की हालत थोड़ी बहुत सुधर सकती है। इसके साथ साथ मैं आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं, सभापति महोदय, इस अकाल को मिटाने के लिए सबसे पहले उस जगह पर, जहां पहाड़ी एरिया है, वहां आवागमन के साधन की जरूरत है। वहां पर कई किसान खेती करने वाले हैं, वह खेती करेंगे तो वहां पर कुए खोदने के लिए मशीन ले जानी पड़ेगी। आज वह मशीन वहां नहीं जा सकती है क्योंकि वहां आने जाने का साधन नहीं है। साधन नहीं होने के कारण खेती करने वाले लोगों को बहुत दिक्कत होती है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस आदिवासी एरिया की ओर ध्यान देकर आदिवासी लोगों की अकाल की परिस्थिति को सुधारने की कोशिश हो।

श्री देवेन्द्रकुमार: इसके साथ ही साथ मैं शिक्षा के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं....

श्री सभापति : सदन की अनुमति से सदन की कार्यवाही एक घंटे के लिये और बढ़ाई जाती है।

श्री शंकरलाल (जैतारण) : सभापति महोदय, कल सुबह तो 8 बजे मीट होना है।

श्री सभापति : श्री देवेन्द्रकुमार।

श्री देवेन्द्रकुमार : सभापति महोदय, अब मैं शिक्षा के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं। आज आदिवासियों में शिक्षा के प्रति जागृति पैदा हुई है। आदिवासियों में जो शिक्षा के प्रति जागृति, पढ़ने के प्रति प्रेम जागृत हुआ है उसके सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूं। सरकार की तरफ से हमारे वहां स्कूलें खोली हैं पर वे प्राइमरी स्कूलें हैं। जहां कॉलेज हैं, हायर सैकेन्डरी स्कूले हैं और बड़ी स्कूलें हैं वहां आदिवासियों के लिए होस्टल्स की जरूरत है। इसलिये वहां पर होस्टलस खोले जायं ताकि पढ़ने वाले आदिवासियों के लड़कों को सुविधा मिले।

श्री मनोहरसिंह मेहता : पोइन्ट ऑफ ऑर्डर। अभी माननीय सदस्य ने कहा कि कल 8 बजे आना है, कल तो 11 बजे से ही सदन की बैठक है तो माननीय सदस्य ने यह कैसे कहा ?

दि. 14-4-70 को सदन का समय प्रात: 8 से 1 बजे तक रखने संबंधी सूचना

श्री सभापति : मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि कल दिनांक 14 मार्च, 1970 को सदन की बैठक का समय प्रातः 8 बजे से दिन के 1 बजे तक रखा गया है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कार्य सलाहकार समिति का प्रतिवेदन जो कल सदन में स्वीकृत किया गया है उसमें तो यह है कि कल 11 बजे से सदन की बैठक होगी। आपने तो पढ़ कर सुना दिया केवल मात्र। बिजनैस एडवाइजरी कमेटी ने क्या कोई इस प्रकार का निर्णय लिया है ? अगर लिया है तो वह सदन से स्वीकृत होना चाहिये।

श्री सभापति : माननीय सदस्य को मालूम होगा कि अध्यक्ष को समय में परिवर्तन करने का अधिकार है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : काहे में ?

श्री सभापति : बैठक में।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कौनसे नियम में, नियम तो बताइये ? नियम है क्या ?

श्री शंकरलाल : हां, है।

श्री सभापति : सदन की कार्यवाही के संचालन के सम्बन्ध में अध्यक्ष महोदय को सब पावर्स हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जोशीजी बता दें यह सरकार बता दे कि कौनसा नियम है। क्या सरकार को यह भी मालूम नहीं है कि अध्यक्ष को कौन से नियम में इस प्रकार का अधिकार है ? कार्य सलाहकार समिति का प्रतिवेदन कल ही तो स्वीकार किया है।

श्री सभापति : यह नियमों कि बात है।

आय व्ययक पर अग्रेतर सामान्य वाद-विवाद

श्री देवेन्द्र कुमार : जहां मिडिल स्कूल्स हैं, जहां कालेजेज हैं, हायर सेकेन्डरी स्कूलें हैं वहां पर होस्टल्स होने चाहियें जिससे कि आदिवासियों के लड़के आकर होस्टलों में रह सकें और शिक्षा प्राप्त कर सकें। इसके साथ ही साथ मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि उन लड़कों को जो सरकार की ओर से मदद मिले वह समय पर मिल जानी चाहिये जिससे कि उनको किसी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े।

मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं। वित्त मंत्री महोदय ने आदिवासियों को ऊंचा उठाने के लिये जो घोषणाएं की है, वे वास्तव में बड़ी उपयोगी बातें हैं, पर मुझे उन घोषणाओं में विश्वास नहीं होता इसलिये विश्वास नहीं होता कि घोषणाएं तो हो जाती हैं पर अधिकारियों के द्वारा उन घोषणाओं का पालन नहीं होता है, बच्चों को समय पर पैसा नहीं मिलता है। नौकरियों में जो 12½ प्रतिशत स्थान देने की पहले घोषणा की उसकी भी पूर्ति अभी तक नहीं हो पाई है अब जो यह 28 प्रतिशत की घोषणा की है, उसकी पूर्ति किस प्रकार से होगी, इसकी पूर्ति कर सकेंगे इसका मुझे विश्वास नहीं होता है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि इन घोषणाओं का पूरी तरह से पालन कराया जाये जिससे कि हमारे पढ़े लिखे आदमियों को अवसर मिले। वरना मुझे तो उम्मीद नहीं कि आप हरिजन आदिवासियों का यह कोटा पूरा कर सकेंगे।

श्री दिग्विजयसिंह : 28 प्रतिशत तो मंत्रिमंडल में भी नहीं है।

श्री देवेन्द्र कुमार : नहीं ज्यादा है।

(हंसी)

आप आज समाजवाद की बातें करते हैं, यदि आप वास्तव में समाजवाद लाना चाहते हैं तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सबसे पहले हमें हमारे घर को टटोलना चाहिये। केवल समाजवाद की बात करने से काम नहीं चल सकता। उन गरीबों की

(श्री देवेन्द्र कुमार)

अवस्था को, परिस्थिति को सम्हालना है, जो रोटी रोजी के लिये मोहताज हैं। बड़े जमींदारों पर टैक्स की छूट की बात की है पर आज आदिवासियों की क्या हालत है। तीन तरफ से उन पर मार की जाती है। हासल उनसे वसूल किया जा रहा है, तकावी उनसे वसूल की जा रही है, खाद और बीज का पैसा आज उनसे वसूल किया है जा रहा है इससे आज उन गरीबों की कमर टूट गई है। उन लोगों को अपने मकान बेचने पड़ेंगे उनको अपनी जमीनें बेचनी पड़ेंगी। चार साल के अकाल के बाद आज आदिवासियों से ये सब वसूलियां की जा रही है, उन लोगों की आज बड़ी दुर्दशा हो रही है। अपने घर बेचने की, जमीनें बेचने की हालत पैदा हो गई है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार इस ओर ध्यान दे। चार साल से वहां अकाल है, इस साल भी वहां अकाल है अकाल के समय बड़ी फुर्ती से गरीबों से वसूली हो रही है, जिससे कि उनकी हालत खराब हो रही है। सरकार वसूली करे पर जरा ढंग से करे। तकावी की वसूली, हासल की और खाद व बीज के पैसों की वसूली हो रही है इस कारण उनकी बड़ी दयनीय स्थिति हो रही है, वे यह सब इस अकाल के समय में दे नहीं सकते। इसलिये मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि उनसे इस साल वसूली स्थगित करके उनकी इस बुरी परिस्थिति में सुधार करें।

इसके साथ ही मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे एरिया में बहुत से काम अधूरे पड़े हैं, काम करने बाकी रह गये हैं। बहुत से तालाब खुदे हैं जो बाकी रह गये हैं, सरकार का काफी पैसा उन पर खर्च हो चुका है, वे काम अधूरे रह गये हैं। यदि उन कामों को पूरा नहीं किया गया तो सरकार के द्वारा खर्च किया गया यह सारा पैसा वेस्ट जायेगा। इसलिये मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इन कामों को जल्दी से जल्दी वर्षा से पहले पहले ही पूरे करा दिये जायं तो अच्छा होगा।

श्री सभापति : श्री फूलचन्द बाफना। समय का खयाल रखें।

श्री फूलचन्द बाफना (सुमेरपुर) : सभापति महोदय, हमारे आय व्ययक पत्र पर बहुत से माननीय सदस्य बोल चुके हैं। आंकड़ों के सम्बन्ध में बहुत सारी बातें आ चुकी है, अत: आंकड़ों की बात की मैं दुबारा पुनरावृत्ति नहीं करूंगा। परन्तु मैं एक बात की ओर विशेषतौर से सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि आखिर हमने जो स्वराज्य लिया उसकी आवश्यकता क्या थी? अंग्रेजों का राज था, राजाओं का राज था और जागीरदारों का राज था, उन सब को बदलने की आवश्यकता क्यों पड़ी? मेरी ऐसी मान्यता है कि उन सब को बदलने की इसलिये जरूरत पड़ी कि उस समय आदमी की कीमत नहीं थी। उस समय पैसे की कीमत थी, उस समय जमीन की कीमत थी और उस समय पद की कीमत थी। आदमी की कीमत बढ़ाने के लिये ह्यूमन वैल्यूज को बढ़ाने के लिए स्वराज्य लाना जरूरी था तो आज क्या ह्यूमन वैल्यूज बढे हैं? आज क्या आदमी की वैल्यू बढ़ी है? इसको निष्पक्षरूप से देखा जाये तो मालूम पड़ेगा कि आज 22 साल के स्वराज्य के बाद ह्यूमन वैल्यूज नहीं बढ़े हैं।

आज समाज में जिसके पास पैसा ज्यादा है, वह बड़ा आदमी है। जिसके

(श्री फूलचन्द बाफना)

पास ऊंचा पद है वह बड़ा आदमी है और जिसके पास जमीन ज्यादा है वह बड़ा आदमी है। या जिसके पास नंगाई है अर्थात् जिसकी न्युसेन्स वैल्यू (nuisanse value) है, वह बड़ा आदमी है। इस तरह के ये चार प्रकार के बड़े आदमी हैं आज समाज में। लेकिन क्या किसान बड़ा आदमी बन गया? आज किसी आदमी के पास धोखाधड़ी करके लाखों रुपये आ जायं, कोई आदमी चोर बाजारी करके लाख रुपया कमा ले, तो वह समाज में बड़ा आदमी है, उसके बेटे की पहले सगाई हो जायेगी। जहां पहले उसके बेटे की सगाई नहीं होती थी, वहां अब टीके के साथ सगाई हो जायेगी। सोशल वैल्यूज किस तरह से चल रहे हैं? आज अगर एक आदमी सर्विस करता है और रिश्वत के पैसे खाकर हजारों रुपये कमाता है, तो समाज को यह मालूम होते हुए भी कि उसने किस तरह से पैसा कमाया है, उसके बेटे की सगाई पहले हो जाती है। तो आदमी की इज्जत आज पैसे से बढ़ती है और आज के युग में हम उसको बदल नहीं पाये। आज 22 साल की आजादी के बाद भी आदमी की कीमत नहीं है, पैसे की कीमत है, पद की कीमत है और जमीन की कीमत है।

आज आप समाजवाद की बात करते हैं। समाजवाद की बात करना पाप नहीं है। आखिर पहले तो बात ही करनी पड़ेगी और बाद में वह चीज अमल में आयेगी। लेकिन एक बात हमें अवश्य देखनी पड़ेगी कि आज जो समाजवाद की बात करते हैं, उनके पास बात करने के पहले कितना रुपया था और आज बात करने के बाद में कितना अधिक हो गया। बात करने के पहले उनका मकान कितना बड़ा था और आज बात करने के बाद उनका मकान कितना बड़ा होगया बात करने के पहले जो पैदल चलते थे, उनके पास अब मोटर कैसे आ गई। बात करने के पहले उनके तौर तरीके क्या थे और आज बात करने के बाद उनके तौर तरीके कैसे हैं। इस प्रकार अगर आज हम समाजवाद की बात करके पूंजीवाद की तरफ बढ़ते हैं और इस तरह के पूंजीवाद को हम समाजवाद कहते हैं, तो यह हमारा भ्रम है। मेरे खयाल से हम, राज्य पूंजीवाद, स्टेट केपिटलिज्म, की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि हम राज्य पूंजीवाद की ओर बढ़ रहे हैं। जो समाजवाद की बात करते हैं वह पूंजीवाद बढ़ा रहे हैं। इसलिए अगर हम राज्य में पूंजीवाद स्थापित करते हैं तो कोई समाजवाद नहीं है और फिर हमारा समाजवाद कैसा है? मैं मानता हूं, हमारा समाजवाद आलू है। आलू गोभी के साथ भी बनाते हैं, टमाटर के साथ भी और बताया है कि मांस के साथ भी चलता है। तो हमारा समाजवाद क्या है? वह सबके साथ चलता है।

श्री मूलचन्द डागा : स्वतंत्र पार्टी में समाजवाद कौनसा है?

श्री फूलचन्द बाफना : स्वतंत्र पार्टी, जनसंघ और कांग्रेस के दोनों गुट एस. एस. पी., पी. एस. पी. आदि सभी समाजवाद की बात करते हैं। समाजवाद हम कैसा चाहते हैं? मैं बताना चाहता हूं कि समाजवाद वह चाहिए जिसमें आदमी की

(श्री फूलचन्द बाफना)

वैल्यू बढ़े, इन्सानियत से आदमी को नापा जाय, पैसे से नहीं, पद से नहीं। डांगाजी कहते हैं समाजवाद के लिए, वहां पाली में उनको लड़की के विवाह में कितना ठाठ बाट हुआ है? उनसे पूछता हूं कि समाजवाद का क्या यह तरीका है? समाजवाद का तरीका साधारण तरीका होता है इस तरह का नहीं। हमारा रहन सहन क्या है, वह लोग नापेंगे। केवल बातों से हम नहीं नाप सकते। जीवन किस प्रकार का है, क्या खाते हैं, किस प्रकार का मकान है, किस प्रकार के गहने हैं, किस प्रकार से रहन सहन है, उससे समाजवाद को नापेंगे। केवल बातों से मैं कहूंगा तो बात करने में क्या है? काम्पिटिटिव डिबेटिंग सोसाइटी बैठेगी तो उसमें समाजवाद की बात कर सकता हूं तो समाजवाद जीवन में उतारना चाहिये। समाज में ऐसे चलते हैं कि तस्करी, चोरबाजारी करके धन इकट्ठा करे, उसकी कीमत राज्य में है, समाज में है और धर्म में भी है। धर्म, समाज और राज तीनों एक साथ चल रहे हैं, कदम मिला कर चल रहे हैं और आदमी की कीमत कहीं नहीं, सब जगह पैसे की कीमत है। सभी क्षेत्रों में पैसे की कीमत है, हर जगह आदमी की कीमत गिर रही हैं और आदमी नीचे जाता है और बातों से समाजवाद को आसमान में लाते हैं। यह नहीं चल सकता।

हमारा बजट आया, बजट में समाजवाद की बात जरूर है, परन्तु बजट में मेरे खयाल से समाजवाद इतना नहीं है जितने कि बजट में राहत के काम की घोषणायें हैं। भलाई करो भलाई करना बुरा काम नहीं, भलाई करनी चाहिए, बजट में जितने कल्याणकारी और राहत कार्य हैं वे बुरे नहीं हैं। होने भी चाहिए, परन्तु क्या आखिर स्टेटस को मेन्टेन करने के लिए ही राज्य है। हमने घोषणा की थी कि हमारी वेल्फेयर स्टेट है, ठीक है। परन्तु अब समाजवाद की बात करली तो वेल्फेयर स्टेट को आगे बढ़ाना होगा। हमारा लक्ष्य था कि आदमी की कीमत बढ़े। मैं बारबार इस बात को बोलता हूं कि क्रांति कहते हैं वैल्यू बदलने की बात को? क्रांति क्या है? युद्ध और क्रांति पृथक पृथक हैं युद्ध है एक राज्य को बदल कर दूसरे राज्य को लाना या एक आदमी को हटाकर दूसरे को बैठाना और क्रांति है मूल्य बदलना तो क्या हमारे मूल्य बदले? नहीं। राज्य बदला? हां। तो राज्य बदला, मूल्य नहीं बदला? हमने केवल युद्ध किया लेकिन क्रांति नहीं की।

हमारे पहले के युग में सेना एक साधन थी। जिसके पास सेना का बल था वह राज्य करता था। आज के युग में सेना और संख्या दो बातें आगईं। सेना तो है? उसके साथ संख्या और जुड़ गई। याने जिसके पास अधिक वोट है, जिसके पास मैजोरिटी है वह राज्य करता है। इस वोट प्रणाली के लिए आज उचित अनुचित का कोई ख्याल नहीं। वैसे भी ह्यूमन वैल्यू नहीं है। शराब पिलाकर वोट लो, पैसा खिलाकर प्रचार करो परन्तु येन केन प्रकारेण घुसो। सफल हो गए तो हम अच्छे आदमी, बहादुर आदमी, वरना कीमत नहीं। बड़े बड़े आदमी हार जाते हैं, मैं उनको कम कीमत से नहीं आंकता। क्या हारने वाला बुरा है? लोकप्रिय नहीं है? मैं नहीं मानता। स्पष्ट

(श्री फूलचन्द बाफना)

समझने हेतु एक उदाहरण देदूं। एक गांव था उसमें सभी कसाई थे, शेफील्ड की छुरी से बकरे काटते थे। फिर स्वराज आगया, कसाइयों ने मिलकर कहा कि अब अलीगढ़ की छुरी से बकरे काटेंगे। अलीगढ़ की छुरी से बकरे काटने शुरू किये। बकरे तो वैसे ही चिल्लाते रहे। कसाइयों ने बकरों से कहा, "मूर्खों" अब तो हम अलीगढ़ की छुरी से काटते है, शेफील्ड की छुरी से काटना बंद कर दिया है क्या बकरे खुश हो जायेंगे ?

आज शोषण का तरीका वही है, आदमी बदल गया, शोषण करने वाला पहले कोई या अब और है। जब तक शोषणहीन और वर्गहीन समाज का निर्माण नहीं होता तब तक कुछ नहीं हो सकता। आज नए नए राजा महाराजा पैदा हो रहे हैं और फिर कहते हैं कि समाजवाद आ गया। समाजवाद बिल्कुल इन्सानियत के स्तर पर रखना होगा।

मैं आपको आंकड़े सुनाता हूं। 1968 के प्रारम्भ में 8.14 करोड़ मकानों की कमी थी। कच्ची झोपड़ियों में या छप्परों में पशुओं के साथ नर्क जैसा जीवन जरूर था। 1968 तक यह हालत थी और प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्त तक 35 लाख पढ़े लिखे आदमी बेरोजगार थे, दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक 53 लाख की संख्या हुई, तीसरी योजना में 96 लाख और श्रीमन्ना नारायण, गुजरात के राज्यपाल ने कहा कि चौथी योजना के अन्त तक बेकारों की डेढ़ करोड़ संख्या हो जायेगी, तो बेकारों की संख्या बढ़ती गई। ये बिल्कुल सही आंकड़े हैं। सरकार आंकड़े देती है कि ज्यादा लोग पढ़े लिखे हुए, ज्यादा मकान बने, सही है लेकिन मैं आंकड़े चाहता हूं कि गत वर्ष में बेरोजगार कितने थे और इस वर्ष बेरोजगारों की संख्या क्यों बढ़ी ? गत वर्ष बिना मकान के कितने थे परन्तु इस वर्ष बेघरबार लोग क्यों बढ़े। गत वर्ष पढ़े लिखे कितने थे इस वर्ष कितने हैं, तो आपको मालूम होगा कि अशिक्षितों की संख्या बढ़ रही है। यह सही है कि आपने भला किया, परन्तु बेकारों की संख्या, अशिक्षितों की संख्या प्रति वर्ष बढ़ी है। इस तरह संख्या बढ़ती जाती है फिर समाजवाद कैसे कहते हैं। कहने के लिए कह सकते हैं। केवल राज के अन्दर अन्तर हुआ है, क्रांति नहीं हुई है, राज बदला है, आप लोग बदले हैं।

अंग्रेज गये तो 2 अरब रुपये आपको सौंप गए थे फिर उसके बाद कितनी योजनाएं बनाई, कितना उधार लिया, फिर भी आदमी की कीमत वैसी की वैसी है, कोई फर्क नहीं पड़ा। अन्तिम व्यक्ति अभी भी अन्तिम ही है। अगर संयोग से कुछ मंत्री बन गए तो पहले नम्बर में आ गए। मंत्री बनना अपराध नहीं है लेकिन क्यों अपनी पूंजीवाद हैसियत बढ़ाकर ? पूंजीवाद आपने स्थापित कर लिया है, कैपिटलिस्ट बनते हैं तो फिर मंत्री बने उसका दुरुपयोग ही किया न आपने ?

श्री विजयसिंह : ऐसा ही हो रहा है।

श्री फूलचन्द बाफना : राज किसान और मजदूर के लिए चल रहा कहा जाता है परन्तु क्या किसान मजदूर के लिए राज है ? किसान मजदूर का राज आ सकता है, क्योंकि वे श्रम करते हैं परन्तु आज हमारी

(श्री फूलचन्द बाफना)

हालत क्या हैं ? जो वोट प्रणाली है, उसमें भयंकर गड़बड़ है। उसमें वोट या तो जिसके पास मोट हो वह प्राप्त करता है या नोट हो। वोट तो परतन्त्र है, इसलिए यह कोई खास चेंज नहीं हुई, ह्यूमन वैल्यू नहीं बढ़ी। रिप्रेजन्टेशन को बहुत कम सुना जाता है, एजीटेशन को ही गिना जाता है। जो विरोधी दल है उनका भी क्या लक्ष रहता है ? कोई न कोई प्रकार से एजीटेशन कराकर अपना मतलब उभारें। पहले सम्प्रदाय के लोग जनता को लड़ा कर शासन करते थे, आज राजनैतिक पार्टियां देश की भलाई के नाम पर ऐसा करती हैं। आज की राजनीति वास्तव में आउट ऑफ डेट हो गयी है, अब वह चल नहीं सकती। यह आदमी की बात नहीं करके अपनी खुद की स्वार्थ की बात करती है।

श्री मूलचन्द डागा : स्वतन्त्र पार्टी को शिक्षा देनी चाहिये।

श्री फूलचन्द बाफना : हम सब को शिक्षा लेनी चाहिये।

श्री दिग्विजयसिंह : हिन्दुस्तान में स्वतन्त्र पार्टी ही ऐसी पार्टी है जो आन्दोलन में विश्वास नहीं करके काम में विश्वास करती है।

श्री फूलचन्द बाफना : जो नहरी इलाके की जमीन है वह गरीब के पास नहीं जाती, और जिसके पास पैसा है वह वहां आकर जम जाता है और वहां के आदमी देखते रह जाते हैं। यह पूंजीवाद है, ग्रामों में भी पूंजीवाद घुस गया और आप इसको ग्रामीण पूंजीवाद कह सकते हैं। ग्रामीण पूंजीवाद और स्टेट कैपेटिलिज्म दोनों संगठन बना कर अपना राज बनाते हैं। ग्रामीण पूंजीवाद और स्टेट कैपेटिलिज्म मिलने से समाजवाद कैसे हो सकता है। आदमियों की कीमत नहीं बढ़ा कर वे अपनी कीमत बढ़ाते हैं। हरित क्रान्ति तो कुछ बड़े लोगों के पास रह गई और गरीब लोगों के पास नहीं पहुंची तो लाल क्रान्ति हो जावेगी। हरित क्रान्ति में किसान की हैसियत बढ़नी चाहिये, पहले कम खाने को मिलता था तो अब ठीक मिलना चाहिये, पहले बच्चों को दूध नहीं मिलता था तो अब मिलना चाहिये, पहले कपड़े नहीं मिलते थे तो अब मिलना चाहिये लेकिन नहीं, गरीब गरीब रहा। यह समाजवाद नहीं है। झोंपड़ी २ की तरक्की नहीं हुई तो यह समाजवाद नहीं है। यह समाजवाद के नाम पर लोगों को बरगलाने की बात है। यह केवल स्लोगन्स हैं। नारे लगाइये, ऐसा हो वैसा हो। अभी बादशाह खान आये थे। उनका राम निवास बाग में भाषण सुना। उन्होंने गरीबों को सम्बोधित करके कहा कि आप लोग बहुमत में हैं और आप अपना बहुमत क्यों नहीं भेजते हैं।

श्री मूलचन्द डागा : हम तो सब गरीब हैं। राजे महाराजे तो उधर बैठ गये हैं।

श्री विजयसिंह मकराना : पांच सौ रुपयों की घड़ी आपके हाथ में लगी हुई है।

श्री फूलचन्द बाफना : डागा साहब गरीब बनना चाहते हैं, भगवान् उनको गरीब बनाये। मैं तो कहता हूं कि किसी को भगवान गरीब न बनाये।

श्री गिरधारीलाल व्यास : जागीरदार पीछे बैठे हैं।

श्री फूलचन्द बाफना : इस तरफ और उस तरफ में ज्यादा फरक नहीं है। दोनों तरफ जागीरदार हैं।

श्री मनोहरसिंह : फरक तो है।

श्री विजयसिंह : नयी और पुरानी कांग्रेस बनी उसी तरह से पुराने और नये जागीरदार बन गये।

श्री फूलचन्द बाफना : लोकतन्त्र में क्या हुआ। अशिक्षा और गरीबी। दोनों बातें हो गयीं। गरीब गरीब रहा और शिक्षा भी नहीं मिली। फलस्वरूप ईश्वर की मान्यता में भी ढील आने लगी। क्योंकि गरीबी ज्यादा बढ़ने लगी। हम विधायक बनते हैं तब विधान सभा में ईश्वर की शपथ लेकर कार्यारंभ करते हैं। लेकिन ईश्वर की क्या हालत हो रही है? हम हालत खराब कर रहे हैं। उदाहरण देता हूं मद्रास का गत जून के महीने में द्रमुक के संस्थापक ई. वी. रामास्वामी नाइकर स्वामी की मूर्ति का अनावरण मद्रास के मुख्य मंत्री करुणानिधि ने किया। उसके बैठक के चारों तरफ क्या लिया? मूर्ति की बैठक के एक तरफ लिखा है, ईश्वर का अस्तित्व कहीं नहीं है। दूसरी तरफ लिखा है ईश्वर का आविष्कार करने वाला मूर्ख है, तीसरी तरफ लिखा है ईश्वर का प्रचार करने वाला धूर्त है और चौथी तरफ लिखा है ईश्वर की पूजा करने वाला जंगली है। यह क्यों भावना क्यों बढ़ रही है? कम्युनिस्ट कन्ट्रीज तो ईश्वर के खिलाफ हो ही रहे हैं। ईश्वर की इज्जत घट रही है। ईश्वर की इज्जत घट गयी तो अनुशासन ही खत्म हो जायगा। यह चीज चली गयी तो सब कुछ चला जायगा। यह भी हो सकता है कि ईश्वर के खिलाफ हो कर भी वे ईश्वर के रास्ते पर चल पड़ें।

श्री मूलचन्द डागा : ईश्वर क्या है?

श्री विजयसिंह (मकराना): गांधी जी से पूछो उन्होंने ईश्वर को माना है।

श्री फूलचन्द बाफना : राष्ट्र में चीजों का ढेर लगाना चाहते हैं। लेकिन आदमी समृद्ध नहीं बनता है और राष्ट्र सुदृढ़ बनता है तो रक्त क्रान्ति की तरफ चला जाता है। हमारे समाज में आज क्या है? खरीदो तो पेट भरो। खरीदने की ताकत नहीं तो पेट नहीं भरा जा सकता। पैसा हो तो मकान में रहो, कपड़ा भी खरीदो जो भूखे है, नगे हैं जिनके पास पैसा नहीं है तो समाज का फर्ज है कि उनको पैसा दे, रोजी रोटी दे और यह समझे कि यह हमारे परिवार के हैं। जिस समाज में खरीदना ही आधार हो वह एक भ्रष्ट समाज है। समाज में कोई खरीदे तब ही पेट भरे यह कोई सामाजिक व्यवस्था नहीं है। वितरण में गड़बड़ है। इसलिये संविधान में चेन्ज करना पड़ेगा, संशोधन करना पड़ेगा। संविधान में रोटी की गारंटी नहीं है। यदि कोई भूखों मरता है तो सरकार पर दावा नहीं कर सकता। यदि भूखों मरते आदमी अनाज के गोदाम को लूट लें तो उन पर गोली चलाने का अधिकार संविधान में है। इसलिये यह चीज संविधान में बदलनी होगी। फन्डामेन्टल राइट्स में कुछ नहीं है। डाइरेक्टिव प्रिन्सिपल्स में बहुत कुछ बाते हैं किन्तु कौन करे?

हमारी योजनायें इसलिये असफल हो रही हैं कि इन्सान की कीमत नहीं बढ़ रही है। असंतोष बढ़ रहा है। जनता के असंतोष को दबाने के लिये पाशविक शक्ति का प्रयोग किया गया तो रक्त क्रान्ति होगी। सारे हालात रक्त क्रान्ति के हो रहे हैं। बापू ने अहिंसा का रास्ता बताया लेकिन हमारा देश आज

Page No. 137

(श्री फूलचन्द वाफना)

रक्त क्रान्ति की ओर बढ रहा है। इतना फर्क अमीर और गरीब के बीच बढता रहा तो देश को और कोई रक्त क्रान्ति की ओर जाने से रोक नहीं सकता।

मेरी राय में देश में ऐसी बंदिश लगा देनी चाहिये कि प्रत्येक व्यक्ति मेहनत करके पेट भरे किन्तु किसी को अकल से पेट नहीं भरना चाहिये। अकल से पेट भरने वाले क्या कहते हैं? मान लो, वकील के लिये मुवक्किल नहीं आते हैं तो सोचते हैं कि झगड़े कैसे फैलें। ऐसे ही व्योपारी हैं जो ऐसा कार्य करते हैं कि मंहगाई बढ़े व्योपार फैले और ज्यादा भाव बढ़े व ज्यादा कमावें। ऐसी ही अकल से कमाने वाले चाहते हैं। डाक्टर भी यह चाहता है कि ज्यादा बीमार पड़ें लोग। बुद्धि से कमाने पर पाबन्दी नहीं लगी तो यह स्थिति पनपती रहेगी और लोगों के संकट से कमाना सभ्यता नहीं है।

श्री मूलचन्द डागा : तो आप बुद्धि का उपयोग कम करना चाहते हैं।

श्री विजयसिंह : बुद्धि का सही उपयोग काम में लाना चाहिये। धूर्तबाजी में नहीं।

श्री फूलचन्द वाफना : बुद्धि का उपयोग कैसे हो?

श्री गिरधारीलाल व्यास : आप पर (श्री विजयसिंह) वाफना साहब के भाषण का असर नहीं हो रहा है।

श्री फूलचन्द वाफना : बुद्धि का उपयोग कैसे हो? एक बुद्धिजीवी आदमी और दूसरा बुद्धिमान आदमी बुद्धिजीवी आदमी वह है जो अपनी बुद्धि को बेचता है और बुद्धिमान आदमी वह है जो सेवा करता है।

श्री मूलचन्द डागा : वकील सेवा करता है।

श्री विजयसिंह : बुद्धि को बेचता है। बुद्धि बेचना सेवा नहीं है।

श्री फूलचन्द वाफना : लोग बुद्धिमान बनें। बुद्धिजीवी न बने बुद्धि से कमा कर जिन्दा रहने का अधिकार नहीं होना चाहिये। श्रम करके जिन्दा रहने का अधिकार होना चाहिये। इससे शोषण सब मिट जावेगा।

इन सब बातों का, समस्याओं का हल हो जायेगा। केवल बुद्धि से पेट भरने का अगर यह तरीका चलता रहेगा तो समाजवाद नहीं आयेगा। बुद्धिजीवी बड़े होशियार होते हैं। वे बड़ी अच्छी बातें कह सकते हैं और उनको अमल में नहीं लाते हैं। इसलिये बुद्धिजीवी से पूरी क्रांति नहीं हो सकती। क्रांति का तरीका अभी थोड़े दिनों पहले विनोबा भावे ने बतलाया है। क्रांति कैसे होगी? जो अधिक सुखी है, वह क्रांति नहीं कर सकता है। जिसको कोई अभाव नहीं है वह कैसे क्रांति कर सकता है। जिसको अभाव है, वही क्रांति कर सकता है, वही क्रांतिकारी हो सकता है। अगर बुद्धिजीवी क्रांति में जुट गये तो क्रांति में धोखा हो जायेगा। बुद्धिमान ही क्रांति का साथ दे सकते हैं। महावीर गौतम, महात्मा गांधी बुद्धिमान थे। और उन बुद्धिमानों के साथ अगर कॉमन मैन, कॉमन जरूरत वाला जुड़ेगा तो क्रांति अवश्य होगी और वह सफल होगी। परन्तु इसमें अगर बुद्धिजीवियों का साथ मिल गया तो

(श्री फूलचन्द बाफना)

एक बड़ा घोटाला हो जायेगा । इन्हीं बुद्धिजीवियों के कारण आजादी घोटाले में हो गई । लोकतंत्र तंत्रलोक बन गया, पंचायती राज, राज की पंचायत बन गया । इसलिये अगर इसमें बुद्धिजीवी के बदले बुद्धिमान रहेंगे और उनके साथ साधारण आदमी रहेंगे तो उनका लाभ होगा वरना सब चौपट ही होने वाला है ।

अब सभापति महोदय मैं अकाल के बारे में भी कहना चाहता हूं । अकाल राहत के बारे में यहां काफी चर्चा हो चुकी है और आपने काफी खर्चा भी इसके लिये किया है । खर्चा करना चाहिये क्योंकि वेलफेयर स्टेट है । परन्तु आपने सोचा है अकाल क्यों पड़ता है ? क्या कारण है अकाल पड़ने के ? हमारी यह सरकारी व्यवस्था है कि आज बड़े बड़े और अच्छे जंगल कट जाते हैं । यह मानी हुई बात है कि जहां जंगल होते हैं वहां बरसात होती है परन्तु आज जंगलों को मनमाने ढंग से काटा जा रहा है और बादल भी वहां से सीधे चले जाते है । आज आप जंगलों की लकड़ी से कोयला बना रहे हैं तो आपकी तकदीर में कोयला ही है और आपको करोड़ों रुपया अनाज के लिये खर्च करना पड़ता है और अगर जंगल कायम और घने रहे तो आपको अनाज के लिये करोड़ों रुपया खर्च नहीं करना पड़ेगा । मैंने पिछली बार प्रश्न पूछा था तो हमारे अकाल राहत मंत्रीजी ने यह बताया कि यह प्रश्न जंगलात मंत्रीजी से संबंधित है और जंगल वाले मंत्रीजी ने कहा हम वनों को वैज्ञानिक ढंग से काटते है । जब कि प्रति वर्ष बरसात घट रही है । हमें अब अपना पेट भरने के लिये विज्ञान की मदद लेनी होगी । विज्ञान से कहो कि वह छोटी छोटी मशीनें बनाकर देवें जो आदमी के कब्जे में रहे । आदमी कहे तब चले और बड़ी मशीनें नहीं बने जो आदमी को छुट्टी दे दे जैसे सिलाई की मशीन है उससे आदमी 7–8 रुपया रोज कमा सकता है । ऐसी मशीनें बनना चाहिये अगर यह नहीं करते हैं तो विज्ञान शैतान पैदा कर रहा है । और अगर शैतान पैदा करेगा तो इस दुनिया का नाश हो सकता है । विज्ञान से कहिये, उसको बराबर गुंजाइश दीजिये कि वह छोटी छोटी मशीने ही बनावे । लोग शहरों में जाकर तंग कोठरियों में रहते हैं और वे अपना स्वास्थ्य और जीवन बर्बाद कर रहे हैं । गांव में बैठे बैठे वे इन छोटी छोटी मशीनों के जरिये 5–7 रुपया कमा सकें ऐसी व्यवस्था आप करिये ताकि गांव के लोग शहरों की ओर नहीं भागें । इस तरह से आप विज्ञान से कहेंगे तो विनाश नहीं होगा ।

सभापति जी मैं यह भी बतलाना चाहता हूं कि आज हम जिस ढंग से चल रहे हैं उससे क्या देश का हित हो रहा है । इसलिये आज बुद्धिमान लोगों को निर्णय करना पड़ेगा और उनको देश के लिये आगे आकर बिना स्वार्थ काम करना होगा । अब संसदीय क्षेत्र में भी सबसे पहले मैं यह चाहता हूं कि सरकार अपने किसी प्रस्ताव में किसी वोट में हार जाने पर नहीं गिरे । सरकार को अगर गिराना है तो उसको अविश्वास के प्रस्ताव के द्वारा ही गिराया जाये । सरकार में कोई परिवर्तन करना है तो अविश्वास प्रस्ताव के जरिये ही किया जाये । सरकार के ऊपर हमेशा तलवार लटकती

(श्री फूलचन्द बाफना)

रहती है कि अमुक संशोधन पारित हो जाने पर वह गिर जायेगी, या कोई भी उसकी मांग नामंजूर हो जायेगी तो यह सरकार गिर जाती है। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि सरकार को इस तरह से नहीं गिराया जाये और सभी लोगों को अविश्वास प्रस्ताव के अतिरिक्त स्वाधीन रूप से वोट देने की छूट होना चाहिये। हमारे कई सरकारी बैंचों के भाई शराबबंदी जैसे प्रश्नों पर दृढ़ता के साथ अपनी बात कहते हैं लेकिन जब वोट देने का प्रश्न आता है तो वोट नहीं देते हैं। उन्हें डर रहता है कि इससे सरकार गिर जायेगी यह एक प्रकार से गुलामी है। यह राजनैतिक गुलामी है। जनता के प्रतिनिधि और गुलाम पार्टी के? यह आजादी नहीं है। सभी विधायकों को आजाद कर दें। अगर कोई प्रस्ताव पास हो जाये तो इससे सरकार नहीं गिरनी चाहिये। सरकार सिर्फ अविश्वास के प्रस्ताव से ही गिरे। ऐसा करने से सरकार की आदत भी ठीक हो जायेगी और सरकार को ऐसे प्रस्तावों को अमल में लाना पड़ेगा और यह एक अच्छी बात होगी। हमारे जीने का जो तरीका है उसको बदलना होगा। पहले कच्चे मकान थे तो आदमी पक्के थे और आज पक्के मकान हो गये तो आदमी कच्चे हो गये। सामाजिक मूल्यों में काफी गिरावट आगई है इसलिये हमें आदमी की कीमत बढ़ाना चाहिये और अगर उसकी कीमत नहीं बढ़ी तो हमारा समाज आगे नहीं बढ़ेगा।

सभापतिजी, मैं यह मानता हूं कि हमारे बंधन हट गये हैं। परन्तु कौन से बंधन? अंग्रेजों के, राजाओं के? हम अब बिना बन्धन के हैं। लोकतंत्र है परन्तु हम स्वतंत्र नहीं है। बंधन के निशान हट गये पर हम स्वतंत्र नहीं है। समाज में एक आदमी गरीब है। वह स्वतन्त्र रूप से इलाज कराने के लिये बड़े-बड़े सर्जनों के पास जा सकता है। डाक्टर ने उससे कहा तुम्हें टी. बी. है फल, दूध व आबू की हवा खाओ। परन्तु वह कहां से फल, दूध व हवा खायेगा। उस के पास पैसा नहीं है। उसकी रक्षा सरकार नहीं करती, समाज नहीं करता तब वह फिर कहां जायेगा। स्पष्ट है, वह मौत की तरफ जायेगा। इस तरह आज गरीबों के बच्चे मौत की तरफ जा रहे है। गरीबों के बच्चे क्या डाक्टर नहीं बन सकते? किन्तु उनके पास पैसा नहीं है। स्वराज्य किस के लिये है? बड़े आदमियों के लिये है। आज गरीब आदमी अपना इलाज नहीं करा सकता, अच्छे मकान में नहीं रह सकता, उसको खाना भरपूर नहीं मिलता तो स्वराज्य का उसके लिये क्या मायने हैं। यह गलत तरीका है। आज पैसे की कीमत बढ़ रही है। इसको हमें रोकना चाहिए।

सभापतिजी 18 फरवरी को पाली जिले में ओलावृष्टि हुई थी। इसके लिये पत्र कलक्टर को लिखे गये। 5 मार्च को पाली जिला अकाल राहत समिति में यह प्रश्न रखा गया परन्तु हमारे मंत्रीजी ने यहां कह दिया कि हमारे पास कोई खबर नहीं हैं। आपके पास क्यों नहीं खबर आती? सब से पहले आपके अफसरों को आपको खबर पहुंचाना चाहिये। इसतरह का जैसा दिमाग है वह गलत है। आपको सभी को एक रूप से देखना चाहिये। दूसरा आदमी आपको कहे तब आपको पता लगता है। यह जो आपका तरीका है वह गलत है। इस तरह की जो निष्क्रिय व्यवस्था आपने की है उसको सक्रिय करना चाहिए। आपके जो काम करने वाले हैं उनको सक्रिय होना

(श्री फूलचन्द बाफना)

चाहिए, सचेत होना चाहिए जिससे वे जनता की तकलीफों को आपके पास पहुंचाये। इस तरह से सक्रियता नहीं होगी तो आपकी गवर्नमेंट बुरी से बुरी होती जायगी और काम मुश्किल हो जायेगा और अच्छी गवर्नमेंट हो तो भी नहीं चलेगी। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि समाज में जो अव्यवस्था हैं उसको ठीक करने के लिये तीन मार्ग है। एक तो करुणा (मानवता) से उसको ठीक किया जा सकता है, उससे भी अगर सुधार न हो तो कानून से आदमी के सामाजिक ढांचे को बदला जा सकता है अगर हम करुणा और कानून से भी समाज में बदलाव नहीं ला सके तो आखिर जाकर कत्ल का समय आ जावेगा जब करुणा और कानून से बात नहीं बनी तो कत्ल का जमाना आगया तो आप सभी समाप्त हो जायेंगे। इसलिये मेरा निवेदन है कि सब से पहले हमें कौनसी योजना लेनी चाहिये इस ओर ध्यान देना चाहिए। कहां से प्रारम्भ करें ?

सब से पहले हमें भूमि समस्या को लेना चाहिए। आज के विज्ञान के युग में कोई भी समस्या ऐसी नहीं जो विज्ञान के सहारे से हल नहीं हो सकती है। विज्ञान ने उत्पादन बढ़ाया है फिर भी आज आश्चर्य है लोगों में भूख और गरीबी है। आज के विज्ञान के युग ने अनाज की पैदावार को बढ़ा दिया है। आज आवश्यकता इस बात की है कि समाज जो उत्पादन करता है उसके वितरण की व्यवस्था ठीक प्रकार से हो। आज हम देखते हैं गांव की गुलामी गरीब की गुलामी और महिलाओं की गुलामी आज मानवीय मूल्य स्थापित करके हमें इन सब में क्रांति लाने की आवश्यकता है।

आज खेती के मामले में तीन वर्ग बन गये हैं अमीर किसान, गरीब किसान और भूमिहीन किसान। अमीर किसान, गरीब किसान का शोषण करता है, और अमीर किसान और गरीब किसान दोनों मिल कर भूमिहीन किसान का शोषण करते हैं आज की जो मुख्य समस्या है वह है भूख और गरीबी की समस्या है जिसको मिटाने की ओर अविलम्ब ध्यान देना चाहिए। भूख का उत्तर अन्न है। अनाज की पैदावार बिना भूमि समस्या के हल के हो नहीं सकती। आज जमीन हर परिवार के पास इतनी होनी चाहिए कि वह अपना और अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। केवल व्यापारिक फसल उगाने से देश की उन्नति नहीं हो सकती। जीरा, अजमा, मिर्च आदि ज्यादा पैदा करने से देश की भूख नहीं मिटेगी। हमें अनाज के ज्यादा पैदा करने की आवश्यकता है। अनाज हमारे लिए बाहर से नहीं आना चाहिए। 22 वर्ष बाद भी बाहर से अनाज मगाने से देश की इज्जत घट रही है। उधर मुद्रा विस्तार होता है और फिर मुद्रा का अवमूल्यन करना पड़ता और इस तरह से लाखों करोड़ों रुपये का ब्याज हमे चुकाना पड़ता है। आज शासन का आदमी इतना अपने आपको ऊंचा समझने लग गया है कि जैसे वायुयान में चढ़े हुए आदमी को ऊंचाई से बड़े-बड़े पत्थर भी मामूली कंकर की तरह दिखाई देते हैं आज वही स्थिति हमारे समाज की भी है जो व्यक्ति ऊपर चढ़ गया है, उनको नीचे के सब आदमी तुच्छ दिखाई देते है। आज ऊपर चढ़े हुए आदमी की दृष्टि नीचे पहुंचती ही नहीं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप नये समाज का निर्माण करें। हमारी टैक्स प्रणाली में परिवर्तन

(श्री फूलचन्द बाफना)

लाना चाहिए। जिस प्रकार मधुमक्खी है वह सब फलों-फूलों का रस लेकर मधु पैदा करती है लेकिन फूलों को किसी प्रकार से हानि नहीं पहुंचाती उसी तरह से सरकार को टेक्स लेना चाहिऐ। एक चीन महाराज के बारे में कहावत है कि उसके एक दफा मंत्रियों से पूछा, "जनता से इतना पैसा हम लेते है लेकिन वह ऊपर तक पहुंचते पहुंचते कम क्यों हो जाता है।" तो उनके महामन्त्री ने एक बरफ का टुकड़ा देकर कहा "महाराज यह बरफ का जिस प्रकार का टुकड़ा है उसको यदि नीचे से लेकर ऊपर तक पहुंचाने में जितना समय लगता है उसमें यह टुकड़ा ऊपर आते-आते केवल चने के बराबर रह जायगा। इसी तरह से हम जो नीचे से टेक्स लेते हैं वह ऊपर पहुंचते पहुंचते केवल चने के बराबर रह जाते हैं।" इसलिए मैं सुझाव देना चाहता हूं कि नीचे से जो पैसा आता है वह ग्राम पंचायत पंचायत समिति, जिला परिषद् आदि के पास रहना चाहिए और इस तरह से जब ऊपर जरूरत हो तो नीचे से आना चाहिए न कि पहले ऊपर पहुंच कर फिर नीचे की तरफ वह खर्च के लिए दिया जाय। इससे आप देखेंगे आज जो समस्या है कि ऊपर तक पैसा पूरा पहुंचता नहीं वह समस्या नहीं रहेगी।

मुझे बहुत सारी बाते निवेदन करनी हैं किन्तु समय समाप्त हो रहा है। इसलिये मैं अब जल्दी ही कुछ अपने सुझाव देकर समाप्त करूंगा। आज हम जिस प्रकार के टेक्स लगाकर चल रहे हैं उससे आखिर क्या होगा? चीजों के भाव बढ़ेंगे। आज मनुष्य को जिन्दा रहने के लिये रोटी रोजी और मकान चाहिये। आज हमें जनता की जो प्रारम्भिक नेसेसिटी है उसको पूरा करना होगा। इसके साथ साथ एक बात मुझे शिक्षा मंत्री को देखते ही याद आगई है शिक्षा प्रणाली के बदलने की।

आज की जो शिक्षा प्रणाली है उसके अनुसार हम प्रतिवर्ष लाखों लोग निकाल रहे हैं, ये शिक्षण संस्थायें बेकार लोग तैयार करने के कारखाने हैं। मेरे ख्याल से भारत में कम से कम 17 लाख लोग प्रतिवर्ष मैट्रिक पास करके निकलते हैं। आखिर ये सब क्या करते हैं। सब लोग नौकरी की तरफ जाने का प्रयास करते हैं। आखिर नौकरियां है कितनी? आज हिन्दुस्तान की आबादी प्रायः पचास करोड़ है उसमें से एडल्टस की संख्या 17 करोड़ मानकर चलते हैं मान लीजिये कि सभी को हम एम० ए० या बी० ए० पास करा देते हैं। और आप यह मान लें कि जो बी. ए. और एम. ए. पास करके निकलेगा वह कपड़ा आदि मकान बनाने का काम नहीं करेगा खेती नहीं करेगा तो फिर आखिर देश की अन्न की आवश्यकता और कपड़े मकान आदि की आवश्यकता किस तरह से पूरी हो पायेगी? वह कपड़ा नहीं बनायगा तो क्या सब नंगे घूमेंगे? अनाज पैदा नहीं करेगा तो क्या सब भूखों मरेंगे? क्योंकि बी० ए० या एम० ए० पास करने के बाद उनमें श्रम करने की रुचि नहीं रहती है तो फिर देश का काम कैसे चलेगा। तो आज सब से बड़ी आवश्यकता है मौजूदा शिक्षा प्रणाली को परिवर्तन करने की। आज ऐसी शिक्षा होनी चाहिये जिसका आधार हो कमाओ और सीखो। उसका नाम चाहे आप कुछ भी दे दो बुनियादी शिक्षा दे दो या कुछ और दे दो। शिक्षा ऐसी हो जिससे इन्सान बनने को प्रेरणा मिले मतलब इन्सानियत पैदा होनी

(श्री फूलचन्द बाफना)

चाहिये। पढ़ाई के साथ साथ पेट भरना सीखना चाहिये तभी जाकर हिन्दुस्तान ठीक हो सकता है। नहीं तो आज मौजूदा शिक्षा प्रणाली है उससे तो देश डूब जायगा। आज हम पढे लिखे बेकारों की संख्या दिन प्रति दिन बढा रहे हैं। यदि हम शिक्षा प्रणाली ऐसी बनायेंगे कि कमाओ और सीखो प्रणाली चलायेंगे तो ही देश का भला हो सकता हैं।

लोग कहते हैं कि आज के अधिकारी कर्मचारी रिश्वत खाते हैं, पढ़े लिखे लोग रिश्वत खाते हैं। क्या आज की पढाई रिश्वत खाना सिखाती है, आज पढे लिखे लोग चोरी करते हैं, डाके डालते हैं तो यह सोचना पड़ेगा कि आज की पढ़ाई हमें इन दुराचरणों की ओर ले जाती है तो यह शिक्षा किस काम की। यह सब दोष सामाजिक व्यवस्था के साथ साथ हमारी शिक्षा प्रणाली का भी है। आज हमें आदमी की कीमत बढानी चाहिये। आज शिक्षा प्रणाली ऐसी बनाइये जो इन्सान को सच्चा इन्सान बनावे, इन्सानियत की ओर आगे बढावे। ह्यूमेन वेल्यूज के साथ सोशल वेल्यूज को हमें बनाना होगा इसके बिना इन्सान की कोई कीमत नहीं। अन्त में एक वाक्य में इतना ही मुझे निवेदन करना है कि हमें अपना बजट इसी भावना के अनुरूप बनाना चाहिये।

श्री मूलचन्द डागा : सभापति महोदय...

श्री सभापति : आपका दस मिनिट में भाषण समाप्त नही होगा आप फिर बोल लें।

श्री सभापति : श्री जगन्नाथ

श्री जगन्नाथ (टोडा रायसिंह) : सभापतिजी, मेरे क्षेत्र की कमियों की बात मैं राज्य सरकार से निवेदन करूंगा। सरकार ने सीलिंग का कानून लागू नहीं किया। इससे हमारे सामने एक दिन ऐसी समस्या आवेगी जो गंगानगर के आन्दोलन से भी ज्यादा तेज होगी। 55 से सीलिंग के कानून की बात सरकार कर रही है। पर लागू कर नहीं रही है उसे जल्दी लागू करना चाहिये।

शहरी सम्पत्ति पर टैक्स लगाने की बात भी सरकार नहीं कर रही है। गांवों में जहां 80 प्रतिशत लोग रहते हैं वहां टेक्स बराबर लगाते हैं, पर 20 प्रतिशत शहर के लोगों पर जो शहरों में बड़े बड़े मकानों में बैठे हैं, लगाना नहीं चाहती। तो यह भेदभाव समाप्त करना चाहिये।

श्री मुकुटबिहारी लाल गोयल : यह नवाब साहब के लिये है।

श्री जगन्नाथ : सबसे पहले सीलिंग लागू किया जावे। शहरी सम्पति के लिये भी सीलिंग लागू किया जावे।

मैं और अर्ज करूंगा, रेवेन्यू विभाग की बात कहूंगा। मानसून और वर्षा पर ही खेती निर्भर है ज्यादातर तो। अब फसल खराब हो जावे और पटवारी गलत बतावे तो अच्छा नहीं है। 183 की जानकारी नहीं देता। जमीन काफी है अगर सैटलमेंट से जागीरदारों से लेकर जिनके पास जमीन नहीं है उनको दे दें तो सरकार की आमदनी बढ़ सकती है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : नवाब साहब भी बैठे हैं। सड़कों के बारे में कह दें।

श्री जगन्नाथ : चूदंड़ी और पगड़ी पर भी टैक्स लगा दिया। सिर की पाग पर भी टैक्स लगा दिया। बींद जाता है तो गोटा लगाता है। तो यह ठीक नहीं है। यह गोटा किनारी और पाग पर टैक्स माफ कर दें।

चौथी बात गन्ने और गेहूं की पिलाई के बारे में कहना चाहूंगा। तो पानी तो सब को वही तीन लगता है। तीन मे ही गेहूं पकता है, तीन में ही जौ पकता है। खेती करते हों तो उनको मालूम हो। तो इनकी पिलाई की रेट में फर्क नहीं करना चाहिये।

सभापति महोदयजी, भूमिहीनों को भूमि देने के लिये राज्य सरकार ने प्रयत्न किया इसका मैं स्वागत करता हूं। पर भूमिहीन दो किस्म के हैं। एक तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लोग हैं। एक वे भी हैं जो ब्राह्मण हैं, राजपूत भी है बनिया हैं पर गरीब हैं उनके पास भी जमीन नहीं है तो वे भी भूमिहीन हैं उनको भी जमीन दी जानी चाहिये नहीं तो उनके साथ अन्याय होगा।

अब मैं पंचायत मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा। पंचायतों के विस्तार के लिये 68 में भी निवेदन किया था। अब भी कहता हूं कि यह जो गांव के अन्दर न्याय पंचायत रख रखी है उनको तो कृपा करके तोड़ दें और उनके अधिकार ग्राम पंचायतों को दे दें तो आपका पंचायत राज मजबूत हो जायेगा। यह मेरा सुझाव है।

श्री मुकुट बिहारीलाल : सड़क और रह गई बाकी।

श्री जगन्नाथ : सड़कों के लिये गांवों के लिये भी करना ही होगा।

एक बात और।

श्री देवीदत्त गाड़िया : परिवार नियोजन पर और। डर गये आप।

श्री जगन्नाथ : पश्चिमी राजस्थान में जहां पर अकाल था बरसात नहीं बरसी थी। पर अब उनके साथ इधर का इलाका भी मिल गया। मेरे क्षेत्र में 43 पंचायतें हैं। उनमें तीन में ओले पड़े हैं। और वहीं नुकसान नहीं हुआ। एक तो टोडा रायसिंह में हीरपुर और डीगोला तहसीलों में हुआ। 9 तारीख को ओले पड़े थे। आठ फरवरी को अभी टोंक जिले में टोडा रायसिंह तहसील में इन्दोला पंचायत में आठ गांवों में रात को ओले गिरे सुबह 6 बजे वहां कुछ नहीं रहा। मवेशियों को नुकसान नहीं हुआ। पर जिसके दो सौ मन अनाज होता वहां दो मन भी नहीं होगा। राज्य सरकार चाहे तो इसकी जांच करवाले। मैं सही कहता हूं। इन गांवों में कोई अनाज की दुकान या और कोई मजदूरी देने के लिये काम खोल दिया जावे तो वे गांव आराम से समय निकाल देंगे। और मैं ज्यादा नहीं कहूंगा।

श्री सभापति : सदन की कार्यवाही कल प्रातः 8 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही सायं 5.58 बजे दिनांक 14 मार्च, 70 के प्रातः 8 बजे तक के लिये स्थगित हुई)

परिशिष्ट 1

(ता० प्र० सं० 95 की सूची)

(सूची—क)

क्र.सं.	तहसील	मुकदमात की तादाद 1-1-67 से 1-1-68 तक दर्ज हुए	निर्णय जो लिये गये विनियमन	बेदखल
1	2	3	4	5
1	झालरापाटन	4033	9	2526
2	पचपहाड़	3661	117	3484
3	पिड़ावा	4136	45	4052
4	अकलेरा	4398	389	4009
5	गंगधार	1735	80	1705
6	खानपुर	7564	407	6329
	नायब तह० बकानी	1681	—	1092
	योग—	27308	647	23197

Page No. 145

(सूची-ख)

नाम तहसील	पाटन	पचपहाड़	पिड़ावा	अकलेरा	गंगधार	खानपुर	सब तह० बकानी
अन्तर्गत अनुसूचित जाति	1080	247	447	1331	222	2250	105
अनुसूचित जन-जाति	358	—	213	1010	12	2013	258
निर्णय लिये गये :							
नियमन	2	19	5	189	3	248	—
बेदखल	1167	228	655	2352	219	4048	363

Appendix 'A'

परिशिष्ट 2

(ता. प्र. सं. 96 की सूची)

RAJASTHAN STATE ELECTRICITY BOARD

No. of agricultural connections released in Panchayat Samiti, Fatehpura and Laxmangarh

S. No.	Name of Village in Panchayat Samiti Laxmangarh and Fatehpur	No. of agri. connection upto 31-12-68	No. of agri. connections released upto 1-1-69 to 31-12-69	No. of agri-connections from 1-1-70 to 28-2-70	Total connections released upto 28-2-70
1	2	3	4	5	6
	Panchayat Samiti Laxmangarh				
1	Laxmangarh	9	8	—	17
2	Khuri	5	3	5	13
3	Madhopura	2	2	1	5
4	Juliasar	1	—	—	1
5	Nechhawa	22	3	2	7
6	Ganeri	—	—	—	—
7	Singodra & Singodri	1	2	—	5
8	Bidasar	4	2	2	6

1	2	3	4	5	6
9	Birodi Badi	—	—	—	—
10	Beri	2	3	2	7
11	Rehnawa	—	—	4	4
12	Narodra	—	—	5	5
13	Yalsar	—	—	1	1
14	Partappura	—	—	4	4
	TOTAL	26	23	26	75
Fatehpur Panchayat Samiti					
1	Fatehpur	13	8	1	22
2	Balara	11	2	—	13
3	Doulatabad	—	—	—	—
4	Ramgarh	12	3	3	18
5	Sehnoosar	6	—	—	6
	TOTAL	42	13	4	59
	G. TOTAL	68	36	30	134

परिशिष्ट 3

(ता० प्र० सं० 101 की सूची)

सूची कर्मचारी जिन्होंने अकाल सहायता प्रदान की जिला चूरू

क्र० सं०	नाम कर्मचारी	राशि
1	2	3
1.	पंच श्री मोकू राम	21
2.	वैद्य श्री रामेश्वर दयाल	21
3.	वैद्य श्री भुवन किशोर	21
4.	वैद्य श्री सीता राम	21
5.	वैद्य श्री दामोदर प्रसाद	21
6.	वैद्य श्री राजा राम	21
7.	वैद्य श्री हजारी लाल	21
8.	वैद्य श्री बजरंग लाल	21
9.	वैद्य श्री हजारी लाल	21
10.	वैद्य श्री सवाई सिंह	21
11.	वैद्य श्री पुष्कर दत्त	21
12.	वैद्य श्री वेद प्रकाश	21
13.	वैद्य श्री राम देव	21
14.	वैद्य श्री जगदीश प्रसाद	21
15.	वैद्य श्री राम करण	21
16.	वैद्य श्री केसर देव	21
17.	वैद्य श्री नन्द किशोर	21
18.	वैद्य श्री माली राम	21
19.	वैद्य श्री राम निवास	21
20.	वैद्य श्री सीता राम	10
21.	वैद्य श्री द्वारका प्रसाद	16

1	2	3
22.	उप वैद्य मणि शंकर	10
23.	उप वैद्य राम लाल	10
24.	उप वैद्य राधा कृष्ण	10
25.	उप वैद्य राम पाल	10
26.	उप वैद्य अर्जुन देव	10
27.	उप वैद्य जयनारायण	10
28.	उप वैद्य बदनी नारायण	5
29.	उप वैद्य चन्द्र सिंह	5
30.	उप वैद्य बाल किसन	5
31.	उप वैद्य राम निवास	5
32.	उप वैद्य मालू राम	5
33.	उप वैद्य शक्ति दान	5
34.	उप वैद्य बंशी लाल	5
35.	उप वैद्य मांगी लाल	5
36.	उप वैद्य भैरू राम	3
37.	उप वैद्य बुद्ध लाल	5
38.	उप वैद्य अनूप सिंह	5
39.	उप वैद्य बशीर अहम्मद	5
40.	उप वैद्य जानकी दास	5
41.	गणेश राम	5
42.	उप वैद्य माल दत्त	5
	कुल योग	560 रुपये

परिशिष्ट 4

(समयाभाव के कारण समय पर न लिये जाने वाले तारांकित प्रश्नोत्तर)

ऊन की खरीद

110. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या भेड़ व ऊन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(1) क्या यह सत्य है कि भेड़ व ऊन विभाग द्वारा ऊन खरीद की जाती है और उसकी कीमत विभाग द्वारा प्रति किलो के हिसाब से तोल कर भेड़ पालकों को दी जाती है? यदि हां, तो प्रति किलो किस किस प्रकार की ऊन का कितना कितना पैसा दिया जाता है? विभाग द्वारा तय किये गये भावों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या विभाग द्वारा प्रति भेड़ के हिसाब से भी कीमत तय करके ऊन खरीद कर ली जाती है? यदि हां, तो किस रेट से और प्रति भेड़ कितना रुपया दिया जाता है और बिना काटी हुई ऊन का कैसे अनुमान लगाया जाता है?

(3) क्या यह भी सत्य है कि श्री दलेल सिंह, जिला भेड़ व ऊन अधिकारी जालौर, ने माह अगस्त, 1969 में प्रति भेड़ के हिसाब से ऊन खरीदी? यदि हां, तो कितनी भेड़ों की ऊन किस रेट से खरीदी और उक्त ऊन वजन में कितनी थी तथा प्रति किलो क्या रेट रही और ऊन किस प्रकार की थी?

उत्तर

(1) जी हां, भेड़ व ऊन विभाग द्वारा भेड़ पालकों से ऊन प्रति किलो के हिसाब से तोल कर खरीदी जाती है जिसका भुगतान नकद रकम द्वारा किया जाता है। ऊन की किस्म के अनुसार ही ऊन के भाव आंके जाते हैं। भावों की सूची सदन की मेज पर रखदी गई है।

(2) जी नहीं। विभाग द्वारा केवल ऊन की किस्म आदि देख कर ऊन खरीद की जाती है।

(3) विभागीय अभिलेख के अनुसार अगस्त, 69 में श्री दलेल सिंह द्वारा ऊन प्रति भेड़ के हिसाब से खरीद करना नहीं पाया जाता है। अतः प्रश्न नहीं उठता है।

(सूची विस्तृत होने के कारण राजस्थान विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई है)

कृषकों को बापी हक

111. श्री फूलचन्द बाफना (सुमेरपुर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे-

(1) क्या यह सही है कि सरकार ने ऐसे आदेश दिये थे कि जिस जिस कृषि भूमि पर जिस जिस का कब्जा है उसको बापी हक दे दिये जावें? अन्तिम आदेश इस भावार्थ का कब निकाला था? कृपया प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखी जावे।

(2) क्या यह सही है कि पाली जिले में उपर्युक्त प्रकार की कब्जे की भूमियों के बहुत सारे मामले चलाये गये हैं व कृषकों को तंग किया जा रहा है ऐसे मामलों में कृषकों से गिरदावरी स्लिप मांगी जाती है, तो क्या तहसील या पटवारी के रिकार्ड में संबंधित विवरण दर्ज नहीं है? यदि हां, तो इसी सरकारी विवरण के आधार पर हो संबंधित

(श्री फूलचंद बाफना)

कृषकों को बापी हक क्यों नहीं दिया जाता है ?

(3) उपर्युक्त मामलों में कृषकों को संबंधित भूमि के लगान को कितने गुना रुपये जमा करवाने के नोटिस दिये गये हैं ?

(4) पाली जिले की किस किस तहसील में ऐसे कितने कितने नोटिसेज दिये गये हैं व कितने मामले दर्ज किये गये हैं ?

उत्तर

1—जी हां, आदेश दिनांक 6-10-67 को प्रसारित किये गये थे जिसकी प्रति सदन की पटल पर प्रस्तुत है।

2—यह सही है कि राज्य सरकार के उक्त आदेश के पालना में इस जिले की विभिन्न तहसीलों में कृषकों को खातेदार हकूक देने के लिये काफी तादाद में मामले दर्ज हुए और उनका निपटारा राजस्व रेकार्ड के अनुसार राज्य सरकार के परिपत्र की पालना करते हुए किया जा रहा है। ऐसी कोई शिकायत किसी भी तहसील से प्राप्त नहीं हुई कि इन मामलों के निपटारे के बारे में किसी कृषक को तंग किया जा रहा है और उससे गिरदावरी स्लिप वगैरा मांगी जा रही है।

3—अनाधिकृत कब्जों के मामलों में उक्त परिपत्र के पैरा सं० 10 में दर्शाये गये प्रीमियम अथवा शास्ती एवं विभिन्न अनुदेशों के अनुसरण में प्राप्त करनी होती है उसे जमा करवाने का आदेश दिया जाता है। साधारणतया धारा 91 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत जो नोटिस दिये जाते हैं उसमें लगान की 15 गुणा शास्ती क्यों न वसूल की जावे अवश्य लिखा जाता है।

4—पाली जिले की विभिन्न तहसीलों में जितने मामलों में नोटिसेज दिये जाकर मुकद्मे दर्ज किये गये हैं उनकी सूची संलग्न है।

(सूची विस्तृत होने के कारण राजस्थान विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई है)

नागौर जिले के ग्राम डेह में बिजली

112. श्री लाभचन्द वैद (सुजानगढ): क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सत्य है कि नागौर जिला स्थित ग्राम डेह में कृषि व घरों में बिजली लगाने हेतु बिजली की लाईन की मांग की गई है ? अगर हां, तो सरकार ने इस विषय में क्या कदम उठाया है ?

उत्तर

जी हां।

सर्वेक्षण एवं परियोजना प्रतिवेदन बनाने हेतु कार्यवाही की जा रही है।

बीकानेर की जामसर खड़ी खान का ठेका

113. श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला बीकानेर की जामसर खड़ी खान किस ठेकेदार को राज्य सरकार ने कितने साल के एग्रीमेंट पर ठेके पर दी है ?

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)

क्या यह भी सही है कि भूतपूर्व रियासतों के समय से इसी ठेकेदार के नाम से राज्य सरकार अपने दलाल के रूप में ठेका दे रही है? क्या इस खान पर और भी किसी ठेकेदार ने कार्य किया है? यदि हां, तो किन किन ठेकेदारों ने कार्य किया उनके नाम की सूची सदन की मेज रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त खड़ी खान के ठेकेदार को राजस्व विभाग व खनिज विभाग द्वारा ऐरिया दिया गया है? यदि हां, तो वह दूसरे काश्तकारों के खेतों से नाजायज खड़ी निकाल कर भूमि बरबाद क्यों कर रहा है? क्या सरकार इसे रोकने का विचार रखती है या नहीं? यदि हां, तो कब तक?

(3) उपरोक्त खड़ी खान की भूमि का नक्शा व तादाद बीघा भूमि व किस किस गांव की सीमा में खड़ी निकालने का आदेश ठेकेदार को दिया गया है? उनकी व साथ में एग्रीमेन्ट की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) जामसर में जिप्सम की खान सर्वश्री बीकानेर जिप्सम लि० को 1-10-1947 से दी गई थी और ये 20 वर्ष के लिये भूतपूर्व बीकानेर सरकार ने स्वीकृत की थी। इस खनन पट्टे में किसी और अन्य फर्म या व्यक्ति द्वारा कार्य नहीं किया गया है। अतः सूची सदन की मेज पर रखने का प्रश्न नहीं उठता है।

(2) यह सही है कि उपरोक्त खनन पट्टेधारी को खनन खड़ी करने के लिये अधिकार पट्टे के रूप में दिये हुए हैं जिसे राजस्व भूमि अथवा काश्तकारों की जमीन पर खनन कार्य किया है उसका कम्पनसेशन उपरोक्त पट्टाधारी द्वारा काश्तकारों को दिया जा चुका है। क्योंकि उपरोक्त पट्टाधारी द्वारा किसी भी खातेदार के अधिकारों का हनन नहीं किया है। अतः रोकने का प्रश्न नहीं उठता।

(3) एग्रीमेन्ट एवं नक्शे की प्रति सदन की मेज पर रखदी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण राजस्थान विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई है)

जवाई जल विस्तार क्षेत्र की भूमि

114. श्री पृथ्वीसिंह:—क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम दूदणी सेण जी वदा एवं विलसपुर तहसील बाली जिला पाली की भूमि जवाई जल विस्तार क्षेत्र में आई हुई है?

(2) उक्त जल विस्तार क्षेत्र में वर्ष 1969-70 में आदिवासियों, अनुसूचित जातियों एवं सवर्ण जातियों को कितनी कितनी भूमि आवंटित की गई?

(3) क्या यह सही है कि ग्राम दूदणी में राज्य सरकार की घोषणा के बावजूद भी सवर्ण जाति के सदस्यों की विशेष बैठक बुलाकर भूमि आवंटित की गई है?

उत्तर

(स्थगित किया गया)

पड़ाव अजमेर में स्थित तेल मिल में आग

115. (120वं.) श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर पश्चिम): क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि 3 मास पूर्व पड़ाव अजमेर में स्थित तेल मिल में आग लग जाने से संपूर्ण मिल जलकर खाक हो गई थी ? यदि हां, तो इसका क्या कारण था ?

क्या यह सत्य है कि अमलगमेटेड कम्पनी के इन्जीनियर श्री व्यास ने दिये गये पावर के अतिरिक्त, बिना मीटर के और अधिक छिपा हुआ पावर दे रखा था यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या यह सत्य है कि मिल मालिक बिना मीटर पावर मिलने का 500) रुपये प्रतिमास गुप्त रूप से प्रदान करते थे यदि हां, तो श्री व्यास के खिलाफ आज तक क्या कार्यवाही की गई है ?

उत्तर

(1) दिनांक 5-4-69 को रात्रि को करीब 11 बजे महेश आईल मिल पड़ाव केसरगंज, अजमेर में अकस्मात अग्नि प्रकोप हो गया था। कारण की जानकारी इस विभाग को नहीं है।

(2) इस विभाग को जानकारी नहीं है।

(3) इस विभाग को जानकारी नहीं है।

छीपा बड़ोद पंचायत को आबादी हेतु दी गई जमीन

116. श्री प्रेमसिंह सिंघवी (छबड़ा) क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्व विभाग द्वारा छीपाबड़ोद ग्राम पंचायत को कुछ जमीन आबादी बसाने हेतु ट्रान्सफर की गई है यदि हां तो कौन कौन से नम्बर की उसका कितना रकबा है ?

(2) क्या यह भी सही है कि जो भूमि ग्राम पंचायत की आबादी बसाने हेतु दी गई है उस पर पहले ही नाजायज कब्जे करके मकान बनवा लिये थे ?

(3) क्या यह सही है कि इस प्रकार के नाजायज कब्जे करने से बस्ती की सुन्दरता में फर्क आया है क्या सरकार इस प्रकार नाजायज कब्जों को हटाने के सिलसिले में कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

(4) क्या यह सही है कि छीपा बड़ोद तहसील में सन 68-69 तक छीपा बड़ोद पटवार सर्किल के अन्तर्गत आने वाली राजस्व विभाग की कृषि योग्य भूमि पर अन्य भूमि, जैसे चरनोट आदि पर लोगों ने नाजायज मकान खड़े कर लिये हैं ? यदि हां, तो कितने व्यक्तियों ने ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ?

उत्तर

(स्थगित किया गया)

परिशिष्ट 5

(अतारांकित प्रश्न संख्या 125 की सूची) परिशिष्ट 1

श्री रामचरन, उप मंत्री, समाज कल्याण विभाग, द्वारा माह अक्टूबर, 1967 से मार्च, 1968 तक उठाये गये दैनिक भत्ते के दिवसों की सूची

8-10-67 से 9-10-67 तक	2 दिन	4- 2-68 से 13- 2-68 तक	10 दिन
16-10-67 से 19-10-67 तक	4 दिन	17- 2-68 से 18- 2-68 तक	2 दिन
6-12-67 से 8-12-67 तक	3 दिन	24- 2-68 से 26- 2-68 तक	3 दिन
31-12-67 से 3- 1-68 तक	4 दिन	1- 3-68 से 4- 3-68 तक	4 दिन
6- 1-68 से 10- 1-68 तक	5 दिन	10- 3-68 से 11- 3-68 तक	2 दिन
12- 1-68 से 13- 1-68 तक	2 दिन	14- 3-68 से 17- 3-68 तक	4 दिन
25- 1-68 से 29- 1-68 तक	5 दिन ।		

योग 50 दिन

परिशिष्ट 2

श्रीरामचरन, उप मंत्री, समाज कल्याण विभाग द्वारा मार्च 68 तक उठाए गये टी०ए०/ डी०ए० का माहवारी विवरण

सितम्बर-1967	177.50
अक्टूबर, 1967	126.00
नवम्बर, 1967	188.40
दिसम्बर, 1967	177.00
जनवरी, 1968	419.00
फरवरी, 1968	596.00
मार्च, 1968	—
योग	1,683.90

परिशिष्ट 6

(अतारांकित प्रश्न संख्या 126 की सूची)

अकाल राहत मंत्री द्वारा 1 अक्टूबर, 1968 में अकाल सम्बन्धी कार्यों के लिये किये गये दौरों की सूची

क्र. सं०	माह का नाम	जिले का नाम	प्रवास के दिनों की संख्या	सरकार से लिया गया टी. ए.	/ डी. ए.
1	2	3	4	5	
1.	अक्टूबर, 1968	जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर जालोर, गंगानगर	12	32.08	252/-
2.	नवम्बर, 1968	अजमेर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर व चूरू,	14	—	294/-
3.	दिसम्बर, 1968	जोधपुर	6	—	126/-
4.	जनवरी, 1969	जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, उदयपुर, नागौर, जैसलमेर	23	277.06	483/-
5.	फरवरी, 1969	जोधपुर, बीकानेर, जालोर	8	41.60	168/-
6.	मार्च, 1969	जोधपुर, अजमेर, नागौर	14	-	294/-
7.	अप्रेल, 1969	उदयपुर, सीकर, जोधपुर, बाड़मेर	15	283.20	315/-
8.	मई, 1969	जोधपुर, बीकानेर, नागौर, चूरू, जालौर, बाड़मेर, पाली, सिरोही, जैसलमेर	25	—	525/-
9.	जून, 1969	जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, नागौर, बाड़मेर, सिरोही, व जालोर	29	—	609/-
10.	जुलाई, 1969	जोधपुर	10	—	210/-
11.	अगस्त, 1969	जोधपुर, पाली, जालोर, बाड़मेर, बीकानेर, नागौर	9	—	189/-
12.	सितम्बर, 1969	जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, उदयपुर, भीलवाड़ा	4	—	84/-
13.	अक्टूबर, 1969	पाली, जालोर, सिरोही, बाड़मेर नागौर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर	20	—	500/-
14.	नवम्बर, 1969	अजमेर, जोधपुर, जालोर, पाली, बाड़मेर, उदयपुर	12	—	372/-
15.	दिसम्बर, 1969	जोधपुर, जालोर, पाली	11	-	341/-
16.	जनवरी, 1970	अजमेर, सिरोही, जालोर, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, पाली	8	41.99	248/-

परिशिष्ट 7

(अतारांकित प्रश्न संख्या 130 की सूची)

Details of expenditure incurred on the development of Fort at Chittorgarh.

1.	Opening of Museum at Fateh Prakash Memorial during 1968-69	8,000	By Govt. of India
2.	-do- during 1969-70	2,750	
3.	Construction of urinals at Fort.	5,000	

परिशिष्ट 8

(अतारांकित प्रश्न संख्या 140 की सूची)

राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल फालना

दिनांक 1-4-67 से 31-3-69 तक सादड़ी (जिला पाली) में अस्थाई कनेक्शन देने का विवरण

क्र.सं.	उपभोक्ता का नाम	कनेक्शन देने से पूर्व अनुमानित विद्युत उपयोग की अमानत राशि जमा कराने की रकम	कनेक्शन देने की तारीख	बिल नं०	बिल की तारीख	बिल की रकम का विवरण: नियत तारीख से पहले	बिल की रकम का विवरण: नियत तारीख के बाद
1.	श्री के० एल० मेहता	19/-	9-6-67	2369/195	5-3-70	33-47	34-88/3
2.	श्री नगराज चीमनी राम	40/-	30-6-67	इस उपभोक्ता के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है।			
3.	श्री छगन मिठालाल	17/-	6-5-67	2121/75	5-3-70	11-11	11-11
4.	श्री हेमचन्द किसनाजी	50/-	6-1-69	2369/148	5-3-70	12-21	12-21
5.	श्री फूलचन्द हीराचन्द	23/-	6-2-69	इसका टेम्प्रेरी कनेक्शन परमानेन्ट कर दिया था उस वक्त टेम्प्रेरी की 40 यूनिट का रु० चार्ज कर लिया गया था। टेम्प्रेरी कनेक्शन के रेट के बाकी में 20% रुपये 5/78 पर के बिल में चार्ज कर लिये हैं।			
6.	श्री तोलचन्द ज्ञानमल	42/-	15-4-68	2369/155	5-3-70	33-47	34-88
	(बी) ,,	58/-	15-4-68	2369/154	5-3-70	118-35	121-23
7.	श्री सैंरमल देवीचन्द	128/-	19-1-68	2369/192	5-3-70	206-92	215-77
	(बी) ,,	405/-	19-1-68	2369/193	5-3-70	528-16	550-75
8.	केशरीमल सागरमल	60/-	29-4-68	इस उपभोक्ता के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है।			
9.	श्री सागरमल शेषमल	20/-	कनेक्शन नहीं दिया गया।				

परिशिष्ट 9

(अतारांकित प्रश्न संख्या 143 की सूची)

APPENDIX 'A'

List of Localities Sanctioned during the Year 1969-70 of Sawai Madhopur District.

	Name of village	*Name of Teh./Panchayat, Samiti*
1.	Jatwara Khurd	Sawaimadhopur
2.	Thingla	—do—
3.	Kherda	—do—
4.	Kandroli	Hindaun
5.	Chandangaon	
6.	Sikroda meena	
7.	Pachhipla	Sawaimadhopur
8.	Bharoti	Malarana Chowk
9.	Mahu Kalan	Gangapur
10.	Garhi Bandwa	Hindaun
11.	Jamalpur	—do—
12.	Reetholi	—do—
13.	Chandanhali	Malana-Bhadona-Chowk ki Bonlilina
14.	Nangal Sherpur	Sawai Madhopur
15.	Pahadi	—do—
16.	Bhaghat	—do—
17.	Bhandarianduri	—do—
18.	Kidalpur	—do—
19.	Rajor	—do—
20.	Khorra	—do—
21.	Beroj	—do—
22.	Gorda	—do—
23.	Padampur	—do—
24.	Nand	—do—

APPENDIX 'B'

List of Villages Electrified upto February, 1970 out of the Sanctioned Scheme of 1969–70

	Name of village	*Date of electrification*
1.	Kandroli	1-11-69
2.	Jatwara	26- 1-70
3.	Thingla	—do—
4.	Kherda	—do—
5.	Jamalpura	—do—
6.	Reetholi &	—do—
7.	Garhi-Bandwa.	—do—

शुद्धि-पत्र

शुक्रवार, दिनांक 13 मार्च, 1970

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
1	2	3	4
11	अन्तिम से 8	सिघरी	सिघवी
13	,, ,, 12	दुगलाल	दुर्गालाल
14	,, ,, 15	ग्रोर	और
15	,, ,, 9	रेग्यूलेराइज़	रैग्यूलेराइज
22	,, ,, 4	एग्रीकलवरल	एग्रीकलचरल
55	अन्तिम से 1	देखियें	देखिये
59	शीर्ष	केसरीसिह हाडा	श्री केसरीसिह हाडा
79 से 92	शीर्षक	अतारांकित प्रश्नोत्तर—अतारांकित प्रश्नोत्तर-13 मार्च, 1970-अनु० 13 मार्च, 1970-सं० तारांकित प्रश्नोत्तर अतारांकित प्रश्नोत्तर	
105	अन्तिम से 23	बंद	बन्द
110	,, ,, 1	अर	और
135	14	बरडंन	बर्डन
162	अन्तिम से 7	ट्रान्स्पोर्ट	ट्रान्सपोर्ट
172	10	ए	आ
177	अन्तिम से 9	सवं	सर्वे
181	अन्तिम से 9	दिजिये	दीजिये
186	13	को	को
190	अन्तिम से 1	चाहता कि	चाहता हूं कि
201	2	बक	बैंक
206	17	आजादी	आजादी
207	अन्तिम से 10	रिसोसज	रिसोर्सेज

1	2	3	4
177 से 208	शीर्षक	ग्राय व्ययक पर– 13 मार्च, 1970– आय व्ययक पर अ. सा. वाद विवाद	आय व्ययक पर– 13 मार्च, 1970– अग्रेत्तर सामान्य वाद विवाद
209	6	डिस्ट्रिक्ट	डिस्ट्रिक्ट
209	8	लिजिये	लीजिये
213	4	इरिगशन	इरिगेशन
213	ग्रन्तिम से 7	का	को
219	13	माननाय	माननीय
221	1	ता	तो
254	ग्रन्तिम से 19	जा ते	जानते
259	,, 12	कि	की
296	,, ,, 16	ि था	स्थित